# राजस्थान सेवा नियम

## खण्ड द्वितीय

अनुवादकर्ता —

माथुर एवं जैन

प्रकाशक —

**करेन्ट लॉ पब्लिशर्स**

चौड़ा रास्ता—जयपुर

संस्करण १६६६

मूल्य १८)

# राजस्थान सेवा नियम

## भाग २

### अनुक्रमणिका

# राजस्थान सेवा नियम

## भाग २

### परिशिष्ठ १

#### सेवा नियमों के सम्बन्ध में प्राशासनिक निर्देश

इस पारशिष्ट मे वे प्राशासनिक निर्देश हिदायतें है जो राज्य सरकार के प्राधिकारियो द्वारा पद के प्रभार फौजदारी कार्यवाहियो के दरमियान निलम्बन राज्य कर्मचारी द्वारा राज्य के भीतर या भारत में या विदेशी सेवा मे रहते हुए अपने मुख्यालय से बाहर जाने स्वीकृति योग्य आकस्मिक अवकाश जिसमे विशेष आकस्मिक अवकाश सम्मिलित है, स्पर्श वर्जन अवकाश आदि के उपयोग से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करने के विषय में अनुसरणीय हैं।

सेवा नियमो के सम्बन्ध मे राज्य सरकार प्रसन्न होकर निम्नलिखित नियम बनाती है —

#### I पद का भार

१ जब तक कि किसी विशेष कारणो से (जो सावजनिक प्रकृति का होना चाहिये) जिसके आदेश के अधीन स्थानान्तर हुई है वह अनुमति प्रदान नही करदे अथवा कोई विशिष्ट अन्य स्थान अपेक्षित न करदे या कोई अन्य आदेश नहीं देदे, तब तक किसी पद का भार उसके मुख्यालय पर हस्तान्तरित करना चाहिये, जहा पद भार से मुक्त करने वाला तथा पद सम्हालने वाला दोनों राज्य कर्मचारी उपस्थित हो।

२ नियम की यह शर्त कि पद भार ग्रहण करने वाला तथा पद भार से मुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी दोनो उपस्थित होने चाहिये, उन राज्यकर्मचारियों के मामले में लागू करना आवश्यक नही है जिनको दीर्घावकाश ( वेकेशन ) के साथ अवकाश जोडने की अनुमति दी गई हो। ऐसे मामलो में निम्नलिखित प्रणाली का अनुसरण होना चाहिये —

(क) जब कि दीर्घावकाश ( वेकेशन ) अवकाश से पहले जोडा गया हो, तो बाहुगमन करने वाला राज्य कर्मचारी मुख्यालय छोडने से पहले रिपोर्ट करेगा, अथवा, यदि अत्यावश्यक कारणो से अवकाश वेकेशन मे स्वीकृत हुआ हो तो, अवकाश स्वीकृत होते ही वह अपना पद भार, वेकेशन के अन्त से प्रभावशील, हस्तांतरित करेगा। तत्पश्चात पद मुक्त करने वाला राज्य कर्मचारी वेकेशन का अन्त होने पर पद भार सामान्य तरीके से सभाल लेगा।

(ख) जब कि वेकेशन अवकाश के साथ जोडी गई हो, पद भार से मुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी वेकेशन से पूर्व सामान्य तरीके से पद भार सुपुर्द कर देगा, आने

वाला राज्य कर्मचारी वेकेशन की समाप्ती पर वापस लौटने पर वकेशन के प्रारम्भ से पद भार ग्रहण कर लेगा।

## राजस्थान सरकार का निर्णय

१ एक प्रश्न यह उठाया गया कि क्या राजपत्रित अधिकारी के पद ग्रहण करने। हस्तातरित करने की चार्ज रिपोर्ट पर उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पर जाच की गई है और यह तय किया गया है कि निकटतम उच्च अधिकारी का प्रति हस्ताक्षर केवल तभी आवश्यक होता है जब कि कोई अधिकारी पद हस्ता तरित करता हो या ग्रहण करता हो और ऐसा कोई अधिकारी नही हो जिसको वह हस्तान्तरित करे या जिससे वह ग्रहण करें।

३ सामान्यतया तथा किसी विशेष मामलो मे किसी विशेष प्रतिकूल आदेश के अधिनस्थ, सरकार के कर्मचारी वर्ग में सरकारी कर्मचारियो, उदाहरणार्थ राज्य सचिव या राजकीय सचिवालय के लेखक का मुख्यालय, जिस सरकार से वह सलग्न है उसका तत्समय मुख्यालय जहा स्थित हो, उसी स्थान पर होगा। किसी अन्य राजकीय कर्मचारी का मुख्यालय वह स्थान होगा जो उसको नियुक्त करने वाला प्राधिकारी मुख्यालय ना घोषित करे अथवा ऐसी घोषणा के अभाव मे वह स्थान जहा उसके कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हो।

४ **क्षेत्राधिकार से बाहर जाना**—सिवाय पुलिस अधिकारी के जो अपनी विधिवत शक्तियो के अन्तर्गत कार्य कर रहा हो, कोई अन्य राज्य कर्मचारी उस काल के लिये वेतन या भत्ता पाने का हकदार नही होगा जो समय उसने बिना उचित प्राधिकार के अपने पद की सीमा से बाहर व्यतीत किया हो।

५ कोई सक्षम प्राधिकारी अपने नियन्त्रण मे कार्य कर रहे किसी राज्य कर्मचारी को कर्त्तव्य-पालन के अन्तर्गत चाहे उसके क्षेत्राधिकार मे हो या उससे बाहर भारत के किसी भाग मे या भारत मे स्थित किसी विदेशी उपनिवेश मे जाने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

६ इस नियम के अधीन जिस राज्य कर्मचारी को किसी स्थान पर जाने की अनुमति दी गई हो, वह इतना कर्मचारी वर्ग एव अभिलेख अपने साथ ले जा सकेगा जो उसके दक्षता पूर्ण कर्त्तव्य पालन हेतु नितान्त आवश्यक हो।

७ कोई नियन्त्रण अधिकारी (कन्ट्रोलिंग आफिसर) अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी राज्य कर्मचारी को कर्त्तव्य पालन मे राजस्थान क्षेत्र के किसी भी भाग मे अथवा नियन्त्रण अधिकारी के क्षेत्रधिकार से जुडते हुए किसी विदशी उपनिवेश में जाने को तथा यात्रा भत्ता उठाने की अनुमति दे सकेगा।

---

१. पी यू सी स २४८७ एफ ७ ए (४४) एफ डी एक्स्प/५७ दिनाक २० ५ १९५८ हुआ।

## I. फौजदारी कार्यवाहियों के चालू रहते, या ऋण के लिये गिरफ्तार होने पर (या किसी कानून के अधीन निरोधक नजरबन्दी के दौरान) निलम्बन

[1](क) कोई राज्य कर्मचारी जिस किसी निरोधक नजरबन्दी कानून के अधीन हिरासत में लिया गया हो, अथवा किसी फौजदारी अभियोग पर कार्यवाही के फलस्वरूप अथवा ऋण के लिये गिरफ्तार किये जाने पर यदि हिरासत की अवधी ४८ घंटों से अधिक हो और यदि वह पहले से ही निलम्बित न हो, तो वह गिरफ्तार किये जाने की तारीख से राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, १९५८ के नियम १३ (२) के विचारानुसार अग्रिम आदेशों तक निलम्बित होना समझा जावेगा। कोई राज्य कर्मचारी जो कैद की सजा भुगत रहा हो, उसके साथ भी उसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही विचाराधीन रहते, इसी प्रकार का व्यवहार किया जायगा।

(ख) कोई राज्य कर्मचारी जिसके विरुद्ध किसी फौजदारी अभियोग पर कार्यवाही की गई हो परन्तु जो वास्तव में हिरासत में लिया हुआ न हो (उदाहरणार्थ जमानत पर रिहा व्यक्ति) राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, १९५८ के नियम १३ के उप-खंड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा। यदि चार्ज राज्य के कर्मचारी के राजकीय पद से सम्बधित हो या उसके नैतिक पतन का हो तो उसे इस नियम के अधीन निलम्बित किये जाने का आदेश दिया जायगा जब तक कि ऐसा पथ नहीं अपनाने के कोई विशेष (अपवाद स्वरूप) कारण हों।

(ग) कोई राज्य कर्मचारी, जिसके विरुद्ध ऋण के लिये गिरफ्तार करने की कोई कार्यवाही की गई हो, परन्तु जिसे वास्तव में हिरासत में नहीं लिया गया हो राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम १९५८ के नियम १३ उप-खंड (क) के अधीन निलम्बित किया जा सकेगा, अर्थात केवल उस दशा में जब तक उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन हो।

(घ) जब कि कोई राज्य कर्मचारी उप-खण्ड (क) में उल्लेखित परिस्थितियों में निलम्बित किया जाना समझा गया हो अथवा जो उप खन्ड (ख) में उल्लेखित परीस्थितियों में निलम्बित किया गया हो उसका पुन स्थापन उसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही किये बिना किया गया हो तो निलम्बन की अवधि में उसके वेतन तथा भत्ते का नियमन नियम ५४ के अधीन होगा अर्थात कलंक से मुक्त हो जाने की दशा में या (उसके विरुद्ध कार्यवाही ऋण के लिये गिरफ्तार हो जाने के कारण की गयी थी) अथवा ये साबित हो जाये कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ जो उसके नियन्त्रण से परे थी अथवा जब कि किसी सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय दिया हो कि उसका

---

1 वित्त विभाग के ज्ञापन न० ,२४६७/५९ एफ ७ (क) (१) एफ डी /रूल्स/५८ I दिनांक १० अगस्त ५९ द्वारा स्थानापन्न और तुरन्त प्रभावशील होगा।

प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित कर्मचारी अपने निवास स्थान का पता जहाँ आकस्मिक अवकाश पर हैडक्वार्टर के बाहर रहना चाहते हैं अंकित करेंगे।

इसी प्रकार और कई कर्मचारी हैडक्वार्टर के बाहर राजपत्रित अवकाश में जाना चाहेंगे तो वे भी अपने निवास स्थान का पता आकस्मिक अवकाश के प्रार्थना पत्र में अंकित करेंगे।

[१]६ परिशिष्ट १, शाखा ३ "आकस्मिक अवकाश" के अनुच्छेद १ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य चीजों के साथ यह प्रावधान किया गया है कि आकस्मिक अवकाश इस प्रकार का नहीं दिया जाना चाहिये जिससे अवकाश के प्रारम्भ तथा अन्त के विषय में नियमों से बचाव हो सके। आर ए सी के जवानों को इन प्रावधानों से क्लेश हुआ है क्योंकि मौजूदा नियमों के अधीन वेरियायती (प्रिविलेज) अवकाश पर अपने घरों को प्रस्थान करते हुए रियायती अवकाश से पहले आकस्मिक अवकाश नहीं जोड़ सकते।

इस विषय पर विचार किया गया है और यह आदेश दिया गया है कि आर ए सी के जवानों को सारी अथवा अनुपयोग किया गया शेष आकस्मिक अवकाश को यथा स्थिति रियायती अवकाश में पहले जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस प्रकार पहले जोड़ा गया आकस्मिक अवकाश किसी भी एक अवसर पर १५ दिन से अधिक नहीं होगा।

नये प्रवेश पाने वालों को आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के लिये निर्देशन

[२]सामान्यतया किसी राज्य कर्मचारी को एक वर्ष में १५ दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है परन्तु यदि कोई व्यक्ति वर्ष के मध्य में कार्यग्रहण करता है तो उसे पूरे १५ दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। राज्य कर्मचारियों को सामान्य नियमों के अधीन रहते निम्न लिखित तरीके से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिये —

(क) ५ दिन तक जिसकी सेवा तीन माह या उससे कम की हो,

(ख) १० दिन तक जिसकी सेवा तीन माह से अधिक हो परन्तु छः माह से कम हो, और

(ग) १५ दिन तक जिसकी सेवा छः माह से अधिक हो,

## ज्ञापन

[२]ऐसे अवसर आते हैं जब कि राज्य कर्मचारी बिना आकस्मिक अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये काम पर यह सोचते हुए नहीं आते कि उनका अवकाश यथा समय स्वीकृत कर दिया जावेगा। किन्तु समस्त राज्य कर्मचारियों का ध्यान राजस्थान सेवा नियम खण्ड २ के परिशिष्ट १ के भाग ३ की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार आकस्मिक अवकाश पर कोई व्यक्ति सेवा में कार्य करता हुआ माना जायेगा और इसलिये आकस्मिक अवकाश प्रदान करना एक ऐसा

१ वित्त विभाग ज्ञापन सं एफ १ (७४) एफ डी (ई-आर)/६४ दिनांक ४ ६ ६४ तथा ० ७ ६४।

२ वित्त विभाग (ई एण्ड पी रूल्स) ज्ञापन स एफ १ (४४) एफ. डी/ई एण्ड पी रूल्स/ दिनांक २७ ५ ६६ द्वारा जोड़ा गया।

विषय है जो मञ्जूर करने वाले प्राधिकारी के स्व विवेक पर पूर्णतया निर्भर हैं। अतः यह पहले से ही नहीं मान सकते कि मांगा गया आकस्मिक अवकाश सदैव स्वीकृत कर दिया जायेगा। यदि स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की यह धारणा हो कि राज्यकीय कार्य में हानी होगी, तो वह आकस्मिक अवकाश अस्वीकार कर सकता है। जिस राज्य कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो और जो नौकरी पर उपस्थित नहीं हो वह जान बूझ कर सेवा से अनुपस्थित होने का दोषी होगा। जान बूझ कर ऐसी अनुपस्थिति सेवा में रुकावट मानी जायेगी जिसमें पूर्व सेवाओं की जब्ती तथा दुर्व्यवहार सम्मलित है।

## राजस्थान राज्य का निर्णय

## विशेष आकस्मिक अवकाश

प्रादेशिक सेना मे भर्ती होने के लिये अनुमति प्राप्त राजकार्य कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश।

उक्त विषय पर भारत सरकार गृह मन्त्रालय के ज्ञापन सं, २५/४२/५१ एम के दिनांक अगस्त १, १९५१ की प्रतिलिपि नीचे दी जाती है। दूसरी वस्तुओं के साथ भारत सरकार ने तय किया है कि उन राज्य कर्मचारियों को जिन्हे प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) में कार्य ग्रहण करने की अनुमति दी गई हो उनके द्वारा कैम्प में व्यतीत की गई अवधि सम्बधित कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश में से नहीं काटी जावे परन्तु सब मामलों में विशेष आकस्मिक अवकाश शुमार की जावे और प्रादेशिक सेना में भर्ती होने वाले असैनिक राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत किया गया समय कार्य (ड्यूटी) पर उपस्थिति समझा जावे।

सरकार ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किया है कि इस राज्य के ऐसे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जावे जो प्रादेशिक सेना में भर्ती हों।

**प्रतिलिपि गृह मन्त्रालय का ज्ञापन सं २५/४२/५१ एसेटदे दिनांक १ अगस्त १९५१, भारत सरकार के सब मन्त्रालयों आदि को सम्बोधित।**

विषय—प्रादेशिक सेना मे भर्ती होने के लिये अनुमति प्राप्त असैनिक राज्य कर्मचारियों द्वारा कैम्प मे या पाठ्य क्रम मे या प्रशिक्षण में व्यतीत किये गये समय का शुमार।

(१) निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता को आदेश हुआ है कि असैनिक राज्य कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना मे भर्ती होने के लिये अनुमति प्रदान करने के विषय में इस मन्त्रालय के ज्ञापन सं २५/१६/४०–एसटबे, दि ७ जुलाई, १९५० का निर्दिष्ट करूं और यह व्यक्त करूं कि एक सुझाव यह प्रस्तुत हुआ है कि चूंकि आकस्मिक अवकाश की मात्रा एक वर्ष मे २० दिन से कम करके १५ दिन करदी गई है, इसलिये प्रादेशिक सेना मे भर्ती होने के लिये अनुमति प्राप्त राज्य कर्मचारियों द्वारा कैम्प मे व्यतीत किया गया समय सम्बधित कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश मे से नहीं काटा जावे, परन्तु सब मामलों में विशेष आकस्मिक अवकाश शुमार किया जावे। सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है। निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता को यह निवेदन करना है कि यह निर्णय नोट किया जावे और समस्त सम्बधितों

को सूचित किया जावे । ऊपर सदभ दिये गये इस मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन मे सार भूत प्रावधान तदनुसार सशोधित समझे जावग ।

(२) भारत सरकार ने यह भो निश्चय किया है कि प्रादेशिक सना में भर्ती होने वाले असैनिक राज्य कमचारी जो किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे उपस्थिति का समय जो पाठ्यक्रम की प्रकृतिनुसार बदल सकता है परन्तु जो किसी एक मामले में तीन मास की अवधि से अधिक नही होगा उसको उसी प्रकार काय पर उपस्थित रहना शुमार किया जावे जैसे कि राज्य कमचारियो को नियमित सेना के पुष्टिकरण मे या पूरक रूप मे समावेश करन के लिये बुलाये जाने पर किया जाता है । किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भेजे जाने वाले व्यक्ति भी समावेशित' (embodied)होगें और इसलिये सब प्रकार से इस मन्त्रालय के उपरोक्त सदभ के कार्यालय ज्ञापन के अनुच्छेद ४ मे दी गई शर्तों से शासित होगें ।

(३) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिये भेजे जाने वाले कमचारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुद्दे नोट किये जावे —

(i) यह सम्बधित व्यक्ति के पूव स्वेच्छा पर निभर होगा कि आया कोई पाठ्यक्रम में सम्मिलित होवे अथवा नही और

(ii) किसी पाठ्यक्रम के लिये अग्रसर होने की सम्मति देने से पूव कार्यालयाध्यक्ष की पूव अनमति आवश्यक होगी और सेवा की आवश्यकताओ को देखते हुए यदि आवश्यक समझे तो ऐसी अनुमति अस्वीकार करने के लिये सम्बधित कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण स्वतत्र होगा किन्तु सामान्यतया, ऐसी अनुमति प्रदान कर देनी चाहिये ।

## विश्वविद्यालय सम्बन्धी काय करने के लिये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश ।

[१] १२ हिजहाइनेस राजप्रमुख ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि शिक्षा विभाग के कमचारियो को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने मे सक्षम पदाधिकारी विश्व विद्यालय का काय ग्रहण करने के लिये अनुमति दे सकेगा जसे राजपूताना विश्वविद्यालय की विभिन्न सभाओ की बठको मे उपस्थित होना तथा विश्वविद्यालय के निरिक्षको के रूप मे जाना आदि और वे काय पर उपस्थित होने समझे जायेगें, जो एक सत्र में अधिक से अधिक राजस्थान मे १५ दिन और बाहर ६ दिन की सीमा के अधीन रहेगें परन्तु शत यह है कि ऐसी उपस्थिति के लिये कोई पारिश्रमिक निर्दिष्ट अथवा एक मुश्त राशि मे समस्त काय क लिये प्राप्त नही करेगें सिवाय सामान्य यात्रा भत्ते के (जिसमें दैनिक भत्ता भी सम्मिलित है ) ।

जो मामले इस नियम के अन्तगत नही आते हों उनके लिये आकस्मिक अवकाश अथवा कोई ऐसा अन्य अवकाश जो नियमानुसार उनको स्वीकृत हो सकता हो उसकी स्वीकृति क लिये अधिकारीगण सक्षम प्राधिकारी को निवेदन करेगें ।

---

१ शिक्षा विभाग आदेश स एफ १३ (१२) एजू /५२ दिनाक १३ अक्तूबर, १९५२ द्वारा जोड़ा गया ।

सम्बंधित अधिकारियों को उसी श्रेणी मे यात्रा करनी चाहिये जिसके लिये विश्वविद्यालय ने उनको पैसा दिया है और ड्यूटी-अवकाश (ड्यूटी लीव) की प्रत्येक दशा मे उनको प्रमाणित करना पडेगा कि उन्होंने उस श्रेणी मे यात्रा की है जिसके लिये विश्वविद्यालय ने उनको पैसा दिया है।

ऐसे अधिकारियो द्वारा ऊपर बताये गये विश्वविद्यालय के काय से सम्बंधित यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देने के लिये सरकार का कोई उत्तरदायित्व नही है।

यह आदेश इस विषय पर पहले के सब आदेशो का अधिक्रमण करता है।

[1]राजपाल ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियो को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सचालित परिक्षाओ के सम्बन्ध में केन्द्र अधिक्षक/मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्ति किये गये हो उनको आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा जो एक विद्याध्ययन सत्र मे २१ दिन से अधिक नही होगा।

इन आदेशो के अतर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति राजस्थान सरकार के निर्णय स २ द्वारा राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट १—पृष्ठ ७ में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहगी।

**विधोचित काय करने के लिये चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश**

[2], हिजहाइनेस राजप्रमुख ने प्रसन्न होकर फरमाया है कि चिकित्सा विभाग के कर्मचारियो को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने मे सक्षम पदाधिकारी विधोचित काय ग्रहण करने के लिये अनुमति दे सकेगा जैसे कि परिक्षाओ का सचालन अथवा विद्या परिषद की सभाओ तथा चिकित्सा सभा की कार्यकारिणी समितियो की बठको मे प्रतिनिधि के रूप मे उपस्थित होना आदि/ऐसे कार्य पर अनुपस्थिति के समय में वे ड्यूटी पर होना शुमार किये जावगे जिसकी अधिकाधिक मात्रा एक विश्वविद्यालय सत्र मे, राजस्थान मे १५ दिन और बाहर ६ दिन हो सकेगी, परन्तु शत यह है कि ऐसी उपस्थिति के लिये वे कोई पारिश्रमिक निर्दिष्ट अथवा एक मुश्त राशि मे समस्त काय के लिये प्राप्त नहीं कर सकेंगे सिवाय यात्रा भत्ते के जिसकी दर सरकार द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नही होगी।

— जो मामले इस नियम के अन्तगत नही आते हो उनके लिये आकस्मिक अवकाश अथवा कोई ऐसा अन्य अवकाश जो नियमानुसार उनको स्वीकृत हो सकता हो उसकी स्वीकृति के लिये अधिकारी गण सक्षम प्राधिकारी को निवेदन करेगें।

---

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (७८) एफ डी (ई-एक्स पी रूल्स) ६७ दिनाक १३ दिसम्बर १९६७ द्वारा जोड़ा गया।

२ चिकित्सा तथ सावजनिक स्वाध्य विभाग आदेश स ७७३२/एम एच/५४ एफ २३ (१५०) एम एच /५४ दिनाक २ नवम्बर, १९५४ द्वारा जोडा गया।

ऐसे अधिकारियो द्वारा ऊपर बताये गये विश्व विद्यालय से काय से सम्बधित यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते के लिये सरकार का कोई उत्तरदायित्व नही है।

यह आदेश इस विषय पर पहले के सब आदेशो का अधिक्रमण करता है।

**खनिज तथा भूगर्भ विभाग के अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश**

१ हिजहाईनेस राजप्रमुख ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि खनिज तथा भूगर्भ विभाग के अधिकारियो का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने मे सक्षम पदाधिकारी भारतीय विज्ञान कांग्रेस सघ के वार्षिक सत्र मे उपस्थित रहने के लिये अनुमति दे सकेगा और वे काम पर उपस्थित होवे समझे जायेग जो राजस्थान मे १५ दिन और राजस्थान से बाहर ६ दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहेग परन्तु शर्त यह है कि ऐसा उपस्थिति के लिये वे कोई पारिश्रमिक निर्दिष्ट अथवा एक मुश्त राशि मे समस्त काय के लिये प्राप्त नही करेग सिवाय सामान्य यात्रा तथा दैनिक भत्ते के जिसकी दर इनको मिलने वाली राजस्थान सरकार की दर से अधिक नही होगी।

जो मामले इस नियम के अन्तगत नही आते हों उसके लिये आकस्मिक अवकाश अथवा कोई अन्य अवकाश जो नियमानुसार उनको स्वीकृत हो सकता हो उसको स्वीकृति के लिये अधिकारी गए सक्षम प्राधिकारी को निवेदन करेगें।

ऊपर बताये गये विद्याचित काय सम्बन्धी यात्राओ के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता देने की जिम्मेदारी सरकार पर किसी दशा मे नही होगी।

**२बन्ध्याकरण ओपरेशन कराने वाले राजकीय कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश**

यह आदेश दिया जाता है कि उन राज्य कर्मचारियो को जो बन्ध्याकरण आपरेशन करावें उनको निम्न लिखित आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जावे —

| | |
|---|---|
| पुरुष | ४ दिन |
| महिलाएं | १० दिन |

**३ परिवार नियोजन योजना के अन्तगत बन्ध्याकरण आपरेशन कराने वाले राजकीय कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश**

निम्न हस्ताक्षर कर्ता को इस कार्यालय के इसी सख्या के आदेश दिनाक ६ ५-१९६४ का सदभ देते हुए यह व्यक्त करने का आदेश हुआ है कि उन महिला राजकीय कर्मचारियो को साल्पिगटोमी के आपरेशन (बन्ध्याकरण) बच्चा उत्पन्न होने के बाद अथवा किसी अन्य समय पर कराने पर विशेष आकस्मिक अवकाश के हक के विषय मे फिर से विचार किया गया है।

---

१ उद्योग विभाग स एफ ८ ( III ) ( २७ ) उद्योग ( बी ) ५७ दिनाक २ ५८ द्वारा जोडा गया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ ( १९ ) एफ डी (ई आर )/६४ दिनाक ६ ५ ६४ द्वारा जोडा गया।

३ वित्त विभाग स एफ १ ( १९ ) एफ डी (ई आर )/६४ दिनांक २८ १०-६६ द्वारा जोडा गया।

स्थिति यह है कि महिला का वन्ध्याकरण करने का आपरेशन किसी भी समय किया जा सकता है। जब यह बच्चा उत्पन्न होने के पांच दिन पश्चात किया जाता है तब वह पुरपेरल वन्ध्याकरण कहलाता है। जब यह किसी अन्य समय पर किया जाता है तब इसे नोन पुरपेरल अथवा गाईनेकोलाजिकल (गाइनेन्स) वन्ध्याकरण कहते हैं। चूंकि पुरपेरल वन्ध्याकरण में महिला राज्य कर्मचारी बच्चा होने की तारीख से ६ तक अथवा जच्चा अवकाश के प्रारम्भ से तीन महिने तक जच्चा अवकाश पाने की पहले से ही हकदार होती है इसलिये यह निर्णय किया गया है कि परपुरल वन्ध्याकरण कराने वाली महिला राज्यकर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रकार के वन्ध्याकरण के विषय में अर्थात नोनपरपुरल में आपरेशन तथा आपरेशन के पश्चात विश्राम के लिये १४ दिन अपेक्षित हैं। अतः उपरोक्त आदेश का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि नोनपरपुरल वन्ध्याकरण कराने वाली महिला कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जावे जो १४ दिन से अधिक नहीं होगा।

यह तय किया गया है कि उपरोक्त अनुच्छेद १ के अनुसार तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक ६.५.१९६६ के अनुसार पुरुष राज्य कर्मचारियों को जो विशेष आकस्मिक अवकाश देय हो उस आकस्मिक अवकाश अथवा नियमित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि विशेष आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाश के लिये सिफारिश डाक्टरी सलाह पर आधारित हो और अवकाश की पुष्टि में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों के अधीन उचित चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो। किन्तु किसी भी दशा में, विशेष आकस्मिक अवकाश को किसी आकस्मिक अवकाश तथा नियमित अवकाश दोनों में एक साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

**'परिवार नियोजन योजना' के अधीन आई यू सी डी (लूप) लगवाने के लिये महिला राज्य कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश।**

[1]राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि महिला राज्य कर्मचारियों को आई यू सी डी (लूप) लगवाने के प्रयोजनार्थ एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।

**[2]राजस्थान प्रसनिक सेवायें (विभागीय परीक्षा) नियम के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में बैठने के लिये राज्य कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश।**

राजस्थान प्रसैनिक सेवायें (विभागीय परीक्षा) नियमों १९५८ के अधीन विभागीय परीक्षा में बैठने वाले राज्य कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थिति का समय किस प्रकार शुमार किया जावे यह प्रश्न पर राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है।

---

१ वित्त विभाग आदेश सं. एफ १ (२) एफ डी (ई आर)/६५ द्वारा जोड़ा गया।
२ " एफ १ (२३) एफ डी (ई आर) ६४ दिनांक २-६-६४ द्वारा जोड़ा गया।

यह तय किया गया है कि उन राजकीय कमचारी को जो उपरोक्त नियमोनुसार विभागीय परीक्षाओ मे बैठने के पात्र हों अथवा जिनके लिये परीक्षा देना अपेक्षित किया गया हो उनको विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकेगा। विभागीय परीक्षाओ के लिये सम्बधित परीक्षा की वास्तविक अवधि और मुख्यालय से बाहर परीक्षा ली जाने की दशा मे मुख्यालय स निकटत्तम परीक्षा केन्द्र पर जाने तथा वापिस आने के लिये कम से कम समय की पूर्ति कर इतने समय के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जायगा किन्तु परीक्षा मे बठने वाले राजकीय कमचारी को कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

इस प्रयोजन क लिय राजकीय कमचारी विशेष आकस्मिक अवकाश को सामान्य आकस्मिक अवकाश के साथ जोड सकेगा (परन्तु नियमित अवकाश के साथ नहीं)।

इन आदेशो के अन्तगत विशेष अवकाश प्रदान करन की शक्तियो का प्रयोग सम्बधित विभागाध्यक्ष/पदाधिकारी करेगा।

**[१] राजपत्रित अधिकारियो को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिये हिदायतें।**

विभागाध्यक्षो का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति सम्बधित प्रशासनिक विभाग का सचिव दे सकेगा एव अन्य राजपत्रित अधिकारियो को उनके निकटत्तम उच्च अधिकारी स्वीकृति प्रदान करेंगे। कलेक्टरो के मामल मे आकस्मिक अवकाश कमीशनर स्वीकार कर सकेगा परन्तु राजस्व विभाग मे सरकार के शासन सचिव को अवश्यमेव सूचना दनी चाहिये।

छुट्टी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को आकस्मिक अवकाश का उचित लेखा रखना चाहिये।

**[२] III क छुट्टी के बदले मे क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश**

१ रविवारो तथा अन्य राजपत्रित छुट्टिया मे अनिवायत लेखकवर्गीय कमचारी वग के सदस्य को, जितने दिन तक उसे कार्यालय मे उपस्थित होने के लिये बाध्य किया गया हो उतने दिन तक उसे क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश देना उचित होगा, सिवाय उस दशा मे जब कि उक्त उपस्थिति शास्ति रूप मे उस पर लागू की गई हो।

२ उक्त अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का हकदार किसी राजकीय कमचारी को बनाने हेतु उसकी उपस्थिति प्रभारी राजपत्रित अधिकारी के पूव लिखित आदेशो के अधीन होनी चाहिये जिसे उस आदेश मे यह लिखना चाहिये आया उक्त उपस्थिति अनिवाय है अथवा नही।

२ वास्तव म अर्जित की हुई सीमा तक क्षति पूर्ति (आकस्मिक) अवकाश की अनुमति उसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जो सम्बधित राजकीय कमचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने म सक्षम है और यह उन्हा शर्तो के अधीन रहेगी जो आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिये निर्धारित है।

---

२ वित्त विभाग आदेश स एफ ५ (१) एफ (आर)/ ५६ दिनांक ११ जनवरी, १६५६ द्वारा जोडा गया।

१ जी ए डी सख्या एफ २ (२५७) जी ए /ए/५२ दिनांक ११ माच १६५३ द्वारा

## निर्देश

[1] उपरोक्त आदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर १ १ १९६४ से लागू होगा।

## टिप्पणी

उपरोक्त हिदायत के कारण, रविवार या अन्य छुट्टी के दिन उपस्थित होने के लिये कोई वाहन खर्च या अतिरिक्त वेतन स्वीकृत नही होगा।

## राजस्थान सरकार का निर्णय

[2] क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी आदेश अधिकारियों के निजी कर्मचारी वर्ग पर लागू नहीं होगा, नामतः, निजी सहायता वर्ग, आशु लिपिक गण, न्यायालयों के वाचकगण (रिडर्स) आदि क्योंकि उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने कार्यालयाध्यक्षों के साथ ऐसी छुट्टियों में भी काम करेंगे, और इसलिये वे क्षतिपूर्ति (आकस्मिक अवकाश) पाने के हकदार नहीं हैं।

### [3] III ख आर ए सी के जवानो के लिये विशेष क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश।

वर्ष १९६६ मे आर ए सी के जवानो को, जिनको युद्ध के बंदी रखने के बाद मुक्त किया है, विशेष क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश, जो ३१ दिन से अधिक नही होगा प्रदान किया जा सकेगा। इन आदेशो का प्रभाव ९ २ १९६६ से प्रारम्भ होगा।

### IV स्पर्शवर्जन अवकाश। (Quarantine Leave)

स्पर्शवर्जन (क्वेरेन्टाइन) अवकाश किसी राजकीय कर्मचारी के परिवार या घर में किसी छूत का रोग आजाने के फल स्वरूप, कार्यालय मे नही आने के आदेश द्वारा अपेक्षित, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है। ऐसा अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चिकित्सा या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर दिया जा सकेगा जो २१ दिन की अवधि अथवा विशेष परस्थितियो मे ३० दिन से अधिक नही होगा। स्पर्शवर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि से अधिक अवकाश देना आवश्यक हो तो वह सामान्य अवकाश मे शुमार किया जायगा। जब अवकाश हो, तो स्पर्शवर्जन अवकाश अन्य अवकाश से जुडता हुआ भी दिया जासकेगा जो उक्त सीमा के अधीन होगा। नीचे टिप्पणी मे उल्लेखित मामलो के अतिरिक्त स्पर्शवर्जन अवकाश पर अनुपस्थित राजकीय कर्मचारी के स्थान पर कोई स्थानापन्न व्यक्ति नियुक्त नही करना चाहिये। स्पर्शवर्जित अवकाश मे किसी राजकीय कर्मचारी को काम से अनुपस्थित नही मानते और उसका वेतन नही रुकता।

---

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (२) एफ डी [ ई आर ] ६४ ३ १-६४ द्वारा जोडा गया।
२ ,, ,, स एफ ७ [१८] एफ II/५५, दिनांक २२ अक्टूबर, १९५६ ,,
३ ,, ,, स एफ, १ [७९] एफ डी [ई आर]६६ दिनांक ८ ११ ६६ ,,

## स्पष्टीकरण

१ स्पर्शवर्जन अवकाश उस राजकीय कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता जो स्वयं छूत के रोग से पीड़ित हो जाय। उसे अवकाश के नियमों के अनुसार अवकाश दिया जायगा।

२ इस नियम में निर्धारित २१ या ३० दिन की अधिकाधिक सीमा ऐसे प्रत्येक अवसर के लिये होगी जिसमें अवकाश मांगा गया हो और प्रदान किया गया हो।

## टिप्पणी

इस नियम के प्रयोजनार्थ हैजा, चेचक, प्लेग, डिपथीरिया, टाइफस बुखार [२] [ ] तथा सरीब्रोसपाइनल मेनिनजाइटिस, इस नियम के प्रयोजनार्थ, छूत के रोग समझे जा सकते हैं। चेचक की दशा में स्पर्शवर्जन अवकाश तब तक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि उत्तरदायी स्वास्थ्य अधिकारी का यह मत न हो कि चूंकि रोग के ठीक किस्म के विषय के संदेह है उदाहरणार्थ, चेचक इसलिये ऐसे अवकाश प्रदान करने का कारण मौजूद है।

२ स्पर्शवर्जन अवकाश पर अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति अधिकृत अवधि तक रखने की स्वीकृति सरकार या सक्षम प्राधिकृत उस दशा में दे सकेगा जब कि उसका वेतन प्रभावित किये बिना, उसके कार्य की व्यवस्था नहीं की जा सकती हो बशर्ते कि अनुपस्थिति ३० दिन से अधिक की नहीं हो और अनुपस्थित व्यक्ति का वेतन १००) मासिक से अधिक नहीं हो।

### V वैदेशिक सेवा

### १ अंशदान भुगतान करने की प्रक्रिया

(क) किसी राज्य कर्मचारी का स्थानान्तर वैदेशिक सेवा में करने के आदेश की प्रतिलिपि स्थानान्तर स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा लेखाधिकारी को अवश्य भेजी जानी चाहिये राज्य कर्मचारी स्वयं को उसके वेतन की लेखा परीक्षा करने वाले अधिकारी के पास एक प्रति अविलम्ब भेजनी चाहिये और अंशदान के लिये किस अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करे इस विषय में उससे निर्देश प्राप्त कर लेने चाहियें, तथा उस (बाद में उल्लेखित) अधिकारी के समक्ष समस्त प्रभार स्थानान्तर करें जिसमें उसने भाग लिया हो, समय और दिनांक, वैदेशिक सेवामें रहते हुए तथा वापस लौटते समय की रिपोर्ट प्रेषित करते रहना चाहिये, और समय समय पर उसे वैदेशिक सेवामें प्राप्त वेतन लिया गया अवकाश अपने डाक का पता और अन्य सूचना जो वह अधिकारी मांगे उसका विवरण, अधिकारी को सूचित करता रहना चाहिये।

(ख) वैदेशिक सेवा के विषय में जिस लेखाधिकारी को सूचनाएं भेजनी हैं वह महालेखाकार है।

---

१ वित्त विभाग आज्ञा सं एफ ७ (१८) एफ II/५५ दिनांक ३ दिसम्बर १९५५ द्वारा जोड़ा गया।

२ शब्द 'मोहराम' तथा 'मम्स' वित्त विभाग आदेश स १००९/आर/५७/एफ १ (१२१) एफ आर/५६ दिनांक २२ फरवरी १९५७ द्वारा लोपित किये गये।

## २ अवकाश तथा अवकाश प्रदान करने के विषय में नियम ।

वैदेशिक सेवा मे रहने वाला राज्य कमचारी सेवा नियमो के अध्याय १३ मे दिये गय नियमो के पालन के लिये स्वय व्यक्तिगत जिम्मेदार है तथा ऐसे अवकाश का उपयाग करने से जिसका कि वह अधिकारी नही हो, अनियमितता से उठाया गया अवकाश वेतन वापस जमा कराने का देनदार होगा, और वापस जमा कराने मे इन्कार करने की दशा मे, सरकार के अधीन भूत पूव सेवा की जन्ती हो सकेगी ग्रार तत्पश्चात पेन्शन या अवकाश वेतन के विषय मे सरकार पर उसका कोई हक नही रहगा ।

## VI यात्रा भत्ता

१ जब किसी राज्य कमचारी का स्थानान्तर सावजनिक सुविधा के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से हुआ हो तो स्थानान्तर आदेश की एक प्रति महालेखाकार के पास स्थानान्तर का कारण व्यक्त करते हुए पृष्ठाकन करना चाहिये । ऐसे पृष्ठाकन के अभाव मे महालेखाकार यह समझ लगा कि स्थानान्तर सावजनिक सुविधा हेतु किया गया है ।

२ अराजपत्रित राज्य कमचारी होने की दशा मे नियम १ मे निर्दिष्ट आदेश की प्रति के स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र मान्य हो सकेगा ।

३ नियमो के अधीन यात्रा भत्ते कि स्वीकृति यथा सभव उन सारे मामलो मे वाछनीय है जिसमे जाच कमीशनर आदि के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियो के यात्रा भत्ते पर शासित होने वाले यात्रा भत्ता नियम लागू होत हैं, क्यो कि इससे पत्राचार मे बचत तथा लेखा परीक्षा मे सुविधा होती है ।

———

# परिशिष्ट II

## संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के अवकाश की शर्तें

### टिप्पणी

यह उन अधिकारियों के अवकाश की शर्तों के विषय में है जो राज्य सरकार द्वारा अथवा सम्भावित राज्य में संविदा के आधार पर नियुक्त किये गये है/थे और जिन पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड १ में दिये गये सामान्य अवकाश नियम लागू नहीं होते हैं।

राज्य के कृत्यों के सम्बन्ध में संविदा पर रखे गये राज्य कर्मचारी तत्समय प्रभावशील सेवा नियमों से शासित होंगे, परन्तु वे निम्नलिखित प्रावधानों तथा संविदा में उल्लिखित विशेष प्रावधानों के, यदि कोई हों, अधीन होंगे।

(१) जबकि संविदा की अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो, कथित नियम उक्त अधिकारी पर उसही प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे अस्थाई या अर्ध स्थाई कर्मचारियों पर लागू होते हैं,

परन्तु शर्त यह है कि सिवाय चिकित्सा प्रमाण पत्र पर उक्त अधिकारी को कोई अर्ध वेतन पर अवकाश देय नहीं होगा,

परन्तु आगे शर्त यह भी है कि यदि संविदा एक वर्ष या उससे कम समय के लिए हो तो ऐसे अधिकारी को कोई असाधारण अवकाश नहीं दिया जावेगा, और यदि संविदा एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो, तो संविदा के समस्त कार्यकाल की अवधि में असाधारण देय अवकाश तीन मास तक सीमित होगा,

किन्तु शर्त यह है कि यदि संविदा एक वर्ष या उससे कम समय के लिये हो, तो लोक सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए संविदा की अवधि में जो अवकाश समस्त आंशिक उस अधिकारी को दिया जा सकता था वह अस्वीकृत हो जाने के बावजूद भी संविदा की अवधि के बाहर उसे कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा।

(२) जबकि संविदा पांच वर्ष की अवधि से अधिक की हो और जबकि पांच वर्ष या उससे कम की संविदा की मियाद इस प्रकार बढ़ादी गई हो, जिससे कि संविदा की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक हो गई हो तो उक्त अधिकारी पर कथित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि किसी स्थाई सेवा में रहने वाले अधिकारी पर लागू होते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि सिवाय चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ऐसे अधिकारी को कोई अर्ध-वेतन पर अवकाश नहीं दिया जायगा।

परन्तु शर्त यह भी है कि असाधारण अवकाश के विषय में उक्त अधिकारी पर कथित नियम उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि किसी अस्थायी या अर्ध स्थायी अधिकारी पर लागू होते हैं।

## टिप्पणी

किसी सविदा की अवधि बढाकर पाच वप से अधिक कर दने की अवस्था म अधिकारी क खात मे उतनी रियायती अवकाश जमा कर दिया जायगा जितना उसको उस दशा म दय होता जब कि उसकी सविदा की अवधि प्रारम्भ से हो पाच वप से अधिक की होती किन्तु उसमे से पहले से ही उपयोग किया गया अवकाश कम कर दिया जायेगा ।

(३)जब कि संविदा अनिश्चित काल के लिये हो अथवा जब कि कोई निश्चित काल तक की मौलिक सविदा की अवधि बढाकर अनिश्चित काल के लिये करदी गई हो तो, उस अधिकारी पर कथित नियम उसी प्रकार लागू होगे जसे कि स्थायी कमचारी पर लागू होते हैं ।

## टिप्पणी

किसी सविदा की अवधि बढाकर अनिश्चित काल के लिय कर दी जाने की अवस्था मे अधिकारी के खाते म उतना रियायती अवकाश जमा कर दिया जावेगा जितना उसको उस दशा मे देय होता जब कि उसकी सविदा की अवधि पहले स हो अनिश्चित समय के लिये होती किन्तु उसमे से पहले से ही उपयोग किया गया अवकाश कम कर दिया जायेगा ।

(४) (i) जो अधिकारी रियायती अवकाश या परिवर्तित (कम्यूटेड) अवकाश पर हो उसे उसके औसत वेतन के बराबर अवकाश का वेतन पाने का हक होगा, जो परिवर्तित (कम्यूटेड) अवकाश होने की स्थिति मे रु० १५०० मासिक की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

(ii) जो अधिकारी अध वेतन पर या "ऐसे अवकाश पर हो जो शेप न हो, तो उसे अपना आधा औसत वेतन पाने का हक होगा, जो प्रत्यक दशा मे रु० ७५० मासिक की अधिकतम सीमा क अधीन होगा ।

## टिप्पणी

"औसत वेतन" से तात्पय ऐसे औसत मासिक वतन से है जो उस घटना के मास मे पिछले पूरे १२ मास म अर्जित की हुई थी जिसम कि औसत वतन की गणना की आवश्यकता उत्पन्न हुई ।

(५) जिस अधिकारी का प्रारम्भ मे सविदा के आधार पर नियुक्त किया था, उसको जब स्थायी रूप मे कमचारी रख लिया जावे तो उसके खाते मे उतना रियायती अवकाश जमा कर दिया जायगा जितना उसको उस दशा मे देय होता जो कि प्रारम्भ से ही स्थायी सेवा मे नियुक्ति होने की दशा मे उसको देय होता किन्तु उसमे से पहले से ही उपयोग किया गया अवकाश कम कर दिया जायगा ।

(६) जब कि सविदा मे इसका उल्लेख न हो कि अधिकारी कौन से वग का अधिकारी है, तो राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत व्यक्ति इस बात की घोषणा करेगा कि अवकाश नियमो के प्रयोजनाथ वह अधिकारी सेवा के कौन से वग मे रहेगा ।

२ यह आदेश दिनाक १ ४ १९८१ से प्रभावशील होगा पर तु किसी सविदा पर नियुक्त अधिकारी इन सेवा नियमो के जारी होने की तारीख को यह विकल्प लेने का हकदार होगा कि वह चालू सविदा के सम्ब ध मे अवकाश की मौजूदा शर्तों को कायम रखेगा । जो अधिकारी चालू सविदा के सम्ब ध मे मौजूदा अवकाश की शर्तें कायम रखने का निर्णय लेवे, उसे इन आदेशो के जारी होने से तीन मास के भीतर अथवा सेवा नियमो के जारी होने के बाद पहली बार अवकाश आवेदन करने से पूव जो भी पहले हो जाय लिखित रूप मे अपने लेखाधिकारी के या कार्यालयाध्यक्ष को यथा स्थिति, अपने निर्णय की सूचना देनी चाहिये । एक बार प्रयोग मे लिया गया विकल्प अतिम होगा ।

३ जो अधिकारी अपना चालू सविदा के सम्ब ध म मौजूदा अवकाश की शर्त कायम रखे उक्त सविदा की अवधि बढाई जाने की दशा मे उपरोक्त अनुच्छेद १ के प्रावधानो के रहते, उसपर राजस्थान सेवा नियमो के अ तगत अवकाश के नियम स्वत लागू होगे । ऐसे मामलो मे बढाई गई अवधि मे आगे जमा किये जाने वाले अवकाश की मात्रा बढोतरी प्रभावशील होने की तारीख को देय रियायती अवकाश होगा और उसके साथ ऐसा अध वेतन अवकाश जुडेगा जो उस अवस्था मे देय होता जब कि वह अपनी चालू सविदा के विषय मे मौजूदा अवकाश की शर्तों को ग्रहण करने का विकल्प नही लेता ।

---

## परिशिष्ट II—क
### अवकाश—लेखा प्रपत्र

राज्य कर्मचारी का नाम
निरन्तर सेवा प्रारम्भ होने का दिनांक
अनिवार्यत सेवा निवृत्ति का दिनांक

जन्म दिनांक
पद

| ...ाय पर | | | रियायती अवकाश | | अवकाश लिया | | | | अर्ध—वेतन अवकाश: सेवा काल | | | अवकाश जो जमा हुआ | | निजी कार्यों के लिए तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश जो लिया गया: निजी कार्यों के लिये अवकाश या चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर | | | पूर्ण वेतन पर परिवर्तित अवकाश पूरे सेवा काल में १८० दिनों की सीमित | | | | अवकाश जो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दिया गया, पूरे सेवा काल में १८० दिनों तक सीमित | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कब तक | दिनों की संख्या | अवकाश जो अर्जित किया | अवकाश जो जमा हुआ (दिनों) कोष्ठक ३+४ यथोचित सीमा के अधीन | कब से | कब तक | दिनों की संख्या | अवकाश से लौटने पर शेष (कोष्ठक ५-८) | कब से | कब तक | पूरे वर्षों की संख्या जो सेवा में व्यतीत हुए | अर्जित अवकाश (दिनों में) | जमा हुआ अवकाश (कोष्ठक २६—१३) | कब से | कब तक | दिनों की संख्या | कब से | कब तक | दिनों की संख्या | परिवर्तित (कम्यूटेड) अवकाश जो अर्ध वेतन अवकाश में बदला गया (कोष्ठक २० का दुगुना) | कब से | कब तक | दिनों की संख्या | लिये गये अर्ध वेतन अवकाश का जोड (१७+२१+२४) | अवकाश से वापस लौटने पर शेष (कोष्ठक १४-२५) | विशेष विवरण |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट

१ असाधारण अवकाश काल विशेष विवरण के लिए निर्धारित कोष्ठक सं २७ में लाल स्याही से अंकित किये जावें।

२ कोष्टक १० तथा ११ की प्रविष्टियां केवल अर्धवेतन अवकाश प्रारम्भ होने के समय सेवा के पूरे वर्ष का प्रारम्भ तथा अन्त अंकित करें। अर्ध-वेतन अवकाश पर रहते हुए जब कि कोई राज्य कर्मचारी सेवा का अन्य वर्ष पूरा करदे तो अतिरिक्त जमा, उचित अतिरिक्त प्रविष्टियों द्वारा कोष्टक ११ से १४ में दर्शानी चाहिये और कोष्टक २६ पूरा करते समय लेखे में सम्मिलित कर लेनी चाहिये।

३ जब कभी एक भिन्न से दूसरे में परिवर्तन होवे उस समय जमा निकटतम पूरे दिन के रूप में करली जावे अर्थात जब कि भिन्न आधे से कम हो तो उपेक्षित कर दी जावे और आधे अथवा उससे अधिक की हो तो पूरा दिन गिना जावे।

४ जब कभी अवकाश अर्जन की दर बदल जावे, तो पहले की दर से एकत्रित रियायती अवकाश निकटतम पूरे दिन के रूप में बना लिया जावे, अर्थात आधे से कम की भिन्न उपेक्षित करदी जावे तथा आधे और उससे अधिक को पूरा एक दिन गिना जावे।

## परिशिष्ट III

आदश इकरारनामे का प्रपत्र स १

भारत मे सेवा म भारती के लिये प्रारम्भिक इकरारनामा निश्चित अवधि क लिये आगे पुन नियुक्ति के ज्ञापन समित।

### सूचना

यह समझना आवश्यक है कि यद्यपि कानून द्वारा अपेक्षित इकरारनामा, रूप मे राजस्थान के राज्यपाल के साथ एक इकरारनामा है, फिर भी यह नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति इसे भरने के लिये चुना जायगा, वह हर तरह स अपने सम्पूर्ण सेवा काल मे उक्त सरकार के आदेशो के अधीन रहेगा।

सविदा पत्र जो दिनाक मास सन् एक हजार नौ सो और को द्वारा प्रथम पक्ष की और से तथा द्वितीय पक्षमे राजस्थान के राज्यपाल जिनको आगे 'सरकार' कहेगे हुआ।

चू कि सरकार न प्रथम पक्ष के व्यक्ति को सेवा मे नियुक्त किया है और प्रथम पक्ष के व्यक्ति ने आगे दी हुई शर्तो पर सरकार की सेवा करने का इकरार किया है—

अब अभिलेख साक्ष्य करता है और दोनो पक्ष क्रमश निम्नलिखित इकरार करता हैं—

१ प्रथम पक्ष का व्यक्ति अपने आपको सरकार के अथवा सरकार द्वारा जिन जिन अधिकारियो तथा प्राधिकारियो के अधीन उसे समय समय पर रखा जाव उनके अधीन रहेगा और निम्नलिखित प्रावधानो के अधीनस्थ वर्ष तक, दिनाक मास १९ से सेवामे रहेगा।

२ प्रथम पक्ष का व्यक्ति अपना सारा समय कर्त्तव्य पालन मे अर्पित करगा और सावजनिक सेवा का जिस शाखा मे वह रहे उसके नियमो, जिनमे समय समय पर निर्धारित राज्यकर्मचारियो के आचरण नियमा सम्मिलित है उनका सदैव पालन करेगा और जब कभी अपेक्षित हो, राजस्थान अथवा भारत के किसी भाग मे जायेगा और जो कर्त्तव्य उसको सौंपे जावें उनका पालन करेगा।

३ प्रथम पक्ष के व्यक्ति की सेवा निम्न प्रकार से समाप्त की जा सकेगी —

(i) किसी भी पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की समाप्ति पर बिना नोटिस दिये।

(ii) किसी भी समय यदि सरकार की राय में प्रथम पक्ष का व्यक्ति इस इकरारनामे के अधीन सेवा के समय दक्षता पूर्ण कर्त्तव्य का पालन करने के लिए अनुपयुक्त साबित हो तो राज्यसरकार द्वारा तीन केलण्डर महीना का नोटिस देकर।

१ वित्त विभाग आदेश स एफ ७ (१५) एफ ११/५५ दिनाक ५ सितम्बर १९५५ द्वारा सशोधित आदर्श इकरारनामे के प्रथम द्वारा स्थानापन्न किया गया।

(iii) सरकार द्वारा, बिना पूर्व नोटिस दिये, यदि सरकार को चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर संतोष हो जाय कि प्रथम पक्ष का व्यक्ति खराब स्वास्थ्य के कारण राजस्थान या भारत में अपने कर्त्तव्य पालन करने मे काफी समय तक असमर्थ रहेगा। परन्तु यह शर्त सदैव रहेगी कि सरकार का यह निर्णय कि प्रथम पक्ष के व्यक्ति का काफी समय तक असमर्थ रहने की सभावना है, प्रथम पक्ष के व्यक्ति पर अन्ततः बाध्य होगा।

(iv) सरकार अथवा, उससे प्राप्त उचित अधिकार रखने वाले अधिकारी द्वारा बिना पूर्व नोटिस के, यदि प्रथम पक्ष का व्यक्ति अविनय, असयम या अन्य दुराचरण अथवा इस इकरारनामें, या सार्वजनिक सेवा से सम्बन्धित, जिस सेवा की शाखा मे वह हो उसके नियमो के प्रावधानो का उल्लघन या कर्त्तव्य हीनता का दोषी हो।

(v) छ मास के लिखित नोटिस द्वारा, जो किसी भी समय इस इकरारनामे के अधीन सेवा के दौरान (सिवाय इकरारनामे के प्रथम वर्ष मे) जो उसके द्वारा सरकार को दिया जावे या जो सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये उसको दिया जावे।

परन्तु शर्त यह सदैव रहेगी कि इस इकरारनामें में प्रावधानित किसी नोटिस के बजाय राज्य सरकार प्रथम पक्ष के व्यक्ति को छ महीने के वेतन के बराबर राशि अथवा कम नोटिस होने की दशा में छ महीने से नोटिस की अवधि जितनी कम पडती है उस समय के वेतन के बराबर राशि नोटिस के बजाय दे सकेगी। परन्तु शर्त यह भी होगी को इस क्लाज के उप खण्ड (२) के अधीन नोटिस दिये जाने की अवस्था मे, उपरोक्त परन्तुक में शब्द 'छ" के स्थान पर शब्द 'तीन" पढा जायगा। इस क्लाज (उप खड) के प्रयोजनार्थ शब्द 'वेतन से तात्पर्य उस वेतन (जिसमें विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो सम्मिलित है) से होगा, जो इस इकरारनामे के अन्तर्गत तत्समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति प्राप्त करता है, सिवाय उस दशा मे जब कि वह स्थानापन्न वेतन प्राप्त कर रहा हो और उस दशा मे वेतन से तात्पर्य उस वेतन (विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन सहित यदि कोई हो) से होगा जो उसके मालिक नियुक्ति का वेतन है।

४ उपरोक्त उपखण्ड २ (४) मे उल्लिखित किसी दुराचरण के आरोप की अवधी मे यदि प्रथम पक्ष का व्यक्ति सेवा से निलम्बित कर दिया गया हो, तो वह निलम्बन की अवधि मे कोई वेतन पाने का हकदार नही होगा, परन्तु वह, निर्वाह राशि पाने का हकदार होगा जिसकी दर वह होगी जो सरकार स्वीकृत करना निर्णय करे।

५ ........................ के पद की जिस पर प्रथम पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वेतन शृंखला प्रत्येक १२ मास की सेवा समाप्त करने पर निम्नलिखित मासिक दर की होगी —

| स्टेज | वेतन रुपये |
|---|---|
| १ | |
| २ | |
| ३ | |
| आदि | |

से उसको रुपये — मासिक की दर से वेतन उपरोक्त श्रृंखला मे प्रदान किया जायगा और जो उस श्रृंखला मे बताये गये स्टेजो के अनुसार तथा समय समय पर प्रभावशील उस पर लागू होने वाले नियमो के अनुसार होगा, और उसकी सेवा के स्टेजो की तारीख की गणना उपरोक्त तारीख से की जायगी। इस इकरारनामें के अधीन जो वेतन उसको समय समय पर उस काल के लिये दिया जायेगा जिसमे वह इस इकरारनामे के अधीन सेवा करे और उपरोक्त तारीख को प्रारम्भ होने वाले कर्त्तव्यो का वास्तविक पालन करे और उसकी समाप्ति राजस्थान मे सेवा छोडने की तारीख से होगी अथवा उस दिन से होगी जिस दिन वह सेवा से प्रथक कर दिया जावे अथवा उस दिन से जिस दिन सेवा मे रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाय। यदि किसी समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति राजस्थान से बाहर प्रतिनियुक्ति पर चला जावे तो प्रतिनियुक्ति की अवधि मे उसका वेतन प्रतिनियुक्ति सम्बंधित सामान्य नियमो द्वारा नियमित होगा।

६ प्रथम पक्ष का व्यक्ति सावजनिक सेवा की आवश्यकता के अधीन रहते, राजस्थान सेवा नियमो, के अधीन जसे कि वह समय समय पर सशोधित हो, अवकाश तथा अवकाश का वेतन प्राप्त करने का पात्र होगा।

*प्रथम पक्ष के व्यक्ति, जिसको राजस्थान सेवा नियमो के नियम ६४ के अधीन सरकार अथवा किसी निजि नियोजक के अधीन अंतिम अवकाश के दौरान अथवा ऐसे अवकाश के समय जिसकी समाप्ति के पश्चात उसके वापस लौटने की आशा न हो, नौकरी प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो उसका अवकाश वेतन अर्ध वेतन अवकास की मात्रा तक सीमित रहेगा।

७ यदि प्रथम पक्ष के व्यक्ति के लिये सावजनिक सेवा के हितो मे यात्रा करना अपेक्षित हो तो वह उस श्रृंखला का का यात्रा भत्ता पाने का अधिकारी होगा जिसका उसके मामल मे लागू होने वाले समय समय पर सरकार द्वारा बनाये गये यात्रा भत्ता नियमो मे प्रावधान हो।

८ प्रथम पक्ष का व्यक्ति चिकित्सक बुलाने तथा चिकित्सा कराने के विषय मे ऐसी रियायतें पाने का पात्र होगा जो सरकार उस स्थान पर काय करने वाले ऐसे अधिकारियो के वग के लिये निर्धारित करे जिसके अनुरूप पद वाला हो या सेवा की शर्तो के मामले मे समान होना सरकार घोषित करे।

९ ऊपर कुछ भी लिखे होने के अतिरिक्त इस इकरारनामे के अंतर्गत मान्य वेतन तथा अवकाश वेतन जो चाहे राजस्थान मे अथवा किसी अन्य स्थान पर देय हो ऐसी आपतकालीन कटौती के अधीन रहगे जिसका सरकार उसी अवधि के लिये तथा उन्ही शर्तो पर सरकार के प्राशासनिक नियन्त्रण मे अन्य अधिकारियो के लिये आदेश देवें।

* वित्त विभाग आज्ञा सख्या एफ १ (८६) आर/५६ दिनांक १२ ८ ५८ द्वारा जोडा

१० किसी ऐसे मामने के विषय मे, जिसके सम्बध मे इस इकरारनामे मे कोई प्रावधान न हो, असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम उसके अ तगत बनाये गये कोई नियम तथा सविधान के अनुच्छेद ३०६ या अनुच्छेद ३१० के के अ तगत बनाए गये या बनाये गये समझ जाने वाले नियम उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक एतद् द्वारा जिस सेवा के लिये प्रावधान किया गया है उन पर वे लागू हैं, तथा उनके लागू होने के सम्बन्ध मे सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

इसको साक्ष्य हेतु, प्रथम पक्ष का व्यक्ति तथा राजस्थान सरकार का विभाग मे, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से, स्थान मे तथा उसका काय करते हुए, उपरोक्त दिनाक तथा वर्ष मे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

हस्ताक्षर　　प्रथम पक्ष के व्यक्ति द्वारा,

मे,

हस्ताक्षर　　द्वारा कथित सरकार का विभाग मे, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से, की उपस्थिति में ।

**ज्ञापन**

इसमे लिखे गये नाम वाला पुन नियुक्त किया गया है एव उसको सेवाकाल वर्ष के लिये और बढाया जाता है और इस इकरारनामे को शर्तो के अधीन रहेगा और दिनाक से अब उसकी वेतन शृंखला प्रत्येक बारह महीने की एक के बाद दूसरी स्टेज पर निम्नलिखित मासिक दर के वेतन से होगी —

| स्टेज | वेतन—रूपये |
|---|---|
| १ | |
| २ | |
| ३ | |

इसके साक्ष्य में प्रथम पक्ष का व्यक्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल की ओर से दिनाक को हस्ताक्षर किये गये हैं ।

## परिशिष्ट IV

### *आदर्श इकरारनामें का प्रपत्र स II

### [अनिश्चित काल के लिये सेवा की अवधि बढाने का इकरारनामा]

सूचना

यह समझ लेना आवश्यक है कि यद्यपि कानून द्वारा अपेक्षित इकरारनामा, रूप में राजस्थान के राज्यपाल के साथ एक इकरारनामा है फिर भी, यह नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति इसे भरने के लिये चुना जायगा, वह हर तरह में अपने सम्पूर्ण सेवा काल मे उक्त सरकार के आदेशों के अधीन रहेगा।

संविदा–पत्र जो दिनांक मास सन एक हजार नौ सौ और को द्वारा प्रथम पक्ष की ओर से द्वितीय पक्ष मे राजस्थान के राज्यपाल के मध्य जिनको आगे सरकार कहेगे हुआ। चू कि प्रथम पक्ष का व्यक्ति सरकार द्वारा दिनांक मास एक हजार नौ सौ और के अन्तर्गत सेवा में नियुक्त किया गया था और चू कि कथित इकरारनामा समाप्त हो गया है चू कि अब सरकार ने प्रथम पक्ष के व्यक्ति को पुन नियुक्त किया है और प्रथम पक्ष का व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों पर सरकार की सेवा करने के लिये सहमत हुआ है।

अब यह अभिलेख साक्ष्य करता है और दोनो पक्ष क्रमश निम्न प्रकार से इकरार करते हैं —

१ प्रथम पक्ष का व्यक्ति अपने आपको सरकार के अथवा सरकार द्वारा जिन जिन अधिकारियो तथा अधिकारियो के अधीन उसे रखा जावे, उनके अधीन रहेगा। वह अपना सारा समय कर्त्तव्य पालन मे अर्पित करेगा और सावजनिक सेवा की जिस शाखा मे वह रहे, उसके नियमो का जिसमे समय समय पर निर्धारित राज्य कर्मचारियो के आचरण नियम सम्मिलित हैं, सदव पालन करेगा और जब कभी अपेक्षित हो राजस्थान अथवा भारत के किसी भाग में जायेगा और जो कर्त्तव्य इसको सौपे जावें उनका पालन करेगा।

२ जब तक कि प्रथम पक्ष के व्यक्ति की सेवा आगे लिखें प्रावधानो अनुसार समाप्त न करदी जावें तब तक वह राज्य की सेवा मे ५५ वर्ष की आयु तक रहेगा जब कि वह सेवा निवृत्त हो जायगा। परन्तु उक्त आयु प्राप्त करने के बाद भी उसे सरकार सेवा मे उसअवधि तक रख सकेगी जिसके लिये सहमति हो जाय और वह समय समय पर उस पर लागू नियमो के प्रावधानो के तथा इसमे लिखे प्रावधानो के अधीनस्थ रहेगा।

*वित्त विभाग आदेश स एफ (१५) दिनांक ५ दिसम्बर १९५५ द्वारा संशोधित आदेश इकरारनामें के प्रपत्र II द्वारा स्थानापन्न किया गया।

३ प्रथम पक्ष के व्यक्ति की सेवा निम्नलिखित तरीके से समाप्त की जा सकेगी –

१ किसी भी समय, यदि सरकार की राय मे प्रथम पक्ष का व्यक्ति इस इकरार नामे के अधीन सेवा की अवधी दक्षतापूर्ण कत्तव्य का पालन करने के लिये अनुपयुक्त साबित हो तो राज्य सरकार द्वारा तीन केलेण्डर महीनो का नोटिस देकर।

२ सरकार द्वारा बिना पूव नोटिस दिये, यदि सरकार को चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर सतोष हो जाय कि प्रथम पक्ष का व्यक्ति खराब स्वास्थ्य के कारण राज स्थान या भारत मे अपना कत्तव्य पालन करने मे काफी समय तक असमथ रहेगा। परन्तु यह शत सदैव रहेगी कि सरकार का यह निणय कि प्रथम पक्ष के व्यक्ति की काफी समय तक असमथ रहने की सभावना है, प्रथम पक्ष के व्यक्ति पर अन्तत वाध्य होगा।

३ सरकार अथवा उससे प्राप्त उचित प्राधिकार रखने वाले अधिकारियो द्वारा, बिना पूव नोटिस के यदि प्रथम पक्ष का व्यक्ति अविनय, असयम या अय दुराचारण अथवा इस इकरारनामे या सावजनिक सेवा से सम्बधित जिस सेवा की शाखा मे वह हो उसके नियमो के प्रावधानो का उलधन या कत्तव्य हीनता का दापी हो।

४ छ मास के लिखित नोटिस द्वारा, जो किसी भी समय इस इकरारनामे के अधीन सेवा की अवधी (सिवाय इकरारनामे के प्रथम वप मे) जो उसके द्वारा सरकार को दिया जावे या जो सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये उसको दिया जाव।

परन्तु शत यह सदैव रहेगी कि इस इकरारनामे मे प्रावधानित किसी नोटिस के एवज राज्य सरकार प्रथम पक्ष के व्यक्ति का छ महीने के वेतन के बराबर राशि अथवा कम नोटिस होने की दशा मे छ महीने से नोटिस की अवधि जितनी कम पडती हो उस समय के वेतन के बरावर राशि, नोटिस के बजाय दे सकेगी। परतु शत यह भी होगी कि क्लाज के उप–खड (१) के अधीन नोटिस दिये जाने की अवस्था मे, उपरोक्त परतुक मे शब्द 'छ" के स्थान पर शब्द "तीन" पढा जायगा।

इस उप–खड के प्रयोजनार्थ शब्द 'वेतन' से तात्पर्य उस वेतन (जिसमे विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो सम्मिलित हैं) से होगा जो इकरारनामे के अतर्गत तत्समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति प्राप्त करता है, सिवाय उस दशा मे जब कि वह स्थानापन्न वेतन प्राप्त कर रहा हो और उस दशा मे वेतन से तात्पय उस वेतन (विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन सहित, यदि कोई हो) से होगा जो उसके मौलिक पद का वेतन है।

४ यदि उप खड ३ (३) मे उल्लिखित दुराचरण के आरोप की जाच के दौरान प्रथम पक्ष के व्यक्ति को काय से निलम्बित कर दिया जावे तो वह ऐसे निलम्बित काल में कोई वेतन पाने का अधिकारी नही होगा परतु वह उस दर पर निर्वाह अनुदान पाने का अधिकारी होगा जो सरकार स्वीकृत करे।

५ इस अभिलख के अधीन सेवा मे रहते हुए, प्रथम पक्ष का व्यक्ति उस दर तथा श्रृंखला से मौलिक वेतन प्राप्त करेगा, जो समय समय पर प्रभावशील तथा लागू नियम के प्रावधानो के अधीनस्थ समय समय पर उसके द्वारा धारण किये गये पद के लिये सरकार के आदशो के अधीन सलग्न किया जावे। इस अभिलख के अधीन समय समय पर देय वेतन उसका उस काल के लिये दिया जायगा जिसमे उसने इस इकरारनामे के अन्तगत सेवा की हो और वास्तव में अपने कत्तव्या का पालन किया हो और उस दिन से बद हो जावेगा जिस दिन से उसन राजस्थान में नौकरी त्याग दी हो अथवा जिस दिन मे उसे सेवा से हटा दिया गया हो अथवा उसकी मृत्यु की तारीख से यदि सेवा मे रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाय। यदि किसी समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति राजस्थान से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जावे ता प्रतिनियुक्ति क काल मे उसका वेतन प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी, सामान्य नियमा से शासित होगा।

[1] ६ इस अभिलेख के अन्तगत सेवाके दौरान सावजनिक सेवा की आवश्यकताओ के अधीनस्थ रहते प्रथम पक्ष का व्यक्ति दिनांक एक हजार नौ सौ और के इकरारनामे मे निर्दिष्ट अवकाश तथा अवकाश वेतन पाने का पात्र होगा।

१ प्रथम पक्ष के व्यक्ति जिसकी अतिम अवकाश या ऐसे अवकाश के दौरान जिसकी समाप्ति पर उसके लौटने की आशा न हो राजस्थान सेवा नियमो क नियम ६४ क अधीन सरकार या किसी निजी (प्राइवेट) नियोजक के अधीन नौकरी प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो उसका अवकाश वेतन आधे औसत वेतन या अर्धवेतन अवकाश यथास्थिति तक सीमित रहेगा।

७ यदि प्रथम पक्ष क व्यक्ति को अपने सेवा काल में, सार्वजनिक सेवा के हित मे यात्रा करनी अपेक्षित हो तो वह उस दर स यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार हागा जो सरकार द्वारा समय समय पर बनाये गये यात्रा भत्ते नियम मे प्रावधानित हो और जो उस पर लागू होती हो।

७ प्रथम पक्ष का व्यक्ति चिकित्सक बुलाने तथा इलाज कराने के सम्बन्ध में वही रियायतें पाने का पात्र होगा जो सरकार द्वारा उसी स्थान पर काय करने वाले ऐसे अधिकारियो के लिये निर्धारित हो जिनके पद या सेवा की शर्तों को सरकार प्रथम पक्ष के व्यक्ति के समकक्ष होना घोषित करे।

६ आगे कुछ भी लिखा होने के बावजूद जब तक कि सरकार अन्यथा तय नही करदे, प्रथम पक्ष के व्यक्ति को ऐसी उन्नति का लाभ पूर्णतया या आंशिक रुप से उठाने का हक होगा जसा भी सरकार स्वीकार करे जो इस अभिलेख की तारख के बाद, सरकार तत्समय उसी शाखा क पद धारियो की सेवा की शर्तो के लिये मजूर करे, और ऐसी उन्नति के विषय मे सरकार का निर्णय, उस हद तक इस अभिलेख के प्रावधानो को सशोधित करने का प्रभाव रखेगा।

---

वित्त विभाग आदेश स एफ १ (८६) आर/५६ दिनांक १२ ८ ५८ द्वारा जोड़ा गया।

१० ऊपर कुछ भी लिखा होने के बावजूद, इस अभिलेख के अन्तर्गत मान्य वेतन तथा अवकाश-वेतन, जो चाहे राजस्थान में या किसी अन्य स्थान पर देय हो किसी आपतकालीन कटौती के अधीन रहेगा जो उन्हीं शर्तों पर उसी काल के लिये सरकार के प्राशासनिक नियन्त्रण के अधीन अन्य अधिकारियों पर सरकार किसी आदेश द्वारा लागू करे।

११ किसी मामले के सम्बन्ध में जिसके बारे में इस इकरारनामे में कोई प्राव-धान किया हुआ नहीं है, असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम तथा उनके अधीन बनाये गये नियम तथा संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन बनाए गये या समझे जाने वाले नियम या जो अनुच्छेद ३१३ के अधीन जारी हो उस हद तक लागू होंगे जिस हद तक वे एतदद्वारा सेवा के लिये प्रावधानित हैं और उनके लागू होने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

इसकी साक्ष्य के लिये प्रथम पक्ष का व्यक्ति और
विभाग में राजस्थान सरकार का शासन सचिव के आदेश तथा निर्देशन द्वारा इस स्थान पर राजस्थान के राज्यपाल की ओर से काय करते हुए अपने हस्ताक्षर ऊपर लिखी तारीख और वर्ष में करते हैं।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष के व्यक्ति का
की उपस्थिति में।

हस्ताक्षर

शासन सचिव, राजस्थान सरकार, विभाग

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से

की उपस्थिति में।

## परिशिष्ट V (पांचवा)

वैदेशिक सेवा मे रहने के दौरान पेन्शन के लिये चन्दे (अशदान) की दर तथा अवकाश-वेतन

यह उन नियमो के विषय मे हैं जो विदेशी नियोजक द्वारा पेन्शन के खाते मे अशदान को शासित करते है और जो वदेशिक सेवा में रहते राज्य के कन्सोलिडेटेड निधि के अतिरिक्त किसी अन्य निधि से राज्य कमचारी द्वारा अवकाश वेतन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

पेन्शन के लिये अशदान के प्रयोजनाथ राज्य कमचारियो का वर्गीकरण निम्न लिखित श्रेडो मे किया गया है —

(क) सब भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओ के प्रथम श्रेणी के सदस्य।

(ख) राज्य सेवाओ के सदस्य।

(ग) अधीनस्थ सेवाओ के सदस्य।

### टिप्पणी

१ [1] इस परिशिष्ट के प्रयोजनाथ अधीनस्थ सेवा से तात्पय राजस्थान असनिक सवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम, १९५८ म परिभाषित अधीनस्थ लेखक वर्गीय तथा चतुथ श्रेणी राज्य कमचारियो से है।

कोई राज्य कमचारी जो कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फड मे चन्दा देता हो और जो वैदेशिक सेवा मे स्थानान्तर कर दिया गया हो वह वैदेशिक सेवा मे प्राप्त वतन की गणना के आधार पर मासिक चन्दा देगा। विदेशी नियोजक अथवा अधिकारी स्वय नियम १४५ के उप खड (ग) के अधीन की गई व्यवस्थानुसार, फौजी वदेशिक सेवा काल के लिये सूत्र क्ष + क्ष त्र द्वारा निर्धारित राशि स इतने गुणा अतिरिक्त चन्दा देगा जो प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा निर्धारित हो, जब कि क्ष उस राशि के बराबर है जो चन्दा देने वाल के खाते मे उस दशा मे मासिक जमा की जाती जब कि वह वदेशिक सेवा में नही गया होता और इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा वदशिक सेवा मे उठाये गये वेतन को उसकी 'इमोल्यूमेन्टस' (परिलब्धि) माना जायगा, और त्र उस भिन्न के बराबर है जो अवकाश वेतन के रूप में वसूली योग्य राशि वदशिक सेवा मे उठाए गये वेतन मनुपात रखती हो।

---

१ वित्त विभाग आदेश स० एफ १ (३५) एफ डी (ए) रूल्स/६१ दिनाक ७–२–१९६२ द्वारा जोडा गया।

पेन्शन के लिये निम्नलिखित मासिक दरें फौजी वैदेशिक सेवा के दौरान देय होगी—

| सेवा काल | सब भारतीय सेवाओं[1] [ ] के सदस्यों के लिये | राज्य सेवाओं के सदस्यों के लिये | अधीनस्थ सेवाओं के सदस्यों के लिये |
|---|---|---|---|
| ०–१ वर्ष | ६३ | मौलिक रूप से धारण ग्रेड में सर्वाधिक मासिक वेतन का ५% | मौलिक रूप से धारण ग्रेड में सर्वाधिक मासिक वेतन का ४% |
| १–२ वर्ष | ७० | ५ ,, ,, | ४ ,, ,, |
| २–३ ,, | ७८ | ५ ,, ,, | ५ ,, ,, |
| ३–४ ,, | ८६ | ६ ,, ,, | ५ ,, ,, |
| ४–५ ,, | ९४ | ६ ,, ,, | ५ ,, ,, |
| ५–६ ,, | १०२ | ७ ,, ,, | ६ ,, ,, |
| ६–७ ,, | ११० | ७ ,, ,, | ६ ,, ,, |
| ७–८ ,, | ११७ | ८ ,, ,, | ७ ,, ,, |
| ८–९ ,, | १२५ | ८ ,, ,, | ७ ,, ,, |
| ९–१० ,, | १३३ | ९ ,, ,, | ७ ,, ,, |
| १०–११ ,, | १४१ | ९ ,, ,, | ८ ,, ,, |
| ११–१२ ,, | १४९ | १० ,, ,, | ८ ,, ,, |
| १२–१३ ,, | १५७ | १० ,, ,, | ९ ,, ,, |
| १३–१४ ,, | १६४ | १० ,, ,, | ९ ,, ,, |
| १४–१५ ,, | १७२ | ११ ,, ,, | ९ ,, ,, |
| १५–१६ ,, | १८० | ११ ,, ,, | १० ,, ,, |
| १६–१७ ,, | १८८ | १२ ,, ,, | १० ,, ,, |
| १७–१८ ,, | १९६ | १२ ,, ,, | १० ,, ,, |
| १८–१९ ,, | २०४ | १३ ,, ,, | ११ ,, ,, |
| १९–२० ,, | २११ | १३ ,, ,, | ११ ,, ,, |
| २०–२१ ,, | २१८ | १४ ,, ,, | १२ ,, ,, |
| २१–२२ ,, | २२७ | १४ ,, ,, | १२ ,, ,, |
| २२–२३ ,, | २३५ | १५ ,, ,, | १२ ,, ,, |
| २३–२४ ,, | २४३ | १५ ,, ,, | १३ ,, ,, |
| २४–२५ ,, | २५१ | १५ ,, ,, | १३ ,, ,, |
| २५–२६ ,, | २५८ | १६ ,, ,, | १४ ,, ,, |
| २६–२७ ,, | २६६ | १६ ,, ,, | १४ ,, ,, |
| २७–२८ ,, | २७४ | १७ ,, ,, | १४ ,, ,, |
| २८–२९ ,, | २८२ | १७ ,, ,, | १५ ,, ,, |
| २९ वर्ष से ऊपर | २९० | १८ ,, ,, | १५ ,, ,, |

१ "तथा केन्द्रीय प्रथम श्रेणी" की शब्दावली वित्त विभाग आदेश सं० एफ १ (३५) (ग) रूल्स/६१ दिनांक ७–२–६२ द्वारा लोपित की गई।

फौजी सेवा में अवकाश वेतन के लिये मासिक दर राज्य कर्मचारियों के सारे वर्गों के लिये वदेशिक सेवा म उठाये गये वेतन का ११% होगा [ ]।

२[उपरोक्त परा मे शब्दावली ' सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के" जो लोपित की गई है उसका प्रभाव इसके बाद वदेशिक सेवा प्रारम्भ होने वाले मामलो पर पडेगा। जो व्यक्ति पहले से ही वदेशिक सेवा मे हो, ये संशोधन निम्न प्रकार से प्रभावशील होंगे —

(क) उनकी वदेशिक सेवा की मौजूदा अवधि की समाप्ति पर यदि मौजूदा अवधि निश्चित समय के लिये हो और इसके बाद बढाई गई हो।

(ख) प्रारम्भिक वदेशिक सेवा की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर जब कि वदेशिक सेवा अनिश्चित काल के लिये थी।]

श शब्दावली' फौजी वदेशिक सेवा मे किसी अधिकारी को दिया गया पदग्रहण करने का समय (ज्वाईनिग टाइम) भी सम्मिलित है जो वैदेशिक सेवा मे जाने के अवसर पर तथा वहा से वापस लौटने के समय दिया जाता है और तदनुसार ऐसे काल के लिये भी चन्दा वसूली योग्य है।

३ सेवा काल से तात्पर्य सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की पूरी निरन्तर सेवा से है जिसमे पेंशन युक्त पद पर अस्थायी सेवा सम्मिलित है।

किसी अस्थायी राज्य कर्मचारी होने की दशा मे जिसका स्थानान्तर वैदेशिक सेवा मे हो जावे, सरकार यह तय कर सकती कि उक्त राज्य कर्मचारी के पेंशन योग्य होने की सभावना पर ध्यान रखते हुए आया पेंशन का चन्दा वसूल किया जावे अथवा नही। यदि ऐसे चन्दे वसूल करने का निर्णय लिया जावे तो उसकी गणना निम्नलिखित तरीके से सेवा काल के सदर्भ से की जानी चाहिये —

(क) यदि वह वेतनमान श्रृंखला पर हो तो वेतन मान श्रृंखला मे सब से ऊंचे वेतन के आधार पर

(ख) यदि वह निश्चित वेतन दर पर हो तो उस वेतन के आधार पर ऐसे मामले मे अवकाश वेतन के लिये चन्दे की वसूली में कोई कठिनाई उपस्थित नही होगी क्योंकि गणिया की गणना वैदेशिक सेवा में उठाई गई वास्तविक वेतन के आधार पर होगी।

---

१ [ ] शब्दावली सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वित्त विभाग आदेश स एफ १ (३५) एफ डी (ए) रूल्स/६१ दिनांक ७–२–६२ द्वारा लोपित की गई।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (३५) एफ डी (ए) रूल्स/६१ दि० ७ २ ६२ द्वारा जोडा गया।

* शब्दावली सेवाकाल से तात्पर्य उस समस्त काल से है जो पेंशन वाली सेवा के प्रारम्भ या प्रारम्भ होने की समाविष्ट तिथि से लागू होता हो जिसमे वह सेवा भी सम्मिलित है जिसकी गणना किया जा सका नियम के आधीन पेंशन के लिये होती है के स्थान पर वित्त विभाग आज्ञा स० एफ (१) ७ (१२) एफ डी-ए (रूल्स)/५८ दिनांक २८ फरवरी, १९५९ द्वारा स्थानापन्न की गई।

अवकाश वेतन तथा पेंशन के प्रयोजनार्थ क्रमश: औसत वेतन तथा औसत परिलब्धि की गणना करते समय साक्षरता तथा अन्य भत्ते जो राज्य कर्मचारियों द्वारा उठाये गये हों, लेखे में सम्मिलित किये जाने चाहियें और उनको धारण किये हुए मौलिक ग्रेड में उच्चतम मासिक वेतन का भाग समझना चाहिये।

## राजस्थान सरकार का निर्णय

१ राजस्थान सेवा नियमों के नियम १८८ के अधीन, ऐसी अस्थायी सेवा जिसकी समाप्ति पर पुष्टिकरण(कनफरमेशन)हो जाय, उसकी आधी मात्रा की गणना पेंशन के लिये की जायगी। अस्थायी सेवा की गणना पेंशन के लिये करने की संभावना अधिक हो गई है। और यह उचित ही है कि ऐसे सब मामलों में चन्दा वसूल किया जावे। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि जब किसी अस्थायी कर्मचारी का वर्दीक सेवा में स्थानान्तर किया जाय, तो पेंशन का चन्दा उसी प्रकार से वसूल किया जाव जिस प्रकार स्थायी राज्य कर्मचारियों के मामले में किया जाता है। उस अस्थायी राज्य कर्मचारी के विषय में भी पेंशन के चंदे की वसूली की जायगी जिसका स्थानान्तर वर्दीक सेवा में हो गया हो।

इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है आया स्थायी राज्य कर्मचारियों के विषय में लिये जाने वाले पेंशन चन्दे की दर से कम दर वर्दीक सेवा में जाने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिये निर्धारित की जावे। ऐसी कमी अनावश्यक समझी गई है, क्योंकि कम से कम चन्दे की दर मोटे तौर पर ही तय की जा सकती है, और अस्थायी कर्मचारियों के लिये भिन्न आधार बनाने से लेखा करने में जटिलता आ जायगी।

१ वित्त विभाग आज्ञा सं० ८७०/५८/एफ ७ ए (२) एफ डी ए दिनांक २८ मार्च १९५९ द्वारा जोड़ा गया।

# परिशिष्ट VI (छठा)

## भाग I

### चोटों का वर्गीकरण

प्रथम भाग मे ऐसी विभिन्न चोटो तथा साधना (devices) का समावेश है जिसमे राज्य कर्मचारी अपने कर्त्तव्यो के पालन मे असमर्थ हो जाता है (राजस्थान सेवा नियम के नियम २६१—क(४) ) और जिसके कारण उसको असामान्य पेन्शन पाने का हक हो जाता है। अन्य भाग मे पेन्शन के विभिन्न रूप दिये हुए है।

अगभग के बराबर हैं—

पक्षाघात जिसमे बोलो बद न हो।
गले की नली का स्थायी उपरोग
कृत्रिम मलद्वार
दोनो कानो से पूरा बहरापन।

अत्यन्त गभीर—

मुख के एक तरफ का पूरा पक्षघात जिसके स्थायी रहने को सभावना हो।
गुर्दे मूत्र—प्रणाली या मूत्राशय की चोट।
कम्पाउड फ्रेक्चर (सिवाय अगुली के पोरा के)
कोमल भागो का अत्यधिक ध्वस जिससे स्थायी शारीरिक अयोग्यता हो जाय या व काम करना बद करदें।

गभीर जिनके स्थायी होने की सभावना हो—

निम्नलिखित जोडा का एन्काइलौसिस (Ankylosis) या उनके गति मे अधिक रुकावट—

घुटना, कुहनी, कधा, कूल्हा जबडा, या रीढ के डोर्सलिम्बर या ग्रीवा सम्बधी भागा मे कठोरता।

एक आख की दृष्टि मे प्राशिक विनाश।

एक अडकोष का विनाश या नुकसान।

बाहरी वस्तुओं का शरीर के भीतर रह जाना, जिसके कोई स्थायी या गभीर लक्षण न हो।

———

# भाग २

## प्रपत्र क

## घायल होने के कारण या पेन्शन या उपदान [ग्रेचुटी] के लिये आवेदन-प्रपत्र

१ प्रार्थी का नाम।
२ पिता का नाम।
३ कुल धर्म तथा जाति।
४ निवास स्थान, ग्राम और परगना बताते हुए।
५ मौजूदा या पिछला नियोजन, कर्मचारी वर्ग के नाम सहित।
६ सेवा प्रारम्भ करने की तारीख
७ सेवा काल, अवरोध सहित

उच्च श्रेणी
जिसमें निम्न श्रेणी
अग्राहकारी सेवा (Non qualifying)
सेवा मे अवरोध

८ चोट का वर्गीकरण।
९ चोट लगने के समय वेतन।
१० प्रस्तावित पेंशन या उपदान (ग्रेचुटी)।
११ चोट का दिनांक।
१२ भुगतान का स्थान।
१३ विशेष विवरण, यदि कोई हो
१४ आवेदन कर्त्ता के जन्म का दिनांक (ईसवी से)
१५ उँचाई।
१६ चिन्ह

अगूंठे तथा अंगुलियो के चिन्ह।

अंगूठा, तजनी अंगुली, बिचली अंगुली, अंगूठी वाली अंगुली कनिष्ट अंगुली

१७ दिनांक, जिस दिन आवेदन कर्त्ता ने पेंशन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर।

नोट —यूरोपीय महिलाओं राजपत्रित अधिकारियो सरकारी उपाधिधारियां तथा अन्य व्यक्तियों जिन्हें सरकार विशेषतया मुक्त करदे, उनके अंगूठे तथा अंगुलियों के [illegible] तथा व्यक्तिगत चिह्न के विवरण अपेक्षित नही है।

## प्रपत्र ख

## परिवार पेंशन के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र

स्वर्गीय श्री क ख जो कार्यालय के विशेष जोखम के फलस्वरूप मारा गया, या जिसका हताहत होने से देहान्त होगया उसके कुटुम्ब के लिये असाधारण पेंशन के लिये आवेदन ।

प्रस्तुत कर्ता

दावेदार का विवरण —

१ नाम तथा निवास स्थान, ग्राम तथा परगना बताते हुए ।
२ आयु
३ ऊँचाई
४ कुल, जाति या जनजाति
५ पहचान के चिह्न ।
६ वर्त्तमान व्यवसाय तथा आर्थिक परस्थितिया ।
७ मृतक से सम्बध की डिगरी ।
८ नाम
९ व्यवसाय तथा नौकरी (सेवा)
१० सेवा की अवधि ।
११ मृत्यु के समय वेतन ।
१२ आघात की किस्म जिससे मृत्यु हुई ।
१३ प्रस्तावित पेंशन या ग्रेचुटी को राशि ।
१४ भुगतान का स्थान ।
१५ तारीख जिस दिन से पेंशन प्रारम्भ होनी हो ।
१६ विशेष विवरण ।

### मतक के पीछे उसके कुटम्ब वालो क नाम तथा आयु

पुत्र

विधवाए

पुत्रिया

पिता

माता

नोट —यदि मृतक के पीछे कोई लड़का, विधवा, पुत्री, पुत्र या माता नहीं हो तो प्रत्येक ऐसे सम्बन्धों के आगे शब्द 'कोई नहीं' या मृत' लिख देना चाहिये ।

कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर

## प्रपत्र ग

## मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही

गोपनीय

मेडिकल बोर्ड (चिकित्सक मंडल) जो के आदेश से द्वारा (आघात लगने का स्थान) पर दिनांक .. को (आघात लगने का दिनांक) आदि आघात लगने/रोगग्रस्त होने की वर्तमान अवस्था की जाच तथा प्रतिवेदन करने के लिये बैठा।

(क) संक्षेप में आघात/रोगग्रस्त होने की परिस्थितियां बताईये।

(ख) राज्य कर्मचारी की वर्तमान दशा कैसी है?

(ग) क्या राज्य कर्मचारी की वर्तमान दशा सर्वथा इस आघात/रोग के कारण ही हुई है?

(घ) रोगग्रस्त हो जाने की दशा में कौनसी तारीख से राज्य कर्मचारी अयोग्य होना प्रतीत होता है?

नीचे लिखे प्रश्नों पर मंडल की राय निम्नलिखित है—

### भाग क

### प्रथम जाच

आघात की गंभीरता निम्नांकित वर्गीकरण तथा नीचे के विशेष विवरण के स्तंभ में दिये गये विवरण के अनुसरण में आंकी जानी चाहिये—

| (१) क्या आघात | हां | नहीं |
|---|---|---|
| १ (क) एक आंख या किसी अंग का विनाश होता है? | | |
| (ख) एक से अधिक आंख या अंग का विनाश है? | | |
| २ एक आंख या अंग भंग से अधिक गंभीर है? | | |
| ३ एक आंख या किसी अंग भंग के समकक्ष है? | -- | -- |
| ४ बहुत गंभीर तथा स्थायी रहने की संभावना है? | | |
| ५ गंभीर तथा स्थायी रहने की संभावना है? | | |
| ६ अत्यंत गंभीर है परन्तु स्थायी रहने की संभावना नहीं है? | | |
| ७ साधारण है परन्तु स्थायी रहने की संभावना है? | | |

(२) आघात की तारीख से किस अवधि तक—

(क) राज्य कर्मचारी सरकारी कार्य करने से अयोग्य रहा?

(ख) राज्य कर्मचारी सरकारी कार्य करने के अयोग्य रहेगा?

# परिशिष्ट VII (सातवां)

## प्रपत्र क

## मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन

(जब कि अधिकारी के परिवार हो और उनमे से एक सदस्य को मनोनीत करना चाहता हो।)

मै एतद द्वारा निम्न लिखित व्यक्ति को, जो कि मेरे परिवार का एक सदस्य है, अधिकार प्रदान करता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा मे, सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली ग्रेचुटी प्राप्त करले।

| मनोनीत व्यक्ति का नाम तथा पता | अधिकारी से सम्बन्ध | आयु | ऐसी घटना जिसके घटने से मनोनयन अवैध हो जायगा | मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु से पहले हो जाने की दशा मे उस व्यक्ति यदि कोई हो का नाम पता तथा सम्बन्ध जिसके हक मे मनोनयन चला जायगा। |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

आज दिनांक ...... मास ...... १९६ ...... को
स्थान ...... पर।

हस्ताक्षर के साक्ष्य
१
२,

अधिकारी के हस्ताक्षर

(अराजपत्रित अधिकारी होने की दशा मे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जायगा)
द्वारा मनोनयन।

पद
कार्यालय ......

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
दिनांक
पद

१ निम्नलिखित शब्दावली वित्त विभाग आज्ञा सं० एफ ५ (६) आर/५७ दिनांक ११ जून, १९५२ द्वारा लोपित की गई —

२ "वह ग्रेचुटी जो सेवा मे रहते हुए मेरी सेवा निवृत्ति होने पर देय हो और जो मेरी मृत्यु तक चुकाई न गई रहे उसको प्राप्त करने का हक।

## प्रपत्र—ख

मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन (जबकि अधिकारी के परिवार हो और से अधिक सदस्य मनोनीत करना चाहता हो।)

में एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को जो कि मेरे परिवार के सदस्य है, अधिकार प्रदान ता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा मे, सरकार द्वारा स्वीकृति की जाने वाली ग्रेचुटी प्राप्त लें।[1]

| नीत व्यक्तियों नाम व पते | अधिकारी स सम्बन्ध | आयु | ऐसी घटना जिसके घटने से मनोनयन अवैध हो जायगा | मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु से पहले हो जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो, का नाम पता तथा सम्बन्ध जिसके हक में मनोनयन चला जायगा। |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ट —अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर अधिकारी को तिरछी लकीरें खींच देनी चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात कोई नाम जोड़ा नहीं जा सके।

आज दिनांक .. मास .. .. १९६ .. .... ..
स्थान .. ..

१
२ अधिकारी के हस्ताक्षर

ग्रेचुटी की सपूर्ण राशि को कवर करने के लिये यह कालम भरा जाना चाहिये।
(अ-राज पत्रित होने की दशा में कार्यालयध्यक्ष द्वारा भरा जावे।)

श्री .. .. .... .. द्वारा मनोनयन।
पद .. .. कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
कार्यालय .. .. दिनांक ..
पद ..

---

१ निम्नलिखित शब्दावली वित्त विभाग के आदेश स एफ ३५ (६) आर/५२, दिनाक ११ जून १९५२ द्वारा लोपित की गई —

'वह ग्रेचुटी जो सेवा में रहते हुए, मेरी सेवा निवृति होने पर देय हो जो मेरी मृत्यु तक चुकानी शेष रहे उसको निम्नलिखित सीमा तक प्राप्त करने का हक है।

## प्रपत्र–ग

मृत्यु-तथा-रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन (जब अधिकारी के कोई परिवार नही है। और एक व्यक्ति को मनोनीत करता हो।)

मेरे कोई परिवार नहीं होने से, मैं एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को मनोनीत करता हू और अधिकार प्रदान करता हू कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा मे सरकार द्वारा स्वीकृति की जाने वाली ग्रेचुटी प्राप्त करले ।[१]

| मनोनीत व्यक्ति का नाम व पता | अधिकारी से सम्बन्ध | आयु | ऐसी घटना जिसके घटने से मनोनयन अवध हो जायगा | मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु से पहले हो जाने की दशा मे ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो, का नाम पता तथा सम्बन्ध जिसके हक मैं मनोनयन चला जायगा। |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

आज दिनाक　　–　　मास　　१९६

स्थान

हस्ताक्षर के साक्षी

१

२　　अधिकारी के हस्ताक्षर

(अ-राज पत्रित होने की दशा म कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा)

१ ...　　द्वारा मनोनयन

पद

कार्यालय　　कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

---

१ निम्नलिखित शब्दावली वित्त विभाग आदेश स एफ ३५ (६) आर/५२ दिनांक ११ जून १९५२ द्वारा लोपित —

'वह ग्रेचुटी जो सेवा में रहते हुए मेरी सेवा निवृति होने पर देय हो और जो मेरी मृत्यु चुकानी शेष रहे उसको प्राप्त करन का हक है।

## प्रपत्र—घ

### [मृत्यु-तथा रिटायरमेण्ट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन]

(जब कि अधिकारी के कोई परिवार नही हैं और एक से अधिक व्यक्तियो को मनोनीत करता हो।)

मेरे कोई परिवार नही होने से, मैं एतद द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियो को मनोनीत करता हूँ और नीचे निधारित की गई सीमा तक उनको अधिकार प्रदान करता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा मे सरकार द्वारा जो ग्रेचुटी मजूर की जावे वह राशि प्राप्त करल।[1]

| मनोनीत व्यक्ति का नाम तथा पता | अधिकारी से सम्बन्ध | आयु | प्रत्यक को दिया जाने वाला भाग ग्रेचुटी[2] | ऐसी घटनाए जिनके घटित होने पर मनोनयन अवध होगा | मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु पहले हो जाने की दशा मे जिस व्यक्ति के पक्ष मे यह हक चला जायगा उसका नाम पता तथा सम्बन्ध |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

नोट —अ तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर अधिकारी को तिरछी लकीरें खींच देनी चाहियें ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात कोई नाम जोडा नहीं जा सके।

आज दिनाक मास , १९६ -
स्थान
हस्ताक्षर के साक्षी
१
२

अधिकारी के हस्ताक्षर।

(अ-राजपत्रित अधिकारी होने की दशा मे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जायगा।
१ द्वारा मनोनयन।
कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर।
पद दिनाक
कार्यालय पद

१ निम्नलिखित शब्दावली वित्त विभाग आदेश स० एफ २८ (९) आर/५२ दिनाक ११ जून १९५२ द्वारा लोपित —
'वह ग्रेचुटी जो सेवा मे रहते हुए मेरी सेवा निवृत्ति होने पर देय हो और जो मेरी मृत्यु तक चुकानी शेष रह उसको निम्नलिखित सीमा तक प्राप्त करने का हक।

२ नोट —यह खाना इस प्रकार से भरना चाहिये जिससे ग्रेचुटि की पूरा रकम शामिल आजाय।

## प्रपत्र–इ

## परिवार पेंशन का मनोनयन

मैं, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नीचे बताए गए क्रम में परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिये मनोनीत करता हूँ जो २६ वर्ष की सहकारी सेवा समाप्त हो जाने के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में सरकार स्वीकृत करे।

| मनोनीत व्यक्ति का नाम तथा पता | कर्मचारी से सम्बन्ध | आयु | क्या विवाहित है या अविवाहित |
|---|---|---|---|
| | | | |

प्रपत्र–च–१

श्री की, जो विगत में विभाग
मन्त्रालयएा मे एक था, परिवार
पेन्शन के लिये आवेदन–पत्र ।

१ प्रार्थी का नाम ।
२ मृत्यु राजकीय कर्मचारी/पेन्शन धारी ।
से सम्बन्ध
३ सेवा निवृत्ति का दिनाक, यदि
मृतक पेन्शनधारी था ।
४ राजकीय कर्मचारी/पेन्शनधारी
की मृत्यु का दिनाक
५ क्रमाक जिस पर आवेदक का नाम
मनोनयन–पत्र प्रपत्र 'ड' में दर्ज है ।
६ मृतक के पीछे रहने वाले कुटुम्बियों के नाम
तथा आयु

| नाम | जन्म का दिनाक [ईसवी से] |
|---|---|
| (क) विधवा/पति | |
| पुत्र | |
| अविवाहित पुत्रिया | |
| विधवा पुत्रिया | |
| (ख) पिता | |
| माता | |
| भ्रातागण | |
| अविवाहित बहनें | |
| विधवा हुई बहन | |

७ नाम कोष/उप कोष जहा से भुगतान
प्राप्त करने की इच्छा हो ।
विवरण–पत्र
स्वर्गीय श्री की
विधवा/पुत्र/पुत्रिया आदि का
(i) जन्म दिनाक (ईसवी से)
(ii) ऊँचाई
(iii) व्यक्तिगत चिन्ह यदि
कोई हाथ, मुख आदि पर हो ।

(v) हस्ताक्षर या बाए हाथ के
अगूठे तथा अगुलिया के निशान ।
कनिष्ठिका अगूठीवाली अगुली,
बीच की अगुली, तर्जनी, अगूठा ।

६ प्रार्थी का पूरा पता ।

| तसदीक कर्ता— | साक्ष्य— |
|---|---|
| (१) | (१) |
| (२) | (२) |

## टिप्पणी

१ विवरण पत्र तथा हस्ताक्षर/अगूठे तथा अगुली के चिह्न जो परिवार पेन्शन के आवेदन पत्र से सलग्न हो व दो प्रतियों म होने चाहिये और प्रार्थी के निवास स्थान के नगर ग्राम या जिले के दो या अधिक आदरणीय व्यक्तियो द्वारा प्रमाणित होने चाहिये ।

२ यदि प्रार्थी क्रमाक ६ (ख) मे उल्लेखित वर्गीकरण मे आता हो तो उसको मृतक राजकीय कर्मचारी/पेन्शनधारी पर अपनी निर्भरता का सबूत प्रस्तुत करना चाहिये ।

३ यदि प्रार्थी राजकीय कर्मचारी/पेन्शनर का अवयस्क भ्राता हो तो क्रमांक ८ (1) के सामने अकित तथ्य का पुष्टिकरण आयु के प्रमाण पत्र (असल) से होना चाहिये और उसके साथ प्रार्थी की आयु बताने वाली दो प्रमाणित प्रतिया होनी चाहिये । आवश्यक तसदीक के पश्चात असल प्रमाण पत्र प्रार्थी को लौटा दिया जायगा ।

### प्रपत्र छ

**ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला घोषणा–पत्र जिसको प्रत्याशित मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्वीकृत हुई है**

चू कि (यहा अग्रिम राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पद लिखिये] मुझे श्री के मनोनीत व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी के रूप मे) सरकार द्वारा मृत्यु तथा रिटायरमेंट देय ग्रेचुटी निश्चित करने के लिये अवश्यक जाच पूरी होने के प्रत्याशन मे फिलहाल रु० ) अग्रिम देने की स्वीकृती देने को राजी हुए है, म एतद द्वारा स्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम राशि को स्वीकार करने में, म पूर्णतया समझता हू कि मुझ को देय मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी आवश्यक औपचारिक जाच के पूरी होने पर परिवर्तनशील है, और म वायदा

१ वित्त विभाग आदेश स एफ ३५ (६) आर/६२ दिनाक ११ जून, १९५२ द्वारा जोड़ा गया ।

१ वित्त विभाग की आज्ञा स एफ ३५ [६] आर/५२ दिनाक ११ जून १९५२ द्वारा अन्तर्स्थापित किया गया ।

२ नोट —कोष्टक में लिखे शब्द जो लागू नहीं होते हों वे लोपित किए जावे ।

करता हूँ कि ऐसे परिवर्तन जो राशि अन्ततः स्वीकृत हो उस पर मैं मृत्यु तथा रिटायर-मेंट की प्रत्याशित ग्रेचुटी के आधार पर कोई आपत्ति नही उठाऊगा। मैं यह भी वायदा करता हूँ कि मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो अन्तत मुझे स्वीकृत हो, अग्रिम दी गई राशि से कम होगी तो बढी हुई राशि वापिस चुका दूगा।

हस्ताक्षर के गवाहान (पते सहित)

१　　　　　　　　　　हस्ताक्षर

२　　—　　　　　　　　पद

(राजकीय कर्मचारी का)

स्थान

दिनाक

प्रपत्र छह[1]

आवेदन–पत्र मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी प्रदान करने के लिये विभाग मे स्वर्गीय श्री/श्रीमती के परिवार हेतु।

१ प्रार्थी का नाम।
२ स्वर्गीय राजकीय कर्मचारी/पेंशनधारी से सम्बन्ध।
३ जन्म का दिनाक।
४ यदि पेंशन धारी था तो उसके सेवा निवृत्ति का दिनाक।
५ राजकीय कर्मचारी/पेंशनधारी की मृत्यु का दिनाक।
६ नाम कोष/उप–कोष जहा से भुगतान लेने का इच्छुक है।
७ प्रार्थी का पूरा पता।
८ प्रार्थी का हस्ताक्षर या अगूठे का चिन्ह।
९ [2]तसदीक कर्त्ता।

(i)
(ii)
१० साक्षी –

| नाम | पूरा पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| (i) | | |
| (ii) | | |

१ वित्त विभाग आज्ञा स एफ ७ (ए) (८१) एफ डी ए/रूल्स/५९–१ दिनाक १ मार्च १९६० द्वारा जोडा गया।

२ तस्दीक प्रार्थी के निवास स्थान के नगर ग्राम या परगने मे स्थित दो या अधिक आदरणीय व्यक्तियों द्वारा की जाना चाहिये।

## प्रपत्र ज[1]

आवेदन–पत्र पेंशन या ग्र चुटी के लिये [तथा मत्य तथा रिटायरमेंट ग्रे चुटी] के लिये ।

१ प्रार्थी का नाम ।
२ पिता का नाम (तथा महिला राजकीय कमचारी हाने
को दशा मे उसके पिता का नाम भी)
३ धम तथा राष्ट्रीयता
४ स्थायी निवास का पता, ग्राम/नगर, जिला तथा राज्य बताते हुए ।
५ वत्त मान या पिछली नियुक्ति, कमचारी वग का नाम सहित ।
५क वत्त मान या पिछली मौलिक नियुक्ति ।
६ सवा काल के प्रारम्भ का दिनाक ।
७ सेवा–समाप्ती का दिनाक ।
(क) सैनिक सेवा का कुल काल
प्रत्येक सनिक सेवा काल के प्रारम्भ
का दिनाक
(ख) सरकार जिसके अधीन सेवा की
गई नियोजन के क्रम मे ।
८ सेवा की अवधि, अवरोधो
तथा अ–अर्हकारी अवधिया के विवरण सहित वप, मास दिन
९ आवेदित पेंशन या ग्रे चुटी का वग तथा
आवेदन का कारण ।
१० औसत उपलब्धिया ।
११ प्रस्तावित पेंशन ।
१२ प्रस्तावित ग्रे चुटी ।
(क) प्रस्तावित मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रे चुटी ।
१३ तारीख जिस दिन से पेंशन प्रारम्भ होनी हो ।
१४ भुगतान का स्थान ।

---

१ वित विभाग नापन स एफ ७ ए (४१) एफ टी /ए/ रूल्स/५६-१४ दिनाक ? १९६ तथा वित विभाग आज्ञा स एफ ७ ए[४१] एफ डी/रूल्स/५९ दिनाक २२-११-१९६ जोडा गया ।

(सरकारी कोष या उप-कोष)
[क] पेन्शन नियम जो विकलित हैं। जिसका पात्र है।
[ख] मनोनयन किस के लिये किया—
[i] पारिवारिक पेंशन के लिये या
[ii] मृत्यु तथा-रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये

१५ प्रार्थी का जन्म दिनांक [ईसवी से]
१६ ऊंचाई
१७ पहचान चिन्ह—

[क] अंगूठे तथा अंगुलियों के चिन्ह

| अंगूठा | तर्जनी | बीचवाली अंगुली | अंगूठीवाली अंगुली | कनिष्टअंगुली |
|---|---|---|---|---|

नोट —जिन व्यक्तियों के लिये इस आवेदन-पत्र के साथ पास पोर्ट आकृति की फोटू की प्रमाणित प्रतियें प्रेषित करनी अपेक्षित हो और यदि वे अपना नाम अंग्रेजी हिन्दी या क्षेत्रीय सरकारी भाषा में हस्ताक्षर करने हेतु पर्याप्त शिक्षित हो तो वे बाएं हाथ के अंगूठे तथा अंगुलियां के चिन्ह अंकित करने से मुक्त होंगे।

१८ तारीख जिस दिन प्रार्थी ने पेंशन के
लिय आवेदन किया।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।

१ राजपत्रित राजकीय कर्मचारी, सरकारी उपाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को जिनको सरकार विशेष तया मुक्त करदे, ऊंचाई तथा व्यक्तिगत चिन्ह के विवरण देना अपेक्षित नहीं हैं।

[क] प्राप्त करने वाले प्राधिकारी के रिमार्क्स [अभ्युक्ति]

१ प्रार्थी के चरित्र तथा पिछले आचरण के विषय में।
२ किसी निलम्बन या पदावनति का स्पष्टीकरण।
३ प्रार्थी द्वारा कोई ग्रेचुटी या पेंशन पहले से ही
प्राप्त करने के विषय में।
४ कोई अन्य विवरण।

५ प्राप्त कर्ता प्राधिकारी कि निश्चित राय आया जिस सेवा का दावा किया गया है वह साबित है और उसे माना जावे या नहीं [देखिये नियम १८६ [ii] तथा २६१ [क] [ii]

[ख] पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की आज्ञा ।

अधोहस्ताक्षर कर्त्ता को संतोष हो जाने पर कि श्री/श्रीमती/कुमारी की सेवा पूर्णतया संतोषजनक थी एतद द्वारा ऐसी पेंशन तथा/या ग्रेचुटी प्रदान करने की आज्ञा देता है जो महालेखाधिकारी नियमों के अन्तर्गत देय होना स्वीकार करे। इस पेंशन तथा/या ग्रेचुटी की स्वीकृती से प्रभावशील होगी ।

१ शेष देनदारी निर्धारित की जाने तथा मृत्यु-तथा-रिटायरमेंट ग्रेचुटी में से समायोजन [adjustment] हो जाने तक, लेखे रुपये ) की राशि रोकली जावे ।

अथवा

अधोहस्ताक्षर कर्त्ता को संतोष हो जाने से कि श्री/श्रीमती/कुमारी की सेवा पूर्णतया संतोषजनक नहीं है । एतद द्वारा आज्ञा देता है कि जो पूरी पेंशन तथा/या ग्रेचुटी नियमों के अन्तर्गत महालेखाधिकार देय होना स्वीकार करे, वह निम्नलिखित निश्चित राशियों से या प्रतिशत पर कम कर दी जावे —

पेंशन में कम की जाने वाली राशि या प्रतिशत

ग्रेचुटी में कम की जाने वाली राशि या प्रतिशत

इस पेंशन तथा/या ग्रेचुटी का प्रदान से प्रभावशील होगा ।

१ शेष देनदारी निर्धारित की जाने तथा मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी में से समायोजना [adjustment] हो जाने तक, लेखे रु ] की राशि रोकली जावे ।

पेंशन और मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी कोष पर भुगतान की जावेगी और से से व्यय होगी ।

यह आज्ञा इस शर्त के आधीन है कि यदि महालेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पेंशन तथा/या ग्रेचुटी की राशि उस राशि से बाद में अधिक होनी पाई जावे जितनी कि प्रार्थी नियमानुसार पाने का हकदार है तो उसे अतिरिक्त राशि वापस लौटानी होगी । यह शर्त स्वीकार करने की घोषणा उक्त अधिकारी से प्राप्त करली गई है/यह शर्त स्वीकार करने की घोषणा उक्त अधिकारी से प्राप्त करली जावेगी और पृथक प्रेषित कर दी जावेगी ।

नोट —ज्ञापन स. एफ ७ ए (४१) एफ डी /ए/रूल्स/ ५६ दिनांक १ ३ १९६० के अनुच्छेद ४ के उप अनुच्छेद (i) तथा (ii) में प्रावधान की हुई जमानत अथवा उपर्युक्त नकद जमा प्राप्त नहीं होने की दशा में भरा जावे ।

पेंशन स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद ।

(ग) ऑडर (लेखा परीक्षा विभाग) द्वारा एन फेममेट (लेख)

१ अधवर्षिक (सूपर एन्यूएशन)/सेवा निवृति/शारीरीक अयोग्यता (इनवेलिड) मुआवजा/ मृत्यु तथा रिटायरमेट ग्रेचुटी प्रदान करने के लिये, अहकारी सेवा की कुल अवधि जो मानी गई यदि कोई अमान्य है तो उसके कारणो महित अमान्य के अति रिक्त, यदि काई हो तो उसके कारणो सहित जो आडिट द्वारा द्वितीय पृष्ट मे अभिने खित है।

नोट—१ दिनाक से प्रारम्भ होने वाली तथा सेवा निवति की तारीख तक का सेवा काल अभी तक तस्दीक नही किया है, पेंशन भुगतान आज्ञा जारी करने से पूव यह तस्दीक कर लिया जावे।

२ वह अधिवार्षिक (सूपरएन्यूएशन)/सेवा निवृति/ शारीरिक आयोग्यता/मुआवजा/पेंशन/मृत्यु तथा रिटायरमेट ग्रेचुटी जो की मान्य राशि

३ वह राशि जो अधवार्षिक/सेवा निवृति/शारीरिक आयोग्यता/मुआवजा पेंशन मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटो मे पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा पेंशन तथा ग्रेचुटो मे कमो करने हेतु लेखे मे ली गई।

४ तारीख जब से अधवर्षिक/सेवा निवृति/ शारीरिक अयोग्यता/मुआवजा पेंशन/मृत्यु तथा रिटायरमेट ग्रेचुटी मान्य है।

५ लेखे का शीर्षक जिसमे से अधिवार्षिक/सेवा निवृति/पेंशन/मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी भुगतान की जायगी।

महानेखापाल

नाट—यदि अहकारी सेवा अधिकतम पेशन प्राप्त करने क लिये पर्याप्त अवधि स अधिक होना प्रमाण—पत्र मे - वर्षो से अधिक के लिये प्रमाणित इस प्रकार लिखा जा सकता है। (वर्षो को सख्या वह लिखी जावे जो अधिकतम पेंशन अर्जित करने के लिये अपेक्षित हो)।

[जो बात लागू न हो वह लोपित कर दी जावे]

**पेन्शन अथवा ग्रेचुटी और मृत्यु-तथा रिटायर मेंट ग्रेचुटी के लिये आवेदन पत्र**

नोट—यदि अहकारी सेवा अधिकतम पशन प्राप्त करने के लिये पर्याप्त अवधि स अधिक होतो प्रमाण पत्र " वर्षो स अधिक के लिए प्रमाणित —इस प्रकार लिखा जा सकता है। (वर्षों को सख्या वह लिखी जावे जो अधिकतम पेशन अर्जित करने के लिये अपेक्षित हो।)

( जो बात लागू न हो वह लोपित कर दी जावे। )

---

१ वित्त विभाग ज्ञापन स एफ ७ ए(४१) एफ डी /ए/रूल्स/ ५६ १४ दिनांक ११ ७ ६०) तथा वित्त विभाग आदेश स एफ ७ ए (४१) एफ डी/ए/रूल्स/५८ दिनाक २१ ११-६०) द्वारा स्थानापन्न किया गया।

ग्रावेदन की तारीख
प्रार्थी का नाम।
पिछली नियुक्ति।
पेन्शन या ग्रेचुटी का वर्ग।
स्वीकृती प्रदान करने वाला प्राधिकारी।
स्वीकृत पेन्शन राशि।
स्वीकृत ग्रेचुटी की राशि।
स्वीकृत मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी।
राशि।
प्रारम्भ होने की तारीख।
स्वीकृति की तारीख।

हस्ताक्षर।

## परिशिष्ट VII—क ( मातर्ा-क )

### [1]पेन्शन के लिए औपचारिक आवेदन-पत्र

आर स

...

सेवा में

विषय —पेन्शन स्वीकृत हेतु आवेदन

मान्यवर,

मै नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा जन्म दिवस का होने से, मै, दिनाक ... को सेवा निवृत होने वाला हूँ । अत मै प्रार्थना करता हूँ कि उचित कार्यवाही कराने की अनुकम्पा करें जिससे मेरी सेवा निवृति होने की तारीख तक मुझे देय पेन्शन तथा ग्रेचुटी स्वीकृत हो सके । मै कोष से मेरी पेन्शन उठाने का इच्छुक हूँ ।

२ मै एतद् द्वारा घोषणा करता हू कि मैने अब तक किसी ऐसी पेन्शन या ग्रेचुटी के किसी भाग के लिए आवेदन नहीं किया है जिसके लिए मैने इस आवेदन पत्र द्वारा पेन्शन तथा/ या ग्रेचुटी की माग की है न मैं इसके बाद भी इस आवेदन-पत्र तथा इस पर जारी किय गये आदेशो का हवाला दिये बिना कोई आवेदन प्रेषित नही करूगा ।

३ मैं निम्नलिखित सलग्न करता हू —

(१) दो नमूने के मेरे हस्ताक्षर, विधिवत प्रमाणित,

[2](२) एक पासपोर्ट आकार की फोटू, वह भी विधिवत प्रमाणित,

[3](३) दो पर्चिया जिसमे प्रत्येक मे मेरे बाए हस्त के अगूठे तथा अगुलिया के चिन्ह हैं ।

[4]४ मेरा वर्तमान पता ... है और सेवा निवृति के पश्चात पता होगा ।

दिनाक— — हस्ताक्षर

पद

---

१ वित्त विभाग कार्यलय ज्ञापन स०एफ ६ए ( ४१ ) एफ । डी । ए । रूल्स दिनाक १-३-१९६० द्वारा जोड़ा गया।

२ राजपत्रित अधिकारी होने की दशा म यह आवश्यक नही है ।

३ यह केवल उन व्यक्तियो क लिये अपेक्षित है जो अनपढ़ हो और अपने नाम का हस्ताक्षर नही कर सकते हो ।

४ इसके पश्चात पता परिवर्तन की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को देनी चाहिये ।

# परिशिष्ट VII ख ( सातवां ख )

## [1] जमानत का प्रपत्र

राजस्थान के राज्यपाल को ( जो आगे "सरकार" कहा गया है तथा जिस शब्द में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्ताक्ति सम्मिलित होंगे ) श्री / श्रीमती का सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से "कोई माग नहीं होने का प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत किये बिना अंतिम हिसाब चुकाने के लिए सहमति होने के कारण, कथित द्वारा उसको अभी आवंटन किये गये । आवास गृहो के लिये तथा समय समय पर कथित " को आवंटन किये गये । आवास गृहो के सम्बन्ध मे किराया तथा अन्य देय राशियों के भुगतान के लिये मे मैं एतद् द्वारा जामिन खड़ा होता हू ( इस कथन में मेरे उत्तराधिकारी निष्पादक गण तथा प्रशासक गण सम्मिलित हैं ) । मै जामिन, सहमत होता हू और यह भी इकरार करता हू कि उपरोक्त आवास गृहो का खाली कब्जा सरकार को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाव तब तक मै समस्त हानि और क्षति की पूर्ति सरकार का करने का इकरार करता हू ।

मै एतद् द्वारा, उन राशियों के लिए भी जामिन खड़ा हू जो कथित श्री" द्वारा सरकार को अधिक वेतन भत्ता अवकाश-वेतन दिये जाने से या वाहन भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजन के लिए दिये गये अग्रिम के कारण या कोई अन्य माग के रूप में देय हो।

मेरे द्वारा ग्रहण दायित्व सरकार द्वारा अवधि या कोई अन्य मांगे बढ़ाने से समाप्त नही होगा तथा किसी अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं होगा ।

मेरे द्वारा ग्रहण दायित्व अवधि बढाने से तथा सरकार द्वारा कथित"" को कोई अन्य अनुग्रह प्रदान से समाप्त नहीं होगा न किसी भी प्रकार से प्रभावित होगा ।

यह गारंटी तब तक जारी रहेगी जब तक कि—

(i) कथित के पक्ष मे सार्वजनिक निर्माण विभाग 'कोई माग नहीं का प्रमाण पत्र' जारी नहीं करदे तथा

(ii) वह कार्यालयाध्यक्ष जिसके कार्यालय मे कथित " " " नियोजित था और यदि वह राजपत्रित राज्य अधिकारियों के बिल के प्रपत्र पर वतन तथा भत्त उठाता था/उठाती थी, उस दशा सम्बन्धित लेखा परीक्षण अधिकारी (आडिट अधिकारी गण ) यह प्रमाणित नहीं करदे कि कथित द्वारा सरकार को अब कोई देय शेष नहीं है ।

---

[1] वित्त विभाग के आज्ञा सं० एफ० ७ ए० ( ४१ ) एफ डी/ए/रूल्स/५६ II दिनांक ११ ७ १९६० द्वारा जोड़ा गया ।

इस लिखित पर स्टाम्प शुल्क सरकार वहन करेगी ।

जामिन के हस्ताक्षर

कथित जामिन द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा दिया गया । स्थान पर आज दिनाक मास को, निम्न लिखितो की उपस्थिति मे

१ हस्ताक्षर

साक्षी का पता तथा व्यवसाय

२ हस्ताक्षर

साक्षी का पता तथा व्यवसाय

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री मती एक स्थायी राजकीय कमचारी है ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर,

अथवा कार्यालयाध्यक्ष के जहा जामिन काम करता है । उपरोक्त जमानत नामा स्वीकार किया जाता है ।

हस्ताक्षर

पद

( राजस्थान के राज्यपाल के वास्ते या ओर से )

# परिशिष्ट VII –ग ( मोतवृांग )

प्रपत्र "क"

ऐसे मामलो मे मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी के लिये प्रपत्र, जिनमे वैध मनोनयन किया हुग्रा हो।

स०

राजस्थान सरकार

विभाग

दिनाक

विषय —मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी का भुगतान स्वर्गीय श्री/श्रीमती के विषय मे ।

महोदय

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन है कि कार्यालय/विभाग में एक का काय करने वाले स्वर्गीय श्री/श्री मती द्वारा किये गये मनोनयन की शर्तों के अनुसार, एक मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी उसके मनोनीत व्यक्ति ( व्यक्तियो ) को देय है । कथित मनोनयन पत्र की एक प्रतिलिपि सलग्न है ।

२ मुझे यह निवेदन करना है कि मृत्यु तथा-रिटायरमेंट ग्रेचुटी प्रदान करने हेतु सलग्न प्रपत्र 'छ छ" में यथा सम्भव शोघ्रातिशीघ्र एक औपचारिक दाव (क्लेम) ग्राप प्रस्तुत करें ।

३ मनोनयन करने के पश्चात यदि कोई ऐसी घटना हो गई हो जो मनोनयन को पूर्णतया या ग्राशिक रूप से अवैध बना दे, तो कृपया उस घटना का ठीक विवरण व्यक्त करें ।

भवदीय

वास्ते

... ...

प्रपत्र ख'

## मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी के लिये प्रपत्र जबकि वैध मनोनयन किया हुआ न हो

संख्या

राजस्थान सरकार

विभाग

दिनाक ...

विषय —मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी का भुगतान स्वर्गीय श्री/श्रीमती के विषय मे

महोदय

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन हुआ है कि वित्त विभाग के ज्ञापन स० डी० ३५६१/५७/एफ ७ ए (१०) एफ० डी०/ए/रूल्स, ५७ दिनाक १९-६ ५७ के अनुसार कार्यालय/विभाग के विग श्री/श्रीमती के परिवार के निम्नलिखित सदस्यो का सम भागो मे मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी देय है —

(i) धर्मपत्नी/पति
(ii) पुत्रगण सौतेले बालको सहित
(iii) अविवाहित पुत्रिया

२ यदि उक्त परिवार मे ऊपर लिखे मे से कोई जीवित सदस्य न हो तो मत्यु-तथा रिटायरमेट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी, परिवार के निम्नलिखित सदस्या को सम भागा मे देय होगी —

(i) विधवा पुत्रिया ।
(ii) १८ वर्ष से कम आयु का भ्राता तथा अविवाहित या विधवा बहनें ।
(iii) पिता, माता
(iv) माता

३ निवेदन है कि मृत्यु तथा रिटायरमेट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी का औपचारिक दावा [क्लेश] सलग्न प्रपत्र छ छ में यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित किया जावे ।

भवदीय

दिनाक

प्रपत्र 'ग'

## परिवार पेंशन का प्रपत्र जबकि वैध मनोनयन मौजूद हो

सं०

राजस्थान सरकार

विभाग

दिनांक

विषय —श्री/श्रीमती के विषय मे परिवार पेंशन का भुगतान।

महोदय

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती विभाग मे विगत (पद) द्वारा किये गये मनोनयन की शर्तों के अनुसार और उसका/उसकी मनोनीत होने के रूप मे आपको परिवार पेंशन देय है।

२ तदनुसार मुझे सुझाव देना है कि आप सलग्न प्रपत्र 'च' मे यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र औपचारिक क्लेम (माग) स्वीकृति हेतु प्रेषित करे।

६ मनोनयन करने के पश्चात यदि कोई ऐसी घटना हो गई हो जो मनोयन को पूर्णतया या आंशिक रूप से अवैध बनादे, तो कृपया उस घटना का ठीक विस्तृत विवरण व्यक्त करें।

भवदीय,

वास्ते

प्रपत्र 'घ'

## परिवार पेंशन का प्रपत्र जबकि वैध मनोनयन मौजूद न हो

सं०

राजस्थान सरकार

विभाग

दिनाक

विषय —श्री/श्रीमती के विषय मे,परिवार पेंशन का भुगतान।

महोदय,

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन हुआ है कि , विभाग के विगत (पद) स्वर्गीय श्री/श्रीमती के परिवार को न ेय है। मनोनयन के अभाव मे राजस्थान सेवा नियमो के नियम २६५ के ... १८, परिवार पेंशन निम्नलिखितो को देय है।

(क) (i) ज्येष्ठतम जीवित विधवा को या पति को,
(ii) विधवा/पति नहीं होने की दशा मे ज्येष्टत्तम जीवित पुत्र को।
(iii) यदि (i) तथा (ii) न हो तो ज्येष्ठत्तम जीवित अविवाहित पुत्री को,
(iv) ये कोई भी न हो तो, ज्येष्ठत्तम विधवा पुत्रीको और

(ख) यदि उपरोक्त उप खड (क) के अधीन कोई परिवार पेंशन देय नही हो तो—
(i) पिता को
(ii) पिता न हो तो माता को
(iii) पिता तथा माता भी न हो, तो १८ वर्ष से कम आयु वाले जीवित भ्राता को,
(iv) ये भी न हो तो ज्येष्ठत्तम जीवित अविवाहित बहन को,
(v) कोष्ठक (i) से (iv) विफल रहे तो, ज्येष्ठत्तम जीवित विधवा बहन को।

उपरोक्त उपखण्ड (ख) मे उल्लिखित किसी व्यक्ति को परिवार पेंशन ऐसे उपयुक्त सबूत प्रस्तुत किये बिना नही मिलेगी कि वह व्यक्ति अपने निर्वाह के लिये स्वर्गीय पर निर्भर था।

२ मुझे यह सुझाव देना है कि परिवार पेंशन हेतु यदि उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार आपका प्राथमिक हक हो तो आप सलग्न प्रपत्र च' मे औपचारिक दावा (क्लेम) प्रेषित करें। आपको निवेदन है कि आप इस विषय का एक हलफनामा भी प्रस्तुत करें। उपरोक्त क्रम में आपसे पहले स्थान पाने वाली श्री के परिवार मे कोई सदस्य जीवित नही है। आपको यह समझ लेना चाहिये कि इस विषय मे यदि कोई असत्य सूचना अथवा घोषणा दी गई, तो आप कानूनी कार्यवाही के भागी बनेंगे, यदि उपरोक्त वर्गीकरण के प्रकाश मे, यदि आपका परिवार पेंशन के लिये कोई प्राथमिक हक न हो तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्ति के नाम, पते तथा उक्त मृतक से सम्बन्ध की सूचना भेजे, जो आपकी जानकारी के अनुसार पेन्शन का प्राथमिक हक रखता हो तथा उसे यह पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु आगे भेज दे।

भवदीय

१ वित्त विभाग कार्यालय ज्ञापन स एफ ७ ए (४१) एफ डी/ए/रूल्स/५६ I दिनांक १ ३ ६० द्वारा जोड़ा गया।

## परिशिष्ट ८ ( आठवां )

### प्रपत्र क

### असनिक पेन्शन का कम्यूटेशन [परिवर्तन]

मै मेरी पशन के रु [ ][1] रु [ ][1]
प्रतिमास मे कम्यूट (परिवतन) कराने का इच्छुक हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने नीचे के सब प्रश्नो का सही सही उत्तर दिया हैं।

स्थान हस्ताक्षर
दिनाक पद
पता

प्रश्न

१ आपकी जन्म तारीख क्या है ?

२ आप अपनी कितनी पेंशन कम्यूट करवाना चाहते है ?

[2]नोट

पेन्शन प्रत्याशित होने की दशा म पेन्शनधारी, यदि चाहे तो अपनी इस इच्छा का सकेत भी दे सकेगा कि उसकी अ तिम पेन्शन, प्रत्याशित पेन्शन से अधिक होन की दशा म कम्यूट (परिवत न) कराना चाहेगा ।

यदि पेन्शनधारी रुपये २५) से अधिक राशि कम्यूट कराना चाहता हो तो उस दशा मे वह यह भी सकेत दे सकता है कि आया वह यह प्रत्याशा करता है कि पेन्शन की वह अ तिम राशि जो वह कम्यूट कराने का हकदार है रुपये २५) से अधिक हो सकती है ।

३ (क) क्या आपने अपनी प शन का कोई अश पहले से ही कम्यूट करा रखा है। यदि हाँ तो विवरण दीजिये ।

(ख) क्या कभी आपका कम्यूटशन का आवेदन पत्र खारिज किया गया या क्या कभी चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर आपकी वास्तविक आयु मे वप जोडे जाने से

---

१ वित विभाग आदेश स एफ १ [१०] [एक्स—रूल्स]/६७ दिनाक २० १२ ६७ द्वारा विलापित ।

२ वित विभाग आदश स डी १०५७/५६ एफ ७ ए [II] एफ डी [ए] रूल्स ५८ तथा ज्ञापन स २४६७/५६/एफ ७ ए [I] एफ डी [ए] रूल्स/५८ II दिनाक क्रमश १ जून ५६ तथा १० अगस्त, ५६ द्वारा जोडा गया ।

आपने पेन्शन कम्युटेशन कराना स्वीकार किया था/अस्वीकार किया था ? यदि ऐसा है तो विवरण दीजिये ।

४ किस कोष से आप अपनी पेंशन या कम्यूटेशन राशि प्राप्त करना चाहते हैं ?

५ यदि आप अपनी पेंशन पहले से ही उठा रहे हैं, तो पेंशन भुगतान आज्ञा या कोलोनियल वारट की सख्या लिखिये ।

६ स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के स्व-विवेक को बिना प्रभावित किये, इस कम्यूटेशन को आप किस दिनाक से चालू कराना चाहते हैं ? (असैनिक पेंशन नियम देखिये)

७ कौन से स्थान (आपके सामान्य निवास क्षेत्र के निकट) पर आप अपनी मेडीकल परीक्षा कराना चाहेंगे ?

स्थान　　　　　　　　　　हस्ताक्षर ...
दिनाक ...

---

[ कार्य प्रक्रम हिदायत १ (१) द्वारा शासित मामलों मे प्रयोग हेतु ]

.　　　　को प्रतिवेदन हेतु प्रेषित

(यहा लेखाधिकारी का पद तथा पता लिखिये)

स्थान ...　　　　　　　　हस्ताक्षर ....
दिनाक ..　　　　　　　　पद

[1]नोट

पेन्शन का वह भाग जो कम्यूट कराना है, पूरे रुपयों मे होना चाहिये । [ ][2]

## भाग २

..　　　　को प्रेषित

(यहा स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का पद तथा पता लिखिये)

२ चिकित्सक प्राधिकारी की कम्यूटेशन से सम्बन्धित सिफारिश के अधीन रहते, एक मुश्त देय राशि निम्नलिखित होगी —

---

१ वित्त विभाग आज्ञा सख्या ४७५२/एफ ७ ए (३) एफ डी (ए) रूल्स/५७ दिनाक ३ ८ ५७ द्वारा जोडा गया ।

२ वित्त विभाग आज्ञा सख्या एफ १ (१०) एफ डी (एक्स नियम) ६७ दिनाक २० १२ ६७ द्वारा हटाया गया ।

| | |
|---|---|
| भुगतान योग्य राशि यदि कम्यूटेशन प्रार्थी के अगले जन्म दिवस तक [जो दिनाक को आता है] पक्का हो जाय | सामान्य आयु के आधार पर<br>अर्थात वर्ष रु<br>,, ,, जिसमे जोडिये<br>१ वर्ष अर्थात वर्ष रु<br>,, , जिसमे जोडिये<br>२ वर्ष अर्थात् वर्ष रु<br>, जिसमे जोडिये<br>३ वर्ष, अर्थात वर्ष रु<br>,, ,, जिसमे जोडिये<br>४ वर्ष, अर्थात वर्ष रु<br>, ,, जिसमे जोडिये<br>५ वर्ष, अर्थात वर्ष रु |
| भुगतान योग्य राशि यदि कम्यूटेशन प्रार्थी के अगले जन्म दिवस तक पक्का होजाय परन्तु उससे एक के सिवाय अगले जन्म दिवस से पूर्व | सामान्य आयु के आधार पर<br>अर्थात वर्ष रु<br>,, इसमे जोडिये<br>१ वर्ष, अर्थात वर्ष रु<br>, , इसमे जोडिये<br>२ वर्ष, अर्थात वर्ष रु<br>, , इसमे जोडिये<br>३ वर्ष, अर्थात वर्ष रु<br>,, ,, इसमे जोडिये<br>४ वर्ष, अर्थात वर्ष रु<br>, , इसमे जोडिये<br>५ वर्ष अर्थात वर्ष रु |

३ देय राशि निम्नलिखित पर प्रभार होगा —

केन्द्रीय राजस्व रु --

की सरकार

(राज्य सरकार) रु

स्थान

दिनाक लेखाधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद

## भाग ३

उपरोक्त कम्यूटेशन के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रपत्र के भाग २ के अनुच्छेद २ की एक प्रमाणिक प्रति प्रपत्र ख पर आवेदक को भेज दी गई है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनाक पद

[1]मूल दिनाक को ।
[यहा मुख्य प्रशासनिक चिकित्सक अधिकारी का पद तथा पता लिखिये] को

प्रेषित करके निवेदन है कि वह प्रार्थी की डाक्टरी जाच उचित चिकित्सक प्राधिकारी द्वारा दिनाक से तीन मास के भीतर यथा सभव शीघ्राति
[यहा दिनाक लिखिये]
शीघ्र कराने की व्यवस्था करे परन्तु दिनाक से पहले
[यहा सेवा निवृति का दिनाक लिखें]
नही करावें और प्रार्थी को पर्याप्त समय देकर सीधा सूचित करें कि उसे कहा तथा किस स्थान पर जाच हेतु उपस्थित होना चाहियें।

[2]आवेदक का आगामी जन्म दिवस को आता है। और उसका डाक्टरी जाच उस दिनाक से पूर्व परन्तु स्वीकृती आज्ञा मे निर्धारित अवधि के भीतर कराने की व्यवस्था करें।

स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी
के हस्ताक्षर तथा पद

प्रपत्र ख

भाग १

चिकित्सक प्राधिकारी की कम्यूटशन करने की सिफारिस के अधीनस्थ रहते तथा इस प्रपत्र के भाग २ मे निर्धारित शर्तों के अधीन रहते, एक मुश्त भुगतान योग्य राशि निम्ननुसार होगी —

| | |
|---|---|
| भुगतान योग्य राशि यदि कम्यूटेशन प्रार्थी के आगामी जन्म दिवस से पहले पक्का होजाय जो दिनाक को आता है। | सामान्य आयु के आधार पर अर्थात वष रु |
| | १ वष, अर्थात वष रु |
| | , , इसमे जोडिये |
| | २ वष, अर्थात वष रु |
| | ,, ,, इसमे जोडिये |
| | ३ वष अर्थात वर्ष रु |
| | ,, , इसमे जोडिये |
| | ४ वष, अर्थात वष रु |
| | , , इसमे जोडिये |
| | ५ वष अर्थात वष रु |
| | , , इसमे जोडिये |

१ जब आगामी जन्म दिवस निर्धारित दिनाक से बाद मे आता हो तो इसे काट दिया जाय।
२ एक कापी फाम सी की और एक एक्स्ट्रा कोपी इसी फाम की वाड III की साथ।

| | |
|---|---|
| भुगतान योग्य राशि यदि कम्यूटेशन प्रार्थी के आगामी जन्म दिवस के बाद पक्का हो जावे परन्तु एक के सिवाय अगले जन्म दिवस से पहले | सामान्य आयु के आधार पर अर्थात ... वर्ष रु |
| | ,, ,, इसमे जोडिये |
| | १ वर्ष, अर्थात वर्ष रु |
| | , ,, इसमे जोडिये |
| | २ वर्ष अर्थात वर्ष रु |
| | ,, , इसमे जोडिये |
| | ३ वर्ष, अर्थात वर्ष रु |
| | , , इसमे जोडिये |
| | ४ वर्ष, अर्थात वर्ष रु |
| | ,, इसमें जोडिया |
| | ५ वर्ष अर्थात वर्ष रु |

स्थान ... हस्ताक्षर

दिनाक लेखाधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद।

## भाग २

की पेन्शन का एक मुश्त भुगतान के लिये कम्यूटेशन की प्रशासकीय स्वीकृति, उपरोक्त भाग १ मे लिखित लेखाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्तमान मूल्यो की तालिका, जिसके आधार पर लेखाधिकारी के प्रतिवेदन मे गणना की गई है, वह बिना नोटिस दिये किसी भी समय परिवर्तनशील है, और तदनुसार भुगतान करने से पूर्व उनका संशोधित किया जा सकता है। भुगतान योग्य राशि प्रार्थी की उस आयु के उपयुक्त राशि होगी जो कम्यूटेशन पक्का होने के दिनाक के बाद प्रार्थी के आगामी जन्म दिवस को उसकी आयु हो, अथवा यदि चिकित्सा प्राधिकारी निदेशन दे कि उक्त आयु मे वर्ष जोडे जावे तो उसके फलस्वरूप प्राप्त आयु के आधार पर उक्त राशि होगी।

२ ... ... ... को डाक्टरी (यहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद तथा पता भरा जावे) परीक्षा की व्यवस्था करने तथा श्री को परीक्षा का स्थान तथा समय जब वह परीक्षा हेतु उपस्थित होवे निदेशन देने के लिये निवेदन कर दिया गया है। उसे अपने साथ सलग्न प्रपत्र ग लाना चाहिये जिसमे भाग १ मे अपेक्षित विवरण सिवाय हस्ताक्षर के पूरा भर लेना चाहिये।

स्थान ... हस्ताक्षर

वास्ते ... पद

[प्रार्थी का नाम तथा पता]

दिनाक

## प्रपत्र (ग)

द्वारा

(चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पद भरिये)

### डाक्टरी परीक्षा

### भाग १

### पेन्शन का एक भाग कम्यूटेशन करने के लिये प्रार्थी द्वारा विवरण

प्रार्थी को यह विवरण–पत्र

(यहा चिकित्सा प्राधिकारी का नाम भरिये)

द्वारा परीक्षा होने से पहले भर लेना चाहिये और इससे सलग्न घोषणा–पत्र पर प्राधिकारी की उपस्थिति मे हस्ताक्षर करना चाहिये ।

(क) उन प्रार्थियो द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र जो [1][अध्याय २७ पेन्शन का कम्यूटेशन (परिवर्तन) द्वारा शासित होते हो । ]

१ अपना पूरा नाम (बडे ब्लाक अक्षरो मे लिखिये)

२ जन्म–स्थान लिखिये

३ अपनी आयु तथा जन्म दिनाक लिखिये

४ अपने परिवार के सम्बन्ध मे निम्नलिखित विवरण दीजिये —

| पिता की आयु, यदि जीवित हो और स्वास्थ्य की दशा | मृत्यु के समय पिता की आयु तथा मृत्यु का कारण | जीवित भ्राताओ की सख्या उनकी आयु, तथा उनके स्वास्थ्य की दशा |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | |

| माता की आयु यदि जीवित हो और स्वास्थ्य की दशा | मृत्यु के समय माता की आयु तथा मृत्यु का कारण | जीवित बहनो की सख्या उनकी आयु तथा स्वास्थ्य की दशा |
|---|---|---|
| ४ | ५ | ६ |
| | | |

| मृतक बहनो की सख्या और मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण |
|---|
| ७ |
| |

५ क्या आपके निकट सम्बन्धियो मे से किसी को क्षयरोग (कजम्पशन, स्क्रोफुला) कैन्सर, दमा

१ शब्दविली राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय २८ के नियम, पेन्शन का कम्यूटेशन के स्थान पर वित्त विभाग की अधिसूचना स २८ । ५-ए (३०) एफ डी (ए) रूल्स ५७ दिनांक ११ ३ ५८ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

भाग II (द्वितीय)

(जाच करने वाले चिकित्सा, प्राधिकारी द्वारा भरा जायगा

१ आयु जो नजर आती है

२ ऊचाई

३ वजन

४ पेट का घेरा नाभि के स्तर पर

५ नब्ज की रफ्तार—

(क) बैठे हुए।

(ख) खडे हुए।

नब्ज की प्रकृति क्या है।

६ शुद्ध रक्त वाहिनी नलिकाओ की क्या दशा है।

७ रक्त चाप (*blood pressure*)—

(क) हृदय या धमनी का सिद्धान्त (Systolic)

(ख) डायसटोलिक (Diastolic)

८ क्या मुख्य अ गो मे कोई रोग का लक्षण हैं—

(क) हृदय

(ख) फेफडे

(ग) कलेजा

(घ तिल्ली

९ क्या मूत्र की रासायनिक जाच से

(i) अल्यूमेन (ii) शक्कर होना बताती है विशिष्ट गुरुत्व (Specific gravity) बताइये।

१० क्या प्रार्थी के आत उतरने (रपचर) का रोग है ? यदि है तो उसका प्रकार लिखिये और क्या वह कम हो सकता है ?

११ कोई घाव के चिन्ह वा पहचान के निशानो का वर्णन दीजिये।

१२ कोई अतिरिक्त सूचना

भाग III (तृतीय)

मने/हमने क ख की सावधानी से परीक्षा की है और इस राय का हूँ/कि "(या तो अच्छी शारीरिक तन्दुरस्ती का है/नही है और औसत आयु की अवधि होने की सम्भावना है। कम्यटेशन के लिये उचित व्यक्ति नही है।

अथवा (विक्षत जीवन होते हुए भी कम्यूटेशन के योग्य व्यक्ति होने की दशामे)

'चूं कि , से पीड़ित है

इसलिये कम्यूटेशनके प्रयोजन के लिये उसकी आयु अर्थात आगामी जन्म दिवस को उसकी आयु वास्तविक आयु से वर्ष अधिक हानी समझी जावे।

स्थान

दिनाक

प्रति हस्ताक्षरित (उस दशा मे जब वि नियमन लागू होता हो।

जाच करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी
का हस्ताक्षर तथा पद

पुनरावलोकन चिकित्सा प्राधिकारी

## परिशिष्ट IX नवम्

इसमे विभिन्न सक्षम अधिकारियो द्वारा प्रयोग मे लाई जाने वाली शक्तियो का विवरण है। ये शक्तिया राजस्थान सेवा नियमो के नियम ७ (६) (२) के सदर्भ मे सौंपे गये है --

(क) सामान्य (जनरल)

| क्रमाक | सेवा नियम का क्रमाक | शक्ति की किस्म | प्राधिकारी जिसको शक्ति सौंपी गई | सौंपी गई शक्ति की सीमा |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| ११ | ७ (८) (ख) | ऐसी आज्ञा जारी करने की शक्ति जो कतिपय परिस्थितियो मे सरकारी कर्मचारी का ड्यूटी पर होना माना जावे | सरकार के प्रशासकीय विभाग सिवाय उन सवर्ग (cadre) से सम्बन्धित मामलो के जो नियुक्ति विभाग द्वारा नियन्त्रित होते हो जिन मे यह शक्ति उस विभाग द्वारा प्रयोग मे लाई जावेगी। | पूर्ण शक्तिया [२]निम्नलिखित शर्तों के अधीनस्थ होगी अर्थात्—<br>(क) प्रशिक्षण तथा शिक्षा भारत मे होनी चाहिये।<br>(ख) प्रशिक्षण या शिक्षा राज्य कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग में लगाने के समय धारण किये हुए पद से सम्बन्धित होगी।<br>(ग) यह कि सरकार के लिये उस व्यक्ति को प्रशिक्षण या शिक्षा के लिये भेजना अनिवार्य है।<br>(घ) प्रशिक्षण या व्यवसायिक या तकनीकी विषय मे नही होनी चाहिये जो सामान्यतया अध्ययन अवकाश से सम्बन्धित व्यवस्था के अधीन आता हो तथा |

१ वित्त विभाग आज्ञा स० एफ डी १७३१/६० एफ १६ (४) एफ डी ए (रूल्स)/६० दिनाक २१ ४-६० द्वारा स्थानापन्न।

२ वित्त विभाग ज्ञापन स एफ ७ ए (५) एफ डी ए /रूल्स/६० दिनाक २१ ३ ६१ और वित्त विभाग ज्ञापन स एफ १ (२३) एफ डी ई आर/६३/नियम/६२ दि० ४-११-६३ द्वारा निर्मित।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (ड) प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये । (च) केवल स्थानीय कर्मचारियो को ही प्रशिक्षण के लिये भेजना चाहिये । जहा वाछित योग्यता धारण करने वाला कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी किसी विभाग में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध न हो, तो प्रशिक्षण हेतु डेपुटेशन पर अस्थायी कर्मचारी को भेजने हेतु विचार किया जा सकेगा बशर्ते कि — (१) उक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी ने सेवा काल मे कम से कम ३ वर्ष पूरे कर लिये हो ) (२) उक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति नियमित रूप से हुई हो, अर्थात जिस पद को वह धारण करता है उसके लिये निर्धारित शिक्षा तथा आयु की योग्यताओ की वह पूर्ति करता हो, तथा जहा सेवा नियमो के अधीन अपेक्षित हो वहा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहमति प्राप्त करली गई हो । |
| [1]१क | ८ | नियुक्ति पद या पदो पर नियुक्ति के लिये | नियुक्ति विभाग | पूरी शक्तियां |

१ वित विभाग अधिसूचना स एफ १ (८०) एफ डी ए (आर) ६२ दिनाक ४ १२ ६३ द्वारा जोड़ा गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| [1]४४ | २० | अधिकारियों के स्थानान्तर का आदेश देना | विभागाध्यक्ष श्रेणी प्रथम<br>विभाग ध्यक्ष जो प्रथम श्रेणी के न हो। | वे समस्त पदधारी जिनके पदों का अधिकतम वेतन [2] रु० ८००) से अधिक न हो सिवाय उनके प्रभार के अन्तर्गत अराज पत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरी शक्तियां। [3]जिलाधीश जिले के भीतर तहसीलदारों के स्थानान्तर आदेश जारी करने के लिये प्राधिकृत है। |
| [4]४अ | २३ [क] [ख] | पारस्परिक सहमति से नोटिस की अवधि कम करना अथवा सरकारी कर्मचारी की ओर से नोटिस की शर्त परित्याग करना। | नियुक्ति प्राधिकारी | संपूर्ण शक्तियां |
| ५५ | २५ | उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता निर्धारित करने की शक्ति जो नियम ७ (८) (ब) के अधीन ड्यूटी पर होने समझे गये हो। | कोई भी प्राधिकारी जिसको उस पद पर मौलिक नियुक्ति करने की शक्ति है जिसके संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता निर्धारित किया जाना है। | संपूर्ण शक्तियां |

१ वित्त विभाग आदेश सं० एफ ६ (६) एफ० डी० ए० (रूल्स)/५८ दिनांक १६ ६ ५८ द्वारा मौजूदा समपूर्ण के स्थान पर स्थानापन्न।

२ रु० ७५०) के स्थान पर रु० ८००) स्थानापन्न किये गये—वित्त विभाग आदेश सं० एफ० (१) (८५) एफ० डी ए० (रूल्स)/६२ दिनांक ३१ १२ ६२ द्वारा।

३ वित्त विभाग आदेश सं० एफ० ६ (सी) (२) एफ० डी०/ए० आर०/६१, दिनांक १४ ६ ६१ द्वारा जोड़ा गया।

४ वित्त विभाग आदेश सं० डी० ६००५/५८/एफ० ए७ (१४) एफ० डी० ए० (रूल्स)/ ५६ दिनांक २७ जून ५६ द्वारा जोड़ा गया।

५ वित्त विभाग आदेश सं I डी १७३१/६०/एफ १६ (४) एफ डी ए (रूल्स)/ ६० दिनांक २१-४-६० द्वारा स्थानापन्न।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| [2]५क ७ (८) (ख)तथा २५ | | यह आदेश जारी करने की शक्तियाँ कि जिला स्तर तक के राजपत्रित अधिकारी और ए एस अधिकारियों के अतिरिक्त जिनको विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण के के लिये भेजा गया है ड्यूटी पर होना समझे जावे तथा उनके वेतन तथा भत्ते प्रशिक्षण काल के लिये निर्धारित करना। | समस्त विभागाध्यक्ष | सम्पूर्ण शक्तियां |
| ५ख ७ (८) (ख) | | यह आदेश जारी करने की शक्ति जिसमे किसी सरकारी कर्मचारी को जिसे भारत म प्रशिक्षण हेतु या अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया है ड्यूटी पर होना समझा जावे। | महानिरीक्षक, आरक्षी, राजस्थान | पूरी शक्तियां उन सरकारी कर्मचारियो के विषय मे जो वेतन शृंखलाए १ से २६ तक म वेतन उठाते हों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए — (१) यह कि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यक्तियो की सख्या सहित सरकार द्वारा अनुमोदित हो चुका है। (२) महानिरीक्षक आरक्षी को अधिकार है कि प्रशिक्षण के लिये व्यक्तियो का चुनाव किसी अनुमोदित प्रणाली द्वारा कर सकेगा। |

२ वित्त विभाग आदेश सख्या एफ १ (८३) एफ डी ए रूल्स/६२, दिनाक १७-११-६२ द्वारा जोडा गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ६ | २९ | देय वृद्धि रोकने की शक्ति | कोई भी प्राधिकारी जिसे उस पद पर मौलिक नियुक्ति करने का अधिकार हो जो पद सरकारी कर्मचारी धारण किए हुए हो । | सम्पूर्ण शक्तियां |

**नोट**

[1]उन अधिकारियों के विषय में जो राजस्थान न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज से निम्नतर पद धारण किये हुए हों (जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद २३६ (क) में परिभाषित है) ऐसी शक्तियों का प्रयोग राजस्थान उच्च न्यायालय करेगा ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| [2]६क | ३१(ख) | वेतन वृद्धियों हेतु सरकारी कर्मचारियों की असाधारण अवकाश गणना करने की अनुमति देना— | | |
| | | (i) बीमारी के कारण | कोई भी प्राधिकारी जिसे उस पद पर मौलिक नियुक्त करने का अधिकार जो उक्त सरकारी कर्मचारी धारण किए हुए हैं । | सम्पूर्ण शक्तियां |
| | | (ii) विशेष कारणों से जो सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से परे थे । | सरकार के प्रशासनिक विभाग | सम्पूर्ण शक्तियां |
| [3]६ख | ३५ तथा ५० | स्पष्ट अस्थायी रिक्त स्थान के सम्बन्ध में स्थानापन्न | विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी | अधिक से अधिक ४ मास तक के लिये जबकि उक्त पद का उच्चतम वेतन रु० ८००) से अधिक |

१ सामान्य प्रशासन विभ ग आदेश सं एफ २(२६)जी ए /५२ दिनांक अप्रेल ५४ द्वारा जोड़ा गया ।

२ प्रविष्टि सं ६—क वित्त विभाग आदेश सं । डी १७३१/६० एफ १६ (४) एफ डी ए म्लस/६० दिनांक २१-४ ६० द्वारा वर्तमान क्रमांक ६-क को ६-ख के रूप पुनर्गणना करके जोड़ा गया ।

३ वित्त विभाग आदेश सं एफ ६ (६) एफ डी ए / आर/ ५८ दि० १६-६-५८ द्वारा स्थान पन्न किया गया ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | पन्न नियुक्तया करने का अधिकार | | न हो, [1]सिवाय उस पद के लिये जो आर. ए एस अधिकारी द्वारा धारण किया गया हो या किया जाना हो। |
| | | | [2]राजस्थान में मेडिकल कालेजों के मुख्य प्राध्यापक | [2]अधिक से अधिक ४ मास तक के लिये जबकि वेतन श्रृंखला की अधिकतम राशि रु० ९००) मासिक से अधिक न हो। यह १-१९६२ से प्रभावशील होगा। |
| | | II किसी स्थायी रिक्त स्थान पर अस्थायी नियुक्ति करने का अधिकार जब कि नीचे के पद-स्तर से स्थानापन्न पदोन्नति करना संभव न हो | विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी | ४ मास तक जब कि पद की उच्चतम वेतन रु० ८०० से अधिक न हो सिवाय उस पद के लिये जो आर ए एस अधिकारी द्वारा धारण किया गया हो या किया जाना हो। |
| | | II। स्थायी रिक्त स्थान पर अस्थायी नियुक्ति नीचे के पद-स्तर से स्थानापन्न पदोन्नति करके करना | विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी | ४ मास तक जब कि पद का उच्चतम वेतन रु० [3]८०० से अधिक न हो बशर्ते कि उसी स्थान पर उपलब्ध सब से वरिष्ट व्यक्ति की पदोन्नति की गई हो। |

नोट

यदि वरिष्ठता की उपेक्षा की जाती हो तो निकटतम उच्च प्राधिकारी की कारणों सहित पत्र आज्ञा हेतु साथ ही भेज देना चाहिये और ऐसे प्राधिकारी की सहमती लिखित रूप में प्राप्त की जानी चाहिये तथा उसे अभिलेख (रेकर्ड) पर रखना चाहिये।

स्थानापन्न नियुक्तिय करने की शक्ति का उपयोग विभागाध्यक्ष उन मामलों में भी कर सकेंगे जब कि दो पदों का प्रभाव एक व्यक्ति को धारण करना हो जिससे वह भत्ता, या स्थानापन्न

१ (रु ७५०) की जगह रु ८००) स्थानापन्न किये गये-वित्त विभाग आदेश स एफ १ [८५] एफ डी-ए रूल्स/६२ दिनांक-३१-१२-६२ द्वारा।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ ७ (ए) (४३) एफ डी (A) रूल्स/५९ दिनांक ३१-७ ६२ द्वारा जोड़ा गया।

३ रु ७५०) की जगह रु ८००) स्थानापन्न किये गये-वित्त विभाग आदेश स एफ १ (८५) एफ डी ए (रूल्स) ६२ दिनांक ३१-१२-६२ द्वारा।

या विशेष वेतन पाने का हकदार हो जावे ।[1] जब कि अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां करने के विषय में, संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अधीन किसी पद-स्तर के लिये सेवा नियमों में प्रावधान किये हुए हो तो ऐसे प्रावधान ही लागू होंगे और इसके अधीन समर्पण किये गये अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जायगा ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ७ | ३६ | किसी स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन कम करने की शक्ति । | कोई भी प्राधिकारी जिसे संबंधित पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति करने का अधिकार हो | संपूर्ण शक्तियां |
| [2]७क | ३७ | कतिपय सीमाओं के भीतर किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारित करने की शक्ति जिसका वेतन व्यक्तिगत हो और जो किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो | कोई भी प्राधिकारी जिसे उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति करने का अधिकार हो जिस पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है | संपूर्ण शक्तियां |
| ७ख | ३८ | सरकारी कर्मचारी को ड्यूटि पर समझे जाने के बजाय स्थानापन्न [कर्मचारी] पदोन्नतियां करने के सामान्य या विशेष आदेश जारी करने की शक्ति | सरकार का प्रशासन विभाग | संपूर्ण शक्तियां |
| ८ | ४१ | किसी अस्थायी पद का वेतन निश्चित करने की शक्ति जो संभवतया किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जायगा । | कोई भी प्राधिकारी जिसे निश्चित किये गये वेतन पर अस्थायी पद निर्मित करने का अधिकार हो | संपूर्ण शक्तियां |

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (८५) एफ डी (ए)/६२ दिनांक ५–३–६३ द्वारा जोड़ा गया ।

२ वित्त विभाग के आदेश सं एफ डी १७३१/६०/एफ १६ (४) एफ डी ए (रूल्स) ६० दिनांक २१–४–६० द्वारा जोड़ा गया तथा स्थानापन्न किया गया ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ९ | ६.४३ (क) | किसी काय को हाथ मे लेने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति जिसके लिये शुल्क देने का प्रस्ताव और शुल्क मंजूर किया गया हो | समस्त विभागाध्यक्ष | पूरी शक्तिया जो प्रत्येक मामले मे अधिकाधिक रु० ५००) हो। आवर्ती (रेकरिंग) शुल्क होने की दशा मे यह सीमा किसी व्यक्ति को वर्ष भर मे कुल दिये गये आवर्ती व्यय (recurring payments) की जोड पर लागू होगी। |
| १० | ६.४३ (ग) | [1]किसी ऐसे काय को हाथ मे लेने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति-जो कभी कभी होता हो या जो विशेष दक्षता का हो | समस्त विभागाध्यक्ष | [1]अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियो के सम्बन्ध मे पूरी शक्तिया परन्तु इस बात के अधीन कि मानदेय की स्वीकृति प्रत्येक मामले मे निम्न लिखित सीमाओं से अधिक नही होगी। |
| | | जिसमे किसी विशेष अ-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियो को अत्याधिक लम्बे समय (घंटो) तक काय करना हो तथा मानदेय (ऑनोरेरियम) प्रदान करने की शक्ति हो | १ ६० घंटा से कम अति रिक्त काय करने के लिये | कुछ नहीं |
| | | | २ अतिरिक्त काय के लिये जो ६० घंटा या उस से अधिक हो पर किन्तु १२० घंटो से कम हो | एक मास के वेतन से चौथाई [जिसमे विशेष वेतन तथा महगाई वेतन यदि कोई हो तो सम्मिलित है।] |
| | | | (३) अतिरिक्त काय के लिये जो १२० घंटो का हो परन्तु १८० घंटो से कम हो। | आधे मास का वेतन (जिसमे विशेष वेतन, तथा महगाई वेतन, यदि कोई हो तो सम्मिलित है।] |
| | | | (४) अतिरिक्त काय के लिये जो १८० घंटो का हो परन्तु २४० घंटो से कम हो | मास का पौन वेतन (जिसमे विशेष वेतन तथा महगाई वेतन सम्मिलित है, यदि कोई हो।) |
| | | | (५) अतिरिक्त कार्य जो २४० घंटे या इससे अधिक का हो। | एक मास का वेतन (जिसमे विशेष वेतन तथा महगाई वेतन सम्मिलित है यदि कोई हो।) |

१ वित्त विभाग (ई एक्स पी रूल्स) आदेश स एफ १ (३७) एफ डी (ई आर)/६७ दिनांक १६-५-६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

[1]१ राजस्थान सेवा नियम भाग द्वितीय के परिशिष्ट नवम (IX) के क्रमाक १० (जैसा कि वित्त विभाग आदेश स एफ १ (३७) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स)/६३ दिनाक १६ ५-१६६७ द्वारा सशोधित है) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अधीन अ-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियो को मानदेय (ओनोरेरियम) प्रदान करने की शक्ति उपरोक्त आदेश की शर्तों के अधीन रहते विभागाध्यक्षो को सौंपी गई हैं।

२ मानदेय के स्वीकृति पत्र मे निर्दिष्ट विशेषताओ की यर्थाता की जाच करते समद ऑडिट (लेखा परीक्षा) करने वालो को सुगमता दिलाने की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया है कि स्थायी रूप से उपयुक्त अभिलेखा (रेकड) जिसमे निम्नलिखित विवरण हो समस्त रुपया निकालने वाले/वितरण करने वाले अधिकारी रखे।

३ अत समस्त रुपया निकालने वाले/वितरण करने वाले अधिकारियो को आदेश दिया जाता है कि वे एक रजिस्टर **'राजस्थान सेवा नियम भाग द्वितीय के नवम परिशिष्ट की प्रविष्टी १० के अधीन मानदेय की स्वीकृति/भुगतान का रजिस्टर'** नामक निम्नलिखित प्रपत्र में अपने अपने कार्यालयो मे तत्कालिक प्रभाव से रखे जिसे मागने पर लेखा परीक्षा दलो के समक्ष प्रस्तुत किया जावे —

| क्रमाक | वृति भोगी का नाम | आकस्मिक काय/विशेष योग्यता वाले काय का विवरण | अतिरिक्त कार्य का समय (घन्टे) |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |

| अवधि जिस समय अतिरिक्त काय किया गया दिनाक | कब से | कब तक | सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का हवाला स तथा दिनाक | देय राशि |
|---|---|---|---|---|
| ५ | ६ | ७ | ८ | ६ |

| कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर | बिल की स तथा दिनाक का हवाला और वाउचरकी सख्या तथा दिनाक | कार्यालाध्यक्ष के हस्ताक्षर | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| १० | १० | १२ | १३ |

१ वित्त विभाग आज्ञा स० एफ १ (३७) एफ डी (एक्स नियम) ६७, दिनाक २ मार्च ६८ को निविष्ट।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ११ | ५० | किसी सरकारी कर्मचारी का किसी पद का अस्थायी रूप से धारण करने अथवा एक से अधिक पदों पर कार्यकारी रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करने की शक्ति तथा सहायक पदों का वेतन तथा मुख्य वर्जा भत्ता निर्धारित करना | समस्त विभागाध्यक्ष | समस्त शक्तियां बशर्ते कि उनको सम्बन्धित प्रत्येक पद के लिये किसी सरकारी कर्मचारी को मौलिक रूप से नियुक्त करने के अधिकार हो, और बशर्ते यह भी कि पद का स्पष्ट तथा पूरी तरह परिभाषित प्रभार हो अथवा उत्तरदायित्व का क्षेत्र हो। |
| [1]११क | ५० | ऐसे राजपत्रित पद को भरने की शक्ति जो वृत्तिभोगी के अवकाश पर जाने से रिक्त हुआ हो और जिसके लिये किसी अधिकारी को उसके कार्य के अतिरिक्त कार्यभार सौंपना और उसे वित्त विभाग आदेश स. एफ ८ (२८) एफ II/५५ दिनांक ६ ८ १९६३ के अनुच्छेद ५ (३) के अनुसार विशेष वेतन स्वीकार करना। | समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला स्तर के अधिकारीगण | शक्तियों का प्रयोग निम्न लिखित शर्तों के अधीन रहते किया जा सकेगा —<br>(१) अवकाश रिक्ति ६० दिन से अधिक समय के लिये न हो।<br>(२) रिक्त स्थान को भरने के लिये नियुक्त व्यक्ति का मुख्यावास परिवर्तित न हो<br>(३) रिक्त पद की पूर्ति उसी पद स्तर के अधिकारी द्वारा की जाव। |
| १२ | ७१ | अवकाश से लौटने से पूर्व स्वास्थ्य का चिकित्सक प्रमाण पत्र मांगने की शक्ति | सम्बन्धित कर्मचारी को अवकाश प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी | समस्त शक्तियां |
| १३ | ८४ | किसी अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को वापस ड्यूटी पर लेने के लिये, स्वास्थ्य के | अवकाश प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी | समस्त शक्तियां |

१ वित्त विभाग आदेश स. एफ ८ (२८) एफ II/५५/II दिनांक ११-१ ६३ तथा २८-१ ६३ द्वारा जोड़ा गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | सबूत में किसी पजीकृत व्यवसायिक चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने की शक्ति | | |
| ¹१४ | | सब प्रकार का अवकाश प्रदान करने की शक्ति सिवाय ²(अध्ययन अवकाश) तथा विशेष असमथता अवकाश के | ¹ मौलिक नियुक्ति करने केलिये सक्षम प्राधिकारी | ¹ समस्त शक्तिया। उनकी यह शक्तिया अधीनस्थ प्राधिकारियो को सौपने का भी प्राधिकार दिया जाता है (राजपत्रित अधिकारीगण उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जावे) ³ [ ] |

## टिप्पणी

१ निम्नलिखितो को सामान्यतया (अधिकार) पुन समर्पित किया जाना समझा जावे —

⁴ (1) इस बात के अधीन रहते कि किसी स्थानापन्न व्यक्ति (सब्स्टीट्यूट) की आवश्यकता न हो, निम्नलिखित प्राधिकारियो द्वारा कोष्टक २ मे बताये गये अधिकारियो के विषय मे दो मास तक का अवकाश (अध्ययन) तथा असमथता अवकाश के अतिरिक्त) प्रदान किया जा सकेगा —

| प्राधिकारी | अधिकारीगण जिनके विषय मे अवकाश प्रदान कर सकेंगे |
|---|---|
| विभागाध्यक्ष तथा अतिरिक्त विभागाध्यक्ष जो विभागाध्यक्ष की शक्तियो का प्रयोग करते हो | (i) समस्त राजपत्रित अधिकारीगण जो विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर तनात हो अथवा अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पृथक मुख्यालय पर तैनात हो ।<br>(ii) समस्त सयुक्त तथा उप (डिप्टी) विभागाध्यक्ष जो क्षेत्रीय स्तर पर तैनात हो । |
| सयुक्त/उप (डिप्टी) विभागाध्यक्ष जो विभागाध्यक्ष के कार्यालय से सलग्न न हो । | (i) समस्त राजपत्रित अधिकारीगण जो सयुक्त/उप विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर तनात हो और जो सीधे उसके अधीनस्थ हो । |

(१) वित विभाग आदेश स I डी ३१५६/५९/एफ ६ (१६) एफ डी ए रूल्स ५९ दिनाक २० ६ ५८ तथा वित विभाग ज्ञापन स १५७५/६० एफ ६ (१६) एफ डी ए (रूल्स)/५६ दिनाक २० ४ ६० तथा वित विभाग आदेश स एफ ६ (१६) एफ डी ए (रूल्स)/५६ दिनाक १७ १० ६० तथा एफ १ (४१) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स)/६३/दिनाक ५ १२ ६३ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

२ वित विभाग आदेश स एफ १ (४१) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स)/६३ दिनाक ५ १२ ६३ द्वारा जोडा गया ।

३ शब्द 'सिवाय अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति' वित विभाग आदेश स एफ १ (४१) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स)/६३ दिनाक ५ १२ ६३ द्वारा लोपित किये गये ।

४ वित विभाग आदेश स एफ डी १ (६८) एफ डी (ई आर)/६५ दिनाक १४ १२ ६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

| | |
|---|---|
| | (ii) उसके अधीनस्थ समस्त जिला स्तर के अधिकारीगण। |
| जिला स्तर अधिकारी | समस्त राज पत्रित अधिकारीगण जो उनके अधीनस्थ हो। |
| | जब कि स्थानापन्न व्यक्ति (सब्स्टीट्यूट) की आवश्यकता हो, अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा या ऐसे नीचे के प्राधिकारी द्वारा जिसको पदाधिकारियो को स्थानान्तर करने की शक्ति सुपुर्द की हुई हो। |

(ii) समस्त विभागाध्यक्ष अधीनस्थ लेखकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओ के सदस्यों को २ मास तक का अवकाश प्रदान कर सकेंगे।

२ उपरोक्त नोट १ मे बताये गये सामान्य पुन समर्पण के परे भी सम्बन्धित प्राधिकारियो द्वारा जसे आवश्यक समझी जावे सिवाय अध्ययन अवकाश के विषय मे, अधीनस्थ राजपत्रित प्राधिकारियो को अधिकार पुन समर्पण किये जा सकेंगे।

[1]स्पष्टीकरण १ राजस्थान सेवा नियम, भाग II के परिशिष्ट IX (नवम) म क्रमाक १४ क नोट १ के उप खड (i) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है–(जसा कि वह वित्त विभाग आदेश स एफ १ (६८) एफ डी (ई आर)/६५ दिनाक १४ १२-१९६५ द्वारा सशोधित है)।

यह स्पष्ट किया जाता है कि शब्द अतिरिक्त/सयुक्त उप (डिप्टी) विभागाध्यक्ष जो उपरोक्त उप खड म प्रयोग किये गये हैं उनका अर्थ लगाते समय उनसे तात्पर्य उन अधिकारियो से समझा जावे जिनका पद इस नाम का है।

[2]२ राजस्थान सेवा नियम, भाग II के परिशिष्ट IX (नवम) म क्रमाक १४ के नोट १ के उप खड (i) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है (जसा कि वह वित विभाग आदेश स एफ १ (६८) एफ डी (ई आर)/६५ दिनाक १४ १२ १९६५ तथा १३ ७-१९६६ द्वारा सशोधित है)।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अधीक्षक अभियता उप मुख्य अभियता सार्वजनिक निर्माण विभाग की सभी शाखाओ के अवकाश प्रदान करने की उन्ही शक्तियो का प्रयोग करेंगे जो उपरोक्त आदेशों के अधीन उप विभागाध्यक्षो को समर्पण किये गये हैं।

अपवाद १–जिला स्तर [2]अधिकारीगण (१ जिलाधीश २ जिला कृषि अधिकारी, ३ प्रधानाचार्य आयुर्वेदी ४ अधिशासी अभियता, ५ जिला वन अधिकारी, ६ जिला चिकित्सा तथा

---

१ वित्त विभाग आदेश स एफ (६८) एफ डी (ई आर)६६ दिनाक १३ ७ ६६ द्वारा जोडा गया।

२ वित विभाग आदेश स एफ १(६८) एफ डी [ई एण्ड पी रूल्स]/६५ दिनाक ७-१० ६६ द्वारा जोडा गया।

स्वास्थ्य अधिकारी ७ खनिज अभियन्ता, ८ जिला तथा सत्र न्यायाधीश, ९ जिला पशु तथा पशु-पालन अधिकारी, १० समस्त महाविद्यालयो के मुख्य प्राध्यापक, तथा[1] ११ भू-बन्दोबस्त अधिकारी को उनके अधीनस्थ अधिकारियों उप क्षत्रीय अधिकारी [एस डी ग्रो], उप अधीक्षक आरक्षी सहायक अभियन्ता आदि] को २ मास तक के लिये सिवाय असमथता अवकाश के, सब प्रकार के अवकाश प्रदान करने के अधिकार है बशर्ते कि यदि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी की सहमति पत्र या तार द्वारा या टलीफोन पर प्राप्त करलनी चाहिये ।

२ कार्यालयाध्यक्ष उनके अधीनस्थ समस्त अ राज पत्रित कमचारियो को सिवाय अध्ययन और असमथता अवकाश के, सब प्रकार का अवकाश दो मास तक प्रदान करने के लिये अधिकृत है।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| [2]१४ब | ९९ से १०२ | विशेष असमथता अवकाश देने की शक्ति | सरकार प्रशासनिक विभाग म । | पूरी शक्तिया |
| | | | [3] राजस्थान सशस्त्र पुलिस के उपमहा निरीक्षक आरक्षी | [3]अ राज पत्रित आर ए सी के कमचारियो के सम्बन्ध म अवकाश प्रदान करने की पूरी शक्तियां जो दो मास से अधिक नहीं होगी । |
| [4]१४स | | किसी ऐसे राज पत्रित सरकारी कमचारी को अवकाश प्रदान करने की शक्तियां जो भारत म विदेशी सेवा म हो । | १ विदेशी नियोजक | रियायती अवकाश प्रदान करने की पूरी शक्तिया जो १२० दिनोंस अधिक न हो और जो सेवानिवृति से पूर्व दिया जाने वाले अवकाश न हो । |
| | | | २ वह प्राधिकारी जिसने विदेशी सेवा म स्थाना | पूरी शक्तियां |

१ वित विभाग आज्ञा सं एफ ६ [१९] एफ डी ए [आर]/५९ दिनांक २७ ४ ६१ द्वारा जोड़ा गया । इसका प्रभाव २० ८ ६० स होगा ।

२ प्रविष्टी स १४ तथा १८ वित्त विभाग आज्ञा क्रमांक I डी १७३१/६०/एफ (१९) ४, एफ डी ए/रूल्स/६० दिनांक २१ अप्रेल ६० द्वारा जोड़ा गया तथा स्थानापन्न किया गया ।

३ वित्त विभाग आज्ञा स एफ १ (५७) एफ डी [ई एक्स पी रूल्स] ६५ III/III दिनांक २ नवम्बर १९६६ द्वारा जोड़ा गया । इसका प्रभाव ५ ६ ६५ स होगा ।

४ वित विभाग आज्ञा सं एफ १ (७) एफ डी (1) रूल्स/६१ III दिनांक ११ ५ ६२ द्वारा जोड़ा गया ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | न्तर करने की स्वीकृति विदेशो दी नियोजक | |
| [1]१४ग | | किसी ऐसे अ राजपत्रित सरकारी कमचारी को अवकाश प्रदान करने की शक्तिया जो भारत म विदेशी सेवा म हो। | | रियायती अवकाश प्रदान करने की पूरी शक्तिया जो १२० दिनो से अधिक न हो, और जो सेवा निवृति से पूर्व दिया जाने वाला अवकाश न हो। |

## टिप्पणी

विदेशी सेवा मे अ राजपत्रित सरकारी कर्मचारियो को रियायती अवकाश के अतिरिक्त अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायगा जो उस स्थिति मे स्वीकृति प्रदान करता यदि सरकारी कमचारी राज्य मे ड्यूटी पर होता।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| [2]१४घ | | अध्ययन अवकाश प्रदान करने की शक्ति | विभागाध्यक्ष | अ राजपत्रित कमचारियो के विषय मे पूरी शक्तियां |
| | | | प्रशासन विभाग | राजपत्रित अधिकारियो के विषय मे पूरी शक्तिया |
| [3]१४ङ | नियम ४९ | सावजनिक सेवा की अत्यावश्यकता के कारण सेवा निवृति से पूर्व देय तथा आवेदित अवकाश पूर्णतया या आंशिक रूप से अस्वीकार करना | नियुक्ति विभाग | पूरी शक्तिया |
| १५ से १७ | | | लोपित किया गया। | |
| [4]१८ | | (i) किसी राज्य कर्मचारी को विदेशी सेवा (जिसमें अन्य राज्य भी | सरकार के प्रशासकीय विभाग निम्न लिखित शर्तों के अधीन रहते - | पूरी शक्तिया |

१ वित विभाग आदेश स एफ १ (१७) एफ डी (ए) रूल्स ६१ III दिनाक ११ ५ ६१ द्वारा जोडा गया।

२ वित विभाग आदेश स एफ १ [११] एफ डी [ई एक्स पी रूल्स] ६२ दिनांक ५-१२ ६३ द्वारा जोडा गया।

३ वित्त विभाग आदेश स, एफ १ [११] एफ डी (ई एक्स पी रूल्स) ६७/II दिनांक २१ माच ६७ द्वारा जोडा गया।

४ वित्त विभाग आदेश स एफ १६ (४) एफ डी ए (रूल्स) ६० दिनाक १ ४ ६० द्वारा स्थानापन्न।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | सम्मिलित है) मे स्थानान्तर करने की शक्ति तथा उसके वेतन तथा भत्ते निश्चित करना। | [1](1) प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर रखे गये कर्मचारी को निम्नलिखित मे से कोई विकल्प द्वारा द्रव्य उठाने की अनुमति दी जा सकेगी — | |

(क) उस पद श्रृंखला मे वेतन जिस पद पर उसे प्रतिनियुक्ति किया गया है, [2]जैसा कि राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानो के अधीन निश्चित किया जावे अथवा

(ख) मूल विभाग मे मौलिक वेतन, उसका व्यक्तिगत और उसके मौलिक वेतन का २०%प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर से। प्रतिनियुक्ति भत्ता इस प्रकार से प्रतिबंधित रखा जायगा कि कर्मचारी का समय समय पर मूल वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते को मिलाकर उस पद के उच्चतम श्रृंखला से अधिक न हो जो पद प्रतिनियुक्ति पर धारण किया हुआ हो अथवा जब कि प्रतिनियुक्ति वाले पद का एक निश्चित वेतन हो तो वह निश्चित वेतन, (बशर्ते कि हर हालत मे प्रतिनियुक्ति भत्ता रुपये ३००) मासिक से अधिक न होगा)।

## टिप्पणी

१ उक्त प्रयोजन के लिये मौलिक वेतन से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो धारण की गई मौलिक नियुक्ति की श्रृंखला मे उठाया जाता हो अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की श्रृंखला मे कर्मचारी को मौलिक पद स्तर पर वेतन बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी यह प्रमाणित करदे कि यदि प्रतिनियुक्ति नही होती तो वह कर्मचारी अनिश्चित समय के लिये स्थानापन्न नियुक्ति पर जारी रहता। किसी विशेष नियुक्ति पर उठाया गया विशेष वेतन निम्नलिखित परस्थितियो मे मौलिक पद का भाग होना समझा जावेगा बशर्ते कि वह दो वर्ष तक निरंतर उठाया गया हो।

(क) विशेष वेतन राजस्थान असैनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम १९६१ की अनुसूची स २ के भाग ४ मे निर्दिष्ट हो या

ख) विशेष वेतन विशिष्ट पद के लिये हो जो पद के वेतन श्रृंखला मे अतिरिक्त हो।

(ग) विशेष वेतन निर्धारित योग्यताए प्राप्त करने के लिये स्वीकृत किया गया हो।

२ महगाई भत्ता मौलिक राज्य के या अन्य सरकार/विदेशी सेवा के नियमानुसार होगा

१ आखिरी बार वित्त विभाग आदेश स एफ १ (२२) एफ डी ए (रूल्स) ६१ दिनांक ४ ३ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया।

२ वित्त विभाग आज्ञा स एफ १ (२२) एफ डी (ए) ६१ दिनांक ७-८-६३ द्वारा जोड़ा गया।

भर्यात वैतन मौलिक वेतन श्रृंखला मे उठाया गया है या प्रतिनियुक्ति पर धारण किये हुए पद के वेतन श्रृंखला में उठाया गया है, उसके अनुसार नियमित होगा। प्रोजेक्ट (योजना) भत्ता जो योजना क्षेत्र में मान्य हो, प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त उठाया जा सकेगा यदि वह अन्य सरकारी/विदेशी सेवा के कर्मचारियों को स्वीकृत हो।

३ उपरोक्त उप खंड मे उल्लेखित व्यक्तिगत वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते मे सविलीन नही किया जायेगा परन्तु अन्य वेतन वृद्धियो में सविलीन किया जायगा उदाहरणार्थ वेतन वृद्धिया या पदोन्नति या किसी अन्य कारण से वेतन मे वृद्धि होना।

४ यदि प्रतिनियुक्ति के पश्चात कर्मचारी का मौलिक वेतन प्रतिनियुक्ति पर धारण किये गये पद के अधिकतम वेतन से अथवा पद के निश्चित वेतन से बढ जावे, तो जिस तारीख का उसका वेतन ऐसी अधिकतम सीमा से बढ जावे उस दिन से छ महिने की अवधि के लिये परिसीमित हो जायेगा और कर्मचारी को उसके मौलिक विभाग मे वापस भेज देना चाहिये।

५ जब किसी राज्य कर्मचारी का मौलिक वेतन उस पद के अधिकतम वेतन से अधिक हो जहा पर कि उसे प्रतिनियुक्त किया जाना हो तो उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजना चाहिये।

६ उप खण्ड (१) (ख) उन अधिकारियो पर लागू नही होता जिनको प्रतिनियुक्ति पर पचायत समितियों/जिला परिषदो, (राजस्थान राज्यविद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सडक परिवहन नियम) या किसी ऐसे अन्य सस्था मे भेजा जावे जो सरकार विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दे।

७ किसी राज्य कर्मचारी को जिसे प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल मे, राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम मे अथवा किसी ऐसी सरकारी कम्पनी मे भेजा गया हो जिसकी परिभाषा कम्पनी अधिनियम की धारा ६१७ में दी गई है तो प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त बोनस भी दिया जायगा, यदि कोई हो, जब कि ऐसा बोनस राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राज्य सडक परिवहन अथवा सम्बन्धित सरकारी कम्पनी के कर्मचारियों को पेमेन्ट आफ बोनस अधिनियम (केन्द्रिय अधिनियम २१,१९६५) या द्वारा अथवा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम के किसी निर्णय द्वारा बोनस अधिनियम की परिधी के बाहर देय हो बशर्ते कि उक्त बोनस ऐसी प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा से सम्बन्धित हो जो किसी ऐसे लेखा वर्ष मे हुई हो जो १९६४ मे या उसके बाद मे किसी दिन प्रारम्भ हुआ हो।

यह आज्ञाऐं उन कर्मचारियो पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है उनके मामले उन आज्ञाओ से नियमित होंगे जो इन आज्ञाओं के जारी होने से पहले से लागू हैं। जब उनकी वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि और आगे बढाई जावे तो प्रतिनियुक्ति पर उनका वेतन प्रशासकीय विभागो द्वारा सशोधित प्रतिनियुक्ति के अनुसार पुन निश्चित किया जायेगा।

राजस्थान सेवा नियम, भाग २ के परिशिष्ट नवम मे क्रमाक १८ के सामने कोष्टक सख्या चार में बताये गये उप खण्ड [1] के नोट ९ (वित्त विभाग का इसी सख्या का आदेश दिनाक १३ १० ६१) के अनुसरण मे राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि उपरोक्त उप खण्ड ( ) उन राज्य कर्मचारियो पर लागू नही होगा जो राजस्थान होटल निगम मे प्रतिनियुक्ति पर भेजे जावें।

इन आदेशो का प्रभाव होटल निगम के निर्माण की तारीख से होगा।

### टिप्पणी

(i) यह उप खण्ड उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित निगम निकाय और पचायतें समितियो/जिला परिषदा ऐसी अन्य संस्थाओं मे भेजे जावें जो सरकार विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(ii) **यात्रा भत्ता**– उधार लेने वाली सरकार तथा विदेशी नियोजक, यथा स्थिति, के नियमों के अनुसार।

(iii) **अवकाश तथा पेंशन चन्दे का भुगतान**—विदेशी नियोजक या उधार लेने वाली सरकार द्वारा, राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट पत्रम के अनुसार।

[1](iv) **मुआवजा भत्ता**—उधार लेने वाली सरकार अथवा विदेशी नियोजक के नियमो के अनुसार बशर्ते कि यदि कथित भत्ते राज्य के नियमों के अधीन देय मुआवजा (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा यात्रा भत्तो से कम हो तो प्रतिनियुक्ति पर गये हुए व्यक्ति राजकीय नियमो के अनुसार ऐसा मुआवजा भत्ता उठाने का विकल्प चुन सकेंगे।

(v) **चिकित्सा व रियायतें**–राजकीय नियमा के अधीन जो देय हो उससे कम नही होगें।

(vi) **अवधि**—एक समय मे एक वष से अधिक नहीं।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | (ii) | अन्य सरकारो से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति प्राप्त करने की शक्ति | सरकार का प्रशासन विभाग | उन शर्तो के अनुसार जो उपरोक्त (i) मे व्यक्त शर्तो से अधिक उदार न हो। |

[2]**राजस्थान सरकार का निर्णय स १–(लोपित किया गया)।**

[3]**राजस्थान सरकार का निर्णय स २**

उपरोक्त उप खण्ड (i) उन सरकारी कर्मचारियो पर लागू नही होगा जो प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान मे नगर विकास न्यासो पर भेजे जावें। यह आदेश इसके बाद प्रारम्भ होने वाले प्रतिनियुक्ति के मामले पर लागू होगें और ऐसे राज्य कर्मचारी पर लागू होगें जिसके मामले म प्रतिनियुक्ति भत्ता प्रदान करने के आदेश जारी नही हुए है।

ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें जो पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है और जिनको प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल रहा है। वे प्रतिनियुक्ति भत्ता उनके वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने तक उठाना जारी रखेंगें। उनकी वर्तमान अवधि समाप्त होने पर यह आदेश लागू हो जायेगें।

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (१६) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स)/६७ दिनांक ३१ ३ १९६७ द्वारा स्थानापन्न।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (३०) एफ डी (ए) रूल्स/६२ दिनाक ११ ५ १९६२ द्वारा जोड़ा गया, १३ १० ६४ से लागू तथा वित्त विभाग आदेश स एफ १ (२२) एफ डी ए/आर ६१ दिनाक २१ दिसम्बर १९६६ द्वारा निरस्त किया गया लागू दिनाक १ ३ ६६ से।

३ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (२२) एफ डी ए (आर)/६१ दिनाक १९ ४ १९६० द्वारा जोड़ा गया।

[1]अपवाद—राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि अब से आगे लेखापालो को विदशी सेवा मे स्थानान्तर करने की तथा वेतन तथा भत्ते निश्चित करने की शक्तिया मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान द्वारा, कथित परिशिष्ट के क्रमाक १८ मे निर्धारित शर्तों के अधीन रहते प्रयोग मे लाई जायेगी।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| [2]१८क | अस्थाई पद निर्माण करने की शक्ति | सरकार के प्रशासन विभाग | | ४ मास तक —<br>(क) बजट मे विशिष्ट प्रावधान के अन्तगत योजना के लिये आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन रहते, जो जारी हो चुकी हो।<br>(ख) 'कर्मचारी वग' शिषक के अधीन बचत म से बशर्ते है कि पद का अधिकतम वेतन रुपया दो सौ से अधिक न हो।<br>परन्तु शर्त यह है कि<br>(i) यह शक्ति मौजूदा वर्तमान अस्थाई पद की अवधि बढाने के लिए अथवा इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अस्थाई पद का निर्माण करने के लिए न हो।<br>(ii) पदो के निर्माण करने मे जो व्यय हो उसकी पूर्ति किसी अन्य शिषक से निधि हटाकर नहीं की जावें।<br>(iii) उक्त पद किसी ऐसी बडी योजना का भार न हो जिसमे अनेक पद निर्माण करने हो, जिसमे से किसी एक का भी वेतन रुपये २००) से अधिक हो। |

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १(२०) एफ डी ए(ई आर)/६७ दिनाक ३१-३ १९६७ द्वारा जोड़ा गया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ ६(६) एफ डी/ए/आर/५८ दिनाक १९ ६ ५८ द्वारा जोड़ा गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | [1](iv) अस्थाई पद के वेतन की दर उसी प्रकार के अन्य पदों के लिए निर्धारित वेतन शृंखला में हो। |
| [2]१८म | १३६ | कार्य ग्रहण अवधि ( जोईनिंग टाइम ) बढ़ाने की शक्ति | (१) सरकार का प्रशासन विभाग | पूरी शक्तियां ३० दिन की अधिकतम सीमा के भीतर, राजस्थान सेवा नियमों के नियम १३६ में वर्णित परिस्थितियों में। |
| | | | (२) विभागाध्यक्ष श्रेणी प्रथम | सामान्य कार्य ग्रहण अवधि के अतिरिक्त सात दिन तक, राजस्थान सेवा नियमों के नियम १३६ में वर्णित परिस्थितियों में। यह शक्तियां केवल अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाई जायेंगी और कार्य ग्रहण अवधि बढ़ाने का कारण आदेश में अभिलिखित किया जायगा। |
| [3]१८ग | १७५ | असैनिक या युद्ध सेवा को, नियमों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते असैनिक सेवा को पेंशन के लिये गणना करने की अनुमति देने की शक्ति | सरकार का प्रशासनिक विभाग | पूरी शक्तियां |

१ वित्त विभाग आदेश सं ५५२/५९ एफ ६ (६) एफ डी ए (रूल्स) ५७ दिनांक २६ ११ ५९ द्वारा जोड़ा गया।

२ वित्त विभाग आदेश सं एफ ६ (२२) एफ डी ए रूल्स/५९ दिनांक १८-७-५९ द्वारा जोड़ा गया तथा वित्त विभाग आदेश स १ (३२) एफ डी (ई पस पी रूल्स)/६३ दिनांक १-१०-६१

—¹निरास्त किये जा चुके आदेशों के अधीन की गई कार्यवाही यथोचित आदेश के अन्तगत की गई समझी जायगी।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १८घ | २४४ | राज्य कमचारी को ५५ वष की नौकरी के पश्चात सेवा निवत करने की शक्ति— | | पूरी शक्तिया बशर्ते कि नियुक्ति (ए-II) विभाग आदेश स एफ १ (३६) नियुक्ति [ए-II]/ ६३ दिनाक २५-६-६३ में निर्धारित प्रक्रम पालन किया गया हो। |
| | | (१) राज्य सेवा | राज्य सरकार का प्रशासन विभाग | |
| | | (२) अधीन सेवा (राजपत्रित तथा अराजपत्रित पद) | विभागाध्यक्ष | |
| | | (३) लेखा वर्गीय सेवा (राजपत्रित तथा अराजपत्रित पद) | नियुक्ति प्राधिकारीगण | |
| | | २५ वष की अहकारी सेवा के पश्चात राज्य कमचारी की सेवा निवृत करने की शक्तियाँ— | | |
| | | (१) राज्य सेवा | सरकार का प्रशासन विभाग | पूरी शक्तिया बशर्ते कि— (1) किसी सेवा के राजपत्रित अधिकारिया के सम्बघ में उस प्रक्रम का पालन कर लिया गया है जो नियुक्ति 'ए' विभाग के परिपत्र सं एफ २४ [५५] नियुक्ति [ए]/५७ दिनाक १८-८-५० का पठन बाद के परिपत्र दिनाक १७-११-१९५८ तथा ४-१० १९६३ के साथ करने |

१ वित विभाग आदेश सं एफ ७ ए (४३) एफ डी ए रूल्स/५७, दिनाक ३-५-६० तथा आई डी २८८०/६० एफ ६ ए एफ डी ए/रूल्स/५७ दिनांक १-७-६० द्वारा जोडा गया तथा एफ डी आदेश स एफ डी ७ ए (४३) एफ डी ए आर ५७, दिनाक १३-३-१९६६ द्वारा स्थानापन्न किया गया तथा वित विभाग आदेश स एफ १ (२४) एफ डी ए (रल्स) ६२ दिनाक १३-१२-६३ द्वारा प्रतिक्रमण किया गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | से निर्धारित है और जैसा बाद में समय समय पर सशोधित किया जावे। |
| | | (२) अधीनस्थ सेवा [राजपत्रित तथा अ-राजपत्रित] | नियुक्त प्राधिकारीगण | (ii) अधीनस्थ [अ राजपत्रित कर्मचारी वग के सम्बन्ध मे उस प्रक्रम का पालन कर लिया गया है जो नियुक्ति ए II सी और विभाग के परिपत्र स एफ २४ (५५) नियुक्ति (ए) ५७ पी एस आई/ग्रुप II/ सी आर दि० १६ ५ १९६३ द्वारा निर्धारित है और जसा समय समय पर सशोधित किया जावे। |
| | | (३) लेखक वर्गीय सेवा (राज पत्रित तथा अ राजपत्रित पद] | नियुक्ति प्राधिकारीगण | (iii) नियुक्ति (ए II) विभाग द्वारा निर्धारि प्रक्रम (अ राजपत्रित) कर्मचारीवग के विषय म पालन कर लिया जावे। |

**राजस्थान सरकार का आदेश**

[1][ लोपित ]

ख—पेन्शन

| क्रमांक | सेवा नियमों का क्रमांक | शक्ति की किस्म | अधिकारी जिसको शक्ति सुपुर्द की हुई | सुपदगी की सीमा |
|---|---|---|---|---|
| १९ | २७० | असाधारण पेन्शन स्वीकार करने की शक्ति | [2](i) सरकार के प्रशासन विभाग | [2]उन मामलो मे पूरी शक्तियाँ *जिनमें नियमो के अधीन निर्णय* की मान्यता या मान्यराशि के सम्बन्ध मे महालेखापाल, |

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ [४२] एफ डी [ई एक्स पी रूल्स] दिनाक १३ ६ ६७ द्वारा लोपित किया गया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ [७२] एफ डी [ई आर ]/ ६५—II दिनाक २९ १२ ६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रशासन विभाग तथा लोक सेवा आयोग के मध्य कोई मतभद न हो। |
| | | | (ii) (क) अध्यक्ष राजस्व मडले। (ख) महानिरीक्षक आरक्षी। (ग) महानिरीक्षक, कारागार (घ) निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें। | उन राज्य कमचारी के विषय म पूरी शक्तियां जिनके पद की वेतन शृखला मे अधिकतम वेतन रू ३ ५) से अधिक नहो बशर्ते कि स्वीकृति पूर्णतया नियमो के तथा महालेखापाल के प्रतिवेदन के अनुसार हो और शत यह भी होगी कि उसके, महालेखापाल के तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के मध्य निणय की मान्यता तथा मान्य राशि के सम्बन्ध में कोई मतभेद न हो। |
| [1]१९क ५६ (i) | २३९ | जिन व्यक्तियो ने अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करली हो उनके सेवा काल मे वृद्धि करना। | नियुक्ति विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग | निम्नलिखितो के सम्बन्ध मे २८ फरवरी १९७१ तक अथवा उस तारीख तक जिस दिन वह ५८ वष की आयु प्राप्त करे इनमे से जो कोई पहले घटित हो जाय —<br>(१) चिकित्सा अधिकारी जिसमे मेडीकल कालेजो का शिक्षक वग मेडीकल कालज का अ चिकित्सा शिक्षक वग चीफ पब्लिक एनेलिस्ट और चिकित्सा विभाग का महिला नर्सिंग कमचारी वग। |

[1] जी ए डी आदेश स० एफ २(१९)/५५/ जी ए /ए/५२ दिनाक २८ १२ ५४ १३ ७ ५७ के स्थान पर आदेश स० एफ/१८/ (७) एफ II (आर) ५५ दिनाक १ १ ५६ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | [1](२) निम्नलिखित श्रेणियो मे स्थित व्यक्ति जो भौतिकशास्त्र रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र (वनस्पति तथा जन्तु) पढाते हैं—<br>(क) शिक्षा विभाग, कालेजिएट शिक्षा शाखा —<br>(i) विज्ञान मे स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाला स्नातक या स्नातकोत्तर कालेजों के प्रधानाचार्य जो उस विषय मे विभाग के अध्यक्ष (हैड) का कार्य कर रहे हो।<br>(ii) विभागो के अध्यक्ष (हैड)<br>(iii) वरिष्ठ व्याख्याता (लेक्चरार)<br>(iv) डॅमोन्सट्रेटस।<br>(ख) शिक्षा विभाग प्राथमिक तथा माध्यमिक शाखा —<br>(i) निर्धारित योग्यता रखने वाले वरिष्ठ अध्यापकगण।<br>(ii) वेतन शृंखला स० २१ या १७ म बी एस टी सी में विज्ञान के प्रशिक्षक जो विज्ञान म स्नातक हो।<br>(iii) द्वितीय श्रेणी के शिक्षकगण जो विज्ञान मे स्नातक हो।<br>(iv) तृतीय श्रेणी के शिक्षकगण जिनके मैट्रिक म वैकल्पिक विषय विज्ञान हो।<br>(v) स्टेट इन्स्टीट्यूट ग्राफ साइन्स ऐजुकेशन म निदेशक |

१ वित्त विभाग आदेश स० एफ १ (१२) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स)/६७/I क्रमश दिनाक १३ ७ ६७ तथा ३० ६ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया। सशोधन दिनाक ३० ६ ६७ दिनाक १ जुलाई १९६७ से प्रभावशील होगा।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | वरिष्ठ व्याख्याता, व्याख्याता, [1](सहायक निदेशक तथा रिसर्च ऐसिसटन्टस् । |
| | | | | ३ सिर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो पोलीटेकनिक्स तथा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट मे विद्युत यान्त्रिक तथा सिविल इन्जीनियरिंग के विषय पढाते हो । |
| | | | | ४ पोलीटेकनिक तथा इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट म शिक्षण गए जो विद्युत, यन्त्रीकरणो तथा सिविल इन्जीनियरिंग के विषय पढाते हैं । |
| [1]९९क (ii) | | उन व्यक्तियो के सेवा काल में वृद्धि करना जिन्होने अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करली हो । | नियुक्ति विभाग | १२ मास से अधिक अवधि के लिये नही । |
| [2]९९ख (i) | ३४६ | (१) जिन व्यक्तियों का ५८ वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनों तक सेवा काल मे वृद्धि मिल गई हो उन्हे ६० वर्ष तक की आयु तक पुन राज्य सेवा मे नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान | प्रशासन विभाग नियुक्ति विभाग की सहमति से | दिनांक २८ फरवरी १९७१ तक पूरी शक्तियां इस शर्त के अधीन कि वेतन का निर्णय बिना किसी रियायत के निम्नलिखित के विषय मे राजस्थान वित्त विभाग आदेश स० एफ १७६०/५९/एफ १ (१६)/एफ डी /ए/५७ दिनांक ३० १० ५२ तथा डी ६५१०/५९/एफ १ (एफ) (१६) एफ डी /ए/५९ दिनांक |

१ शब्द 'सहायक निदेशक', वित्त विभाग स० एफ० १ (४२) एफ० डी० (ईएक्सपी रूल्स) ६७ दिनांक १६ मई १९६८ द्वारा जोडा गया ।

२ वित्त विभाग आदेश सं० एफ० ६ (२२) एफ० डी० ए रूल्स ५९ दिनांक १८-७ ५९ तथा (एफ० डी० (ईक्सपी० रूल्स) आदेश स० एफ० १ (४२) एफ० डी० (ईएक्सपी रूल्स)/६७ I दिनांक १३ ६ १९६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | करने की शक्ति। | | २०-११ ५९ द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार तय किया जावे —<br>(i) चिकित्सक अधिकारीगण जिसमे मेडीकल कालेज के शिक्षक वर्ग मेडीकल कालेज के अ-चिकित्सक शिक्षक वर्ग, चीफ पबलिक ऐनेलिस्ट तथा पबलिक ऐनेलिस्ट और चिकित्सा विभाग का महिला नर्सिंग कर्मचारी वर्ग। |
| | | [1](२) पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो को ६० वर्ष तक की आयु तक पुन नियुक्ति करने की शक्ति जिन्होंने १९५२ से पूर्व राजस्थान या अजमेर मे शिक्षक के रूप मे सेवा का पद ग्रहण किया हो और जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हो गये हो। | राजस्थान का प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का अतिरिक्त निदेशक | पूरी शक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते—<br>(i) यह कि प्रत्येक मामले म पुन नियुक्ति करने की अनुमति एक एक वर्ष के लिये दी जावे और जबकि उक्त शिक्षक शारीरिक तथा मानसिक रूप मे सक्षम (स्वस्थ्य) हो।<br>(ii) जबकि पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र मे हो तो दो वर्ष की पुन नियुक्ति के पश्चात राजस्थान पबलिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स रेग्यूलेशन के अनुसार लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो।<br>(iii) वेतन का निश्चय राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३३७ मे लिखे प्रावधानो के अनुसार किया जावे। |

१. वित्त विभाग आज्ञा स एफ. १ (४२) एफ डी (ऐक्स पी रूल्स)/६७ दिनांक

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १६ख (ii) | | उन पेन्शनधारियों का पुन नियुक्त करने की शक्ति जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त हो जाने पर सेवा निवृत हो गये हों। | नियुक्ति विभाग | पूरी शक्तियां, इस शर्त के अधीन रहते कि वेतन का निश्चय राजस्थान सरकार के निर्णय, जो वित्त विभाग आदेश स० १७६०/५६ /एफ० १ (एफ) १६ एफ० डी०/ए/ ५७ दिनांक ३० १०-५६ तथा डी० ६५१०/५६ एफ० १ एफ १६ एफ० डी०/ए/ ५६ दिनांक २०-११ ५६ द्वारा जोड़े गये हैं उनमे निर्दिष्ट सूत्रों के अनुसार बिना किसी रियायत के किया जावे। |
| [1]१६ख ३४६ iii | | सरकारी स्कूलो म उन शिक्षकों को पुन नियुक्त करने की शक्ति जिन्हे राष्ट्रीय राज्य एवार्ड जो शिक्षकों के लिये हैं प्राप्त हुआ हो। | प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक | पूरी शक्तियां जब तक उक्त प्राप्तकर्ता ५८ वर्ष की आयु का न हो जावे इस शर्त के अधीन कि पुन नियुक्ति पर वेतन का निश्चय राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३३७ मे लिखे प्रावधानों के अनुसार किया जायगा। यदि उक्त प्राप्तकर्ता यह आयु ३१ अगस्त के पश्चात प्राप्त करें तो पुन नियुक्ति की अवधि शिक्षा सत्र की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकेगी। |

इन संशोधनों का प्रभाव १ ७ १९६७ से होगा।

[2] स्पष्टीकरण —राजस्थान सेवा नियम खण्ड २ के परिशिष्ट IX (नवम) म क्रमांक ११ क(i) तथा १६ ख (i) के सामने कोष्ठक ५ मे लिखित शब्दावली 'महिला नर्सिंग कर्मचारी वर्ग (वित्त विभाग अधिसूचना स एफ १ (४२) एफ० डा० (ई एक्स पी रूल्स)/६७ दिनांक १३ ६-१९६७ द्वारा जोड़ा गया। के अन्तर्गत समाविष्ट सरकारी कर्मचारियों की पद श्रेणियों के विषय म यहां कही संशय व्यक्त किया गया है। एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां को महिला नर्सिंग कर्मचारी वर्ग के रूप में माना जावे —

१ वित्त विभाग आज्ञा स एफ. १ (४२) एफ डा (ई एक्स पी रूल्स/६७ दिनांक ३० ६ ६७ तथा १० ६ ६७ द्वारा जोड़ा गया।

२ वित्त विभाग आदेश स० एफ १ (४२) एफ डा (ई एक्स पी रूल्स)/६७ दिनांक २४ ८ ६७ द्वारा जोड़ा गया

| | |
|---|---|
| १ नर्सिंग सुपरडेन्ट । | २ सिस्टर्स । |
| सिस्टर ट्यूटर्स । | ४ स्टाफ नर्स । |
| ५ लेडी हैल्थ विजिटर । | ६ आर्मि नेरी नर्सिंग मिडव इफ । |

## टिप्पणी

द इ मे प्राशक्षित नही है इसलिये उनका मिडवाइफ नर्सिंग कर्मचारियों म होना नहीं माना जाय ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १६ग | | उन म मचा को पुन नियुक्त प्रदान करके नियमित करने को चाहित जिनम अनियमित रूप से अधि वार्षिकी आयु के बाद भी व्यक्तियो को सेवा मे रख लिया गया हो । | विभागाध्यक्ष | उन म राजपत्रित सरकारी कर्मचारियो के विषय म पूरी शक्तिया जो १ १२ १९६२ से पूर्व सेवा निवृत हो गये हो । बशर्ते कि पुन नियुक्ति पर वतन पेंशन को जोड कर जिसमे मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के बराबर की राशि सम्मिलित है, पिछली बार उठ ये गये वेतन स अधिक न हो और अन्य शर्ते वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जावें । |

## [2] ज्ञापन

राजस्थान सेवा नियम धारा २ के परिशिष्ट IX (नवम) में क्रमांक १६क (1) तथा १६ख (1) के सामने कोष्टक ५ म लिखित शब्दावली 'मेडीकल कालेजो का शिक्षक वर्ग' (वित्त विभाग अधिसूचना स० एफ १ (४२) एफ डा० (ईएक्सपी रूल्स)/६७ I दिनाक १३ ६ १९६७ द्वारा जोडा गया) के अन्तर्गत समाविष्ट सरकारी कर्मचारियो की पद श्रेणी के विषय म कहीं कहीं संशय प्रकट किया गया है । एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि शब्दावली "मेडीकल कालेजो का शिक्षक वर्ग स तात्पर्य उन अधिकारियों से है जिनकी गणना राजस्थान मेडीकल सर्विस (कालेजियट ब्राच) नियम, १९६२ से सलग्न अनुसूची म की हुई है ।

१ वित्त विभाग सं एफ १ (४) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स )/६४ दिनांक १८ १२ ६४ द्वारा जोडा गया । इसका प्रभाव केवल २८ २ ६६ तक ही होगा ।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (३५) एफ डी- (ई एक्स पी रूल्स)/६७ दिनांक २७ मई, १९६८ द्वारा जोडा गया ।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| २० | २६२ | सरकारी कमचारियो की पेन्शन (परिवार पेंशन सहित स्वीकृत करना। | [1] ( ) नियम २६३ (1) (ख) के प्रावधानानुसार | |
| [1]२०क | २१३ | सेवा की कमी क्षमा (कंडोन) करना | (1) विभागाध्यक्ष ३ मास तक<br>(ii) प्रशासन विभाग १२ मास तक वित्त विभाग के परामर्श से | निम्नलिखित शर्तों के अधीन<br>(1) यह शक्तिया केवल उन निम्न वेतन कमचारियो के विषय मे प्रयोग मे ली जायेंगी जो असमर्थता तथा मुआवजा पेंशनो (ईनवेलिड एण्ड कम्पेन्सेशन पेन्शन) पर अग्रसर हो रहे हो।<br>(ii) जबकि (सेवा काल) क्षमा करने (क-डोनेशन) का प्रभाव सरकारी सेवा ५ वर्ष या २० वर्ष बनने का हो, जिसके कारण सरकारी कमचारी या उसका परिवार मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी या परिवार पेंशन राजस्थान सेवा नियमो के नियम २५७ तथा २६१ के अधीन प्राप्त करने का पात्र बन जाता हो,तब इस शक्ति का प्रयोग नही किया जायेगा। |

टिप्पणी

शब्दावली ' निम्न वेतन कमचारियो से तात्पर्य उन कमचारियो से समझना चाहिये जिनका वेतन (जिसमे वेतन के किस्म की सब उपलब्धियां सम्मिलित है) सेवा निवृत होते समय (रु० २००) से अधिक नहीं था।

| २० ख | २१२ | सेवा की रुकावट के लिये क्षमा करना (जो चाहे | सरकार के प्रशासन विभाग | पूरी शक्तियां, जो निम्न लिखित शर्तों के अधीन होगी — |
|---|---|---|---|---|

१ ( ) जी ए डा आदेश स एफ २ (३६) जी ए/ए/५२ दिनांक १३ ५ ५५ द्वारा लोपित किया गया।

२ वित्त विभाग आदेश स० आई डी /५२३३/५६ एफ I (एफ) ६३ एफ डी ए/ ५७ II दिनांक १५ १ ६० द्वारा स्थानापन्न किया गया

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (७५) एफ डी ए रूल्स/६२/II दिनांक २६ ११ ६२ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | पत्र सम्मिलित हो और बाद में किसी विभिन्न राज्य ईकाई, राजा के राज्य या ठिकाने में नियुक्ति हो गई हो। |
| [1]२१ | ३२ | अराजपत्रित कर्मचारियों की पेन्शन को सम्पूर्णतः परिवर्तन करने की स्वीकृति देना। | | नियमों की पालना के अधीन रहते, अधीनस्थ लेखक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों को पूर्ण शक्तियां हैं। |
| [2]२२ | | लोपित किया गया। | | |
| २३ | [3]२४ | किसी सरकारी कर्मचारी को उसका भविष्य निधि (Provident Fund) में जमा राशि में से अस्थायी रूप से राशि स्वीकृत करना— | | नियमों की पालना के अधीन रहते अधीनस्थ लेखक-वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों को पूर्ण शक्तियां हैं। |

## राजस्थान सरकार के आदेश

[3]सं १—पेन्शन के मामले शीघ्रता से निपटाना सुनिश्चित करने हेतु हिजहाईनेस राज प्रमुख ने, राजस्थान सेवा नियमों के नियम २८३ की टिप्पणी का आंशिक संशोधन करते हुए, प्रसन्न होकर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके क्षेत्र के उन समस्त श्रेणियों के अराजपत्रित कर्मचारियों से सम्बन्धित पेन्शन स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की है जो १-४-५० से पूर्व सेवा निवृत हो गये थे परन्तु इस शर्त के अधीन रहते कि यह शक्ति केवल उन मामलों में प्रयोग में ली जावेगी जिसमें पेन्शन तथा/अथवा ग्रेच्युटी की देयता के सम्बन्ध में महालेखापाल का बिना जांच का प्रमाणपत्र अभिलिखित कर दिया गया हो, और इस प्रकार से प्रमाणित राशि की सीमा तक —

| | | |
|---|---|---|
| १ | आरक्षी (पुलिस) विभाग | अधीक्षक आरक्षी। |
| २ | राजस्व विभाग | जिलाधीश |

1. वित्त विभाग आदेश सं एफ ६ (११) एफ डी ए (रूल्स)/५८, दिनांक २८-८-५८ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

2. वित्त विभाग का आदेश सं एफ १६६१/५८ एफ १८ (७)एफ II/५५ दिनांक २८-४-५८ द्वारा लोपित किया गया।

3. वित्त विभाग आदेश सं एफ २१ २ एफ II/५३ दिनांक २१ फरवरी १९५०।

| | | |
|---|---|---|
| ३ | शिक्षा विभाग | पाठशालाओं के निरीक्षक। |
| ४ | चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग | चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक निदेशक। |
| ५ | सार्वजनिक निर्माण विभाग ( पी डब्ल्यू डी ) | अधीक्षक अभियन्ता। |
| ६ | वन विभाग | वनों के संरक्षक (कन्जरवेटर) |
| ७ | सायर तथा आबकारी विभाग | उप आयुक्त, चुंगी तथा आबकारी |

[1]स२—वित्त विभाग आदेश स एफ २१ (२) एफII/५३, दिनाक २१ फरवरी १९५३ जो राजस्थान सरकार के आदेश स १ के रूप मे है, के आगे हिज हाईनेज राज प्रमुख ने प्रसन्न होकर जिला तथा सत्र न्यायाधीशो को उन समस्त श्रेणियो के अ राज पत्रित कर्मचारियो से सम्बधित पेन्शन स्वीकृत करने का शक्ति प्रदान की है जो उनके अधीन काय कर रहे थ और जो १ ४ ५२ से पूव सेवा निवृत हो गये थ यह शक्तिया उपरोक्त प्रसग के आदेश मे निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

[2]स ३—वित्त विभाग आदेश स एफ २१ (२) एफII/५३, दिनाक २१ २ ५३ तथा ६ ५ ५३ के आगे हिज हाईनेस राज प्रमुख ने प्रसन्न होकर की उक्त आदेश में उल्लेखित जिन विभिन्न अधिकारियो को जो मौजूदा पेन्शन शीघ्रता से निपटाने हेतु शक्तिया दी गई है वे अधिकारी वर्त्त मान कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड के जेर तजवीज मामलों को निपटाने के सम्बध मे भी इस शक्ति का प्रयोग करेंगे।

[3]स ४—हिज हाईनेस राज प्रमुख ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किया है कि श्री बी सी दत्त को, जिन्हे १ ४ ५५ से पूव सेवा निवृत होने वाले तथा जो रु २५ से अधिक पेन्शन सभवतया प्राप्त करेंगे उनके पेन्शन के दावे निपटाने हेतु नियुक्त किया गया है ऐसे समस्त मामले निपटाने को पूर्ण शक्तिया प्रदान की जावे। वह उक्त मामलो को अ तिम रूप से निपटाने के लिये सरकार को तथा समस्त अधीनस्थ प्राधिकारियो की शक्तिया प्रयोग करेंगे।

[4]स ५—अ-राजपत्रित सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियो के पेन्शन के मामले शीघ्र गति से निपटाने की दृष्टि से, राज्यपाल ने प्रसन्न होकर निम्नलिखित शक्तिया विशेषाधिकारी (पेन्शन्स) को प्रदान की है। यह शक्तिया उसी मामले मे प्रयोग मे लायी जावेगी जबकि पेन्शन की सभावित राशि रुपया १०० मासिक से अधिक न हो।

१ वित विभाग आदेश स एफ २१ [२] एफ II/५३ दिनाक ६ मई १९५३।
२ वित विभाग आदेश स एफ २१ (२) एफ II/५३, दिनाक १० जुलाई १९५३।
३ एफ ४ (६३) पी एल ओ /एफ (आर)/५५, दिनाक ११ मई १९५५।
४ वित्त विभाग सख्या एफ ६ (२५) एफ डी ए (रूल्स) ५९ दिनाक २२ ९ ५९, ५ ११ ५९ तथा ६-४-६० द्वारा जोडा गया।

| क्रमांक | शक्ति की किस्म | शक्ति की सीमा |
|---|---|---|
| १ | सेवा के क्रम भंग को कण्डोन (क्षमा) करने की शक्ति | निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते, प्रत्येक अवसर पर एक वर्ष तक के लिए—<br>[१] क्रमभंग, सेवा से त्याग पत्र देने, बर्खास्तगी या पृथकीकरण, दुराचरण या दिवालीया होने या अदक्ष होने के कारण नहीं हुआ हो<br>[२] सेवा का क्रमभंग एक सम्रा, वित्त राज्य से अन्य में सेवा परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं हुआ हो। |
| २ | व्यक्तिगत मामलों में राजस्थान सेवा नियमों के नियम २८९ के अधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दी गई समानान्तर गवाही ग्रहण करने का अधिकार | पूरी शक्तियां। |
| ३ | असमर्थता [अशक्तता] की तारीख के पश्चात सहकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को ग्रह कारी सेवा के रूप में ग्रहण करने की शक्ति जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। | पूरी शक्तियां। |
| ४ | अक्षतता प्रमाण पत्र उचित प्रपत्र में नहीं होने पर भी ग्रहण करने की शक्ति | पूरी शक्तियां। |
| ५ | उन मामलों का पुन नियोजन प्रदान करके नियमित बनाने की शक्ति जिनमें सेवा निवृत्ति की आयु से परे किन्हीं व्यक्तियों को अनियमितता से सेवा में रख लिया हो। | पूरी शक्तियां। पुन नियोजन समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत किया जावेगा। |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ६ | सर्विस बुक में अभिलिखित जन्म तिथी में काट कूट तथा उपरिलेखन ( over wri ting ) क्षमा करने की शक्ति तथा अन्तत जन्म तिथी ग्रहण करना | पूरी शक्तिया |
| ७ | राजस्थान सेवा नियमो के नियम २६३ के अधिन पेंशन स्वीकृत करने की शक्ति। | उन मामलो मे पूरी शक्तियाँ जिनमे सम्बंधित व्यक्ति १ ३ ५६ से पूर्व सेवा निवृति हो गये थे और जबकि पेंशन की राशि रु २५ प्रति मास से अधिक होने की सम्भावना न हो। |

टिप्पणी

शक्ति का प्रयोग महालेखापाल द्वारा पेंशन के हक का प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात किया जावेगा।

| | | |
|---|---|---|
| [1]२४ | राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३०८ के अधिन किसी पेंशन धारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्ति प्रदान करना। | जिस जिले से पेंशन उठाई जाती है उसके जिलाधीश को पूरी शक्तिया |
| [2]२५ | राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३१२ (ख) के प्रयोजनार्थ किसी ऐजेन्ट का अनमोदन करना | व्यक्तिगत पेंशनधारी होने के मामले में ऐजेन्टो के सम्बन्ध मे पूरी शक्तिया जिलाधीश को है बशर्त्त कि पेंशन की राशि अस्थाई वद्धि के अतिरिक्त रु १००/ प्रति मास से अधिक न हो जो निम्नलिखित शर्तों के अधिन होगी —<br>[१] एजेन्ट ने पेंशन उठाने के लिए पेंशनधारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्तार नामा प्राप्त कर लिया हो। |

१ जी ए डी आदेश संख्या एफ २(१६) ४ ए/ए/५१ दिनांक १८ ५ १९५४ द्वारा प्रन्त।

२ जी ए डी आदेश स एफ २ (३९) जीए/ए/५४ दिनांक २६ १२ ५४ द्वारा प्रन्त।

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| | | (२) अधिक भुगतान वापस जमा कराने के लिये तथा नियम ३१२ की अन्य अपेक्षाओंकी पूर्तिके लिये एजेन्ट ने उचित इकरारानामा निष्पादित कर दिया हो। (३) अपना कर्त्तव्य पालन करने तथा अधिक भुगतान की गई राशि वापिस जमा करने के योजनार्थ जिलाधीश को एजेन्ट की आर्थिक स्थिति पर संतोष हो जावे। (४) इस मद्द के अधीन दिये गये अनुमोदन का पुनरावलोकन उपरोक्त शर्तों के निरन्तर पालन के विषय में प्रति वर्ष किया जायगा। |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| [1]२६ | ३५६ | किसी पेंशनधारी को किसी वाणिज्य सम्बन्धी नियक्त ग्रहण करने की अनुमति देने की शक्ति | नियुक्त (ए) विभाग | पूरी शक्तियां |

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (३६) एफ डी (ई आर)/६५ दिनांक १६ जुलाई १९६५ द्वारा जोड़ा गया।

## परिशिष्ट X (दसवां)

राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियो द्वारा अपने निजी पेशे (प्राइवेट) प्रेक्टिस मे ली जाने वाली निम्नलिखित फीसो (शुल्क) की सशोधित अनुसूची निर्धारित की है —

### अनुसूची क'

राजस्थान सरकार ने चिकित्सा अधिकारियो द्वारा उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस मै ली जाने वाली फीसो की अनुसूची।

| | दिन (प्रात ६ से साय ८ बजे तक) | रात (साय ८ से प्रात ६ बजे तक) |
|---|---|---|
| १ (१) विशेषज्ञ जो रु० ५०० से १००० के वेतन श्रृखला मे हो | रु० १५/— | रु० २०/— |
| (२) जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जो रु० ४०० से ८०० की वेतन श्रृखला मे हो | रु० १०/— | रु० १५/— |
| (३) सिविल एसिसटेंट—सजन श्रेणी प्रथम | रु० ५/— | रु० ७/— |
| (४) सिविल एसिसटेंट सजन श्रेणी द्वितीय | रु० ३/— | रु० ५/— |
| २ (क) जबकि डाक्टर द्वारा जाच करने में समय ३ घटे तक लगे | नगर पालिका की सीमाओ के भीतर उपरोक्त फीसें लागू होगी अथवा जहा नगर पालिका की सीमाये न हों वहा ५ मील के अध व्यास [घेरे] के भीतर यही फीसें लागू रहगी। ५ से १० मील के अध व्यास मे फासें उपरोक्त से १½ गुणा होगी। | |
| [ख] जबकि समय ३ से ६ घटो के बीच में हो | उपरोक्त दरो से तीन गुणा। | |
| [ग] जबकि समय ६ से १२ घंटो के बीच मे हो, | उपरोक्त दरो से पाच गुणा। | |

[घ] जबकि समय १२ घन्टो से अधिक लगे । पारस्परिक इकरार के अनुसार

३ वाहन व्यय निर्धारित फीस के अतिरिक्त होगा और यदि वाहन रोजी द्वारा दिया हुआ न हो तो निम्नलिखित दर से लिया जायगा —

[क] ५ मील तक के अर्ध व्यास [घेरे] मे रु १) दोनो ओर का ।
[ख] ५ से २० मील तक के अध व्यास मे रु० २) दोनो ओर का ।
[ग] २० मील से अधिक टेक्सी की दर से ।

४ राजस्थान सरकार के कमचारियो तथा उनके परिवारो को ५० प्रतिशत रियायत मिलेगी, उनके वाहन को व्यवस्था अथवा वाहन व्यय उपरोक्त नोट में निर्धारित दरो के अनुसार पूरा लिया जायगा ।

'परिवार मे सरकारी कमचारी की पत्नी [महिला राज्य कर्मचारी होने की दशा, मे पति) पुन, माता, पिता, अवयस्क भ्राता अविवाहित बहनें या पुत्रिया, विधवा बहनें या पुत्र वधुए सम्मिलित हैं, यदि वे उक्त सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया निभर हो ।"

५ केन्द्रीय सरकार के कमचारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमो से शासित होगे ।

अनुसूची 'ख'

राजस्थान सरकार के नर्सिग कमचारी वग द्वारा ली जाने वाली फीस की अनुसूचो —

| | दिन [प्रात ६ बजे से साय ८ बजे तक | रात [साय ८ बजे से प्रात ६ बजे तक |
|---|---|---|
| १ स्टाफ नर्स तथा कम्पाउन्डर प्रथम श्रेणी के | रु० २/— | रु० ३/— सारे दिन के लिये रु० ८ सारी रात्रि के लिये रु० १५/— |
| २ मिडवाइज तथा कम्पाउन्डर द्वितीय श्रेणी के— | रु० १/५० | रु० २) (सारे दिन के लिये रु० २/— (सारी रात्रि के लिये रु० ८/— |
| ५ कम्पाउन्डर श्रेणी तृतीय तथा चतुथ के नस दाइया तथा दाइया | रु० १/— | रु० १/५०/— |

टिप्पणियाँ

१ राजस्थान सरकार के कमचारियो तथा उनके परिवार वालो को ५० प्रतिशत रियायत मिलेगी ।

२ 'परिवार" मे सरकारी कमचारी की पत्नी [महिला राज्य कमचारी होने की दशा में, पति) पुत्र माता पिता, अवयस्क भ्राता, अविवाहित बहनें या पुत्रिया विधवा बहनें, या पुत्र वधुए सम्मिलित हैं यदि वे उक्त सरकारी पर पूर्णतया निर्भर हैं ।

३ उनके वाहन की व्यवस्था या वाहन व्यय नही होगा जो अनुसूची 'क' मे निर्धारित है।

## अनुसूची 'ग'

प्रसव के सचालन करने के लिये फीस की अनुसूची —

| | प्रसव के मामले | |
|---|---|---|
| | सामान्य | असामान्य |
| | रु० | रु० |
| १ विशेषज्ञ जो ५०० १००० की वेतन श्र खला मे हो । | १००/— | १५०/— |
| २ जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी या कनिष्ठ विशेषज्ञ जो ४०० ८०० की वेतन श्र खला मे हो । | ५०/— | ७५/— |
| ३ डाक्टर जो सी ए एस प्रथम श्रेणी के पद स्तर पर हो । | ३०।— | ४५।— |
| ४ डाक्टर जो सी ए एफ द्वितीय श्रेणी के पद-स्तर पर हो । | २५।— | ३७।५० |
| ५ स्टाफ नर्स तथा कम्पाउन्डर प्रथम श्रेणी । | १०।— | १५।— |
| ६ मिडवाइज तथा कम्पाउन्डर, द्वितीय श्रेणी । | ५।— | ६।५० |
| ७ कम्पाउन्डर श्रेणी ततीय तथा चतुथ, और नस दाइया तथा दाईया । | ४।— | ६।— |

### टिप्पणियाँ

१ राजस्थान सरकार के कमचारियो तथा उनके परिवार वालो को ५० प्रतिशत रियायत मिलेगी ।

२ उनके वाहन की व्यवस्था या वाहन व्यय नहीं होगा जो अनुसूची ख' में निर्धारित है ।

३ "परिवार में सरकारी कर्मचारी की पत्नी (महिला राज्य कमचारी होने की दशा मे पति) पुत्र, माता पिता, अवयस्क भ्राता, [　　　　][1] पुत्रियां या बहनें, विधवा बहनें या पुत्र वधुए सम्मिलित हैं यदि वे उक्त सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया निभर हो ।

१ शब्द 'अविवाहित' लोपित किया गया; वित्त विभाग आदेश स० एफ १ (४४) एफ डी (ई एक्स पी रूल्स) ६६ दिनांक ३ ३ १९६७

## अनुसूची 'घ'

आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस में ली जाने वाली फीसो की अनुसूची।

| | दिन (प्रात ६ बजे से साय ८ वजे तक | रात्रि के पश्चात (साय ८ बजे से प्रात ६ वजे तक) |
|---|---|---|
| (क) आयुर्वेदिक महाविद्यालयो के प्रधानाचाय | ५/– | ७/ |
| (ख) प्रोफेसस तथा औषधि विशेषज्ञ | ४/– | ६/ |
| (ग) लेक्चरास (व्याख्याता), वैद्य श्रेणी 'क निरीक्षक तथा सहायक औपधि (अनुसधान) | ३/ | ५/ |
| (घ) वद्य श्रेणी 'ख' तथा 'ग' | २/ | ४/ |
| (ङ) नर्से तथा कम्पाउन्डर्स | १/ | २/ |

२ वाहन,व्यय निर्धारित फीस से अतिरिक्त होगा और अनुसूची 'क' के मद सं ३ में उल्लेखित दर से यदि रोगी वाहन उपलब्ध नही करे, तो लिया जायगा।

II अनुसूची 'ग' के नीचे वतमान टिप्पणी३ मे लिखित शब्द 'पुत्रिया' से पूव शब्द 'अविवाहित' लोपित किया जायगा।

(१) भारतीय सविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल प्रसन्न होकर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

[१](१) ये नियम राजस्थान चिकित्साधिकारी फीस नियम १९६४ कहलाएंगे।

(२) ये राज्य सरकार के काम काज से सम्बन्धित सेवा करने वाले समस्त चिकित्साधिकारियों (Medical officers) पर लागू होंगे।

### टिप्पणी

शब्द चिकित्साधिकारी मे इन नियमो के प्रयोजनाथ चीफ पब्लिक ऐनेलिस्ट' सम्मिलित है।

(३) (1) उप खण्ड (11) के प्रावधान के सिवाय, ये नियम [२]२१ नवम्बर १९२६ से लागू होने समझे जावेंगे।

(11) अनुसूची मे निर्दिष्ट दरें इन नियमों के सरकारी राज पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावशील होगी।

---

१ निदेश, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की पर्ची स ३७ एफ डी ऐरेटिन स एफ १ (४६) एफ डी/ए/आर/६१ दिनाक ३१ १० ६१, स एफ १ (१) (ए) जेन/५५ दिनाक ५ माच १९५५ दारा जोडा गया तथा राजस्थान राज्य पत्र भाग २ क दिनाक २३ अप्रेल १९५५ म प्रकाशित हुआ।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (७७) एफ डी (ई आर) ६५/४ दिनाक ६ १ ६६ द्वारा जोडा गया। इसका प्रभाव २१ ११ ६२ से होगा।

[1](i) 'पशेवर उपस्थिति' से तात्पय किसी सरकारी असपताल मे चिकित्सा के दौरान चिकित्सा के करने या शल्य चीर फाड (आपरेशन) करने से है।

(ii) पेशेवर उपस्थिति से अतिरिक्त' सेवा में विभिन्न प्रयोजनो के लिये डाक्टरी जाच तथा सरकारी प्रयोगशालाओ और सरकारी असपतालों मे किया हुआ कीटाणु सम्बन्धी, (Bacteriological) रोग निदान (Pathologicrl) तथा विश्लेषण (analytical) काय सम्मिलित है।

३ चिकित्साधिकारियो द्वारा प्राइवेट व्यक्तियो से, जो असपताल के किराये के वार्डो मे भर्ती किये गये हो, पेशेवर उपस्थिति के लिये कोई फीस नही ली जायगी।

४ (१) निदेशक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान की सामान्य या विशेष पूव स्वीकृति से, चिकित्साधिकारीगण जनता केन्द्रीय तथा अन्य राज्य सरकारो तथा राज्य सरकार के किसी व्यापारिक विभाग या सरकारी उद्योगो की सेवा, पेशेवर उपस्थिति से अतिरिक्त दे सकेंगे जो इन नियमो की अनुसूची मे बताई गई है और उसी मे निर्दिष्ट दरो से फीस वसूल कर सकेंगे।

परन्तु शत यह है कि कोई चिकित्साधिकारी, किसी ऐसे सामान्य या विशेष आदेशो के अधीन रहते जो इस विषय में राज्य सरकार जारी करे, उस विशेष स्थिति मे दर कम कर सकेगा जिस को वह सवित व्यक्ति की आर्थिक परस्थितियो के कारण, या सावजनिक हित के किसी अन्य कारण से, वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

[1](२) इस प्रकार से प्राप्त की गई फीस राज्य सरकार तथा सेवा देने वाले चिकित्साधिकारी के बीच ३ तथा २ के अनुपात मे विभाजित करली जायगी अथवा जब कि सेवा प्रयोगशाला मे दी गई हो तो सरकार और प्रयोगशाला (लेबारेटरी) के अध्यक्ष के बीच ऐसा विभाजन होगा जो अपने भाग का बटवारा अपने सहायको के साथ इस प्रकार से करेगा जो वह न्यायोचित समझे।

परन्तु शत्त यह है कि किसी विश्व विद्यालय या अन्य परीक्षक सस्था को परीक्षक या व्याख्याता के रूप में दी गई सेवा के लिये प्राप्त पूरी फीस सेवा देने वाला चिकित्साधिकारी अपने पास रख सकेगा।

(३) इस नियम मे व्यक्त कोई बात चिकित्साधिकारियो को सरकारी असपतालो के बाहर जनता को ऐसी सेवा देने से वर्जित करती हुइ नही मानी जायगी जो पेशवर उपस्थिति न हो और जो इन नियमो की अनुसूची मे निर्दिष्ट सेवायें न हो, और राज सरकार द्वारा निर्धारित फीस प्राप्त करने से वर्जित करती हुई नही मानी जायगी।

परन्तु शत यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय किसी निर्दिष्ट चिकित्साधिकारी या चिकित्साधिकारियों को जनता को पशेवर उपस्थिति के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट सेवा या सेवायें देने से वर्जित कर सकेगी।

---

१ वित्त विभाग अधिसूचना स एफ १ (१४) एफ डी (ए) रूल्स/६१ II दिनाक २३ १० ६४ द्वारा जोड़ा गया।

५ (१) सरकार के पक्ष में गवाही देने के लिये न्यायालय द्वारा बुलाया गया (सम्मन से बुलाया गया) कोई चिकित्साधिकारी ड्यूटी पर होना समझा जावेगा और कोई फीस पाने का हकदार नहीं होगा।

(२) सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष मे न्यायालय द्वारा सम्मन से बुलाया गया चिक्त्साधिकारी वह फीस प्राप्त करेगा जो उक्त न्यायालय निश्चित करे परन्तु उसका केवल उतना अश स्वय रख सकेगा जितना उसके आवेदन करने पर निदेशक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामे स्वीकृत करे और शेष राशि राज्य सरकार के खाते मे जमा करायेगा ।

## अनुसूची

### टिप्पणी

यह अनुसूची साधारण ड्यूटी के दौरान किये गये काय पर लागू नही होती ।

| क्रमांक | काय की किस्म | फीस की दर |
|---|---|---|
| १ | शारीरिक योग्यता का प्रमाण-पत्र | रु ५/- यदि एक डाक्टर जाच करे। |
| | (क) सरकारी सेवा के लिये प्रत्याशी के नाम का | रु १६ मडल द्वारा जाँच होने की दशा में। (चुनाव करने वाले तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भेजे गये प्रत्याशी की जाच नि शुल्क की जायगी। |
| | (ख) शिक्षण सस्थानो, जैसे सरकारी तकनीकी कालेजो या प्रशिक्षण स्कूलो में प्रवेश हेतु प्रत्याशी के नाम का | रु ४ |
| २ | पेशन मे परिवर्तन (क्रम्यूटेशन) के लिये डाक्टरी जाच । | रु १६ |
| ३ | (क) विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षण सस्था मे परीक्षक की सेवा के लिये। | वह फीस जो विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षक सस्था निश्चित करे। |
| | (ख) व्याख्याताओ के रूप में सेवा | वह फीस जो अधिकारियों को नियोजित करने वाली सस्था निश्चित करे। |
| ४ | प्रयोगशाला में जांच | |
| ५ | ब्लड (रक्त) | |
| | १ वाशरमन का रिएक्शन | रु १० |
| | २ स्प्रूा का टेस्ट | रु ८ |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| | ३ टोटल डब्लू बी सी काउन्ट | रु ५ |
| | ४ टोटल आर बी सी काउन्ट | रु ५ |
| | ५ हेमोग्लोबिन पी सी | रु २ |
| | ६ ब्लड फिल्म फार डिफरेंशियल काउन्ट | रु ५ |
| | ७ वाइटल टेस्ट टु ऐनी कम्बीनिशन आफ आरगेनिज्मस् | रु ५ |
| | ८ ब्लड फिल्म फार पेरेसाइटस | रु २ |
| | ९ ब्लड कलचर स्टराइल | रु १० |
| | १० ब्लड कलचर विद आइसोलेशन एन्ड इनवेस्टिगेशन आफ स्पेसिफिक ओरगेनिज्मस् | |
| | ११ वाइन बज टेस्ट | रु ५ |
| | १२ ओपसोनिक इन्डेक्स | रु ५ |
| | १३ एलडेहाइड टेस्ट | रु २ |
| | १४ ब्लड यूरिआ | रु ८ |
| | १५ ब्लड कोग्यूलेशन टाइम एण्ड ब्लीडिंग टाइम | रु २ |
| | १६ ब्लड क्लोराइड | रु ८ |
| | १७ ब्लड कैलशियम | रु ८ |
| | १८ ब्लड एलकली रिजर्व | रु ८ |
| | १९ ब्लड कोलोस्ट्रियल | रु ८ |
| | २० ब्लड ग्रूपिंग | रु ५ |
| | २१ फास्टिंग ब्लड शुगर | रु ५ |
| | २२ शुगर टोलेरेन्स टेस्ट, पूरा | रु १५ |
| | २३ सेडिमेन्टेशन रेट | रु २ |
| | २४ एबसोल्यूट वेल्यूज | रु १० |
| ६, | यूरान (मूत्र) | |
| | १ क्वालिटेटिव केमीकल एण्ड फीजीकल | रु २ |
| | २ क्वांटिटेटिव शुगर, एलब्यूमन, यूरिया, ऐसियूटेमे, आदि | रु २ |
| | ३ कलचर इफ स्टराइल | रु १० |
| | ४ केमीकल एण्ड माइक्रोसकोपिकल—दोनो के लिये | रु २ |
| | ५ कलचर विद आइडेन्टिफिकेशन आफ आरगेनिज्मस् | रु १० |
| | ६ यूरिया कन्सेन्ट्रेशन टेस्ट | रु ५ |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ७ | स्टूल (टट्टी) | |
| | १ माइक्रासकॉपिकल | रु २ |
| | २ केमीकल (फैट ऐनेलिसिस) | रु ५ |
| | ३ ओकल्ट ब्लड | रु २ |
| | ४ कलचर | रु १० |
| ८ | स्पुटम (थूक) | |
| | १ फिल्म एग्जामिनेशन | रु २ |
| | २ कलचर आफ टी वी आदि | रु १० |
| | ३ एलब्यूमन टेस्ट | रु २ |
| ९ | पस एण्ड एग्ज्यूडेट्स | |
| | १ माइक्रासकोपिक | रु २ |
| | २ कलचर विद आइडेंटिफिकेशन | रु १० |
| | ३ के एल वी फिल्म एण्ड कलचर स्वाब | रु १० |
| १० | ओप्रोस्पाईनल फ्ल्यूइड | |
| | १ माईक्रोसकापिक | रु ५ |
| | २ सैल काउन्ट | रु ५ |
| | ३ केमीकल फार इनप्रेटलिएटस | रु ५ |
| | ४ कलचर विद आइडेन्टिफिकेशन आफ आरगेनिज्मस | रु १० |
| | ५ लेन्जेस कोलाइडल कोल्ड टेस्ट | रु १० |
| ११ | सेरस फ्ल्यूइड | |
| | १ माइक्रोसकोपिकल | रु २ |
| | २ सैल काउन्ट | रु ३ |
| | ३ कमीकल | रु ५ |
| | ४ डाक ग्राउन्ड इल्यूमिनेशन | रु २ |
| | ५ कलचर विद आइडेंटिफिकेशन | रु १० |
| | ६ जडेकेशचियम रिएक्शन | रु १५ |
| १२ | टिश्यू शेक्शन | रु १५ |
| १३ | फंक्शनल टस्ट मील | रु १० |
| १४ | एनीमल एक्सपरिमेंन्ट | रु १५ |
| १५ | वेसाइन्स एन्टोजेनस | रु १५ |

| | २ | ३ |
|---|---|---|
| ६ | सरकारी अस्पतालो मे उन व्यक्तियो की जाच जब ऐसे जाच की फीस प्राइवेट कम्पनियो द्वारा प्रति पूर्त्ति (Reimbursed) की जाती हो । | वह फीस, जो यदि उपरोक्त प्रविष्टिया मे समाविष्ट न हो तो ऐसी दर से जो, राजस्थान सेवा नियमो (भाग द्वितीय) के परिशिष्ट ७ दसवे मे निर्दिष्ट की हुई हो । |
| १७ | जीवन बीमा के प्रयोजनो से व्यक्ति की डाक्टरी जाच | जीवन बीमा निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित फीस । |
| १८ | प्रिवेन्शन आफ फूड एडलट्रेशन अधिनियम १९५४ के अधीन निजी खरीददारो या स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा भेजे गये खाने की वस्तुओ के नमूने का चीफ/पबलिक ऐनेलिस्ट द्वारा विश्लेपण । | |
| | (i) आटा गुड, गन्ना, चीनी, तथा चाय का परीक्षण | रु ५ |
| | (ii) दूध का रासायनिक परीक्षण | रु ५ |
| | (iii) घी, मक्खन तथा खोया का विश्लेपण | रु ५ |
| | (iv) अन्य खाने की वस्तुओ का विश्लेपण | रु १० |
| II | इन आदेशो का प्रभाव २१ नवम्बर १९६२ से होगा । | |

१ वित्त विभाग अधिसूचना स एफ १ (७७) एफ डी (जी आर)/६५/II दिनांक

## परिशिष्ट XI (ग्यारहवां)

### [1]राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३२७ के अधीन निर्धारित कम्यूटेशन (परिवर्तन) तालिका

| आगे की जन्म तिथि को आयु | कम्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य जो खरीद के वर्षों की सख्या के रूप मे व्यक्त है | आगे की जन्म तिथि को आयु | कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की सख्या के रूप मे व्यक्त है |
|---|---|---|---|
| १७ | २१ ७७ | ५२ | १२ ७१ |
| १८ | २१ ६१ | ५३ | १२ ४० |
| १९ | २१ ४४ | ५४ | १२ ०३ |
| २० | २१ २६ | ५५ | ११ ६५ |
| २१ | २१ ०९ | ५६ | ११ २७ |
| २२ | २० ९१ | ५७ | १० ८९ |
| २३ | २० ७२ | ५८ | १० ५० |
| २४ | २० ५३ | ५९ | १० १२ |
| २५ | २० ३३ | ६० | ९ ७४ |
| २६ | २० १३ | ६१ | ९ ३७ |
| २७ | १९ ९३ | ६२ | ९ ०० |
| २८ | १९ ७२ | ६३ | ८ ६४ |
| २९ | १९ ५० | ६४ | ८ २८ |
| ३० | १९ २८ | ६५ | ७ ९३ |
| ३१ | १९ ०६ | ६६ | ७ ५८ |
| ३२ | १८ ८३ | ६७ | ७ २४ |
| ३३ | १८ ५९ | ६८ | ६ ९१ |
| ३४ | १८ ३५ | ६९ | ६ ५८ |
| ३५ | १८ १० | ७० | ६ २६ |
| ३६ | १७ ८४ | ७१ | ५ ९५ |
| ३७ | १७ ५८ | ७२ | ५ ६४ |
| ३८ | १७ ३१ | ७३ | ५ ३५ |
| ३९ | १७ ०३ | ७४ | ५ ०६ |
| ४० | १६ ७४ | ७५ | ४ ७९ |
| ४१ | १६ ४५ | ७६ | ४ ५२ |
| ४२ | १६ १५ | ७७ | ४ २७ |
| ४३ | १५ ८४ | ७८ | ४ ०२ |
| ४४ | १५ ५२ | ७९ | ३ ७९ |
| ४५ | १५ २० | ८० | ३ ५७ |
| ४६ | १४ ८७ | ८१ | ३ ३७ |
| ४७ | १४ ५३ | ८२ | ३ १८ |
| ४८ | १४ १९ | ८३ | ३ ०१ |
| ४९ | १३ ८४ | ८४ | २ ८६ |
| ५० | १३ ४९ | ८५ | २ ७३ |
| ५१ | १३ १३ | | |

टिप्पणी —यह तालिका ३ ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर आधारित हैं तथा २४ ९ ५९ से लागू हुई है।

[1] वित्त विभाग आदेश स डी २३६/६० एफ ७ ए (११) एफ डी ए/रूल्स/५९ दिनांक १६ मार्च १९६० द्वारा स्थानापन्न किया गया।

[1]कम्यूटेशन तालिका जो राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३२७ के अधीन निर्धारित है तथा १ अप्रैल १९६२ से प्रभावशील हैं।

रु० १) प्रति वर्ष की पेंशन के लिये कम्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य

| आगामी जन्म तिथि की आयु | कम्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य जो खरीद के वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त है | आगामी जन्म तिथि की आयु | कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त है |
|---|---|---|---|
| १७ | २१ १० | ५२ | १३ ०५ |
| १८ | २० ०७ | ५३ | १२ ७० |
| १९ | २० ९५ | ५४ | १२ ३६ |
| २० | २० ८२ | ५५ | १२ ०१ |
| २१ | २० ६८ | ५६ | ११ ६५ |
| २२ | २० ५४ | ५७ | ११ ३० |
| २३ | २० ४० | ५८ | १० ९५ |
| २४ | २० २४ | ५९ | १० ५९ |
| २५ | २० ०८ | ६० | १० २३ |
| २६ | १९ ९२ | ६१ | ९ ८८ |
| २७ | १९ ७५ | ६२ | ९ ५२ |
| २८ | १९ ५७ | ६३ | ९ १७ |
| २९ | १९.३८ | ६४ | ८ ८२ |
| ३० | १९ १८ | ६५ | ८ ४७ |
| ३१ | १८ ९८ | ६६ | ८ १२ |
| ३२ | १८ ७७ | ६७ | ७ ७८ |
| ३३ | १८ ५५ | ६८ | ७ ४५ |
| ३४ | १८ ३३ | ६९ | ७ ११ |
| ३५ | १८ ०९ | ७० | ६ ७९ |
| ३६ | १७ ८५ | ७१ | ६ ४७ |
| ३७ | १७ ६० | ७२ | ६ १६ |
| ३८ | १७ ३४ | ७३ | ५ ८६ |
| ३९ | १७ ०८ | ७४ | ५ ५७ |
| ४० | १६ ८० | ७५ | ५ २८ |
| ४१ | १६ ५२ | ७६ | ५ ०१ |
| ४२ | १६ २३ | ७७ | ४ ७४ |
| ४३ | १५ ९४ | ७८ | ४ ४८ |
| ४४ | १५ ६४ | ७९ | ४ २४ |
| ४५ | १५ ३३ | ८० | ४ ०० |
| ४६ | १५.०२ | ८१ | ३ ७८ |
| ४७ | १४ ७० | ८२ | ३ ५७ |
| ४८ | १४ ३८ | ८३ | ३ ३६ |
| ४९ | १४ ०४ | ८४ | ३ १७ |
| ५० | १३ ७२ | ८५ | २ ९९ |
| ५१ | १३ ३९ | | |

[1] वित्त विभाग [illegible] न एफ१ (३) एफ डी ए/रूल्स/६२ दिनांक २२ ५ १९६२ द्वारा [illegible]।

[1]कम्यूटेशन तालिका, जो नियम ३२७ के अधीन निर्धारित है और जो १ नवम्बर १९६३ से प्रभावशील है।

रु० १) प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए कम्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य

| आगामी जन्म तिथि को आयु | कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की सख्या के रूप में व्यक्त है | आगामी जन्म तिथि को आयु | कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की सख्या के रूप में व्यक्त है। |
|---|---|---|---|
| १७ | २० ३३ | ५२ | १२ ७५ |
| १८ | २० २२ | ५३ | १२ ४२ |
| १९ | २० ११ | ५४ | १२ ०९ |
| २० | १९ ९९ | ५५ | ११ ७५ |
| २१ | १९ ८७ | ५६ | ११ ४२ |
| २२ | १९ ७५ | ५७ | ११ ०८ |
| २३ | १९ ६१ | ५८ | १० ७३ |
| २४ | १९ ४८ | ५९ | १० ३९ |
| २५ | १९ ३३ | ६० | १० ०५ |
| २६ | १९ १८ | ६१ | ९ ७० |
| २७ | १९ ०३ | ६२ | ९ ३६ |
| २८ | १८ ८६ | ६३ | ९ ०२ |
| २९ | १८ ६९ | ६४ | ८ ६८ |
| ३० | १८ ५१ | ६५ | ८ ३४ |
| ३१ | १८ ३२ | ६६ | ८ ०० |
| ३२ | १८ १३ | ६७ | ७ ६७ |
| ३३ | १७ ९३ | ६८ | ७ ३४ |
| ३४ | १७ ७२ | ६९ | ७ ०२ |
| ३५ | १७ ५० | ७० | ६ ७० |
| ३६ | १७ २८ | ७१ | ६ ३९ |
| ३७ | १७ ०५ | ७२ | ६ ०९ |
| ३८ | १६ ८० | ७३ | ५ ८० |
| ३९ | १६ ५६ | ७४ | ५ ५१ |
| ४० | १६ ३० | ७५ | ५ २३ |
| ४१ | १६ ०४ | ७६ | ४ ९६ |
| ४२ | १५ ७७ | ७७ | ४ ७० |
| ४३ | १५ ४९ | ७८ | ४ ४५ |
| ४४ | १५ २१ | ७९ | ४ २० |
| ४५ | १४ ९२ | ८० | ३ ९७ |
| ४६ | १४ ६२ | ८१ | ३ ७५ |
| ४७ | १४ ३२ | ८२ | ३ ५४ |
| ४८ | १४ ०२ | ८३ | ३ ३४ |
| ४९ | १३ ७१ | ८४ | ३ १५ |
| ५० | १३ ३९ | ८५ | २ ९७ |
| ५१ | १३ ०७ | | |

[1] वित्त विभाग आदेश स एफ १ (४६) एफ डी एफ (व्यय नियम) ६३ दिनांक १६ १२ ६३ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

## [1]राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३२७ के अधीन निर्धारित कम्यूटेशन (परिवर्तन) तालिका जो १-१ १६६७ से प्रभावशील हुई

### रु १) प्रतिवर्ष की पेन्शन के निए कम्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य

| आगामी जन्म तिथि को आयु | कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की सख्या के रूप मे व्यक्त है। | आगामी जन्म तिथि को आयु | कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की सख्या के रूप मे व्यक्त है। |
|---|---|---|---|
| १७ | १६ २४ | ५२ | १२ ५० |
| १८ | १६ १५ | ५३ | १२ २० |
| १६ | १६ ०६ | ५४ | ११ ८६ |
| २० | १८ ६६ | ५५ | ११ ५८ |
| २१ | १८ ८६ | ५६ | ११ २६ |
| २२ | १८ ७६ | ५७ | १० ६४ |
| २३ | १८ ६४ | ५८ | १० ६२ |
| २४ | १८ ५३ | ५६ | १० २६ |
| २५ | १८ ४० | ६० | ६ ६७ |
| २६ | १८ २८ | ६१ | ६ ६४ |
| २७ | १८ १४ | ६२ | ६ ३१ |
| २८ | १८ ०० | ६३ | ८ ६६ |
| २६ | १७ ८५ | ६४ | ८ ६६ |
| ३० | १७ ७० | ६५ | ८ ३४ |
| ३१ | १७ ५४ | ६६ | ८ ०१ |
| ३२ | १७ ३७ | ६७ | ७ ६६ |
| ३३ | १७ २० | ६८ | ७ ३७ |
| ३४ | १७ ०१ | ६६ | ७ ०६ |
| ३५ | १६ ८२ | ७० | ६ ७५ |
| ३६ | १६ ६२ | ७१ | ६ ५४ |
| ३७ | १६ ४२ | ७२ | ६ १५ |
| ३८ | १६ २० | ७३ | ५ ८६ |
| ३६ | १५ ६८ | ७४ | ५ ५८ |
| ४० | १५ ७५ | ७५ | ५ ३० |
| ४१ | १५ ५२ | ७६ | ५ ०३ |
| ४२ | १५ ७२ | ७७ | ४ ७८ |
| ४३ | १५ ०२ | ७८ | ४ ५२ |
| ४४ | १४ ७६ | ७६ | ४ २८ |
| ४५ | १४ ५० | ८० | ४ ०५ |
| ४६ | १४ २३ | ८१ | ३ ८३ |
| ४७ | १३ ६६ | ८२ | ३ ६२ |
| ४८ | १३ ६८ | ८३ | ३ ४२ |
| ४६ | १३ ३६ | ८४ | ३ २३ |
| ५० | १३ १० | ८५ | ३ ०४ |
| ५१ | १२ ८० | | |

टिप्पणी —यह तालिका ४ ७५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की व्याज की दर पर आधारित है।

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (१०) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनाक २१ मार्च

## परिशिष्ट (बारहवां)

### भाग १

सेवायें जो विशेषतया चतुर्थश्रेणी सेवाओं (निम्न) के रूप में वर्गीकरण की हुई हैं समस्त विभागो में इन वर्गो के पद धारी, जैसे कि –

१ कारीगर (लौहार, सुथार, वेल्डिंग करने वाले, टर्नर्स, रगसाज, आदि)।
२ ऐटेंडेंट (हाजरिये)—गेलेरी या दीर्घा एटेन्डेट, वाड एटेंडेट, असपताल एटेन्डेट, रिपीटर एटेन्डेंट सब स्टेशन एटेन्डेंट सम्मिलित हैं।
३ नाई (बारबर)
४ बरक-दाज।
५ भिश्ती।
६ जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दसाज।
७ बोहारिया।
८ बॉयेज—पुस्तकालय बॉयेज, टेलीफोन बॉयेज, पेट्रोल बॉयेज, तथा वार्ड बॉयेज सम्मिलित हैं।
९ बन्डल लिफ्टर्स (बन्डल उठाने वाले)।
१० पॉलिश करने वाले (बर्निशर्स)।
११ गाडी वाले।
१२ गाडी हाकने वाले।
१३ चवालिये।
१४ चौकीदार।
१५ चैनमैन (जजीर उठाने वाले)।
१६ सिनेमा के नौकर।
१७ खलासी (क्लीनस)।
१८ रसोइये (कुक्स)
१९ कूली।
२० दफेदार।
२१ दफ्तरी।
२२ दाइयें तथा मिडवाइफ।
२३ डाक—वाहक।
२४ कपडे पहनाने वाले (ड्रेसर्स)
२५ फराश।
२६ फिल्टर ऑपरेटेस।
२७ गाडनर्स (हाली, माली चौधरी, आदि)।
२८ गैंग मेट तथा गैंग मैन (गैंग में काम करने वाले)
२९ गेटपास चैक करने वाले।

३० गेट कीपस तथा गेट सार्जिन्ट्स (फाटक पर पहरा देने वाले)।

३१ पहरदार (गार्डस्) खजाने के पहरेदार वन के पहरदार, प्राइवेट के पहरेदार रिजर्व गार्डस् सम्मिलित हैं।)

३२ हरकारा।

३३ हैल्पर्स (सहायक)

३४ होशनाक।

३५ जमादार।

३६ कसावारिये

३७ खलासी।

३८ मजदूर—स्थायी मजदूर तथा दक्ष मजदूर (प्रवीणश्रमिक)

३९ लिफ्ट मैन (लिफ्ट पर काम करने वाला)

४० लाइन बलदार।

४१ मेट तथा हैड (मुख्य) मेट,

४२ [1]लोपित।

४३ मोचिया।

४४ निग्रान तथा निग्रानेदार सहायक निग्रान तथा निग्रानेदार सहित।

४५ अर्दली।

४६ पेकर्स (पेकिंग करने वाले)।

४७ पैदल।

४८ पैट्रोलर्स।

४९ पीओन्स (चपरासीगण)

५० रेकार्ड-लिफ्टर्स (रेकार्ड उठाने वाले)।

५१ सड़क के जमादार।

५२ शेहणा।

५३ शिकारी।

५४ सवार जैसे साइकल सवार, कैमल सवार, शुतर सवार, घुड़सवार, डाक सवार।

५५ झाड़ू लगाने वाले (स्वीपर्स)।

५६ सईस।

५७ दर्जी (टेलर्स)।

५८ टनकीज तथा सहायक टनकीज।

५९ वार्ड्स।

६० वार्ड मेट।

६१ धोबी (वॉशरमन)।

६२ पानी वाला (वाटरमैन)।

१ वित्त विभाग अधिसूचना सं. एफ १२ (एफीइटस ऐं)/५६ दिनांक ११ ४ ५६ द्वारा लोपित किया गया।

६३ कृपक (कल्टीवेटर)।
६४ गडरिये।
६५ ढोल।
६६ मूर्ता।
६७ भडारी।
६८ वेटर (बेहरे)।
६९ मशालची।
७० बवर्ची (पेन्ट्रीमैन)।
७१ स्टीवार्डस या बटलर।
७२ आबदार।
७३ हलवाई।
७४ बेकर्स (डबलरोटी पकाने वाले)।
७५ बेयरस् (बेहरे)।
७६ बेलदार।
७७ बोइलर एटेन्डेन्टस।
७८ [1]लोपित।
७९ खनिजो के पहरेदार (माइन्स गार्डस)
८० पापस्तिया।
८१ मिस्त्री।
८२ पहरायती।
८३ सरवण।
८४ टिनमैन (टीन का काम करने वाले)
८५ [2]लोपित।
८६ स्टोर मैन (भडार गृह का आदमी)।
८७ पर्दे आदि बनाने वाले (अपहोल्सटस)
८८ चमकार (चमडे का काम करने वाला)।
८९ रगरेज।
९० लश्कर।
९१ सेनिटरी सुपरवाइजर (सफाई पयवेक्षक)।
९२ सिनेमा ऑपरेटर (सिनेमा की मशीन चलाने वाले
९३ नादर ड्योढी।
९४ नादर खिडकिया।
९५ दरवान।

---

१ अधिसूचना स एफ ३ (१७) एपोइन्टस-ए/६२ दिनाक २१-८-६२ द्वारा लोपित किया गया।

२ नियुक्ति विभाग आदेश स एफ १८ (१६) एपोइन्टस ए/५६ दिनाक ११ ४-५६ द्वारा लोपित किया गया।

९६ हाजारो।
९७ न्योर्गा।
९८ प्रोवीजन पीअन (खाद्य सामग्री पर चपरासी)।
९९ कोच बनाने वाला।
१०० ढालने वाला।
१०१ वुलकेनाइज करने वाला।
१०२ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाला।
१०३ बेटरी वाला आदमी।
१०४ मोची।
१०५ रंग करने वाला या चित्रकार (पेन्टर)।
१०६ कोठारी देवस्थान विभाग।
१०७ भंडारी, देवस्थान विभाग।
१०८ रोकडिया, देवस्थान विभाग।
१०९ तोषाखानी। ,, ,,
११० प्रविशोखी ,, ,,
१११ वालभोगी। ,, ,,
११२ शुभ चिन्तक। ,, ,,
११३ रसोइया। ,, ,,
११४ टहलवा। ,, ,,
११५ झपटिया। ,, ,,
११६ कीर्त्तनिया। ,, ,,
११७ चोबदार। ,, ,,
११८ हरकारा। , ,,
११९ पोशाकी देवस्थान विभाग।
१२० जल धारी।
१२१ केयर टेकर (रखवाला)
१२२ टैक्स कलेक्टर।
१२३ सहायक ववर्ची (पेन्ट्रीमन)।
१२४ मशीन मैन (मशीन पर काम करने वाला)।
१२५ फाम बोएज (खेत पर काम करने वाला)।
१२६ मुख्य हाली।
१२७ हाली।
१२८ मछुवा।
१२९ हैड मेट (देवासा)
१३० धोबी।
१३१ प्रोसेस सर्वेस (तामील कुनदा)।
१३२ [illegible]

१३३ कुशल बुनकर, श्रेणी २, टविस्टर माटस्र (वट देने वाला शिक्षक)।
१३४ सहायक बुनकर शिक्षक, मिलर, फिनिशर, सूत का सहायक बुनकर, बोइलर पर काम करने वाला।
१३५ चमडे का काम करने वाला।
१३६ तोलने वाला।
१३७ प्रोजेक्ट आपरेटर (योजना में मशीन चलाने वाला)।
१३८ गेज रीडस (माप-यन्त्र का पठन करने वाले)।
१३९ प्रयोगशाला का सामान लाने लेजाने वाले (शिक्षा विभाग)।
१४० प्रयोगशाला का नौकर (शिक्षा विभाग)।
१४१ ब्लेक्स्मिथ (लौहार)।
१४२ कारपन्टर (सुथार)।
१४३ टर्नर।
१४४ बाजा वाला, देवस्थान विभाग।
१४५ सारंगिया, ,,
१४६ पखावजिया, ,,
१४७ वाड-दार, ,,
१४८ मुखिया, ,,
१४९ पुजारी ,,
१५० भीतरिया, ,,
१५१ भपटिया देवस्थान विभाग।
१५२ देश-का-गोसवान, ,,
१५३ मशालची ,,
१५४ प्रचारक ,,
१५५ शहनायची ,,
१५६ [1]भाड का रखवाला (एटेन्डेन्ट)
१५७ [1]ग्वाले तथा हाली।
१५८ [1]एक सहायक गैस मैन।
१५९ [2]मेन्यूअल सहायक।
१६० [3]नक्शे रखने वाला।
१६१ [3]फरीवाला आदमी।
१६२ [4]डिजन का काम करने वाले लडके।

---

[1] नियक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२७) एपोइन्ट्स (ए)/६१/ग्रुप III, दिनांक २२-२ ६१ द्वारा जोडा गया।

[2] ,, ,, ,, एफ ३ (३३) ऐपोइन्टस/ए/ दिनांक २४-१ ६२ द्वारा जोडा गया।

[3] अधिसूचना स एफ ३ (१७) एपोन्टस (ए)/६२ दिनांक २१ ८ ६२ द्वारा जोडा गया।

[4] ,, ,, एफ ३ (१) ,, (ए)III/६४ दिनांक ७ १ ६४, ,,

१६३ [1]पोर्टर्स (कुली)।
१६४ [2]लश्कर।
१६५ [3]प्रयोगशाला के लडके।
१६६ [4]मरम्मत करने वाले (मेन्डस)।

सेवायें जो विशेषतया श्रेष्ठ श्रेणी में वर्गीकृत हुई हैं क–राज्य सेवायें अथवा राज-पत्रित पद

I निम्नलिखित सेवाओ मे सम्मिलित पदधारी।
१ राजस्थान प्रशासकीय सेवा।
२ राजस्थान न्यायिक सेवा।
३ राजस्थान पुलिस सेवा।
४ राजस्थान लेखा सेवा।
५ [4]राजस्थान सचिवालय सेवा।

II नीचे गणना किए हुए अन्य पदाधिकारी।

कृषि विभाग

क – कृषि शाखा
१ कृषि निर्देशक।
२ उप निर्देशक।
३ कृषि के सहायक निदेशक।
४ प्रशासन सहायक।
५ आर्थिक वनस्पतिज्ञ,
६ कृषि रसायनिक।
७ एन्टोमोलोजिस्ट (शस्य वैज्ञानिक)।
८ माइकोलोजिस्ट (पौध व्याधिविज्ञ)।
९ सांख्यिकी।
१० कृषि अभियन्ता।
११ सहायक कृषि अभियन्ता।
१२ हाइड्रोलोजिस्ट (जल विशेषज्ञ)।
१३. बुनियादी कृषि पाठशाला का अधीक्षक।
१४ जिला कृषि अधिकारी।
१५ फल विशेषज्ञ।

---

१ अधिसूचना सं एफ १ (१) एपोइन्ट्स (A) III/५४ दिनांक ७ १ ५४
२ " " एफ १ (२१) " (ए) III/५३ दिनांक १२ ९ ५५ "
३ " " एफ १ (१२) " (ए)/५४ दिनांक १८ ५४ "
४ " एफ (११) , (III)/५५ दिनांक ८ ११ ५५ "

१६ क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी।
१७ पशु-पालन अधिकारी।
१८ दुग्धशाला विकास अधिकारी।
१९ प्रधानाचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा उच्च विद्यालय, बीकानेर।
२० जिला पशु चिकित्सा अधिकारी।
२१ सहायक पौध संरक्षण अधिकारी।
२२ [1]सहायक भू संरक्षण अधिकारी।
२३ [1]प्रभार अधिकारी, कनिष्ट कर्मचारियों का प्रशिक्षण केन्द्र।

ख—पशुधन शाखा

१ उप निदेशक।
२ सहायक निदेशक, पशु चिकित्सा।
३ अधिकारीगण प्रथम श्रेणी।
४ ,, द्वितीय श्रेणी।
५ गोशाला विकास अधिकारी।
६ पशु धन विकास अधिकारी।
७ अधीक्षक पशु चिकित्सक
८ सहायक पशु चिकित्सक।

पुरातत्व तथा अजायबघर विभाग

१ मुख्य अधीक्षक।
२ अधीक्षक।
३ क्यूरेटर (अजायबघर का अध्यक्ष)।
४ [2]पुरातत्व व सावनिज्ञ।
५ [3]खोज तथा खुदाई अधिकारी।
६ [3]न्यूमिजमेटिस्ट (मुद्रा विशेषज्ञ)।

उड्डयन विभाग

१ मुख्य चालक (पाइलट)।
२ चालक (पाइलट)।
३ भूमि अभियन्ता।
४ रेडियो आपरेटर (रेडियो पर काम करने वाला)।

आयुर्वेदिक विभाग

१ निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग।
२ औषधशाला का प्रभारी व्यवस्थापक।

---

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ २ (५) एपोन्टस ए/६२ दिनांक २५ ३ ६२ द्वारा अन्त स्थापित किया गया।

२ ,, ,, ,, स एफ २ (१) ऐपोन्टस (ए)६४ दिनांक १७ ६-६४ द्वारा जोड़ा गया।

३ ,, ,, स एफ ३ (३), (ए)/६५, दिनांक अप्रेल ६५ द्वारा जोड़ा गया।

३ आयुर्वेदिक महा विद्यालय का प्राध्यापक (प्रोफेसर)।
४ उप निदेशक।

जनगणन विभाग—[1]लोपित।

सर्किट हाउसेज

१ अधीक्षक, राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर।
२ भण्डारग्रहो के निरीक्षक (इन्सपेक्टर ऑफ स्टोर्स)

नागरिक पूर्ति विभाग

१ विशेष लेखाधिकारी।
२ लेखाधिकारी।
३ सहायक लेखाधिकारी।
४ सांख्यिकी।

सहकारी विभाग

१ उप रजिस्ट्रार।
२ सहायक रजिस्ट्रार।
३ शिक्षा अधिकारी।
४ प्रचार अधिकारी।

[2]आबकारी विभाग

१ उप आयुक्त, आबकारी।
२ प्रशासकीय अधिकारी।
३ [3]जिला आबकारी अधिकारी।
४ सहायक आबकारी अधिकारी।
५ मुख्य प्रासीक्यूटिंग निरीक्षक (कोर्ट इन्सपेक्टर)
६ उप आयुक्त (अवरोधक दल)
७ सहायक आबकारी अधिकारी (अवरोधक दल)

[4]वाणिज्यकर विभाग

१ उप आयुक्त, वाणिज्यकर (प्रशासन)।
२ उप आयुक्त, वाणिज्यकर (अपील)
३ प्रशासकीय अधिकारी।
४ वाणिज्यकर अधिकारी।
५ उप प्रधानाचार्य, वाणिज्यकर परिक्षण शाला।
६ सहायक वाणिज्य कर अधिकारी।

---

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना सं एफ ३ (१२) एपोइन्टस (ए)/६२, दिनांक ३ ८ ६२ द्वारा लोपित किया गया।

२ अधिसूचना सं एफ ३ (१६) एपोन्टस (ए)/६४ दि० १६-८ ६५ द्वारा जोड़ा गया।

३ ,, ,, ,, ,, दि० २२-४ ६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

४ ,, ,, ,, दि० १६ ४ ६४ ,, ,,

७ सहायक वाणिज्यकर अधिकारी (अवरोधन दल)
८ [1]सांख्यिकी अस्थियवकारी।

शिक्षा विभाग

१ निदेशक।
२ उप निदेशक।
३ पाठशालाओ के निरीक्षक, सहायक निदेशक सहित।
४ सस्कृत पाठशालाओ के निरीक्षक।
५ प्रौढ शिक्षा अधिकारी।
६ रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें।
७ कन्याशालाओं की निरीक्षिकाए।
८ पाठशालाओ के उप निरीक्षक जिनमें निदेशक का निजी सहायक, सस्कृत पाठशालाओ की उप-निरीक्षक सम्मिलित हैं।
९ कन्याशालाओ की उपनिरीक्षिकाए।
१० सरकारी प्रथम श्रेणी की महाविद्यालयो के प्रधानाचाय।
११ [2]लोपित
१२ [2]सरकारी प्रथम श्रेणी के महाविद्यालयों के आचायगण।
१३ " " " " " के व्याख्यातागण।
१४ [2]सरकारी इन्टरमीजिएट महाविद्यालयो के व्याख्यातागण।
१५ सरकारी उच्च विद्यालयो तथा इसी प्रकार की शिक्षण सस्थाओं के मुख्य अध्यापक।
१६ [2]लोपित।
१७ प्रधानाचाय, कला तथा हस्तकौशल पाठशाला, जयपुर तथा कला सस्थान जयपुर।
१८ उप प्रधानाचाय कला तथा हस्तकौशल पाठशाला जयपुर।
१९. विशेष शिक्षा अधिकारी (योजना)।
२० प्रधानाचाय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर।
२१ प्रधानाचाय, सादुल पबलिक स्कूल, बीकानेर।
२२ मोन्टसरी स्कूलो की मुख्य अध्यापिकाए।
२३ मुख्य अध्यापिका, गगा शिशु शाला, बीकानेर।
२४ " " शिशु शाला, कोटा।
२५ " " " " उदयपुर।
२६ " " " " भरतपुर।
२७ " " " " जोधपुर।
२८ शारारिक प्रशिक्षक, राजस्थान महाविद्यालय जयपुर।
२९ पुस्तकालयाध्यक्ष, " " " जयपुर।

---

१ अधिसूचना स० एफ ३ (१६) एपोइन्ट्स (ए)/६४ दि० २२ ४ ६५ द्वारा जोडा गया।
२ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (१३) एपोइन्ट, (ए)III/६३ दि० ६ ८ ६२ द्वारा लोपित किया गया।

३ मारकेटिंग (क्रय विक्रय) अधिकारी ।
४ ऊन प्रयोगशाला अधिकारी ।
५ अभियन्ता ।
६ तकनीकी सहायकगण ।
७ भेड अनुसधान अधिकारी ।
८ ऊन वर्गीकरण अधीक्षकगण ।
९ सयुक्त निर्देशक ।
१० सहायक निर्देशक, उद्योग तथा वाणिज्य ।
११ अधीक्षक, हस्त कौशल मडल ।
१२ मैटेलर्जिस्ट (धातु शोधक) ।
१३ जिला अधीक्षकगण ।
१४ लेखाधिकारी ।
१५ अधीक्षक कुटीर उद्योग सस्थान ।
१६ ताड गुण सगठक ।
१७ व्यवस्थापक ऊन सवारने तथा पूण करने की सस्थान ।
१८ अधीक्षक क्षेत्रीय अनुसधान स्टेशन ।
१९ तकनीकी सहायक, भेड तथा ऊन विभाग ।
२० ऊन वर्गीकरण अधीक्षक ।
२१ सामान्य अधीक्षक ।
२२ [1]उप अधीक्षक, } सोडियम सल्फेट, सयन्त्र, डीडवाना के लिये ।
२३ [1]पाली अभियन्तागण । }
२४ [2]प्रधानाचाय, हस्त कौशल प्रशिक्षण सस्थान, जयपुर ।
२५ [3]प्रयोगशाला अधिकारी ।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग-सिंचाई

१ मुख्य अभियन्ता ।
२ मुख्य विकास अभियन्ता ।
३ अधीक्षक अभियन्तागण ।
४ अधिशासी अभियन्तागण ।
५ मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक ।
६ सहायक अभियन्तागण ।
७ यान्त्रिक अभियन्ता ।
८ भूगभ विशेषज्ञ ।
९ सव अभियन्ता (अधीनस्थ अभियन्ता) ।

---

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२) एपोइटस (ए)/६३ दिनाक ५ २ ६३ द्वारा जोडा गया ।
२ ,, एफ ३ (११) ,, , ,, ८-२-६२ ,, ,,
३ एफ ३ (२२) , ,, १२ १२ ६३ ,

१० सहायक लेखाधिकारी।
११ जल विद्या सहायक।
१२ श्रम कल्याण अधिकारी।
१३ [1]सहायक अनुसंधान अधिकारी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा पथ

१ मुख्य अभियन्ता।
२ अधीक्षक अभियन्तागण।
३ अधिशासी अभियन्तागण।
४ सहायक अभियन्तागण।
५ विशेषाधिकारी जल प्रदाय।
६ वरिष्ट वास्तुविद (सीनियर आरचिटेक्ट)।
७ कनिष्ट वास्तुविद (जूनियर आरचिटेक्ट)।
८ राजकीय केमिस्ट (रसायनज्ञ)
९ लेखाधिकारी।
१० उद्यान शास्त्रज्ञ (हॉरटीकल्चरिस्ट)।
११ अधीक्षक, उद्यान।
१२ रसायनज्ञ (जल विभाग)
१३ विशेषाधिकारी ग्राम जल प्रदान (जल विभाग)[1]

जेल विभाग

१ कारागृहो के महा निरीक्षक।
२ कारागृहो के उप-महा निरीक्षक।
३ केन्द्रीय जेलो के अधीक्षकगण।
४ जिला जेलो के अधीक्षकगण।
५ केन्द्रीय तथा जिला जेलो के उप अधीक्षकगण।
६ जेल उद्योगो के निदेशक।
७ चिकित्साधिकारीगण (सिविल एससिटेंट सर्जन श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय)।

श्रम विभाग

१ सहायक श्रम आयुक्त।
२ कारखानो तथा बोइलरो के मुख्य निरीक्षक।
३ श्रम सांख्यिकी अधिकारी।
४ महिला कल्याण अधिकारी।
५ श्रम अधिकारी।
६ कारखाना के निरीक्षकगण।
७ खनिजो के निरीक्षकगण।

---

१, नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (१४) एपइन्टस (ए)/६३ दिनांक ३ ८ ६३ द्वारा जोड़ा गया।

८ बोइलरो का निरीक्षक।
९ [1]कारखानो का चिकित्सा निरीक्षक।
१० [1]अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

## चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग

### क-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग।

१ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक।
२ उप निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाऐं।
३ सहायक निदेशकगण,　　,　　,,
४ मुख्य नर्सिंग अधीक्षक।
५ प्रांतीय क्षयरोग ( टी बी ) अधिकारी।
६ जीवन-मरण सम्बन्धी सांख्यिकी अधिकारी।
७ लेखाधिकारी।
८ प्रिंसीपल (प्रधान) चिकित्सा अधिकारीगण।
९ अस्पतालों के अधीक्षकगण।
१० वरिष्ट शल्य चिकित्सक।
११ वरिष्ट चिकित्सक।
१२ वरिष्ट स्त्री रोग चिकित्सक।
१३, वरिष्ट नेत्र रोग चिकित्सक।
१४ शल्य चिकित्सकगण (सर्जन्स)।
१५ चिकित्सकगण (फिजीशियन्स)।
१६ स्त्री रोग चिकित्सक।
१७ नेत्र रोग चिकित्सक।
१८ एक्स रे विशेषज्ञ।
१९ दांतो का शल्य चिकित्सक।
२० जिला स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अधिकारीगण।
२१ सिविल ऐसिस्टेन्ट सर्जन्स श्रेणी प्रथम (४ दांतो के चिकित्सक सम्मिलित हैं)।
२२ नर्सिंग अधीक्षकगण।
२३ मेट्रन्स।
२४ स्वास्थ्य अधीक्षकारीगण (एम बी बी एस)।
२५ महिला अधीक्षक, स्वास्थ्य पाठशाला।
२६ औषधि रसायनज्ञ।
२७ किटाणु विशेषज्ञ।
२८ मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक।
२९ रसायनिक परीक्षक।

---

[1] वित्त विभाग अधिसूचना सं एफ ३ (१) वित्त (ए)/६३ दिनांक १८ ४ ६३ द्वारा जोड़ा गया।

३० व्यवस्थापक, केन्द्रीय चिकित्सालय भण्डार गृह।
३१ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, श्रेणी प्रथम। (सेलेक्शन ग्रेड)।
३२ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, श्रेणी प्रथम।
३३ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, श्रेणी द्वितीय (वरिष्ट श्रृंखला)
३४ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, द्वितीय श्रेणी (कनिष्ठ श्रृंखला)
३५ सहायक स्वास्थ्य अधिकारीगण।
३६ सचिव भण्डार सामग्री क्रय सगठन।
३७ प्रशासनिक अधिकारी।
३८ डेमोन्सट्रेटर (प्रनदशव)।
३९ आहार प्रभारी।
४० सावजनिक विश्लेषक।

ह—सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज

१ प्रधानाचाय सवाई मानसिंह कालेज।
२ निम्नलिखित विषयो के प्राध्यापक—
(क) शरीर विज्ञान।
(ख) शरीर रचना (चीर फाड)
(ग) औषध विज्ञान
(घ) रोग निदान।
३ रीडर—निम्नलिखित विषयो मे—
(क) रोग निदान।
(ख) औषधि विज्ञान (क्लिनिकल)।
(ग) बायो केमिस्ट्री।
४ सहायक प्राध्यापक, निम्नलिखित विषयो मे—
(क) शरीर विज्ञान।
(ख) शरीर रचना (चीरफाड)।
५ निम्नलिखित विषयो मे प्रदशन कर्ता—
(क) शरीर विज्ञान।
(ख) शरीर रचना (चीरफाड)।
( ) औषधि विज्ञान।
(घ) रोग निदान।
६ व्याख्यातागण।

खनिज तथा भूगर्भ विभाग

१ [1] निदेशक।
२ [2] सयुक्त निदेशक (प्रशासन)।

---

१ आदेश स एफ ३ (२८) एपोइन्ट/(ए) III/६३ दिनाक १५ ६ ६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

२ आदेश सख्या एफ ३ (२३) एपोइन्टस (ए III) ६३ दिनाक २३ ३ ६६ द्वारा जोडा गया।

३ खनिज अभियन्तागण।
४ सहायक खनिज अभियन्तागण।
५ रसायनिक–तथा मिट्टी विशेषज्ञ।
६ खनिज व्यवस्थापक।
७ सहायक खनिज व्यवस्थापक।
८ उप–छेदन (डिलिंग) अभियन्ता।
९ रसायनज्ञ।
१० सहायक मिट्टी विशेषज्ञ।
११ सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण)।
१२ व्यवस्थापक पाटन परियोजना।
१३ श्रम कल्याण अधिकारी।
१४ वरिष्ट भू–गर्भ–विशेषज्ञ।
१५ कनिष्ट भू–गर्भ विशेषज्ञ।
१६ रसायन तथा मिट्टी अभियन्ता।

### अधिकारी प्रशिक्षण शाला, जयपुर

१ प्रशासन अधिकारी।

### आरक्षी (पुलिस विभाग)

१ आरक्षी मोटर अधिकारी गण
२ निदेशक विधिसम्बन्धी प्रयोग शाला (फोरेंसिक लेबोरेट्री)
३ सहायक निदेशक विधि सम्बन्धी प्रयोग शाला।
४ अधीक्षक आरक्षी, रेडियो सगठन।
५ उप अधीक्षक आरक्षी, रेडियो सगठन।

### सावजनिक सम्पर्क निदेशालय

१ निदेशक।
२ उप निदेशकगण
३ सहायक निदेशकगण
४ छान बीन अधिकारी (स्क्रटिनि ऑफिसर)
५ वरिष्ट फोटोग्राफर।
६ सहायक सम्पादक।
७ मेल (लेजन) अधिकारी।
८ सावजनिक सम्पर्क अधिकारी।
९ पूछ ताछ अधिकारी।

### सहायता तथा पुन सस्थापन विभाग

१ वित्तीय सलाहकार।
२ ऋण अधिकारीगण

## समाज कल्याण विभाग

१ निदेशक ।
२ सहायक निदेशक।
३ कल्याण अधिकारी गण ।
४ अनुसधान अधिकारीगण ।
५ [1]प्रचार अधिकारी ।
६ विशेषाधिकारी (पुन सस्थापन) ।
७ चिकित्सा अधिकारी ।
८ आवास गृहों का अधीक्षक ।
९ [2]मुख्य परिक्षण अधिकारी (प्रोबेशन) अधिकारी ।
१० प्रधानाचाय ।
११ व्याख्याता ।
१२ पिछडी जाति के कल्याण तथा आचरण सुधार प्रशासन के विषयो पर व्याख्याता ।

## चुनाव विभाग

१ मुख्य चुनाव पयवेक्षक।

## पर्यटक सुविधा विभाग

१ सगठक, पयटक सुविधाए ।

## रजिस्ट्रेशन तथा स्टाम्प विभाग

१ निरिक्षकगण ।

## राजस्व तथा भू अभिलेख विभाग

१ [3]लोपित ।

## जल सैनिक, स्थल सैनिक तथा वायु सनिक मण्डल

१ सचिवगण ।

## सचिवालय

१ राज्य के सहायक साचवगण ।
२ सगठन तथा रीति अधिकारीगण (ओ एण्ड एम ओफिसर्स) ।
३ निजि सचिवगण ।
४ [4]लोपित।

---

१ अधिसूचना स एफ ३ (६) एपोइटस (ए) III/६४ दिनाक २४ ३-६४ द्वारा लोपित किया गया।

२ „ „ „ „ जोडा गया।

३ अधिसूचना स एफ ३ (४) एपो० (ए)/६१/ग्रुप III दिनाक १० ७ ६२ द्वारा लोपित किया गया।

४ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२४) एपो० (ए)/६१ ग्रुप III दिनाक २ २ ६२ द्वारा लोपित किया गया।

## राज्य बीमा

१ निदेशक ।
२ उपनिदेशक ।
३ सहायक निदेशक ।

## आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय

१ आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशक ।
४ सांख्यिकी ।
३ [1] उप निदेशक ।
४ [1]सहायक निदेशक ।

## स्थानीय स्वायत्त शासन (स्थानीय संस्थाऐं)

१ क्षेत्रीय निरिक्षकगण ।
२ डिवीजनल पचायत अधिकारीगण

## यातायात विभाग

१ सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारीगण । (आर टी ओ)
२ व्यवस्थापक, राजस्थान यातायात सेवा ।

## विकास विभाग

१ खण्ड विकास अधिकारी ।
२ पशु प्रजनन अधिकारी ।
३ कृषि प्रसार अधिकारी ।
४ [2]सम्पादक, 'राजस्थान विकास" ।
५ [3]प्रधानाचार्य ग्राम सेवक केन्द्र ।

## उपनिवेशन विभाग

१ उपनिवेशन के सहायक निदेशक ।
२ उपनिवेशन के तहसीलदार ।

## राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट)

१ उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) ।
२ सहायक रजिस्ट्रार तथा मुख्य न्यायाधीश का सचिव ।

## विधि तथा न्याय विभाग

१ पूरे समय के लिये पब्लिक प्रोसीक्यूटस ।
२ [4]गवनमेन्ट एडवोकेट ।

---

१ नियुक्ति (ए III) अधिसूचना संख्या एफ ३ (१८) एपो० (ए)/६१ दिनांक २०-३ ६२ द्वारा जोड़ा गया ।

२ नियुक्ति (ए III) विभाग अधिसूचना स. एफ ३ (७) एपोइन्ट्स (ए)/६३ दिनांक २५ ३ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।

३ ,, ,, ,, ,, एफ. ३ (३) ,, (ए) III/६४ ,, २७ ४ ६४ द्वारा जोड़ा गया ।

४ ,, ,, ,, ,, एफ ३ (२२) ,, (ए)/६२ दिनांक ८-११-६२ द्वारा जोड़ा गया ।

### पचायत विभाग

१ सहायक निदेशक।
२ वरिष्ट प्रशिक्षक तथा अन्य प्रशिक्षक।
३ जिला पचायत अधिकारी।

### अल्प बचत सगठन

१ विशेषाधिकारी अल्प बचत सगठन।
२ क्षेत्रीय अधिकारी अल्प बचत योजना।

### नियोजन निदेशालय

१ नियोजन निदेशक।
२ उप नियोजन निदेशक।
३ सहायक नियोजन निदेशक।
४ उप क्षत्रीय नियोजन अधिकारी।
५ सहायक नियोजन अधिकारी।
६ जिला नियोजन अधिकारी।

### भू-एकीकरण विभाग

१ भू एकीकरण अधिकारी।

### राजस्थान लोक सेवा आयोग

१ [1]लोपित।

### [2]मूल्यांकन स गठन

१ क्षेत्रीय मूल्याकन अधिकारी।
२ अनुसधान अधिकारा।

### [3]राजस्थान नहर परियोजना

१ सहायक नगर नियोजक।

### [4]राजस्थान परिवहन विभाग

१ जनरल मैनेजर (महाव्यवस्थापक)।
२ उप जनरल मैनेजर।
३ सहायक जनरल मनेजर (प्रसाशन)।
४ सहायक जनरल मनेजर (यातायात)।
५ सहायक क्षेत्रीय मैनेजर।

---

१ अधिसूचना स एफ ३ (२४) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप-III दिनाक १३-२ ६२ द्वारा लोपित किया गया।

२ „ स एफ ३ (१५) „ „ III „ ४ १० ६१ द्वारा अन्तर्योसित कियागया।

३ „ स एफ ३ (२१) „ ए/६२ ग्रुप III दिनाक २२ १० ६२ द्वारा जोडा गया।

४ „ स एफ ३ (१) „ ए/६४ दिनाक ७ १ ६४ द्वारा जोडा गया।

६ मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता ।
७ क्षत्रीय यान्त्रिक अभियन्ता ।
८ वर्क्स मनेजर ।
९ भण्डार का नियन्त्रक ।
१० सहायक यान्त्रिक अभियन्ता ।
११ सहायक वर्क्स मैनेजर ।
१२ तकनीकी सहायक ।
१३ सहायक अभियन्ता (सिविल) ।
१४ स्टोर्स अधिकारी ।
१५ श्रम अधिकारी ।
१६ वरिष्ट लेखाधिकारी

[1]राजस्थान भूमिगत जल मडल

१ प्रभारी अभियन्ता तथा सचिव ।
२ अधिशासी अभियन्ता (ड्रिलिंग) (छिदन क्रिया)
३ अधिशासी अभियन्ता (ब्लास्टिंग) (भक में उडाना)
४ भूगभ जल विशेषज्ञ ।
५ सहायक अभियन्ता ।
६ कनिष्ट भूगभज्ञ ।
७ रसायनिक ।
८ ड्रिलिंग फोरमेन ।

जिला गजेटियर का निदेशालय

१ अनुसधान अधिकारी ।

[3]प्राचीन लेखो का निदेशालय (डाइरेक्टोरेट आफ आरकाइव्ज)

१ प्राचीनलखो के निदेशक ।
२ प्राचीन लेखो के सहायक निदेशक ।

ख–अधीनस्थ सेवायें

[4]नीचे गणना किए हुए पद तथा इसी प्रकार के पद धारण करने वाले

१ कनिष्ट लेखा सेवा ।

---

१ अधिसूचना स एफ ३ (६) एपोइटस् (ए) III/६५ दिनाक १५ ६ ६५ द्वारा अन्तर्न्यामित किया गया ।

२ " " (६) " (ए)/६५ " २३ ७-६५ द्वारा अन्तर्न्यासित किया गया ।

३ " ३ (१६) " (ए-III)/६५ " ८-११-६५ द्वारा अन्तर्न्यासित किया गया ।

४ " (१६) (ए) ६२ " १२-१०-६२ द्वारा अन्तर्न्यासित किया गया ।

## नागरिक उड्डयन विभाग

१ यान्त्रिकी ।

## [1] खाद्य पूर्ति विभाग

१ [2]क्षेत्रीय रसद अधिकारी ।
२ प्रवर्त्तन अधिकारी ।
३ गोदाम अधिकारी ।
४ सहायक जिला रसद अधिकारी ।
५ प्रवर्त्तन निरीक्षक ।

## सहकारी विभाग

१ निरीक्षक ।
२ सहायक निरीक्षक ।
३ क्षेत्र प्रचारक सहायक ।
४ मशीन चलाने वाला (आपरेटर) ।
५ ग्राम सेवक ।
६ [3]ग्राम्य पुन निर्माण विभाग के शिक्षक ।
७ वद्य ।
८ व्यवस्थापक नाटक इकाई ।
९ चित्रकार (आर्टिस्ट) नाटक इकाई ।
१० कलाकार (एक्टर) नाटक इकाई ।
११ सगीतकार नाटक इकाई ।
१२ [4]सहकारी प्रसार अधिकारी ।

## [5]वाणिज्य कर विभाग

१ कानूनी सहायक ।
२ निरीक्षक ग्रेड प्रथम ।

---

१ अधिसूचना सख्या एफ ३ (२१) एपाइटस (ए III)/६५ दिनाक ४ २ ६५ द्वारा नागरिक रसद विभाग के लिये निर्विष्ट किया गया ।

२ अधिसूचना स एफ ३ (२६) एपोइटस्/(ए)/६२ ग्रुप III दिनाक ३०-१० ६३ द्वारा जोडा गया ।

३ , (६) ,, /६१ , दिनाक १३-१०-६३ द्वारा जोडा गया ।

४ , (२६) , ,,/६२ ग्रुप III दिनाक ३० १० ६३ द्वारा जोडा गया ।

५ , (१६) , , (ए)III/६४ दिनाक १६ ८ ६१

३ निरीक्षक, ग्रेड द्वितीय ।
४ निरीक्षक ग्रेड तृतीय ।
५ [1]पैट्रोलिंग अधिकारी ।
६ [1]जमादार ।
७ [1]सिपाही ।
८ [1]चालक ।

## २ आबकारी विभाग

१ निरीक्षक ग्रेड प्रथम ।
२ निरीक्षक ग्रेड द्वितीय ।
३ निरीक्षक ग्रेड तृतीय ।
४ कोट इन्सपेक्टर (प्रोसीक्यूटिंग निरीक्षक) ।
५ पैट्रोलिंग अधीक्षक (निरोधक दल)
६ पट्रोलिंग अधिकारी ग्रेड प्रथम (निरोधक दल) ।
७ पट्रोलिंग अधिकारी, ग्रेड द्वितीय (निरोधक दल) ।
८ जमादार (निरोधक दल) ।
९ सिपाही तथा सवार (निरोधक दल) ।

## धर्माय विभाग

१ निरीक्षक ।
२ सहायक निरीक्षक ।

## शिक्षा विभाग

१ सहायक-उप निरीक्षक ।
२ उच्च विद्यालयों तथा इसी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं से अन्य राजकीय पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक ।
३ महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर किंग ज्योर्ज पंचम सिलवर जुबलि पुस्तकालय बीकानेर तथा सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय जोधपुर के प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष ।
४ राजकीय संस्थाओं के समस्त अध्यापक ।
५ अधीक्षक शारीरिक शिक्षा ।
६ चिकित्साधिकारी ।
७ सामाजिक शिक्षा संगठक ।
८ ओवरसियर ।
९ उप प्रधानाचार्य कला संस्थान जयपुर ।
१० [3]शारीरिक प्रशिक्षक ।

---

१ अधिसूचना सं एफ ३ (१६) एपोइंटस (ए)/६४ दिनांक १०-८-६४ द्वारा जोड़ा गया ।
२ अधिसूचना सं एफ ३(१६) एपोइंटस (ए)/६४ दिनांक १६-८ ६४ द्वारा जोड़ा गया ।
३ अधिसूचना सं एफ २ (२२) एपाइंटस (ए III)/६१ दिनांक २४-१ ६२ द्वारा जोड़ा

८ पयवेक्षक ।
९ प्लान रेकड कीपर ।
१० फेरो छापने वाले तथा फेरीवाले ।
११ सेवा फोरमन ।
१२ यान्त्रिकी फोरमैन ।
१३ प्रशिक्षक ।
१४ मुख्य सिगनेलर (साकेतक) तथा साकेतगण ।
१५ जिलेदार तथा नायब जिलेदार ।
१६ उप कलेक्टर ।
१७ यान्त्रिकी तथा विद्युत ओवरसीयर ।
१८ अनुसधान सहायक ।
१९ मुख्य प्रयोगशाला सहायक ।
२० प्रयोगशाला सहायक ।
२१ ओवरसीयर ।
२२ नहर तहसीलदार ।
२३ [1]फील्ड सहायक ।
२४ बालू विश्लेशक (सिल्ट एनेलिस्ट) ।
२५ ऑबजवर्म ।
२६ मिस्त्री ।
२७ श्रम कल्याण निरीक्षक ।

## सहायता तथा पुन सस्थापन विभाग

१ तहसीलदार ।
२ सहायक ग्राम्य पुन सस्थापन अधिकारी ।
३ ऋण निरीक्षक ।
४
५ नायब तहसीलदार ।
६ [2]विक्रय निरीक्षक ।

## समाज कल्याण विभाग

१ सहायक अनुसधान अधिकारी ।
२ सहायक प्रचार अधिकारी ।
३ सहायक साख्यिकी अधिकारी ।
४ फाटोग्राफर तथा कलाकार ।

---

१ अधिसूचना स एफ ३ (१) एपान्टस (ए III)/६७ दिनाक १० ४ ६७ द्वारा जोड़ा गया ।
२ अधिसूचना स एफ ५(१०) एपोइन्टस (ए II)/६५ दिनाक १९ ८ ६६ द्वारा जोड़ा गया ।

५ कल्याण तथा पुनःसंस्थापन निरीक्षक।
६ लेखा निरीक्षक।
७ प्रचार सहायक।
८ कल्याण कार्यकर्ता।
९ महिला कल्याण कार्यकर्त्ता।
१० ओवरसियर तथा ड्राफ्टस्मैन।
११ प्रचारक।
१२ ओपरेटस।
१३ मुख्य निरीक्षक।
१४ वरिष्ठ आवास निरीक्षक।
१५ औद्योगिक निरीक्षक।
१६ पाठशालाओं के पर्यवेक्षक।
१७ आवास निरीक्षक।
१८ कूप निरीक्षक।
१९ वैद्य।
२० कम्पाउन्डस।
२१ छात्रालय अधीक्षक।
२२ महिला छात्रालय अधीक्षिका।
२३ सिलाई प्रशिक्षक।
२४ बढ़ईगिरी प्रशिक्षक।
२५ जूते बनाने का प्रशिक्षक।
२६ बास तथा बेत कार्य प्रशिक्षक।
२७ कृषि प्रशिक्षक।
२८ लोहारगिरी प्रशिक्षक।
२९ प्रशिक्षक (बुनियादी पाठशालायें)।
३० कला बुनियादी पाठशालाओं के अध्यापक।
३१ अध्यापकगण।
३२ सहायक अधीक्षक।
३३ [1]महिला कल्याण अधिकारी।
३४ जिला समाज कल्याण अधिकारी।
३५ अनुसंधानकर्त्ता (रिसर्च सर्वेक्षण)।
३६ परीक्षण अधिकारी (प्रोबेशन ऑफिसर)।
३७ सहायक महिला कल्याण अधिकारी।
३८
३९ प्रमाणित पाठशाला के प्रधानाध्यापक।

---

१ अनुसूची में क्र. ३३ से ४१ अधिसूचना सं. एफ. १ (१०) (ए-III)/६४ दिनांक २४.३.६४ द्वारा जोड़े गये।

४०
४१ सहायक परीक्षण (प्रोबेशन) अधिकारी।
४२ कल्याणाधिकारी (कारागार)।
४३ अनुसंधानकर्त्ता (गृह)।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग—भवन तथा पथ

१ अधीनस्थ अभियन्ता वरिष्ठ तथा कनिष्ठ।
२ तखमीना बनाने वाले (ऐस्टीमेटर्स)।
३ कम्प्यूटर्स।
४ ड्राफ्टस् मेन जिसमे मुख्य ड्राफ्टस् मन वरिष्ठ ड्राफ्टस् मन, कनिष्ठ ड्राफ्टस् मन तथा सहायक ड्राफ्टस् मन सम्मिलित है।
५ फर्रीवाला।
६ कारखाने के पर्यवेक्षक।
७ कारखाने के फोरमन।
८ जल निरीक्षक।
९ मीटर निरीक्षक।
१० मीटर पढनेवाले।
११ प्रयोगशाला सहायक।
१२ फिल्टर एटेन्डेन्ट।
१३ पम्प ऐटेन्डेन्ट।
१४ ट्रेस करने वाले।
१५ उद्यानो के निरीक्षक।
१६ उद्यानो के सहायक निरीक्षक।
१७ विधि सहायक।
१८ सहायक आर्कीटेक्ट (शिल्पकार)।
१९ सहायक सांख्यिकी।
२० मिस्त्री।
२१ [1]पम्प चालक।

## श्रम विभाग

१ निरीक्षक।
२ जांचकर्त्ता।
सांख्यिकी सहायक।
४ कम्प्यूटर।
५ कम्पाउन्डर।

---

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना सं एफ ३ (२५) अपोइन्टस (ए III)/६५ दिनांक ३-४-६६ द्वारा जोड़ा गया।

६ मिडवाइफ।
७ नर्स।
८ ड्राफ्टस् मैन।
९ सिनेमा मशीन चालक।
१० [1]व्यवस्थापक केन्द्रीय चिकित्सा भंडार कर्मचारीगण राज्य बीमा योजना।
११ [2]फोरमन प्रशिक्षक।
१२ [2]पर्यवेक्षक प्रशिक्षक।
१३ चित्रकारी तथा कला प्रशिक्षक।
१४ [2]अ तकनी की प्रशिक्षक।

जेल विभाग

१ जेलर।
२ उप-जेलर।
३ सहायक जेलर।
४ मुख्य प्रधान पहरेदार।
५ मेट्रन।
६ मुख्य पहरेदार।
७ कारखाने का व्यवस्थापक।
८ कारखाने का सहायक व्यवस्थापक।
९ अध्यापक।
१० मुख्य कम्पाजिटर।
११ कम्पोजिटर।
१२ छापने वाले (प्रिन्टर्स)।
१३ जेलो तथा हवालातो का निरीक्षक।
१४ कम्पाउन्डर।
१५ नर्स दाइ।

राजस्व उपनिवेशन तथा भू-अभिलेख विभाग

१ नायब तहसीलदार।
२ सहायक भू-अभिलेख अधिकारी।
बन्दोबस्त विभाग मे निरीक्षक या चकर्ता।
४ निरीक्षक भू-अभिलेख विभाग।
५ मुख्य ड्राफ्टस मैन तथा ड्राफ्टस् मन।
६ सीमा निरीक्षक।

---

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना सं एफ १(१६) एपोइन्टस ए/६१/जी आर III दिनांक १ ११ ६४ द्वारा जोड़ा गया।

२ नियुक्ति विभाग अधिसूचना सं एफ ३ (१०) एपोन्टस ए/६२ दिनांक ७-६ ६२ द्वारा जोड़ा गया।

७ सदर कानूनगो, सहायक सदर कानूनगो तथा कार्यालय कानूनगो।
८ सहायक कार्यालय कानूनगो।
६ वरिष्ठ सोमा निरीक्षक।
१० राजस्व लेखा निरीक्षक
११ ट्रेस करने वाले।
१२ फेरो निकालने वाले।
१३ तहसीलदार।

पजीकरण तथा स्टाम्प विभाग

१ उप पजीयक (सब रजिस्ट्रार)।

स्थानीय सस्थाओं का निदेशालय

१ सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक।

क— चिकित्सा तथा सावजनिक स्वास्थ्य विभाग

१ अस्पतालो के सहायक अधीक्षकगण।
२ सहायक औषधि निर्माण रसायनज्ञ।
३ सहायक मैट्रन।
४ सिस्टर्स तथा कनिष्ठ सिस्टर्स।
५ नर्सें नर्स-दाई जिसमे पुरुष नर्सें सम्मिलित है।
६ कम्पाउन्डर।
७ औषधि बनाने वाले (फारमासिस्ट)।
८ तकनीकिज्ञ (टकनीशियन)।
६ एक्स-रे सहायक।
१० प्रचार सहायक।
११ कलाकार।
१२ महिला स्वास्थ्य अधिकारी।
१३ प्रयोगशाला सहायक।
१४ मीडिया मैन।
१५ स्वास्थ्य निरीक्षक।
१६ सैनीटरी निरीक्षक।
१७ मलेरिया सर्वेक्षक।
१८ हैल्थ विजिटर्स।
१६ टीका लगाने वाला।
२० मिस्त्री।
२१ बिजली का काम करने वाले (इलेक्ट्रीशियन)।
२२ सिस्टर ट्यूटर (शिक्षिका)।
२३ स्टाफ नर्स।
२४ मिड वाइफ।

२५ पशुघर का रखवाला।
२६ फोटोग्राफर्स।
२७ व्यवसायी औषधिशास्त्र वेत्ता (ओक्यूपशनल थेराप्यूटिस्ट)।
२८ नमूना बनाने वाले (माडलर्स)।
२९ शारीरिक प्रशिक्षक।
३० [1]मोटर यान्त्रिकी।
३१ [2]मलेरिया इकाई अधिकारी।

## ख—सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज

१ कनिष्ठ प्रदर्शनकर्ता (डेमान्सट्रेटर्स)।
२ क्यूरेटर।
३ पुस्तकालयाध्यक्ष।
४ शारीरिक प्रशिक्षक।

## [3]खनिज तथा भू गर्भ विभाग

१ ड्रिल यान्त्रिकी।
२ प्रयोगशाला सहायक (वरिष्ठ)।
३ फील्ड सहायक ग्रेड प्रथम।
४ ड्राफ्टसमन ग्रेड प्रथम।
५ ओवरसीयर (वरिष्ठ)।
६ सर्वेक्षक।
७ बिजली का काम करने वाला (इलेक्ट्रीशियन)।
८ खनिज फोरमैन ग्रेड प्रथम।
९ अजायबघर सहायक।
१० साख्यिकी सहायक।
११ खनिज सर्वेक्षक।
१२ कम्प्यूटर्स।
१३ प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ)
१४ रासायनिक सहायक।
१५ ओर ड्रेसर।
१६ यान्त्रिकी।
१७ व्यवस्थापक भाकरी पट्टिया की खानें।

---

1 नियुक्ति विभाग अधिसूचना एफ ३ (२१) एपोइंटस (ए) ६१/ जी आर III दिनांक १-४-६ द्वारा जोड़ा गया।

२ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२) एपोइंटस (ए-III)/६६ दिनांक २३ ३-६ द्वारा जोड़ा गया।

३ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२३) एपोइंटस (ए III)/६३ दिनांक ९-६ ६ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

१८ कारखाने का यान्त्रिकी ।
१६ खनिज फोरमन ग्रेड द्वितीय ।
२० कम्प्रेसर चालक ।
२१ भावी-सभावना सर्वेक्षक ।
२२ पम्प चालक ।
२३ जनेरेटर चालक ।
२४ चट्टान ड्रिल चालक ।
२५ ड्रिलिंग सहायक ।
२६ रिगमन ।
२७, सैक्शन काटने वाला ।
२८ ट्रेस करने वाला ।
२६ कम्प्रेसर चालक ।
३० ड्रिलर, ग्रेड प्रथम ।
३१ ड्रिलर ग्रेड द्वितीय ।
३२ सहायक ड्रिलर ।
३३ ड्राफ्ट्मन ग्रेड द्वितीय ।
३४ फील्ड सहायक, ग्रेड द्वितीय ।
३५ ओवरमन कनिष्ठ ।
३६ फिल्टर, ग्रेड द्वितीय ।
३७ जीप ट्रक तथा ट्रेक्टरो के चालक ।

## आरक्षी (पुलिस) विभाग

१ निरीक्षक (इन्सपक्टर) ।
२ उप निरीक्षक (सब इन्सपक्टर) ।
३ हैड कान्सटबिल ।
४ कान्सटबल (सिपाही) ।
५ सहायक उप निरीक्षक ।
६ फोटोग्राफर ।
७ कम्पाउन्डर ।
८ वल्डिग करने वाला ।
६ टनर ।
१० पन्टर ।
११ कम्पनी कमाडर ।
१२ प्लाटून कमाडर
१३ बैलिस्टिक विशेषज्ञ ।
१४ वैज्ञानिक सहायक ।
१५ आरक्षी फोटोग्राफर तथा विश्लेषक ।

## जन सम्पर्क निदेशालय

१ फोटोग्राफर्स।
२ डाक रूम सहायक।
३ कलाकार।
४ यान्त्रिकी तथा चालक (ऑपरेटर)।
५ चालक (ऑपरेटर)।
६ [1]मिस्त्री।

## [2]आर्थिक तथा सांख्यिकि निदेशालय

१ सांख्यिकी अनुसंधान सहायक।
२ वरिष्ठ कलाकार।
३ कनिष्ठ कलाकार।
४ ड्राफ्ट्समन।
५ कम्प्यूटर्स।
६ फील्ड/सांख्यिकी निरीक्षक।
७ प्रगति प्रसार अधिकारी।
८ पुस्तकालयाध्यक्ष।
९ [3]पर्यवेक्षक (आर्थिक तथा सांख्यिकी)।

## यातायात विभाग

१ यातायात निरीक्षक।
२ यातायात उप निरीक्षक।
३ सर्वेक्षण निरीक्षक।
४ फोरमन।
५ चालक।
६ यांत्रिकी निरीक्षक।

## विकास विभाग

१ सहकारी तथा पंचायत अधिकारी।
२ सामाजिक शिक्षा अधिकारी।
३ ओवरसियर।
४ चालक।

---

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२१) एपोइन्ट्स ए III/६३ दिनांक १२ १२-६३ द्वारा जोड़ा गया।

२ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (१८) एपोइन्ट्स ए/६१ ग्र III, दिनांक २० ३-६२ स्थानापन्न।

३ अधिसूचना स एफ ३ (१) एपाइन्ट्स ए-III) ६७, दिनांक ११ ४ ६७ द्वारा जोड़ा गया।

### पचायत विभाग

१ पचायत प्रसार अधिकारी, ग्रेड प्रथम।
२ पचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड द्वितीय।

### पर्यटक सुविधा विभाग

१ पर्यटक सहायक।

### नियोजन निदेशालय

१ सांख्यिकी सहायक।

### चकबन्दी विभाग

१ सहायक चकबन्दी अधिकारी।
२ मुसिरम।
३ निरीक्षक।

### उद्योग विभाग

१ मेल (सम्पर्क) अधिकारी तथा छात्रावास अधीक्षक।
२ [1]व्यवसायिक (तकनीकी), ग्रेड प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय।
३ [1]सोडियम सल्फेट, क्रिस्टोसेशन कारखाना डीडवाना के लिए यान्त्रिकी।
४ [2]उद्योग प्रसार अधिकारी।
५ [3]कलात्मक शिल्प प्रशिक्षण सस्था जयपुर मे डिजाइन बनाने वाला।
६ [3]लघु उद्योगो के गुणात्मक चिन्ह अकित करने वाला अधीक्षक।
७ [4]अधीक्षक नमक (तकनीकी)।
८ [5]अधीक्षक तथा कलात्मक डिजाइनर, डिजाइन प्रसार केन्द्र जयपुर।

### मूल्याकन सगठन

१ अनुसधान सहायक।
२ अन्वेषणकर्ता।
३ कम्प्यूटर।

### राजस्थान राज्य सडक परिवहन विभाग

१ डीपो मैनेजर।
२ सहायक डीपो मैनेजर।
३ ट्रैफिक निरीक्षक।
४ सहायक ट्रैफिक निरीक्षक।
५ सहायक सांख्यिकी।

---

१ अधिसूचना स एफ ३ (२) एपोइन्ट (ए III) ६३, दिनाक ५ २ ६३ द्वारा जोडा गया।
२ अधिसूचना स एफ ३(२६)एपाइन्टम (ए III)६२, दिनाक ३०-१०-६३ द्वारा जोडा गया।
३ अधिसूचना स एफ ३ (४) एपोईन्टस (ए-III) ६४, दिनाक ८-७-६३ द्वारा जोडा गया।
४ अधिसूचना सं एफ ३(४) एपोइन्टम (ए III)६३, दिनांक ५-६ ६७ द्वारा जोड़ा गया।
५ अधिसूचना सं एफ २(१८) एपोइन्टस(ए-III) ६४ दिनाक २६-४ ६४ द्वारा जोडा गया।

६ श्रम कल्याण निरीक्षक ।
७ भंडार अधीक्षक ।
८ भंडार निरीक्षक ।
९ भंडार उप-निरीक्षक ।
१० सहायक भंडार उप निरीक्षक ।
११ वरिष्ठ फोरमैन ग्रेड प्रथम ।
१२ वरिष्ठ फोरमैन ग्रेड प्रथम ।
१३ कनिष्ठ फोरमैन (यान्त्रिकी) ।
१४ कनिष्ठ फोरमैन (विद्युत) ।
१५ ओवरसीयर ।
१६ चालक ।
१७ कन्डक्टर्स ।
१८ यान्त्रिकी ।
१९ बिजली का काम करने वाला, ग्रेड प्रथम ।
२० टर्नर (खरादी) ग्रेड प्रथम ।
२१ वुल्केनाइजर ग्रेड प्रथम ।
२२ लुहार, ग्रेड प्रथम ।
२३ टीन का काम करने वाला ग्रेड प्रथम ।
२४ जूते बनाने वाला ग्रेड प्रथम ।
२५ वैल्डर (वल्डिंग करने वाला) ।
२६ पेन्टर (रंग करने वाला) ग्रेड प्रथम ।
२७ सुथार, ग्रेड प्रथम ।
२८ सहायक यान्त्रिकी ।
२९ सीटें तथा पर्दे बनाने वाला ग्रेड द्वितीय ।
३० टायर चढाने वाला, ग्रेड द्वितीय ।
३१ सुथार ग्रेड द्वितीय ।
३२ सहायक बिजली वाला, ग्रेड द्वितीय ।
३३ पेन्टर (रंगने वाला) ग्रेड द्वितीय ।
३४ टिन का काम करने वाला/जूते बनाने वाला, ग्रेड द्वितीय ।
३५ वल्डर ग्रेड द्वितीय ।
३६ वुल्केनाइजर, ग्रेड द्वितीय ।
३७ टर्नर (खरादी) ग्रेड द्वितीय ।
३८ लुहार, ग्रेड द्वितीय ।
३९ प्रशातक तथा वातानुकूलन तकनीकी ।
४० होसटेस तथा पर्यटक पथ प्रदर्शक (वातानुकूलित गाडियें) ।

## ग—लेखक वर्गीय सेवायें

समस्त विभागो मे इस श्रेणीयो के पद धारी करने वाले जैसे कि —

१ लेखापाल जिसमे क्षत्रीय लेखापाल वरिष्ठ लेखापाल सब एकाउन्टेन्ट्स उप लेखापाल, कनिष्ठ लेखापाल सहायक लखापाल भण्डार लेखापाल तथा सहायक भण्डार लेखापाल सम्मिलित हैं। जिला राजस्व लेखापाल तथा तहसील राजस्व लेखापाल।
२ अहलमद वरिष्ठ कनिष्ठ अथवा सहायक अहलमद।
३ लेखा-लेखक तथा कनिष्ठ लेखा-लेखक।
४ लेखा सकलनकर्त्ता।
५ सहायक गण जिसमे राजस्व सहायक न्यायिक सहायक अमला सहायक विविध सहायक सम्मिलित है।
६ अकेक्षण चिटठीयात लेखक।
७ अकेक्षण लेखक।
८ अकेक्षक (ऑडिटस) जिसमे क्षेत्रीय अकेक्षक सम्मिलित हैं।
९ बिल लेखक।
१० बिल्टीयात लेखक।
११ जिल्दसाज।
१२ रोकडिया तथा सहायक रोकडिया।
१३ लेखक गण जिसमे दिवानी लेखक, फौजदारी लेखक विविध लेखक, अपील लेखक, पुनरीक्षण लेखक अग्रेजी लेखक सम्मिलित हैं।
१४ गणना-मशीन का चालक।
१५ केम्प लेखक।
१६ सूचिपत्र लेखक (केटलोगस)।
१७ कम्पाइलम (सकलनकर्त्ता जिसमे निदेशालय तथा जिला गेजेटियस विभाग का मुख्य सकलनकर्त्ता सम्मिलित हैं।
१८ गोपनीय लेखक।
१९ नकल नवीस।
२० कोर लोगिंग लेखक।
२१ काउन्टर लखक।
२२ डाक लेखक।
२ डाक भेजने वाले लेखक (डिसपच क्लकस)।
२४ डायरिस्ट (रोजनामचा लखक)।
२५ क्षेत्रीय लेखक।
२६ अमला लेखक।
२७ आबकारी लेखक।
– खेत (फाम) के लेखक।

२९ फील्डमन तथा स्टोर कीपर और कनिष्ठ फील्डमैन तथा स्टोरकीपर।
३० फील्ड सहायक।
३१ दल (फोस) के लेखक।
३२ फर्नीचर लेखक।
३३ गजधर।
३४ राज-पत्र लेखक।
३५ प्रधान लेखक।
३६ जनगणना विभाग के निरीक्षक।
३७ गुप्त समाचारो के निरीक्षक, सब इन्सपेक्टर सहायक निरीक्षक, सायर तथा आबकारी विभाग।
३८ औजार लेखक।
३९ कनिष्ठ अथवा निम्न श्रेणी लेखक।
४० खाता जमाबन्दी लेखक।
४१ लीग लेखक।
४२ लदान कराने तथा माल बाहर भेजने वाले लेखक।
४३ कार्यालयो के पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय लेखक।
४४ उन पुस्तकालयो के पुस्तकालयाध्यक्ष जिनका उल्लेख अनुसूची प्रथम या द्वितीय मे न हो शाखा पुस्तकालयाध्यक्ष रेफरेन्स पुस्तकालयाध्यक्ष।
४५ अवकाश पर जाने वालो के स्थान पर काय करने वाले (लीव रिजर्व) लेखक।
४६ मु सरिम।
४७ मुन्शी तथा प्रधान मुन्शी।
४८ मोहरिर।
४९ मुकद्दम।
५० नाकेदार।
५१ नाजिर।
५२ सहकारी विभाग के पत्रावली विशेषज्ञ।
५३ पासल लेखक।
५४ पटवारी।
५५ वतन लेखक।
५६ पेन्शन लेखक।
५७ विभागाध्यक्षो अथवा विभाग के पदो के अतिरिक्त अधिकारियो के निजि सहायक।
५८ पेशकार तथा कनिष्ठ सहायक पेशकार।
५९ याचिका लेखक।
६० प्रूफ पढने वाले।
६१ जन सम्पर्क निदेशालय के निम्नलिखित पद —
पूछताछ अधिकारी।

समाचार सम्पादक।
समाचार सहायक।
पत्रकार (जर्नलिस्ट)।
छानबीन करने वाले (स्क्रूटिनाईजम)।
उत्पादन अधिकारी।
व्याख्याता।

६२ रीडर तथा मुख्य रीडर।
६३ पत्र प्राप्ति (रिसीट) लेखक।
६४ रकर्ड कीपस, सहायक रेकर्ड कीपस तथा अभिलेख लेखक।
६५ रिफन्ड (रकम वापसी)लेखक।
६६ रोजनामचा क्लर्क।
६७ रेफरेन्स लेखक।
६८ शाखा प्रभारी तथा शाखा (सेक्शन) के लेखक।
६९ वरिष्ठ अथवा अन्य श्रेणी लेखक जिसमे जागीर विभाग के निरीक्षक।
७० लेखन-सामग्री लेखक।
७१ सांख्यिकी लेखक।
७२ आशुलिपिक
७३ स्टौक वरीफायर्स।
७४ स्टोर कीपस तथा सहायक स्टोरकीपस।
७५ उप-खण्ड या उप क्षत्रीय लेखक।
७६ अधीक्षक जनरल अधीक्षक तथा शाखा अधीक्षक जिसमे मगनीराम बागड मेमोरियल इन्जीनियरिंग कॉलेज जोधपुर का कार्यालय अधीक्षक तथा रजिस्ट्रार सम्मिलित है।
७७ सुपरवाइजस (पयवेक्षक)।
७८ टेब्यूलेटम।
७९ टाइम कीपस तथा सहायक टाइम कीपस।
८० कार्यालय मे अनुवादकर्त्ता।
८१ यात्रा भत्ता लेखक।
८२ कार्यालयो के खजान्ची सहायक खजान्ची तथा कनिष्ठ खजान्चो।
८३ टंकण लेखक (टाइपिस्ट)।
८४ हिन्दी (वर्नाक्यूलर) लेखक।
८५ लेखक (राइटस)।
८६ ग्राम-स्तर कार्यकर्त्ता (ग्राम-सेवक)।
८७ मुहाफिजा।
८८ विभागीय परीक्षाओं के उप पजीयक।
८९ सीमा निरीक्षक।
९० बुकिंग क्लर्क तथा राजकीय यातायात सेवा सिरोही का कन्डक्टर।

९१ देवस्थान विभाग का व्यवस्थापक ग्रेड प्रथम तथा द्वितीय।
९२ , के दरोगाह ,,
९३ , का ओहदेदार
९४ का महन्त
९५ का मुखिया , ,
९६ का पुजारी , ,
९७ , , का गोस्वामी , ,
९८ उप सम्पादक।
९९ रिपोर्टर।
१०० वरिष्ठ प्रूफ पढ़ने वाला।
१०१ कृषि निदेशक का निजी सहायक।
१०२ स्टोर सुपरवाइजर (भंडार पर्यवेक्षक)।
१०३ खेल (या प्रावेट) पर्यवेक्षक तथा सहायक।
१०४ महिला पर्यवेक्षिका।
१०५ महिला दर्जी।
१०६ स्टाम्प तथा लेखा निरीक्षक।
१०७ सिंचाई विभाग के अमीन।
१०८ पथ प्रदर्शक (गाइड)।
१०९ कनिष्ठ स्वागतकर्त्ता।
११० कारिंदा।
१११ सचिवालय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के शाखा अधिकारी (सेक्शन आफिसर्स)।
११४ लेखा निरीक्षक।
११५ अभिलेख सहायक।
११४ अनुसंधानकर्त्ता।
११५ अभिलेख कर्मचारी (रेकर्ड एटण्डेन्ट)।
११६ निर्दोता (अभिलेख छांटने वाला)।
११७ संरक्षण सहायक।
११८ प्रयोगशाला सहायक।
११९ [1]सचिवालय के मुख्य अनुवादक।

१ नियुक्ति विभाग की अधिसूचना सं. एफ. २ (१९) एपाइन्टस (ए III) ६५ दिनांक ९-६-६२ द्वारा जोड़ा गया।

## [1] परिशिष्ठ १३

राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सरकार तथा पजाब विहार, मद्रास मसूर मध्य भारत हैदराबाद (दक्षिण) पेप्सू सौराष्ट्र ट्रेवनकोर, कोचीन तथा मध्यप्रदेश के मध्य वतन भत्तो, पेशन आदि के प्रभार को नियमित करने वाले नियम।

ये नियम प्रत्येक सरकार के सामने अकित दिनाक से लागू होगे

भाग ए' के राज्य

| | | |
|---|---|---|
| १ | पजाब | २१—५—१६५५ |
| २ | विहार | १—१०— १६५५ |
| ३ | मद्रास | २८—६—१६५४ |
| ४ | उडीसा | २३—११—१६५५ |

भाग 'बी' के राज्य

| | | |
|---|---|---|
| १ | मैसूर | २५—५—१६५४ |
| २ | मध्यभारत | २६—५—१६५४ |
| ३ | हैदराबाद (दक्षिण) | ११—५—१६५४ |
| ४ | पप्सू | २८—५—१६५४ |
| ५ | सौराष्ट्र | २३—८—१६५४ |
| ६ | ट्रवनकार कोचीन | ३—६—१६५४ |
| ७ | मध्यप्रदश | ११—३—१६५४ |

(१) अवकाश वेतनो से विभिन्न वेतन तथा भत्तो का प्रभार —
एकाउटेंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ के भाग बी' के सेक्शन प्रथम मे दिये गये नियम पूर्णतया लागू होगे।

(२) अवकाश वेतन का प्रभार—(क) अस्थाई स्थानान्तर —उधार देने वाली सरकार द्वारा निधारित दरा से अवकाश वेतन अ शदान वसूल कर लेने पर अवकाश सम्ब धी दातव्य समाप्त हा जायगा। अवकाश-अ शदान की वसूली विशेप असमथता शवकाश का छाडकर प्रतिनियक्ति की अवधि मे अर्जित अवकाश का भविष्य कालीन समस्त दातव्य समाप्त कर देगी। विशेप असमथता अवकाश के विपय मे बटवारा एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ के भाग बी' के सेक्शन द्वितीय के नियम ६ द्वारा शासित होगा।

(ख) स्थाई स्थाना तर —अवकाश वेतन का बटवारा एकाउ ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ के भाग बी' के सेक्शन द्वितीय नियम ३ अथवा नियम ६ के अनुसार इस आधार पर किया जायगा कि उक्त सरकारी कमचारी आया मूल नियमो

---

१ वित्त विभाग आज्ञा स एफ ६ (१६) एफ II ५४ दिनाक ६ दिसम्बर, १६५५ द्वारा जोडा गया।

के अथवा संशोधित अवकाश नियम १९३३ के अधीनस्त है। "संशोधित अवकाश नियम १९३३ (या उसके समकक्ष)" होने की स्थिति मे उधार देने वाली सरकार के दातव्य मे सरकारी कर्मचारी के स्थाई स्थानान्तर की तारीख को उनके खाते मे जमा "अर्जित अवकाश" तथा अर्ध वेतन अवकाश" दोनों सम्मिलित होगे।

मद्रास सरकार ने अर्धवेतन अवकाश सम्बन्धी बटवारे पर सहमति प्रदान नही की है।

## टिप्पणी

किसी राज्य से स्थानान्तर होने के समय यह तय किया जायगा कि आया उक्त सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा करते हुए मूल अवकाश नियमो के समकक्ष अधीनस्त अथवा संशोधित अवकाश नियम, १९३३ के अधीनस्त समझा जावे। जब इनमें से कोई भी नियम उचित रूप में लागू नही किये जा सके तो दोनो सरकारें यथा सम्भव इन नियमो के आधारभूत सिद्धान्तो के अनुरूप, इस प्रश्न का स्थानान्तर के समय तय करेंगी।

(ग) अस्थाई स्थानान्तर की दशा मे तथा स्थाई स्थानान्तर की दशा में, दोनो में अवकाश जो देय न हो उसकी स्वीकृति प्रदान करने वाली सरकार समस्त मामलो मे पहले ऐसे अवकाश के लेखे भार वहन करेगी परन्तु ऐसे अवकाश से लौटने पर कार्य सेवा द्वारा यह अवकाश पूर्णतया अर्जित होने से पूर्व उक्त सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तर अन्य सरकार में हो जाने की दशा में भार का समायोजन इस प्रकार से किया जायगा जिसके लिए सम्बन्धित दोनो राज्य सहमत हो।

(३) पैसेज के मूल्य का प्रभार —एकाउण्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ के सेक्शन तृतीय के प्रावधानानुसार पैसेज अंशदान की वसूली द्वारा यह दातव्य समाप्त हो जायगा।

(४) उपरोक्त दो मे निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण पेन्शन के बटवारे के सम्बन्ध मे भी किया जायगा। अन्य शब्दो मे अस्थाई स्थानान्तर के समस्त मामलो मे उधार देने वाली सरकार द्वारा निर्धारित पेन्शन अंशदान उधार लेने वाली सरकार से प्रतिनियुक्ति की अवधी के लिए वसूल किया जायगा परन्तु अवकाश की अवधी के लिए कोई अंशदान देय नही होगा। उधार लेने वाली सरकार का दातव्य उधार देने वाली सरकार के प्रति किसी सरकारी कर्मचारी के स्थाई रूप से स्थानान्तर हो जाने पर समाप्त हो जाता है परन्तु उधार देने वाली सरकार सरकारी कर्मचारी के उन पेन्शन प्रभारो के लिए उत्तरदायी रहेगी जो अस्थाई स्थानान्तर मे पूर्व उसके अधीन की गई सेवा के सम्बन्ध मे हो, जिसमे सेवाकाल तथा अवकाश सम्मिलित है जिसके लिए अंशदान की वसूली की जा चुकी है। इस दातव्य का पेन्शन स्वीकृत हो जाने पर अनुपातिक पेन्शन का भुगतान कर देने पर परिपालन हो जायगा जिसका बटवारा सेवाकाल की अवधि तथा एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ के सेक्शन चतुर्थ मे निर्धारित नियमो के आधार पर आवश्यक परिवर्तन सहित किया जायगा। यदि पेन्शनर अपनी पेन्शन को परिवर्तित (Commuted) कराने का हकदार है तो परिवर्तन (Commutation) का प्रभार एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ के सेक्शन चतुर्थ के

नियम ३२ के अनुसरण मे उसी क्रम से विभिन्न सरकारो के लेये अंश मविलिकरण या व्यय करने का होगा जिस क्रम मे ये अंश निम्नतर राशि से उच्चतम राशि तक बढते है।

(५) जो कर्मचारी बोनस की शर्तों मे नियुक्त हो उनके सम्बन्ध मे बोनस की राशि का प्रभार —एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ व सेक्शन पचम म दिया गया सिद्धान्त ग्रहण किया जायगा। अन्य शब्दो मे, उधार देने वाली सरकार म उधार लेने वाली सरकार मे ऐसा वानस अंशदान वसूल करेगी जिसके लिए दाना सरकारो के बीच सहमति हो जाय।

(६) आई० सी० एस० फमिली पेन्शन निधि मे सरकारी अंशदानो का भार —यह प्रश्न जहा भी तथा जब भी उठे प्रत्येक मामले मे पारस्परिक सहमती से तय किया जायगा।

(७) आई० सी० एस० अ योरपीय सदस्यगण भविष्य निधि मे सरकारी अंशदानो का भार —दातव्य का निपटारा रु० २० मासिक अस्थाई रूप से अंशदान के रूप मे निश्चित करके चालू वसूली द्वारा किया जायगा।

मद्रास सरकार ने इस व्यवस्था के लिए सहमति प्रदान नही की है।

(८) (क) अकेषण तथा हिसाब की पुस्तकें रखने मे व्यय का भार।

(ख) भूमि प्रदान तथा हस्तातरण का भार।

(ग) रेलवे पर उत्तरकालीन कृत्यो के व्यय का प्रभार जिसमे रेलवे के पुलो का सुरक्षित रखने की कीमत सम्मिलित है।

(घ) सीमाओ के सम्बन्ध मे विवाद के विभाजन चिन्ह कायम रखने के व्यय का भार।

(ङ०) सेना अथवा जलसेना की सेवा करते हुए सनिक तथा जलसनिक पदाधिकारियो तथा असनिक पदाधिकारियो की परिवार पेन्शन के सम्बन्ध मे भार।

(च) वदेशिक सेवा पर उधार दिये गये कमचारियो के सम्बन्ध मे वसूल किया गया अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान का भार।

मद्रास सरकार ने इस पर सहमति नही की है और पजाब तथा बिहार सरकारो ने प्रविष्ठिया (ङ०) तथा (च) के सम्बन्ध मे व्यवस्था के लिए सहमति प्रदान नही की है।

एकाउन्टकोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ मे निर्धारित सारभूत नियम आवश्यक परिवतन सहित ग्रहण किये जायेंगे।

अवकाश वेतन तथा पेन्शन व्यय के लिए अंशदानो की दरें सामान्यतया वही होगी जो वदेशिक सेवाये केन्द्रीय सरकारी कमचारी पर लागू होती हैं।

### [१]राजस्थान सरकार का निर्णय

[१] १ नवम्बर, १९५६ से राज्यो के पुनः सगठन तथा अभी तक की भाग ए तथा भाग बी के राज्यो के अन्तधान हो जाने के फलस्वरूप यह तय किया गया है कि प्रति

१ वित्त विभाग म एफ ७ ए (४३) एफ ड़ी (ए) रूल्स ५८ दिनाक ८-८-६० द्वारा जोडा गया।

नियुक्ति पर आये हुए तथा केन्द्रीय सरकार से स्थानातरित अथवा इसके विपरीत सरकारी कमचारियो के अवकाश वेतन, पन्शन आदि का भार १ नवम्बर, १९५६ से कम्पट्रोलर तथा महालेखापाल द्वारा जारी किये गये एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित होगे। १ नवम्बर, १९५६ से पव दी गई सेवाओ के विषय का भार राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ठ १३ मे समाविष्ट प्रक्रिया के अनुसार जहा कही भी इस तारीख से पहले लागू थे, नियमित होगे और उत्तराधिकारी राज्यो के बीच दातव्यो का विभाजन स्टट्स री ओर्गेनिजेशन एक्ट १९५६ के प्रावधानो के अनुसार होगा। इसके उप सिद्धान्तनुसार जो भी अ शदान केन्द्रीय सरकार से १ नवम्बर १९५६ से केवल उपरोक्त परिशिष्ठ १ मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया गया हो वह उन मामलो मे वापिस करना होगा जिनमे एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ मे निर्धारित प्रक्रिया क आधीन अ शदान भुगतान करने से केवल विभिन्न तरीके के अनुसार दातव्य तया करना अपेक्षित हो।"

## राजस्थान सरकार का निर्णय

[1] वतमान आज्ञाओ आदेशो का अतिक्रमण करते हुए यह आज्ञा दी गई है कि जसा कि राजस्थान सरकार तथा निम्नलिखित राज्य सरकारो के बीच पारस्परिक सहमति हुई है। राजस्थान सरकार से प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तर पर निम्नलिखित सरकारो मे गये हुए अथवा इसके विपरीत आये हुए सरकारी कमचारियो के अवकाश वेतन प शन आदि का भार १ नवम्बर १९५६ से कम्पट्रोलर तथा भारत के महालेखा पाल द्वारा जारी की गई एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित होगा। राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ठ १[2] मे निधारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार से वसूल किया गया कोई अ शदान ऐसे मामलो मे वापस करना पडेगा जिनमे दातव्य एकाउन्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ठ ३ मे निर्धारित प्रक्रिया के अधीन अ शदान के भुगतान से विभिन्न निपटारा करना अपेक्षित हो। राज्यो के नाम –

| | |
|---|---|
| (१) मध्यप्रदेश | (२) मैसूर |
| (३) महाराष्ट्र | (४) गुजरात |
| (५) पजाब | (६) बिहार |

१ वित्त विभाग स एफ ७ ए (४३) एफ डी ( ए ) रूल्स / ५८, दिनाक १२-८-६१ तथा दिनाक १५-१२-१९६१ द्वारा जोडा गया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ ७ ए (४३) एफ डी /-ए (रूल्स) ५८, दिनाक २३-८-१९६२ द्वारा जोडा गया।

(७) आन्ध्रप्रदेश (८) मद्रास

(९) केरल (१०) असम

(११) पश्चिम बंगाल (१२) उत्तर प्रदेश

(१३) उडीसा

---

## परिशिष्ट १४

### सूची 'क'

### विभागाध्यक्षों की सूची (प्रथम श्रेणी)

१ एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता)
२ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
३ मुख्य वन संरक्षक [चीफ कन्जरवेटर आफ फॉरेस्ट]
४ मुख्य अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिकी
५ मुख्य अभियन्ता, भवन एवं सड़क
६ मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
७ आयुक्त, आबकारी एवं करारोपण, राजस्थान
८ आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
९ मुख्य निर्वाचन अधिकारी (अस्थाई)
१० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
११ अपर आयुक्त, बिक्रीकर एवं कृषि आयकर, राजस्थान
१२ निदेशक, शिक्षा विभाग
१३ निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
१४ क्षेत्रीय आयुक्त [डिवीजनल कमिश्नर्स]
१५ निदेशक, खान एवं भूगर्भ विज्ञान
१६ निदेशक, कृषि एवं खाद्य आयुक्त राजस्थान
१७ संयुक्त विकास आयुक्त
१८ विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
१९ महानिरीक्षक पुलिस
२० महानिरीक्षक, कारागार
२१ महानिरीक्षक, पञ्जीयन एवं स्टाम्प्स
२२ जागीर आयुक्त
२३ श्रम आयुक्त
२४ विधि परामर्शदाता [लीगल रिमेम्ब्रन्सर]
२५ सदस्य औद्योगिक न्यायाधिकरण

२६ पंजीयक, सहकारी समितियाँ
२७ (सैटलमेंट) भूप्रबन्ध आयुक्त
२८ निदेशक, परिवहन विभाग
२९ भ्रष्टाचार निवारण अधिकारी
३० निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उस अवधि तक के लिए जब तक कि यह पद वरिष्ठ आई ए एस [अधिकारी] द्वारा धारण किया जाए।
३१ प्रबन्धक, गंगानगर शुगर फक्ट्री
३२ अपर निदेशक, शिक्षा
३३ निदेशक, तकनीकी शिक्षा
३४ निदेशक बीमा
३५ आयुक्त देवस्थान
३६ निदेशक जोत एकीकरण [डाईरेक्टर आफ कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्ज]
३७ प्रधानाचार्य, अधिकारी प्रशिक्षण लय जोधपुर।
३८ मुख्य लेखाधिकारी चम्बल परियोजना
३९ विशिष्ट महानिरीक्षक, पुलिस
४० निदेशक पशुचिकित्सा एवं पशुपालन विभाग
४१ अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मण्डल
४२ अध्यक्ष राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल
४३ मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना
४४ द्वितीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
४५ निदेशक, जिला गजेटियस
४६ आयुक्त, उपनिवेशन चम्बल परियोजना, कोटा
४७ निदेशक, रोजगार कार्यालय।
४८ सचिव, राजस्थान नहर मण्डल [केवल मण्डल के कार्यालय के लिए]
४९ अध्यक्ष, राजस्थान नहर मण्डल एवं प्रशासक राजस्थान नहर परियोजना
५० आयुक्त, खाद्य रसद एवं पदेन शासन सचिव
५१ उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना
[१]५२ मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना जयपुर
५३ सचिव राजस्थान विधान सभा
५४ सदस्य अपीलीय न्यायाधिकरण परिवहन विभाग राजस्थान
५५ प्रधानाचार्य, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर [समस्त संस्थाओं एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान से गवर्निंग मण्डल के अधीन मण्डलों के सम्बन्ध में]
५६ मुख्य अभियन्ता, राणा प्रताप सागर बांध
५७ खाद्य एवं अकाल सहायता विभाग
५८ निदेशक, उपनिवेशन चम्बल परियोजना कोटा

---

१ वित्त विभाग के आदेश स एफ ५ ए(५) एफ डी (ए) नियम/६१ दि० १० १ ६२)

५९ प्रधानाचार्य, राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर
६० मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग [स्वास्थ्य] राजस्थान, जयपुर
६१ निदेशक, राजस्थान भूतल जल मण्डल
[२]६२ सचिव, राजस्थान खनिज, मानिक एवं वमानिक मण्डल

## सूची "ख"
## विभागाध्यक्षों की सूची (प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त)

१ अपर जागीर आयुक्त
२ मुख्य सांख्यिकी अधिकारी
३ मुख्य अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय
४ मुख्य अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
५ अध्यक्ष, आयुर्वेदिक व यूनानी सिस्टम के रजिस्ट्रेशन का मण्डल
६ सक्षम अधिकारी [निष्क्रायण सम्पत्ति] (Evacvee Property) जयपुर
७ मुख्य पंचायत अधिकारी
८ जिलों के जिलाधीश
९ कमाण्डेण्ट, नेशनल केडिट कोर
१० निदेशक आयुर्वेदिक विभाग
११ निदेशक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग
१२ निदेशक स्थानीय निकाय (लोकल बाडीज)
१३ निदेशक, समाज कल्याण विभाग
१४ निदेशक, उपनिवेशन, (कोलोनाइजेशन) हनुमानगढ़
१५. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
१६ परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण (लोकल फंड आडिट) विभाग
१७ पुरातत्व मन्दिर का प्रधान
१८ प्रबन्धक, आयुर्वेदिक फार्मेसीज
१९ स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य
२० प्रधानाचार्य फोर्ड फाउण्डेशन प्रशिक्षण केन्द्र, छत्रपुरा (कोटा)
२१ प्रधानाचार्य एम बी एम इन्जिनियरिंग कालेज, जोधपुर
२२ पंजीयक राजस्थान उच्च न्यायालय
२३ विशेष अधिकारी, नगर सुधार मण्डल एवं सचिव, नगर सुधार मण्डल
२४ सचिव, लोक सेवा आयोग
२५ भेड़ एवं ऊन सुधार अधिकारी

---

२ संख्या एफ१ (७६) वित्त वि (व्यय नियम) ६७ दि ३०-१२ ६७ द्वारा जोड़ा गया)

पृष्ठ १६२

२६ अधीक्षक गजेटियर

२७ अधीक्षक, आयुर्वेदिक स्टडीज

२८ प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

२९ प्रधानाचाय, एस के एन कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

३० प्रशासनिक अधिकारी, विद्युत एव यान्त्रिकी विभाग, वित्त विभाग के आदेश स० एफ १६ (११) एफ ११/५५ दिनांक १३-१० ५६ में वर्णित मदो के सम्बन्ध मे)

३१ निदेशक, अकाल सहायता विभाग

३२ विशिष्ट अधिकारी, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर

३३ विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, आयोजना, निम्न योजनाओं के सम्बन्ध में

(क) उच्च उद्देशीय स्कूल एव उच्चतर माध्यमिक स्कूल

(ख) केन्द्रीय, समागीय एव जिला स्तरीय पुस्तकालय

(ग) समाज शिक्षा ।

३४ विशिष्ट अधिकारी राजस्थान कालेज

३५ उपनिवेशन अधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर

३६ उपनिवेशन अधिकारी चम्बल परियोजना कोटा

३७ सचिव राजस्थान मण्डल (भू अभिलेख) केवल पशु गणना काय के मामले मे

३८ उप शासन सचिव नियुक्ति (ख) सचिवालय के अधीनस्थ लिपिक वर्गीय कमचारियो एव चतुथ श्रेणी कमचारियों के सम्बन्ध मे ।

३९ वक्फ आयुक्त

४० सचिव राष्ट्रीयकरण पाठय पुस्तक मण्डल

४१ प्रधानाचाय पोलीटेकनीक

४२ प्रधानाचाय एडीशनल एक्सटन्शन ट्रेनिंग सेन्टर सुमेरपुर

४३ निदेशक सहायता एव पुनर्वास

४४ निदेशक संस्कृत शिक्षा

४५ निदेशक आर्थिक एव औद्योगिक सर्वेक्षण

४६ प्रधानाचाय लेखा प्रशिक्षणालय जयपुर

४७ निदेशक राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

४८ प्रधानाचाय सवाईमानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर

४९ उपनिवेशन अधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर

५० विद्युत निरीक्षक

५१ जनरल मेनेजर राजस्थान राज्य परिवहन

५२ निदेशक मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग

५३ जनरल मनजर राजस्थान लवण स्रोत

५४ प्रधानाचाय व्यायाम शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर

[2]५५ उपशासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, राजस्थान में सरकट हाउसों एव राजस्थान हाउस न्यू देहली एव गवनमेण्ट होस्टल जयपुर के सम्बन्ध मे ।

---

२ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (२५) वियम ६६ दि २१ मई, १९६६)

## परिशिष्ट १५

ड्यूटी पर स्थानान्तरण अथवा अवकाश से वापसी जैसे मामलो मे अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की तैयारी को विनियमित करने हेतु नियन्त्रक और महालेखा निरीक्षक द्वारा निर्मित नियम —

१ ड्यूटी पर स्थानान्तरण दो प्रकार का हो सकता है –

(i) सरकारी कर्मचारी एक अंकेक्षण सर्किल या क्षेत्र से दूसरी अंकेक्षण सर्किल या क्षेत्र मे ड्यूटी पर रवाना हो सकता है ।

(ii) सरकारी कर्मचारी उसी अंकेक्षण सर्किल या क्षेत्र मे ड्यूटी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रवाना हो सकता है ।

(२) पहले प्रकार की स्थिति मे उक्त प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार दिया जाना चाहिये —

(अ) यदि सरकारी कर्मचारी महालेखाकार के अपने क्षेत्र के स्टेशन पर ही नियोजित है तो यह प्रमाण पत्र उसी अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिये बशर्ते कि आडिट आफिस मे पूर्व अंकेक्षा (प्री आडिट) के बाद भुगतान करने की पद्धति का अनुसरण किया जाता हो अन्यथा नीचे के अनुच्छेद ब मे दी हुई प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जायेगा ।

(ब) यदि सरकारी कर्मचारी को अपने नये क्षेत्र को जाते समय उस स्टेशन से रास्ते मे गुजरना पडता हो तो प्रमाण-पत्र उस अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिये जो उस कोषागार का प्रभारी अधिकारी है जहा से कर्मचारी का पिछला वेतन उठाया और महालेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो ।

(स) यदि सरकारी कर्मचारी महालेखाकार के स्टेशन पर न तो नियोजित ही है और न उसे वहा होकर गुजरना ही पडता है तो यह प्रमाण-पत्र कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिये और उसकी एक अनुलिपि कोषागार अधिकारी द्वारा महालेखाकार के प्रति हस्ताक्षर हेतु एव स्थानान्तरित किये हुए सरकारी कर्मचारी के नये क्षेत्र के महालेखाकार को भेजे जाने हेतु अग्रेषित की जानी चाहिये ।

अपवाद —पूर्वगत नियम के अपवाद स्वरूप एक आडिट सर्किल या क्षेत्र से दूसरे आडिट सर्किल या क्षेत्र में स्थानान्तरित अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी का अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिया जा सकता है और सम्बद्ध महालेखाकार द्वारा उसके प्रतिहस्ताक्षरित होने की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु भारत से बाहर स्थानान्तरण होने की स्थिति मे अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र पर महालेखाकार के हस्ताक्षर होने ही चाहियें ।

(३) स्थानान्तरण के दूसरे मामले मे सरकारी कर्मचारी को उस कोषागार के प्रभारी अधिकारी से ही अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र देना होगा जहा से उसने पिछला वेतन उठाया हो, अथवा यदि वह अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी है तो उस कार्यालयाध्यक्ष से लेना होगा जिसके अधीन पिछली बार नियोजित था ।

(४) ड्यूटी पर वापस होने से पूर्व जिस सरकारी कमचारी ने भारत मे ही अपना अवकाश-वेतन उठाया हो तो उसे उस महालेखाकार से अ तिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिये जिसके द्वारा अथवा जिसके क्षेत्राधिकार मे उसका पिछला अवकाश वेतन भुगताया गया हो।

(५) ऊपर अ तिम सभी मामलो मे "अ तिम-वेतन प्रमाण पत्र" अनुलग्नक मे दिखाये गये फाम मे तैयार किया जायेगा। इस फाम मे फण्ड की कटौती के विवरण दिये जाने की भी व्यवस्था है, यद्यपि उनके सही होने के लिये बिल तैयार करने वाला अधिकारी ही उत्त दायी है, किंतु अ तिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार करने वाला अधिकारी जाने वाले सरकारी कमचारी से किसी कानूनी अदालत द्वारा दिये गये वेतन की कुर्की के आदेश, जिसका कि उस कमचारी को उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार करने से पूर्व नोटिस मिल चुका हो के अधीन की जाने वाली वसूलियो सहित अन्य समस्त मागो को ही प्रमाण-पत्र मे अ कित करने का उत्तरदायी नही है अपितु ऐसी मागो की वसूली की सूचना उस कोषागार कार्यालय या वेतन उठाने वाले कार्यालय को देने का भी उत्तर दायी है जहां से भविष्य मे वह सरकारी कमचारी अपना वेतन उठायेगा।

(६) उसी आडिट सर्किल मे एक जिले से दूसरे जिले मे स्थानातरण के सभी मामलो मे अ तिम वेतन प्रमाण-पत्र मे पिछला नियमित या मासिक भुगतान विशेष रूप से अ कित होना चाहिये तथा जहा किसी सरकार के कोषागार नियमो या वित्तीय नियमो मे कुछ विरुद्ध प्रावधान हो उन मामलो को छोडकर अन्य सभी में जिस माह में स्थानातरण किया गया है उसका पूरा वेतन नये जिले में ही भुगताया जाना चाहिये।

(७) किसी भी रैंक के ऐसे सरकारी कमचारियो के वेतन बिलो पर केवल राज पत्रित सरकारी कर्मचारियो के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर ही इन नियमो की खातिर अ तिम वेतन प्रमाण-पत्र माने जा सकते हैं जिन्हे कि सरकार के मुख्यालय के किसी पहाडी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर जिसे कि तत्समय सरकार ने मुख्यालय घोषित कर दिया हो जाना पडता हो।

कटौतियाँ

३ उन्होंने दिनाक को पूर्वाह्न । मध्याह्न मे के पद का काय भार सौप दिया है ।

४ इस सरकारी कर्मचारी के वेतन से 'प्रतिलोम' मे अन्तिम वसूलिया की जानी हैं ।

५ इन्हें निम्नानुसार अवकाश-वेतन भुगता दिया गया है । प्रति लोम मे अन्तिम कटौतिया कर ली गई हैं ।

| अवधि | | | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|
| दिनाक | से दिनाक | तक | रु प्रतिमास की दर मे | रु |
| दिनाक | से दिनाक | तक | रु प्रति मास की दर से | रु |
| दिनाक | से दिनाक | तक | रु प्रति मास की दर से | रु |

६ ये निम्नलिखित आहरण करने के हकदार हैं —

७ ये दिन की कार्य ग्रहण अवधि के भी हकदार हैं ।

८ चालू वर्ष की आरंभ तिथि से इनसे वसूल किये गये आयकर का विवरण प्रतिलोम मे अ कित कर दिया गया है ।

दिनाक १९ (हस्ताक्षर)
(पद)

प्रतिलोम (रिवर्स)

वसूलियों का विवरण

वसूली का स्वरूप

राशि रु ।

किस्तो मे वसूल किया जाते हैं ।

अवकाश वेतन मे से की गई कटौतिया —

| | | | |
|---|---|---|---|
| के कारण दिनाक | से दिनाक | तक | रु |
| के कारण दिनाक | से दिनाक | तक | रु |
| के कारण दिनाक | से दिनाक | तक | रु |

| महीना के नाम | वेतन | ग्रेचुइटी शुल्क आदि | निधि तथा अन्य कटौतिया | वसूल किये गये आयकर की राशि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| अप्रेल १९ | | | | | |
| मई १९ | | | | | |
| जून १९ | | | | | |
| जुलाई १९ | | | | | |
| अगस्त १९ | | | | | |
| सितम्बर १९ | | | | | |
| अक्टूबर १९ | | | | | |
| नवम्बर १९ | | | | | |
| दिसम्बर १९ | | | | | |
| जनवरी १९ | | | | | |
| फरवरी १९ | | | | | |
| मार्च १९ | | | | | |

## परिशिष्ट १६
### महगाई भत्ते की दरें तथा महगाई भत्ता उठाने के लिये नियम

महगाई भत्ता एक क्षति पूरक भत्ता है और राजस्थान सेवा नियम भाग १ के नियम ४२ के अधीन महगाई भत्ता और विशेष अनाज भत्ता स्वीकार करने के लिये जारी पिछले सभी आदेशो का अधिक्रमण करत हुए महगाई भत्ता सभी सरकारी कम चारिया को मजूर किया गया है।

भत्ते की दरें तथा प्रयोज्यता —नीचे दी हुई महगाई भत्ते की दरें दिनांक १ ४ १६५० से राजस्थान राज्य के सभी सरकारो कमचारियो पर लागू होगी।

| वेतन | महगाई भत्ते की दरें |
|---|---|
| ३६ रु प्रति माह तक | १२ रु प्रति माह |
| ४० रु से ६६ रु प्रति माह तक | १५ रु प्रति माह |
| १०० रु से १६६ रु ,, | २० रु प्रति माह |
| २०० रु से ४६६ रु ,, | २५ रु ,, ,, |
| ५०० रु से ६६६ रु ,, | ३० रु ,, ,, |
| ७०० रु से १००० रु ,, ,, | ४० रु ,, ,, |

जिन सरकारी कमचारिया को १००० रु मासिक से अधिक वेतन मिलता है उन्हे महगाई भत्ता इतना ही मिलेगा जो कि वेतन के साथ मिलकर १०४० रु मासिक की राशि हो सके।

#### टिप्पणी

वेतन मे विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन तथा कान्स्टबल और हैडकान्स्टेबल के मामले मे सायरता भत्ता सम्मिलित है।

(२) किन पर लागू नही है —यह आदेश निम्न सरकारी कमचारियो पर लागू नही होगा —

(अ) ठेके पर सेवा करने वाले कमचारी

(ब) जिन की सेवायें दूसरी सरकार से उधार ली गई हैं

(स) जो अ श कालिक कमचारी है या जिन्हे फुटकर मद से वेतन प्राप्त होता है।

( द ) भू राजस्व या अन्य विभागों के वे कमचारी जिनकी कि अधिसूचना जारी की जाये।

( य ) सरकारी मुद्रणालयो जल एव विद्युत प्रतिष्ठानो और सावजनिक निर्माण विभाग की कमशालाओ के औद्योगिक कमचारी (अर्थात प्रशासनिक, अधिशासी, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाओ के कमचारियो को छोडकर अन्य कमचारी)

---

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सख्या एफ १० (३५) जी ए/५० दिनाक १२ जुलाई १६५० द्वारा सम्माविष्ट।

## राजस्थान सरकार का निर्णय

[1]इकाई महगाई भत्ते को स्वीकार्यता —वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ८ (१७) आर/५५ दिनाक ६ ६ ५५ के अनुच्छेद २ की सीमा के सम्बन्ध में पुराने इकाई मान से पूव-प्रसविद कर्मचारियों के महगाई भत्ता उठाने के विषय में सन्देह उत्पन्न होने पर निर्णय किया गया है कि केवल वही सरकारी कर्मचारी जो राजस्थान सिविल सेवा (वेतन मान एकीकरण) नियम एवं अनुसूची १६५७ के नियम ४ के अधीन अंतिम रूप से एकीकृत वेतन मान की अपेक्षा इकाई-वेतन को ही स्वीकार करते हैं वही उक्त आदेश की शर्तों मे पुराने इकाई मान से महगाई भत्ता उठाने के हकदार हैं उपर्युक्त आदेश की मंशा यह नहीं है कि यह लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जा सके कि जिन्होंने एकीकृत वेतन मान दिनाक १-४-५७ के बाद की तिथि से स्वीकार किये हैं।

[2]२ सशोधित दरें एव उनकी प्रयोज्यता —सरकारी आदेश संख्या १ मे स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दरो की बजाय यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक १ जनवरी १६५१ से महगाई भत्ते की निम्नलिखित दरें राजस्थान सरकार को अधिकार देने वाले नियम के अधीन सभी सरकारी कर्मचारियो पर लागू होगी —

| वेतन | महगाई भत्ते की दरे |
|---|---|
| ४० रु मासिक से कम | १५ रु प्रति माह |
| ४० रु या इससे अधिक किन्तु ६० रु मासिक से कम | २० रु प्रति माह |
| ६० रु या इससे अधिक किन्तु १०० रु० मासिक से कम | २५ रु प्रति माह |
| १०० रु या इससे अधिक किन्तु २०० रु मासिक से कम | ३० प्रति माह |
| २०० रु या इससे अधिक किन्तु ५०० रु मासिक से कम | ३५ रु प्रति माह |
| ५०० रु या इससे अधिक किन्तु ७०० रु मासिक से कम | ४० रु प्रति माह |
| ७०० रु से १००० रु मासिक तक | ५० रु प्रति माह |

जिन सरकारी कर्मचारियों को १००० रु से अधिक वेतन मिलता है उन्हे मंहगाई भत्ते की राशि इतनी दी जायेगी कि जो वेतन के साथ मिलकर कुल राशि को १०५० रु० कर देगी।

[1] वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ८ (१७) आर/५५ (एफ डी) ए/ रूल्स दिनाक ७ मार्च १६५७ द्वारा सम्मिलित किया गया।

[2] वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ (१) आर/५१ दिनाक ११ जनवरी १६५१ द्वारा समाविष्ट

२—किन पर लागू नहीं है —यह आदेश निम्न सरकारी कमचारियो पर लागू नही होगा —

(अ) ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी।
(ब) जिनकी सेवायें दूसरी सरकार से उधार ली गई हैं।
(स) जो अ शकालिक कमचारी है या जिन्हें फुटकर मद से वेतन प्राप्त होता है।
(द) भू राजस्व या अन्य विभागो के वे कमचारी जिनकी कि अधिसूचना जारी की जाये।
(य) सरकारी मुद्रणालयो, जल एव विद्युत प्रतिष्ठानो और सावजनिक निर्माण विभाग की कर्मशालाओ के औद्योगिक कमचारी ( अर्थात् प्रशासनिक, अधिशासी लिपिक वर्गीय और चतुथ श्रेणी सेवाओ के कर्मचारियो को छोडकर अन्य कमचारी)।

[1]२ (I) (अ) सरकारी आदेश सख्या २ मे स्वीकृत महगाई भत्ते की दरो को अ शत सशोधित करते हुए यह आदेश दिया गया था कि जिन सरकारी कमचारियों परिलाभ (यानी वेतन और महगाई भत्ता दोनो,) १०० रु प्रति मास से अधिक न हो उन्ह दिनाक १ ४ ५७ से महगाई भत्ते मे ५ रु मासिक की तदथ वृद्धि निम्नानुसार दी जायेगी —

| वेतन | महगाई भत्ते की दरें |
|---|---|
| ४० रु मासिक से कम | २० रु प्रति माह |
| ४० रु या इससे अधिक किन्तु ६० रु मासिक से कम | २५ रु प्रति मास |
| ६० रु या इससे अधिक किन्तु ७० रु मासिक तक। | ३० रु प्रति मास |

जिन सरकारी कमचारियो को ७० रु प्रति मास से अधिक वेतन मिलता हो उन्हें महगाई भत्ते की यह तदथ वृद्धि उस राशि के बराबर दी जायेगी जिससे कि महगाई भत्ता और वेतन दोनो मिलकर १४० रु प्रति मास से कम हो जाय। यह तदर्थ वृद्धि केवल उन्ही कमचारियो को स्वीकाय होगी जिनकी वतमान महगाई भत्ते की दर उन्ही के समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कमचारियो को मिलने वाले महगाई भत्ते की दरो से कम हैं।

[2]२ (I) (ब) अल्प वेतन भोगी कर्मचारियो को कुछ और राहत देने के प्रयत्न स्वरूप राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि सरकार को अधिकार प्रदान करने वाले वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१८२) ए/रूल्स/५६ दिनॉक २० ३ १९५७ के

१ वित विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१८२) ए/रूल्स/५६ दिनांक २०-३-५७ द्वारा सम्माविष्ट

२ वित विभाग के आदेश सख्या एफ १(१८२) एफ डी ए/रूल्स १५८ दिनांक २-१०-५८ एव सख्या एफ १ (२) एफ डी ए १५९ दिनांक २७-४-६० द्वारा सम्माविष्ट

साथ पठित आदेश सख्या एफ. ७ [१] आर/दिनाक- ११–१–१९५१ के नियम के अधीन २५० रु मासिक तक वेतन पाने वाले, जिन सरकारी कर्मचारियो पर उक्त आदेश लागू हैं उन्हे दनाक १-१० १९५८ से ५ रु मासिक की तदथ वृद्धि म हगाई भत्ते मे और स्वोकाय होगी । म हगाई भत्ते मे उक्त तदर्थ वृद्धि के फल स्वरूप म हगाई भत्त की सशोधित दरें निम्नानुसार होगी —

| [illegible] वेतन | नई दरें |
|---|---|
| १ ४० रु से कम | २५ रु |
| २ ४० रु या इससे अधिक किन्तु ६० रु से कम | ३० रु |
| ३ ६० रु या इसस अधिक किन्तु ७० रु तक | ३५ रु |
| ४ ७० रु से अधिक किन्तु १००रु कम | ३० रु |

टिप्पणी

वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ (१८२)/रूल्स/५६ दिनाक २० ३ ६७ के अधीन महगाई भत्ते में तदथ वद्धि के कारण ग्रोपातिक समाधान के अधिकारी कमचारी उक्त ५ रु की तदथ वद्धि के अतिरिक्त यह लाभ तब तक पाने के हकदार बने रहेगे जब तक कि उनका वेतन ७५ रु तक पहुँचता है। यह दिनाक १ १० १९५८ से प्रभावशील होगा।

| | |
|---|---|
| ५ १००रु या इससे अधिक किन्तु २०० रु से कम। | ३५ रु |
| ६ २०० रु या इससे अधिक किन्तु २५० रु तक। | ४० रु |

टिप्पणी

जिन सरकारी कर्मचारियो को २५० रु से अधिक किन्तु २५५ रु से कम वेतन मिलता हो उन्हे महगाई भत्ते की इतनी राशि मिलगी कि जो वतन सहित २९० रु हो सके।

(२) महगाई भत्ते की तदथ वृद्धि उन कर्मचारियो को स्वीकाय होगी जिनका वतमान महगाई वेतन सहित महगाई भत्ते का मान केन्द्रीय सरकार के उसी के समान वेतन पाने वाले कर्मचारियो को मिलने वाले महगाई भत्ते के मान से कम है।

[1]३ अल्प वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियो को और राहत देने के प्रयत्न स्वरूप यह आदेश दिया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियो पर वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १,(१८२) एफ डी /ए/रूल्स/५६ दिनाक २० ३ १९५७ एव २ १० १९५८ के साथ पठित वित्त विभाग का आदेश स एफ ७ (१) आर/५१ दिनाक ११-१ ५१ जैसा कि वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (सी) (२) एफ डी /ए/रूल्स/५६ दिनाक २७ ४ ६० द्वारा सशोधित है, लागू होता है और जो ३१५ रु प्रति मास तक कुल परिनाभ प्राप्त

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (सी) (१२) एफ डी (ए) रूल्स/६० दिनांक १८ १० ६० द्वारा सम्मविष्ट।

करते हैं, उन्हें दिनाक १ जुलाई १९६० से ५ रु प्रति मास की तदर्थ वृद्धि महगाई भत्ते मे दो जा सकती है। यदि ये कुल परिलाभ ३१५ रु से ज्यादा है किन्तु ३२० रु से कम है तो इस तदर्थ वृद्धि की राशि इतनी होगी कि कुल प्राप्त परिलाभ ३२० रु हो सके।

इस आदेश के प्रयोजनार्थ 'परिलाभों' का तात्पय (जैसा कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम ७ (२४) में परिभाषित है) वेतन और महगाई वेतन सहित महगाई भत्ते से है।

ऊपर स्वीकृत तदर्थ-वृद्धि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम १९५७ के नियम १४ के अधीन सरक्षित मंहगाई वेतन पाने वाले व्यक्तियो को स्वीकाय नही होगी।

[1]४ राजस्थान सरकार का निणय सख्या ४ - भारत के सविधान की धारा ३०९ के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार के कमचारिया को स्वीकाय महगाई भत्ते की दरे निम्न प्रकार सशोधित की जायेगी

| वेतन | महगाई भत्ता |
|---|---|
| १५० रु से नीचे | १०) रु० |
| १५०) और इससे अधिक किन्तु ३००) से कम | २०) रु० |
| ३००) और इससे अधिक | ऐसी राशि जिससे वेतन ३००) से कम न हो सके |

आदेश सख्या जी ए डी क्रमाक एफ १० (७५) जी, ए /५० दिनाक १२ ७ १९५०, वित्त विभाग के आदेश स एफ ७ (१) आर/५१ दिनाक ११ १-१९५१, एफ १ (१८२) ए/आर/५६ दिनाक २० ३ ५७, एव २ १० १९५८, एफ १ (सी) (२) एफ डी /ए/५९ दिनाक २७ ४ १९६० और एफ १ (सा) (१२) एफ डी /ए/६० दिनाक १८ १० १९६० मे निर्धारित दरो का अधिक्रमण करते हुए उक्त दरें दिनाक १ सितम्बर १९६१ से प्रभावशील होगी एवं उन सरकारी कर्मचारियो पर लागू होगी जो राजस्थान सिविल सेवायें (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन सशोधित वेतन मान स्वीकार करते हैं या जि ह इन सशोधित वेतन मान मे हो लगा दिया जाता है। महगाई भत्ते की सशोधित दरो का कोई भी अंश किसी भो प्रयोजन से वेतन जैसा नहीं माना जायेगा।

जो सरकारी कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवायें (स शोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन चालू वेतन मान ही रखना स्वीकार करते हैं, उन्हे फिर भी दिनांक ३१ अगस्त १९६१ को प्रभावशील दरों पर ही महगाई-भत्ता तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि वे वर्तमान वेतन-मान में ही वेतन प्राप्त करते रहेंगे। उन सरकारी कर्मचारियों के मामलो में जिन्हें कि महंगाई भत्ता पुरानो दरो पर ही वसूल करने की आज्ञा है उन पर कि ही प्रयोजनो के लिये महगाई भत्ते के कुछ हिस्सा को वेतन माने

१ वित विभाग का आदेश सख्या एफ १ (५१) एफ डी/ए/आर/६१ दिनाक १२ १२ ६१

जाने वाले एव समय समय पर साशोधित वित्त विभाग के आदेश स ४६४१/४८/एफ ७ए (१४) एफ डी /ए/आर/५८ दिनाक २-३-१९५९ के प्रावधान ही लागू होते रहगे।

महगाई भत्ता चाहे उपयुक्त अनुच्छेद १ मे अकित नई दरो पर वसूल किया जाय या दिनाक ३१ अगस्त १९६१ को प्रभावशोल दरो पर, दोनो ही स्थितिया मे इसकी स्वीकृति महगाई भत्ता वसूल करने के लिये राजस्थान सेवा नियम भाग II की परिशिष्ट १९ मे दिये हुए नियमो के अनसार, जिनको कि समय समय पर साशोधित अथवा स्पष्ट किया जाता रहा है निम्नलिखित मामलो का छोडकर विनियमित की जायेगी —

(1) जो सरकारी कमचारी नि शुल्क आवास तथा भोजन की रियायत पाने के अधिकारी हैं और यह उन्हे सेवाओ की शत के रूप में प्राप्त होती हैं और जो १ सितम्बर १९६१ से लागू साशोधित वेतन मान स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हे किसी भी प्रकार का महगाई भत्ता नही दिया जायेगा।[1]

(ii) अवकाश के दौरान महगाई भत्ता अवकाश वेतन के आधार पर नई या पुरानी दरों पर जैसा कि अवकाश वेतन नई या पुरानी वेतन दरो पर, प्राप्त होगा, ही दिया जायेगा। ऐसे मामलो मे जहा कि सरकारी कर्मचारी ने अवकाश से पूव दस महीने के दौरान वेतन तथा महगाई भत्ता कुछ पुरानी दरो पर और कुछ नई दरो पर प्राप्त किया है तो वहा पर अवकाश वेतन, अवकाश से पूव दस माह के दौरान उठाये गये साशोधित दरों के वेतन तथा पुरानी दरो पर उठाये गये वेतन एव महगाई भत्ते के औसत के बराबर ही होगा। ऐसी स्थिति मे महगाई भत्ते का राशि ऊपर अनुच्छेद १ मे अकित दरो पर इस पर फलित अवकाश वेतन के आधार पर ही गणना करके दिया जायेगा।

१५ वित्त विभाग के आदेश स एफ, १ (१८२) एफ डी (ए) रूल्स/५६ दिनाक २-१०–१९५८ मे निर्धारित शर्तो की सीमा के सम्बन्ध मे कुछ सन्देह प्रकट किये गये हैं। मामलों की जाच की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि दिनाक ३१ १० १९५६ को केन्द्रीय सरकार के कमचारियों पर लागू महगाई भत्ते की दरें ही उक्त आदेश के अनुच्छेद २ के प्रयोजनार्थ काम मे ली जानी चाहिये तथा दिनाक १ ११-१९५६ को या इसके बाद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते की उत्तर वर्ती वृद्धि का काम मे नही लिया जाना चाहिये।

उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान मे रखते हुए जिन व्यक्तियो ने दिनाक १-१०-१९५८ को या इसके बाद राजस्थान सेवायें (सेवा शर्तो का सरक्षण) नियम १९५७ के अनुसार उन्हीं दरा पर जो कि दिनाक १-११-१९५६ को स्वीकार्य थी, महगाई भत्ता उठाया या उन्हे उपयुक्त आदेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते में ५ रु० की तदर्थ वृद्धि नहीं दी जायेगी। वे इसके हकदार नही होंगे।

---

१ वित्त विभाग का ज्ञापन सख्या एफ १(सी) (७) एफ डी नियम/६० I दिनाक ६ १ १९६२

[१]६ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (सी) (१२) एफ डी (ए) नियम/६ दिनाक १८ १० १९६० के अनुच्छेद ३ द्वारा इस आदेश के अधीन स्वीकृत महगाई भत्ते की तदर्थ वद्धि उन कर्मचारियो को स्वीकाय नही थी जो राजस्थान सिवि सेवायें *(सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम १९५७ के नियम १४ के अधीन सरक्षित मह*गाई वेतन प्राप्त करते थे।

मामले पर पुर्नविचार करके यह आदेश दिया गया है कि यद्यपि इन कर्मचारिय को अन्य कमचारियो की अपेक्षा दिनाक १-४ १९५८ से महगाई भत्ते की उच्च रा स्वीकृत होने से (महगाई-वेतन को छोडकर) वित्त विभाग के आदेश स ४६४१/५ एफ ७ ए (१४) एफ डी (ए) नियम/५८ दिनाक २ ३ १९५८ के अनुच्छेद १२ ( के अनुसार सरक्षित महगाई वेतन के अलावा भी लाभ हुआ था किन्तु विशेष प्रकर मान कर उन्हे दिनाक १ ७-१९६० से वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (सी) (१ एफ डी (ए) नियम/६० दिनाक १८ १० १९६० मे दी हुई शर्तो के अधीन महगाई भत्ते की ५ रु की तदर्थ वृद्धि दी जा सकती है । तदनुसार ऊपर प्रसगित दिना १८ १० १९६० को सरकारी आदेश का अनुच्छेद ३ निरस्त माना जाये ।"

[२]७ वित्त विभाग के आदेश स एफ १(१८२)ए/नियम।५६ दिनाक २० ३ १९५ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । एक प्रश्न यह उठाया गया है कि उपयु आदेश मे स्वीकृत महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि भूतपूव अजमेर राज्य के कमचारिय को, जिन्हे कि अजमेर के वेतन मान मे ही वेतन मिलता है भी स्वीकाय है या नही यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त अकित अ।देश मे दी हुई शर्तो के अधीन भूत पूव अजमेर राज्य के कमचारियो को भी यह तदर्थ वद्धि स्वीकाय है ।

[३]८ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि वित विभाग के ज्ञापन सख्या एफ १(सी (७) एफ डी (ए) नियम/६० दिनाक ७ २-१९६२ के साथ पठित वित विभाग आदेश स एफ १ (१८२) (ए) नियम/५६ दिनाक २०–३ १९५७ के प्रावधान अजमे के वेतन मान मे वेतन पाने वाले एव राजस्थान (सेवा शर्तो का सरक्षण) नियम १९५७ के नियम १४ के अधीन महगाई वेतन पाने वाले भूतपूव अजमेर राज्य क कर्मचारियो पर महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि की स्वीकृति किस प्रकार लागू की जाये ।

इस विषय मे यह स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ वृद्धि केवल उन कम-चारियो को ही स्वीकाय होगी जिनके परिलाभ (यानी राजस्थान की दरो पर प्राप्त वेतन, सरक्षित महगाई वेतन एव महगाई भत्ता सब मिलाकर) १०० रु० मासिक से अधिक न हो ।

दिनाक २० ३-१९५७ के वित विभाग के उक्त प्रसगित आदेश का अतिम वाक्य अधिक्रमित माना जाना चाहिये ।

---

१ वित विभाग का आदश सख्या एफ।(सी (ए) एफ डी (ए) नियम/६० ।। दि० ६ १-१९६२

२ वित विभाग का ज्ञापन सख्या एफ ।(सी) (७) एफ डी नियम/६० दिनाक ७-२ १९६२

३ वित विभाग का ज्ञापन सख्या।(सी) (७) एफ डी (ए) नियम/६० दिनाक ३० ३ १९६२

[1]९ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतन मान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं एवं जो सेवा की शर्तों के अनुसार निःशुल्क आवास और भोजन की रियायत पाने के हकदार हैं किन्तु जिन्हें निःशुल्क आवास प्रावहित नहीं हैं तो क्या उन्हें नियम २ के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या ४ के अधीन महगाई भत्ता दिया जा सकता है।

मामले की जाच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क आवास प्रावहित नहीं किया गया है और जिन्हें संशोधित वेतन मान में वेतन प्राप्त होता है तो उन्हें उपयुक्त अंकित आदेश के अनुसार महगाई भत्ता दिया जा सकता है।

[2]१० यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक १-२ १९६४ से ५ रु० मासिक की महगाई-भत्ते की तदर्थ वृद्धि उन कर्मचारियों को स्वीकार की जा सकती है जो श्रम कानूनों के अधीन आते हैं तथा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में नियोजित हैं। किन्तु यह वृद्धि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ के अधीन गठित संशोधन-समिति की रिपोर्ट के आधार पर एतद पश्चात् स्वीकृत महगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के साथ समायोजन के अधीन ही दी जा सकती है।

ये आदेश राज्यसरकार के प्रतिष्ठानों के इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। जिनकी मजदूरी केंद्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार विनियमित होती है।

[3]११ नियम २ के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या ४ को अंशतः संशोधित करते हुए यह आदेश दिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवायें (संशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन संशोधित वेतन मान में ३०० मासिक तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिनांक १ मार्च १९६४ से महगाई भत्ते की ५ रु मासिक की तदर्थ वृद्धि दी जा सकती है। उपर्युक्त महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि के फलस्वरूप महगाई भत्ते की संशोधित दरें निम्नानुसार होंगी —

| वेतन | महगाई भत्ते की संशोधित दरें |
|---|---|
| १५० रु से कम | १५ रु |
| १५० रु और इससे अधिक किन्तु ३०० रु से कम | २५ रु |
| ३०० रु और इससे अधिक | ऐसी राशि जिससे वेतन ३२५ रु से नीचे हो रहे। |

आगे यह भी आदेश दिया गया है कि कथित दिनांक १ मार्च १९६४ से ५) मासिक की महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि उन सरकारी कर्मचारियों को भी दी जा सकती है जो कि राजस्थान सिविल सेवायें (संशोधित वेतन) नियम १९६१ में परिभाषित

१ वित्त विभाग का ज्ञापन संख्या एफ१(६१) एफ डी ए (नियम) ६२ दिनांक १३ १ १९६४
२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ१(४) एफ डी (ई आर) ६४ दिनांक ४ ३ ६४ द्वारा निविष्ठ
३ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ१(६) एफ डी (एक्स रूल्स) ६४ I दिनांक १० ३ ६४ द्वारा निविष्ट

करते हैं कि राज्य सरकार के प्रतिष्ठानो के कमचारियो, दनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियो एव सावजनिक निर्माण विभाग की समस्त शाखाम्रो के ग्राकस्मिक कर्मचारियो एव अय विभागो के कमचारियो को महगाई भत्ता निम्न प्रकार दिया जायेगा —

१ सरकार के वे नियमित सिविल कम चारी जिनकी सेवा शर्तें राजस्थान सेवा नियमो द्वारा विनियमित की जाती हैं इस विभाग के ग्रादेश स एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६४ I दिनाक ३० माच ११६४, ग्रादेश स एफ १ (६) एफ डी (व्यय नियम)/६४ I दिनाक २३ सितम्बर १६६४ ग्रौर ग्रादेश स एफ १ (१४) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनाक २७ ३-६५ के ग्रनुसार म हगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

२ जो कम चारी राजस्थान सेवा नियमो के ग्रधीन तो नहीं हैं किन्तु उसी प्रकार की ड्यूटी ग्रदा करने वाले नियमित सरकारी कम चारियो पर लागू वतन-मान में वेतन (म हगाई भत्ते या सचित निधि के पृथक ग्र श सहित) प्राप्त करते हैं तथा जिनमें राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) सहित बागात, सिंचाई जलकल ग्रौर ग्रायुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कम चारियो के सेवा नियम १६६४ के नियम १२ की सीमा मे ग्राने वाले व्यक्ति सम्मिलित है वे म हगाई भत्ते की तदर्थ वद्धि वित्त-विभाग के ग्रादेश स एफ १ (६) एफ डी (व्यय-नियम)/६४-I दिनाक ३० ३ ६४ एवं एफ १ (६) एफ डी (व्यय-नियम) ६४-I दिनाक २३ ६ १६६४ ग्रौर ग्रादेश स एफ १ (४) एफ डी (व्यय-नियम)/ ६५ दिनाक २७ ३ ६५ के ग्रनुसार प्राप्त करेंगे।

३ दनिक मजदूरी पाने वाले तथा ग्राकस्मिक रूप से काय करने वाले कम चारियो को महगाई भत्ता निम्नलिखित ग्राधार पर प्राप्त होगा —

| | |
|---|---|
| (1) दिनाक १ ३ ६५ को एक वर्ष या इससे ग्रधिक ग्रवधि की लगातार सेवा करने वाले वतमान कर्मचारी। | ६० रु० एक मुश्त |
| (11) दिनाक १ ३ ६५ को ६ महीने या इससे ग्रधिक किन्तु एक वप से कम ग्रवधि की लगातार सेवा वाले वत मान कर्मचारी। | ३० रु एक मुश्त तथा दिनाक १ ३ ६५ से १५ रु ग्रौर। |

ग्रधिक्रमित ग्रादेश स एफ १ (४) एफ डी (ई ग्रार)/६४ दिनाक ४ ३ ६४ ग्रौर स एफ १ (४) एफ डी (ई ग्रार)/६४ दिनाक २३ ६ ६४ के ग्रनुसरण में उक्त श्रेणी (1) एवं (11) के व्यक्तियो को पूर्व ही स्वीकृत महगाई भत्ता इन ग्रादेशो के ग्रनुसार देय राशि मे समायोजित किया जायेगा।

२ श्रेणी (२) ग्रौर (३) के व्यक्तियों को भुगताने योग्य समस्त परिलाभों को न्यूनतम मजदूरी ग्रधिनियम के ग्रधीन निधारित न्यूनतम मजदूरी के ग्रनुसरण हेतु सचित मजदूरी माना जायेगा।

३. यह ग्रादश राज्य सरकार के प्रतिष्ठानो के उन कर्मचारियो पर लागू नहीं होगा जिनकी मजदूरी केन्द्रीय मजदरी बोड की रिपोर्ट के ग्रनुसार विनियमित होती है

उदाहरणार्थ—गगानगर, सुगर कम्पनी लिमिटेड (सुगर मिल्स ब्राच) के कर्मचारी लोगो पर।

[17]१७ वित्त विभाग के आदेश स एफ डी (व्यय-नियम)/६५ दिनाक २७ ३ १९६५ को अ शत सशोधित करते हुए राज्यपाल सहष आदेश प्रदान करते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन सशोधित वेतन मान मे जो सरकारी कर्मचारी ५८५ रु प्रति माह से कम वेतन प्राप्त करते हैं उन्हे महगाई भत्ते में दिनाक १ ४ १९६६ से निम्नोक्त दरो पर अस्थाई वृद्धि दी जायेगी —

| वेतन प्रति माह | महगाई भत्ते मैं अस्थायी वृद्धि की दर |
|---|---|
| ९० रु से कम | ५ रु प्रति माह |
| ९० रु या इससे अधिक किन्तु ५७५ रु से कम। | १० रु प्रति माह |
| ५७५ रु और इससे ऊपर | इतना राशि जिससे कि वेतन ५८५ रु से कम ही रहे। |

२ राज्यपाल सहष यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि कथित दिनाक अर्थात ता० १ ४ ६६ से महगाई भत्तो की निम्नलिखित अस्थायी वृद्धि उन सरकारी कर्मचारियों को भी दी जायेगी जो वतमान वेतन मान मे, जैसा कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ में परिभाषित है, वेतन प्राप्त करते हैं और जिनके परिलाभ ५८५ रु प्रति माह से कम है ।

| परिलाभ प्रतिमास | महगाई भत्ते की अस्थायी वृद्धि की दर |
|---|---|
| ११५ रु से कम | ५ रु प्रति माह |
| ११५ रु और इससे अधिक किन्तु ५७५ ,, से कम | १० ,, ,, |
| ५७५ ,, और इससे अधिक | इतनी राशि जिससे परिलाभ ५८५ रु से कम ही रहे । |

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ 'परिलाभ' का अर्थ राजस्थान सेवा नियम के नियम ७ (२४) मे परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (महगाई वेतन सहित) में है।

३ राज्यपाल सहष आदेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते उपयुक्त अ कित अस्थायी वृद्धि जिला मुख्यालयो और तहसीलो के अधीन ग्रामीण क्षेत्रो मे जिला मुख्यालयो पर पद स्थापित कर्मचारियो से उस समय हटा ली जायेगी जबकि एव जसे ही सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में उपभोक्ता भन्डार खोल दिये जायेंगे। इसी प्रकार यह वृद्धि जिला मुख्यालयो के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण एव नगर क्षेत्रो मे पद स्थापित

१ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (८) एफ डी (व्यय नियम)/६६/I दिनाक २५ ४ ६६ द्वारा समाविष्ट।

कर्मचारियो से भी उस समय हटाली जायेगी जबकि एवं जैसे ही सरकार द्वारा जिला मुख्यालयो पर तहसीलो को छोडकर अन्य तहसील मुख्यालयो पर उपभोक्ता भण्डार खोल दिये जायेंगे ।

[1]१८ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ१(४) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक ११-६-१९६५ का अंशत स शोधन करते हुए राज्यपाल सहर्ष यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि सावजनिक निर्माण विभाग की सभी शाखाओं एव अ य विभागों के आक स्मिक रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियो के अतिरिक्त अन्य दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले उन कमचारियो को, जिनको दिनाक १ अप्रेल १९६६ को छ माह से कम की निरतर सेवा हो, दिनाक १ ४ ६६ से मँहगाई भत्त की अस्थायी वृद्धि नीचे दी हुई शर्तों और दरो पर ही दी जा सकेगी —

(i) ऐसे कमचारियो को, जो नियमित स्वीकृति पद धारण न कर रहे हो और इसीलिये राजस्थान सेवा नियमो के अधीन नही हो किन्तु उसी प्रकार का काय करने वाले सरकारी कर्मचारियो पर लागू वेतन मान मे जो वेतन प्राप्त कर रहे हो (और जिन्हे महगाई भत्त का अ श अलग से या स चित रूप मे मिलता हो) तथा जिनमे राजस्थान सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) सहित बागात सिंचाई, जलकल और आयुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कमचारियो के सेवा नियम १९६४ के नियम १२ की सीमा मे आने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं उह महगाई भत्त की अस्थायी वृद्धि वित विभाग के आदेश स ख्या एफ/(८) एफ डी [व्यय नियम]/६६ दिनाक २५ अप्रेल १९६६ के अनुसार प्राप्त करने की अनुमति होगी।

(ii) छ माह मे अधिक की निरन्तर सेवा करने वाले दनिक मजदूरी पर काय करने वाले और आकस्मिक कमचारी निम्नलिखित दरो पर महगाई भत्त की अस्थायी वृद्धि प्राप्त करेगें —

| मासिक [सचित] मजदूरी की राशि | मँहगाई भते में अस्थायी वृद्धि की दर |
|---|---|
| ११५ रु से कम | ५ रु प्रति मास |
| ११५ रु और इससे अधिक किन्तु ५७५) से कम | १०) |
| ५७५) और इससे अधिक | ऐसी राशि जिसे मिलाकर मासिक सचित मजदूरी ५८५ रु से कम ही रहे। |

२ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनु सरण के प्रयोजनार्थ उक्त श्रे णी (i) एवं (ii) के व्यक्तियो को देय समस्त 'परिलाभों' को मजदूरी माना जायेगा।

[1] वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (८) एफ डी (एक्स नियम) ६१ II दिनाक २५ ४ ६६ द्वारा निविष्ट

३, राज्यपाल आगे यह आदेश भी सहर्ष प्रदान करते हैं कि जिला मुख्यालयो और तहसील के अधीन जिला मुख्यालयो पर ग्रामीण क्षेत्रो मे पद स्थापित कमचारियो के सम्बन्ध मे महगाई भते की उक्त अस्थायी वृद्धि उस समय हटाली जायेगी जबकि एव जैसे ही सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता भण्डार खोल दिये जायें। जिला मुख्यालया के अतिरिक्त ग्रामीण और नगर क्षेत्रो में पदस्थापित कमचारियो के सम्बन्ध मे भी इसी प्रकार महगाई भत्ते की यह अस्थायी वृद्धि उस समय हटाली जायेगी जबकि एव जैसे हो जिला मुख्यालया पर स्थित तहसीलो को छोडकर अन्य तहसीलो के मुख्यालयो पर सरकार द्वारा उपभोक्त भण्डार खोल दिये जाये।

[१]१६ निम्न हस्ताक्षरकर्ता को इस विभाग के ज्ञापन सख्या एफ१[८] एफ डी [व्यय नियम]/III दिनॉक २५ ४ ६६ (प्रतिलिपि सलग्न) के प्रसग की ओर ध्यानाकर्षण करने एव सशोधित आदेश स० एफ१(१६)एफ डी(व्यय नियम)/६६ I दिनाक १०-६-६६ और एफ१(१६)/एफ डी (व्यय नियम)/६६-II दिनाक १०-६-६६ की प्रतिलिपि स लग्न करने का निर्देश प्राप्त हुआ हैं एव छ माह से कम की सेवा वाले आकस्मिक कमचारियों के अतिरिक्त अन्य दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कमचारियो और सरकारी कर्मचारियों को पूव आदेश स ख्या एफ१(८) एफ डी (व्यय नियम)६६-I दिनाक २५ ४ ६६ एव एफ१(१८) एफ डी (व्यय नियम)/६६ I दिनाक २५ ४ ६६ के अधिक्रमण मे महगाई भत्ता स्वीकार करते हुए आपका यह निवेदन करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ हैं कि आप अपने स्तर पर इस सम्बन्ध मे आवश्यक कायवाही करे।

[२]२० वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (८) एफ डो व्यय नियम)/६५ I दिनाक २५ ४ १९६६ का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि दिनाक १ ४ ६६ से राजस्थान सिविल सेवायें (सशोधित वेतन) नियम, १९६१ के अधीन सशोधित वेतन-मानो मे वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कमचारियो पर महगाई भत्ते की लागू होने वाली दरें निम्न प्रकार सशोधित की जायेगी —

| वेतन प्रतिमास | महगाई भते की प्रतिमास दर |
|---|---|
| ७० रु से कम | ३३ रु |
| ७० रु और इससे अधिक किन्तु ११० रु से कम | ३६ रु |
| ११२ रु एव इससे अधिक किन्तु १५० ,, से कम | ४३ रु |
| १५० ,, एव इससे अधिक कितु २१० ,, से कम | ६० ,, |
| २१० ,, और इससे अधिक किन्तु ३८० रु तक | ६५ ,, |

१ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१६) एफ डो, (व्यय नियम)/६६-III दिनाक २५ ६ ६६ द्वारा निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश सं एफ १ (१६) एफ डो (व्यय-नियम )/६६-I दिनाक १० ६ ६६ द्वारा निविष्ट।

| | |
|---|---|
| ३८० ,, से अधिक किन्तु ४०० रु से कम | ऐसी राशि जिससे वेतन ४४५ रु से कम ही रहे। |
| ४०० रु और इससे अधिक किन्तु २२०५ ,, तक | ४५ रु |
| २२०५ ,, से अधिक | ऐसी राशि जिससे वेतन २२५० रु से कम होरहे। |

[1]२ राज्यपाल आगे यह आदेश भी सहष प्रदान करते हैं कि कथित तिथि यानी दिनाक १ अप्रेल १९६६ से निम्न दरा पर महगाई भत्ते में वृद्धि उन सरकारी कर्मचारियो को भी स्वीकृत की जा सकती है जो राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६६ मे परिभाषित वत मान वेतन मानों में वेतन प्राप्त करते हैं —

| परिलाभ प्रतिमास | महगाई भत्ते में वृद्धि प्रतिमास (इसमें वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ१(१६) एफ डी (व्यय नियम) ६६ I दिनाक २५ ४ ६६ द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता भी शामिल है) |
|---|---|
| ९५ रु से कम | ८ रू |
| ९५ , और इससे अधिक किन्तु १३५) से कम | ११ ,, |
| १३५ ,, और इससे अधिक किन्तु १७५ ,, से कम | १८ ,, |
| १७५ ,, ,, ,, २४५ ,, ,, | २५ ,, |
| २४५ , ,, , ४१५ ,, ,, | ३० , |
| ४१५ ,, ,, ,, ४३५ , | इतनी राशि जिससे परिलाभ ४४५रु से कम ही रहे |
| ४३५ , ,, ५७५ ,, , | १० रु |
| ५७५ , , , २२०५ ,, , | ४५ ,, |
| २२०५ , से अधिक | इतनी राशि जिससे वेतन २२५० रु से कम ही रहे। |

३ इस आदेश के अनुच्छेद २ के प्रयोजनाथ परिलाभो का अथ राजस्थान सेवा नियम के नियम७(२४) मे परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (इसमे महगाई वेतन भी शामिल है) को मिलाकर है।

४ ये आदेश दिनाक ३० ९ ६६ तक ही प्रभाव शील रहेगे।

१ वित्त विभाग के आदेश सं एफ १ (१५) एफ डी ( व्यय–नियम )/६६ I दिनांक १८ ६ ६६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]२१ वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (८) एफ डी (व्यय नियम)-६६ II दिनाक २५-४-६६ के अधिक्रमण में राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है कि दिनाक १ ४-६६ को आकस्मिक कर्मचारियो को छोडकर दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले जिन कर्मचारियो की सेवायें ६ माह से कम हैं उन्हे महगाई भत्ते मे वृद्धि दिनाक १ ४ ६६ से सावजनिक निर्माण विभाग तथा अय विभागो की समस्त शाखाओ मे निम्नलिखित शर्तों और दरो मे दी जायेगी —

(i) जो कमचारी नियमित स्वीकृत पद धारण नही कर रह हैं और इसीलिये राजस्थान सेवा नियम के अधीन नही हैं किन्तु उसी जैसा काय करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारी पर लागू वेतन मानो मे वेतन-महगाई-भत्ते के अलग अ श या सचित सहित प्राप्त कर रहे हैं और जिनमे सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) सहित बागात, सिचाई, जलकल और आयुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियो के सेवा नियम १९६४ के नियम १२ की सीमा मे आने वाले कर्मचारी शामिल हैं, उन्हे महगाई भत्ता वित विभाग के आदेश स एफ १ (१६) ऐफ डी (व्यय नियम)/६६ I दिनाक १० ६ ६६ के अनुसार दिया जायेगा ।

[2](ii) दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले और आकस्मिक कर्मचारियों को जिनकी निरतर सेवा में ६ माह से अधिक की हैं, महगाई भत्ते की वृद्धि निम्न दरो पर दी जावेगी —

| मासिक मजदूरी (सचित) की राशि | आदेश स एफ १ (१६) ऐफ डी (व्यय नियम)/६६ II दिनाक २५ ४-६६ मे स्वीकृत महगाई भत्ते सहित महगाई भत्ते में वृद्धि की दर । |
|---|---|
| ६५ रु० के कम | ८ रु० |
| ६५ , और इससे अधिक किन्तु १३५ , से कम | ११ ,, |
| १३५ ,, और इससे अधिक किन्तु १७५ ,, से कम | १८) ,, |
| १७५ ,, और इससे पधिक किन्तु २४५ , से कम | २२) ,, |
| २४५ , और इससे अधिक किन्तु ४१५ ,, से कम | ३०) ,, |
| ४१५ ,, से ऊपर किन्तु ४३५ से कम । | इतनी राशि जिससे परिलाभ ४४५) रु से कम रहे । |
| ४३५ और इससे अधिक किन्तु ५७५ ,, से कम | १०) रु |
| ५७५ , और इससे अधिक किन्तु ५८५ , से कम | ४५ रु० |

[1] वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम)/६६-II दिनाक १० ६ ६६ द्वारा निविष्ट ।

[2] वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम )/६६ I दिनाक १८ ६ ६६ प्रतिस्थापित ।

| मासिक (सचित) मजदूरी की राशि जिसमे वित्त विभाग के आदेश दिनाक १०-६-६६ एव १८-६ ६६ के अधीन स्वीकृत महगाई भत्ता भी सम्मिलित है। | महगाई भत्ते की अतिरिक्त राशि |
|---|---|
| १०३ रु० से कम | २० रु० |
| १०३ रु० और इससे अधिक किंतु १४६ रु० से कम | ५ रु० |
| १४६ रु० और इससे अधिक किंतु १९३ रु० से कम | ७ रु० |
| १९३ रु० और इससे अधिक किंतु २७० रु० से कम | ६ रु० |
| २७० रु० और इससे अधिक किंतु ५८५ रु० से कम | ११ रु० |

२ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण के प्रयोजनार्थ उक्त श्रेणी (I) एवं (II) के व्यक्तियो को देय समस्त परिलाभो को सचित मजदूरी माना जायेगा।

२४ [1]राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन (अद्यावधिक परिशोधित) सशोधित वेतनमाना में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियो को दिनाक १ जनवरी, १९६७ से महगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि निम्न प्रकार दी जा सकेगी —

| वेतन परिसर (प्रति मास) | दिनांक १-१० ६६ से देय महगाई भत्ते की दर | दिनाक १ १० ६६ देय महगाई भत्ते के अतिरिक्त दिनाक १-१ ६७ से तदर्थ वृद्धि। |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| ७० रु० से कम | ३५ रु० तदर्थ | १२ रु० |
| ७० रु० से ऊपर किंतु ११० रु० से नीचे तक | ४१ रु० | ६ रु० |
| ११० रु० से १५० रु० से नीचे तक | ५० रु० | २० रु० |
| १५० रु से २१० रु से नीचे तक | ६६ रु | ३१ रु |
| २१० रु से ३८० रु से नीचे तक | ७६ रु | ३४ रु |
| ३८० रु से ४०० रु से नीचे तक | इतनी राशि जिससे समस्त परिलाभ ४५६ रु से कम रहे | ऐसी राशि जिससे समस्त महगाई भत्ता १०० रु हो सके। |

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१४) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनाक ३ २ ६७ द्वारा सन्निविष्ट।

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ४०० रु से १००० रु से नीचे तक | ५६ रु | ६४ रु |
| १००० रु और इससे अधिक किंतु २२५० रु तक | ५६ रु या इतनी राशि जिससे वेतन २२५० रु से नीचे ही रहे। | |
| (अ) २२५० रु तक | | इतनी राशि जिससे समस्त मंहगाई भत्ता १०० रु हो सके। |
| (ब) २२५० रु से ऊपर | | इतनी राशि जिससे वेतन २३५० रु से कम रहे। |

२ [२]राज्यपाल यह आदेश भी सहर्ष प्रदान करते है कि कथित तिथि यानी दिनाक १ १ १९६७ से निम्नलिखित दरो पर महगाई भत्ते की प्रतिरिक्त वृद्धि उन सरकारी कर्मचारियो को भी दी जा सकेगी जो राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम, १९६१ मे परिभाषित वतमान वेतनमानो मे वेतन प्राप्त कर रहे हैं और जिनके परिलाभ २३५० रु प्रतिमास से कम हैं।

| परिलाभ प्रातिमास | दिनाक १ १-१९६७ से अतिरिक्त महगाई भत्ता |
|---|---|
| १०५ रु से कम | १२ रु |
| १०५ रु और इससे अधिक किंतु ११५ रु से कम | ६ रु |
| ११५ रु और इससे अधिक किंतु २०० रु से कम | २० रु |
| २०० रु और इससे अधिक किंतु २७९ रु से कम | २१ रु |
| २७९ रु और इससे अधिक किंतु ४५६ र से कम | ३४ रु |
| ४५६ रु और इससे अधिक किंतु ११०६ र से कम | ६४ रु |
| ११०६ रु और इससे अधिक किंतु २२५० रु से कम | ४४ रु |
| २२५० रु और इससे अधिक | इतनी राशि जिससे कुल महगाई भत्ता १०० रु हो सके। |
| २२५० रु से ऊपर | इतनी राशि जिससे परिलाभ २३५० रु से नीचे ही रहे। |

३ इस आदेश के अनुच्छेद २ के प्रयोजनार्थ परिलाभो का तात्पय राजस्थान सेवा नियमो के नियम ७(२४) मे परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (जिसमे महगाई वेतन भी शामिल है) सहित मिलाकर है।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-II दिनाक ४-३-६७ द्वारा प्रतिस्थापित।

२५　[1]राज्यपाल सहर्ष यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सभी शाखाओं और अन्य विभागों में दिनांक १-१-१९६७ को छः माह से कम की सेवा वाले आकस्मिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को चाहे वे कहीं भी नियोजित हों दिनांक १-१-१९६७ से महंगाई भत्ते की अतिरिक्त वृद्धि निम्नलिखित शर्तों और मानों में दी जायेगी —

(i)　ऐसे कर्मचारी जो नियमित स्वीकृत पद धारण नहीं किये हुए हैं और इसलिए जो राजस्थान सेवा नियमों के अधीन तो नहीं है किन्तु उसी जैसा कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू वेतनमानों में वेतन (महंगाई भत्ते के अलग अथवा सहित या सचित सहित) प्राप्त कर रहे हैं और जिनमें राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सहित बागात सिंचाई जलकल और आयुर्वेदिक विभाग में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम १९६४ के नियम १ की सीमा में आने वाले कर्मचारी भी सम्मिलित हैं उन्हें वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-I दिनांक ३-२-१९६७ के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा सकेगा।

(ii) [2]दिनांक १ १ १९६७ को दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले तथा आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले जिन कर्मचारियों की निरन्तर सेवायें छः माह से अधिक की हैं, उन्हें महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जा सकेगा —

| समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित मासिक मजदूरी (सचित) की राशि | अतिरिक्त महंगाई भत्ता |
|---|---|
| १०५ रु से कम | १२ रु |
| १०५ रु और इससे अधिक किन्तु १५१ रु से कम | ६ रु |
| १५१ रु और इससे अधिक किंतु २०० रु से कम | २० रु |
| २०० रु और इससे अधिक किंतु २७९ रु से कम | २१ रु |
| २७९ रु और इससे अधिक किंतु ४५६ रु से कम | ३४ रु |
| ४५६ रु और इससे अधिक किंतु ५९६ रु से कम | ६४ रु |

२　न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण के प्रयोजनार्थ उक्त श्रेणी (i) एवं (ii) के व्यक्तियों को देय समस्त परिलाभों को सचित मजदूरी माना जायेगा।

२६　[1]वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (५१) एफ डी ए/आर/६१, दिनांक १९ १२ ६१ (जो राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन) नियम १९६१ के पष्ठ

१　वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-II, दिनांक ४ ३ ६७ द्वारा सन्निविष्ट।

२　वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम)/६६, दिनांक १० ३ ६८ द्वारा प्रतिस्थापित।

१　वित्त विभाग आदेश संख्या एफ १ (१५) एफ डी (ई आर)/६७, दिनांक २९-४ ६७ द्वारा प्रतिस्थापित।

४० १४१ पर प्रकाशित हुआ है) के अनुच्छेद ४(1) का परिवतन करते हुए राज्यपाल हप आदेश प्रदान करते हैं कि सरकारी चिकित्सालयों का 'नर्सिंग स्टाफ, जिन्ह कि न शुल्क भोजन (या इसकी जगह मैसिंग भत्ता) और नि शुल्क आवास उनकी नियुक्ति ी शर्त के रूप मे मिलता है और जो अब तक बिना महगाई भत्ते के सशोधित वेतन ानो मे (जो समय समय पर सशोधित होते रहे हैं) वेतन प्राप्त करते रहे हैं उन्ह दनाक १ ४-६६ से आगे महगाई भत्ता नीचे दी हुई दरो पर दिया जा सकता है —

| वेतन प्रतिमाह | महगाई भत्ते की मासिक दर | कालम २ के अधीन स्वीकृत महगाई | कालम २ एव ३ में स्वीकृत महगाई भत्ते मे वद्धिया |
|---|---|---|---|
| | दि १ ४ ६६ से | दि १-१० ६६ से दि ३१-१२ ६६ तक | दि १-१ ६७ से आगे समय मे |
| १ | २ | ३ | ४ |
| ७० रु से कम | ८ रु | २ रु | १२ रु |
| ७० रु और इससे ज्यादा किंतु ११० रु से कम | ११ रु | ५ रु | ६ रु |
| ११० रु और इससे अधिक किंतु १५० रु स कम | १८ रु | ७ रु | २० रु |
| १५० रु और इससे अधिक किंतु २१० रु से कम | २५ रु | ६ रु, | २१ रु |
| २१० रु और इससे अधिक किंतु ३८० रु स कम | ३० रु | ११ रु | ३४ रु |
| ३८० रु से अधिक किंतु ४०० रु से कम | ऐसी राशि जिससे वेतन ४१० रु से कम है | ११ रु | ऐसी राशि जिससे कुल महगाई भत्ता ७५रु हो सके। |
| ४०० रु और इससे अधिक किंतु ५४० रु तक | १० रु | ११ रु | ६४ रु |

[2]७२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम) १६७ I दिनाक ४ ३ १९६७ द्वारा सशोधित वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(४) एफ डी (व्यय-नियम) १६७ I, दिनाक ३ २ १६६७ में अ शत परिवर्तन करते हुए राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १६६१ के अधी

२ वित्त विभाग आदेश सख्या एफ १ (६४) एफ डी (व्यय-नियम)/६७, दिना २६ १० ६७ द्वारा सन्निविष्ट।

सशोधित वेतन मानो (जैसा कि सयम सयम पर सशोधित किये गये हैं) में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कमचारियो को देय महगाई भत्तें की दरें निम्न प्रकार होगी —

| वेतन प्रतिमाह | दिनाक १ २ ११६७ से प्रतिमाह महगाई भता | दि० १-१० ६७ से प्रतिमास मंहगाई भत्ता |
|---|---|---|
| ११०रु से कम | ५३ रु | ५६ रु |
| ११०रु और इससे अधिक किन्तु १५०रु से कम | ७७ रु | ८४ रु |
| २१० रु और इससे अधिक किंतु १५०रु , , | ६८ रु | १०६ रु |
| २०१रु , ४००रु से कम | ११६रु | १२८ रु |
| और इससे अधिक किंतु ४००रु और इससे अधिक किन्तु ४४१ रु तक | १३० रु | १४० रु |
| ४५० रु से ४५८ रु तक | इतनी राशि जिससे वेतन ५७६ रु से कम ही रहे | |
| ४५० रु से ४६८ रु तक | | ऐसी राशि जिसस वेतन ५८६ रु से कम ही रहे। |

इससे उच्चतर वेतन परिसरो में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कमचारियो को देय महगाई भत्ते की वतमान दरो में कोई परिवतन नही किया जायेगा।

२ (1) राज्यपाल यह भी आगे सहप आदेश प्रदान करते है कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १६६१ में परिभाषित वतमान वेतन माना मे वेतन प्राप्त करने वाले जिन सरकारी कमचारियो के समस्त परिलाभ दि० १ २ १६६७ को ५७८ रु और दिनाक १ १० ६७ को ५८८ रु से ज्यादा नही हैं उन्हें उपयुक्त दरा पर लागू महगाई भत्ते मे निम्नलिखित वृद्धि और दो जा सकती हैं —

| (अ) परिलाभ प्रतिमास | दिनाक १ २ ६७ से महगाई भत्ते मे वद्धि |
|---|---|
| १५७ से नीचे | ६ रु |
| १५७ रु और इससे अधिक किन्तु २२० से कम | ७ रु |
| २२० रु , , ३०० से | ८ रु |
| ३०० रु , , ५१० से , | ६ ० |
| ५१० रु , किन्तु ५२६ एक | १० रु |
| ५७० रु से ५७८ तक | इतनी राशि जिससे परिलाभ ५७६ रु से कम ही रहे। |

| (ब) परिलाभ प्रतिमास | दिनांक १ १० ६७ से महगाई भत्ते में वृद्धि |
|---|---|
| १६३ रु से कम | ६ रु |
| १६३ रु और इससे अधिक किन्तु २२७ रु से कम | ७ रु |
| २२७ , , , ३०७६ | ८ रु |
| ३०८ , , ५१६ | ६ रु |
| ५१६ , ५७६ | १० रु |
| ५८० रु से ५८८ रु तक | इतनी राशि जिससे परिलाभ - ५८६ रु मे कम ही रहे |

(ii) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ परिलाभ का तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमो के नियम ७ (२४) मे परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (जिसमें महगाई वेतन भी शामिल है) को मिलाकर ही माना जायेगा।

३ राज्यपाल यह भी सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण जो रकम राज्य कर्मचारियो को १-२-१९६७ से ३० सितम्बर १९६७ तक की अवधि के लिये देय होगी उसकी बकाया राशि उन्हे नक्द न दी जाकर प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि लेखे मे जमा करादी जायेगी जो कि सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवायें) नियम दिनाक १ अक्टूबर १९६७ के लागू होने वाले नियमो के अधीन होगी।

जो सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के सदस्य नही हैं, उनकी उक्त बकाया राशि उक्त निधि के लेखे मे तब जमा कराई जायेगी जब और जैसे ही ऐसी निधि का खाता खोला जायेगा। इस प्रकार जमा राशि पर दिनाक १ १० ६७ से सामान्य भविष्य निधि पर लागू दर पर ब्याज भी दिया जायेगा।

इस प्रकार जमा कराई गई राशि मे से आधी राशि सरकारी कर्मचारी द्वारा दिनाक १ १० ६९ को या इसके बाद वापस ली जा सकती है और शेष आधी राशि दिनाक १-१० ७१ को या इसके बाद उनकी इच्छानुसार। परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड देता है या नौकरी में रहते समय मर जाता है तो उक्त सारी राशि उसे पूरी तरह नौकरी छोडने समय या मृत्यु के समय जैसी भी स्थिति हो वापस दी जा सकती है।

४ उक्त अनुच्छेद १ व २ के प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियो पर भी लागू होते हैं जो इन आदेशो के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो जाते हैं नौकरी छोड देते हैं या जो मर जाते हैं। महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण उन्हे इन आदेशो के अधीन हो जाने वाली राशि एक साथ ही दी जाती है।

२८ [1]वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (९४) एफ डी (व्यय-नियम)/६७ दिनाक १६ १०-६७ का अधिक्रमण करते हुए एव वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १

[1] वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (६८) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनाक २६ १० ६७ द्वारा सन्निविष्ट।

(४) (व्यय नियम)/६७ I, दिनांक ४ ३-६७ द्वारा संशोधित वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-I, दिनांक ३ २ ६० मे आंशिक परिवर्तन करते हुए राज्यपाल सहर्ष यह निर्णय करते हैं कि उन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध मे, जो राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन संशोधित वेतनमानों में (जो समय समय पर संशोधित होती रही है) वेतन प्राप्त करते हैं महंगाई भत्ते की दरें दिनांक १-२-६७ और दिनांक १ ६-१९६७ मे निम्न प्रकार संशोधित की जाती है —

| वेतन प्रतिमास | दिनांक १-२-६७ से प्रतिमास महंगाई भत्ता | दिनांक १-६-६७ से प्रति मास महंगाई भत्ता |
|---|---|---|
| ११० ० से नीचे | ५३ रु० | ५६ रु० |
| ११० रु० और इससे अधिक किन्तु १५० रु० से कम | ७३ रु० | ८४ रु० |
| १५० रु० और इससे अधिक किन्तु २१० रु० से कम | ९८ रु० | १०६ रु० |
| २१० रु० और इससे अधिक किन्तु ४०० रु० से कम | ११६ रु० | १२८ रु० |
| ४०० रु० और इससे अधिक किन्तु ४४६ रु० तक | १३० रु० | १४० रु० |
| ४५० रु० से ४५८ रु० तक | ऐसी राशि जिससे वेतन ५७६ रु० से कम ही रहे | × |
| ४५० रु० से ४६८ रु० तक | × | ऐसी राशि जिससे वेतन ५८६ रु० से कम ही रहे |

इससे अधिक उच्चतर वेतन-परिसरों मे वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में कोई परिवर्तन नही होगा।

२ (i) राज्यपाल सहर्ष यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम १९६१ मे परिभाषित वर्तमान वेतनमानों मे वेतन प्राप्त करने वाले जिन सरकारी कर्मचारियों के परिलाभ दिनांक १-२-६७ को ४७८ रु० और दिनांक २-६-६७ को ५८८ रु० से ज्यादा नही होते हैं उन्हें उपयुक्त दिनांक को देय महंगाई भत्ते मे निम्नानुसार दी जा सकती है —

| (अ) परिलाभ प्रतिमास | दिनांक १-२-१९६७ से महंगाई भत्ते में वृद्धि |
|---|---|
| १५७ रु० से कम | ६ रु० |
| १५७ रु० और इससे अधिक किन्तु २२० रु० से कम | ७ रु० |
| २२० रु० और इससे अधिक किन्तु ३०० रु० से कम | ८ रु० |
| ३०० रु० और इससे अधिक किन्तु ५१० रु० से कम | ९ रु० |
| ५१० रु० और इससे अधिक किन्तु ५६९ रु० तक | १० रु० |
| ५७० रु० से ५७८ रु० तक | इतनी राशि जिससे परिलाभ ५७९ रु० से कम ही रहे। |

| (ख) परिलाभ प्रतिमास | दिनाक १-६-१९६७ से महगाई भत्ते में वृद्धि |
|---|---|
| १६३ रु० से कम | ६ रु० |
| १६३ रु० और इससे अधिक किन्तु २२७ रु० से कम | ७ रु० |
| २२७ रु० और इससे अधिक किन्तु ३०८ रु० से कम | ८ रु० |
| ३०८ रु० और इससे अधिक किन्तु ५१६ रु० से कम | ९ रु० |
| ५१६ रु० और इससे अधिक किन्तु ५७९ रु० तक | १० रु० |
| ५८० रु० से ५८८ रु० तक | इतनी राशि जिससे परिलाभ ५८० रु० से कम नही रहे। |

(ii) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ परिलाभो का तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७ (१४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (महगाई वेतन सहित) को मिलाकर ही माना जायेगा।

३ राज्यपाल यह भी सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते मे वृद्धि के कारण जो रकम सरकारी कर्मचारियो को दिनाक १-१२-१९६७ से ३०-९-१९६७ की अवधि के लिए देय होगी उसकी बकाया राशि उन्हे नकद न दी जाकर प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि लेखे मे जमा करा दी जायेगी। यह भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवायें) नियम दिनाक १-१०-१९६७ के लागू होने वाले नियमो के अधीन होगी।

जो सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के सदस्य नही हैं उनकी उक्त बकाया राशि उक्त निधि के लेखे मे तब जमा कराई जायेगी जब और जैसे ही ऐसी निधि का खाता खोला जायेगा। इस प्रकार जमा राशि पर दिनाक १-१० ६७ से सामान्य भविष्य निधि पर लागू दरो पर ब्याज भी दिया जायेगा।

इस प्रकार जमा कराई गई रकम में से आधी राशि सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिनाक १-१०-६९ को या इसके बाद वापस ली जा सकती है और शेष आधी राशि दिनाक १-१०-७१ को या इसके बाद उनकी इच्छानुसार वापस ली जा सकती है परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड देता है या नौकरी मे रहते समय ही मर जाता है तो उक्त सारी राशि उसे पूरी तरह नौकरी छोडते समय या मृत्यु के समय जैसी भी स्थिति हो वापस दी जा सकेगी।

४ उक्त अनुच्छेद १ एव २ के प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियो पर भी लागू होते हैं जो इन आदेशो के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं नौकरी छोड चुके हैं या जो मर चुके हैं। उन्हें इन आदेशो के अधीन महगाई भत्ते मे वृद्धि के कारण दी जाने वाली राशि सारी एक साथ दी जा सकेगी।

२६ [१]वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-II दिनाक ४ ३ ६७ को आशिक परिवर्तन करते हुए राज्यपाल सहर्ष यह आदेश प्रदान

[१] वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (६४) एफ डी (व्यय-नियम)/६७, दिनाक ११ १०-६७ द्वारा सन्निविष्ट।

२ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण के प्रयोजनार्थ उक्त श्रेणी (i) एवं (ii) के व्यक्तियों को देय समस्त परिलाभ का संचित मजदूरी माना जायेगा।

३ राज्यपाल यह आदेश भी सहर्ष प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते मे वृद्धि के कारण जो रकम सरकारी कर्मचारियो को दिनांक १-२ १९६७ से ३० ९ ६७ तक की अवधि के लिए देय होगी उसका बकाया राशि उन्हे नकद न दी जाकर दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि लेखे में जमा करा दी जायगी। यह भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवायें) नियम दिनांक १ १०-६७ के लागू होने वाले नियमो के अधीन होगी। इनकी उक्त बकाया राशि उक्त निधि के लेखे में तब जमा कराई जायगी जब और जसे ही ऐसी निधि का खाता खोला जायेगा। इस प्रकार जमा राशि पर दिनांक १ १० ६७ से सामान्य भविष्य निधि पर लागू दरो पर ब्याज भी जोड़ा जायेगा।

इस प्रकार जमा कराई गई रकम में से आधी राशि सरकारी कर्मचारी द्वारा दिनांक १-१० ६९ को या इसके बाद और शेष आधी राशि दिनांक १-१०-७१ को या इसके बाद उनकी इच्छानुसार वापस निकाला जा सकेगा, परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड देता है या सेवा मे रहते ही मर जाता है तो उक्त सारी राशि उसे पूरी तरह नौकरी छोडते समय या मृत्यु के समय, जैसी भी स्थिति हो वापस दी जा सकेगी।

४ उक्त अनुच्छेद १ एव २ के प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियो पर भी लागू होते हैं जो इन आदेशो के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं नौकरी छोड चुके हैं या जो मर चुके हैं। उन्हे इन आदेशो के अधीन महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण दी जाने वाली बकाया सारी राशि एक साथ ही दी जायेगी।

## ज्ञापन

३० [1]एक प्रश्न यह उठाया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को देय विशेष वेतन की राशि जो उसी मद में नहीं उठाई गई है जिस बजट-मद मे उसका वेतन उठाया जाता है तो क्या उसके विशेष वेतन की राशि को वेतन और क्षतिपूरक भत्तो जसे महगाई भत्ता मकान किराया भत्ता आदि के साथ वेतन मे ही माना जाये या नही जिससे वेतन मे ही विशेष वेतन भी सम्मिलित हो सके।

इस मामले की जाच की गई और यह स्पष्ट किया गया है कि यदि विशेष वेतन किसी अन्य बजट मद में उठाया जाता है जिसमे कि सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं उठाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे उसके विशेष वेतन और क्षतिपूरक भत्तो यथा महगाई भत्ता मकान किराया भत्ता आदि मे मिला दिया जा सकता है और इन्हे उसी बजट-मद में से उठाया जा सकता है जिसमे कि उसका मूल वेतन उठाया जाता है।

---

१ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ १ (३५) एफ डी (व्यय नियम)/६७, दिनांक २ १ ६७ द्वारा सन्निविष्ट।

| परिलाभ प्रतिमास | दिनाक १ ११ ६७ स महगाई भत्ते मे वृद्धि |
|---|---|
| १६६ रु से कम | ६ रु |
| १६६ र और इससे अधिक किंतु २३४ रु से कम | ७ रु |
| २३४ रु और इससे अधिक किंतु ३१६ रु से कम | ८ रु |
| ३१६ रु और इससे अधिक किंतु ५२८ रु से कम | ६ रु |
| ५२८ रु और इससे अधिक किंतु ५६० रु से कम | १० रु |
| ५६० रु और इससे अधिक किंतु ६१६ रु स कम | ३३ रु |
| ६१६ रु से अधिक किंतु ६५१ रु तक | इतनी राशि जिससे परिलाभ ६५२ रु से कम ही रहे। |

३ उक्त अनुच्छेद २ के प्रयोजनार्थ परिलाभो का तात्पय राजस्थान सेवा नियमो के नियम ७ (२४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ता (महगाई वेतन सहित) को मिलाकर माना जायेगा।

३३ [1]वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (६४) एफ डी (व्यय नियम)/६७, दिना ३ १० ६७ के सिलसिले मे राज्यपाल सहष आदेश प्रदान करते हैं कि सावजनिक निर्माण विभाग की समस्त शाखाओ और अन्य विभागो के दिनाक १ ११ ६७ को छ माह से कम की सेवा वाले आकस्मिक कर्मचारियो के अतिरिक्त दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले सभी कमचारियो को चाहे वे कही भी नियोजित हो अतिरिक्त महगाई भत्ता दिनाक १ ११ ६७ से निम्नलिखित शर्तों और दरो पर दिया जा सकेगा —

(i) जो कमचारी नियमित स्वीकृत पद तो धारण नहीं कर रहे है और इसी कारण जो राजस्थान सवा नियमो के अधीन नही आते है किंतु उसी प्रकार का काम करने वाले नियमित कमचारियो पर लागू वेतनमान मे वेतन (महगाई भत्ते के अलग या सचित अ श सहित) प्राप्त कर रहे है और जिनमे राजस्थान सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) सहित बागान सिंचाई जल ल और आयुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले कमचारियो के सेवा नियम १६६४ के नियम १२ की सीमा में आने वाले कमचारी भी सम्मिलित है उन्हे वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (६४) एफ डी (व्यय नियम)/६७, दिनाक १ १ १६६८ के अनुसार महगाई भत्ता दिया जा सकेगा।

(ii) छ माह से अधिक की निर तर सेवा वाले दनिक मजदूरी पर काय करने वाले आकस्मिक कमचारियो को दिनाक १-११-६७ से अतिरिक्त महगाई भत्ता निम्न लिखित दरो पर दिया जा सकेगा —

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (६४) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनाक २२ १ ६८ द्वारा सन्निविष्ट।

| समय समय पर स्वीकृत महगाई भत्ते सहित मासिक मजदूरी (सचित) की राशि | दिनाक १-११ ६७ से अनिरिक्त महगाई भत्ता |
|---|---|
| १७८ रु से कम | ६ रु |
| १७८ रु और इससे अधिक किंतु २३४ रु से कम | ७ रु |
| २३४ रु और इसमे अधिक किंतु ३१६ रु से कम | ८ रु |
| ३१६ रु और इसमे अधिक किंतु ५२८ रु से कम | ९ रु |
| ५२८ रु और इससे अधिक किंतु ५६० रु मे कम | १० रु |
| ५६० रु और इससे अधिक किंतु ६१८ रु से कम | ३३ रु |
| ६१८ रु से अधिक किंतु ६५१ रु से कम | ऐसी राशि जिससे परिलाभ ६२५ रु से कम ही रहे। |

२ उक्त श्रेणी (i) और (ii) मे अकित व्यक्तियो को देय समस्त परिलाभो को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण क प्रयोजनार्थ सचित मजदूरी ही माना जायेगा।

३४ [2]वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१५) एफ डी व्यय-नियम)/६७, दिनाक २६ ४ ६७ और सख्या एफ १ (१५) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनाक २४-११-६७ में स्वीकृत महगाई भत्तो की दरों की बजाय सरकारी चिकित्सालयों के ऐसे नर्सिंग स्टाफ को जिन्हें नियुक्ति की शर्त के रूप में नि शुल्क भोजन (या इसकी बजाय मैसिंग भत्ता और नि शुल्क आवास की सुविधा प्राप्त है और जो (समय समय पर सशोधित किए) नये सशोधित वेतन भत्तों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, राज्यपाल द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान करने के कारण दिनाक १ ११ ६७ से नीचे लिखी दरो पर दिनाक १ ११ ६७ से महगाई भत्ता दिया जा सकेगा —

| वेतन प्रतिमास | दिनाक १ ११ ६७ से महगाई भत्ते की प्रतिमान |
|---|---|
| ११० रु से कम | ४० रु |
| ११० रु और इससे अधिक किंतु १५० रु से कम | ६६ रु |
| १५० रु और इससे अधिक किंतु २१० रु से कम | ७९ रु |
| २१० रु और इससे अधिक किंतु ४०० रु से कम | १०२ रु |
| ४०० रु और इससे अधिक किंतु ४५० रु से कम | ११५ रु |
| ४५० रु और इससे अधिक किंतु ४९९ रु से कम | ११८ रु |
| ४९९ रु से ऊपर किंतु ५३२ रु से नीचे | इतनी राशि जिससे वेतन ६१७ से कम ही रहे। |
| ५३२ रु और इससे अधिक किंतु ५४० रु तक | ८५ रु |

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१५) एफ डी (व्यय-नियम)/६७ दिनाक १३ ३-६८ द्वारा सन्निविष्ट।

१३५ वित्त विभाग आदेश संख्या एफ १(६४) एफ० डी० (एवमप रूल्स ६७) दिनांक २६ अक्टूबर १९६७ के अनुच्छेद ३ मे यह उल्लेख है कि फरवरी, ६७ से सितम्बर, ६७ तक की अवधि मे महगाई भत्त मे वृद्धि की गई राशि का भुगतान नकद में न किया जाकर कर्मचारियों के सबंधित सामान्य प्रावधिक निधि लेखा मे जमा किया जावे। इसी प्रकार जो कर्मचारी सामान्य प्रावधिक निधि के सदस्य नहीं हैं। उनके लेखा खाले जाकर उपयुक्त राशि सामान्य प्रावधिक निधि मे जमा की जायेगी। इस मामले मे पुन विचार किया जाकर राज्यपाल महोदय उपरोक्त आदेश के अनुच्छेद ३ मे वर्णित प्रावधानों मे आंशिक परिवर्तन करते हुए आदेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते की बढी हुई राशि सामान्य प्रावधिक निधि मे जमा नही की जाकर निम्नलिखित मद में जमा की जावे —

घा—अनिधि बद्ध ऋण

अन्य लेखे—

क—राज्य सरकार की बीमा निधि
महगाई भत्ते की बकाया निक्षेप आय

२ उपरोक्त आदेश को क्रियान्वित करने हेतु सबंधित आहरण व राशि वितरण अधिकारी (ड्राईंग व डिसबरसिंग आफिसर) महगाई भत्ते के बिल तयार करके सबंधित कोषागारो के इसी वित्तीय वर्ष में भेजेंगे। यह रकम वास्तव में प्राप्त न की जाकर उपरोक्त अनुच्छेद १ मे वर्णित पद मे जमा ( By book adjustmdnt ) की जायेगी।

३ (अ) सबंधित आहरण व राशि वितरण अधिकारी महगाई भत्ते के बिल को कोषागारो मे भेजने के पूर्व सलग्न फार्म की पूर्ति करेंगे व इसकी दो प्रतियां तैयार करेंगे । एक प्रति बिल के साथ कोषागारो को भेजेंगे व दूसरी प्रति कार्यालय मे रखेंगे।

(ब) उपरोक्त (अ) के आधार पर सबंधित आहरण एवं राशि वितरण अधिकारी सलग्न फार्म संख्या २ की पंजिका तयार करेंगे और उसमे प्रत्येक कर्मचारी का लेखा रखा जावेगा।

४ राजपत्रित अधिकारी जो स्वय अपने वेतन इत्यादि के बिल तैयार कर रकम प्राप्त करते हैं उनके बारे में महालेखाकार सबंधित अधिकारियो को पे स्लिप जारी करेंगे व इसके आधार पर सबंधित अधिकारी अपना बिल तैयार करेंगे और सलग्न फार्म न० १ की पूर्ति करेंगे व इसकी ३ प्रतियां तयार करेंगे । कोषाधिकारी इन प्रतियों में से एक सबंधित अधिकारी को ट्रेजरी वाउचर अकीत कर वापस करेंगे व दूसरी महालेखाकार को भेज देंगे। तीसरी प्रति कोषागार मे रहेगी । राजपत्रित अधिकारी को नकद राशि न दी जा कर इसका जमा खर्च कोषाधिकारी उपरोक्त बजट मद में

---

१ वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (६४) वित्त नियम/६७ दि० १३ मार्च, ६८ द्वारा जोड़ा गया।

स्वय करेंगे व फार्म २ की पंजिका में लेखा रखेंगे महगाई भत्ते की राशि का जमा खर्च चालू वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।

५ उपरोक्त महगाई भत्ते की राशि का चुकारा किये जाने के बारे में अलग से आदेश प्रसारित किये जावेंगे।

[1]३६ इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक १३ ३-६८ के अंतिम अनुच्छेद में निर्णय दिया गया था कि महगाई भत्ते की बकाया राशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। परन्तु इस विभाग के ऐसे मामले ध्यान में लाए गए हैं जिसके अनुसार कई विभागों ने उक्त राशि के बिल को समायोजन हेतु प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिलों का जमा खर्च चालू वर्ष के बजट प्राविजन में से किया जावे। इस खर्च की राशि के लिये सम्बन्धित विभाग अतिरिक्त फंड की राशि निश्चित करवाने हेतु नियमित विधि से वित्त विभाग (बजट) से सम्पर्क स्थापित करें।

[2]३७ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ० १(६४) वित्त (नियम) ६७, दिनांक १३ ३ ६८ द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि फरवरी ६७ से सितम्बर ६७ तक की अवधि में महगाई भत्ते में वृद्धि की गई धनराशि नगद में भुगतान न की जाकर 'धा—अनिधि बद्ध ऋण आय लेखे राज्य सरकार की बीमा निधि महगाई भत्ते की बकाया निक्षेप आय" के मद में जमा (by book adjustment) की जायगी।

२ कोषाधिकारी उपरोक्त मद के शिड्यूल की एक प्रति अधिक तैयार करेंगे जो निदेशक राज्य बीमा विभाग को भेजी जायगी।

३ जिला के साथ सलग्न फार्म १ (जिसमें कि कर्मचारी वाइज महगाई भत्ते की धनराशि का विवरण अंकित होगा) अलग किये जाकर धा अनिधि बद्ध ऋण आय लेखे राज्य सरकार की बीमा निधि-महगाई भत्तों की बकाया आय" के शिड्यूल के साथ सलग्न किये जाकर महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये जायेंगे।

४ निदेशक, राज्य बीमा विभाग के कार्यालय में कोषाधिकारीयों से प्राप्त शड्यूलों की सहायता से, इस मद का मिलान ( reconciliation ) किया जायगा तथा मिलान करते समय यदी कोई त्रुटि का निवारण नियमानुसार कोषाधिकारी के द्वारा महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को लिखकर करेंगे।

## फार्म १

माह फरवरी ६७ से सितम्बर ६७ तक के बकाया महगाई भत्ते की राशि के जमा/चुकारे का विवरण वित्त विभाग आदेश संख्या एफ १ (६८) एफ० डी० (एक्सपेन्डीचर रूल्स)/६७ दिनांक २६ अक्टूबर १९६७

---

[1] वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (६४) वित्त (व्यय नियम)/६८ दिनांक २५ ५ ६८ द्वारा जोड़ा गया।

[2] आदेश संख्या एफ १ (६८) वित्त (नियम)/६७, दिनांक ३० ५ ६८ द्वारा निविष्ट।

किसी खास अवधि के लिए वस्तुत प्राप्त वेतन पर अत किसी महीने की टूटो अवधि के लिए या महीने की उस अवधि क लिए जिसमे कि वेतन की भिन्न भिन्न दरें प्राप्त हुई हो दोनो के लिए महगाई भत्ते की राशि महीने के दौरान स्वीकार्य विभिन्न मासिक दर के वेतन पर ड्यूटी पर विताये दिना को सख्या के लिए गणना की राशि के बराबर होगी।

**(vii) पुन नियोजित पेन्शनस को महगाई भत्ता** —जो सेवा निवृत्त सरकारी कमचारी फिर से काम पर लगाए गए है लगाए जाने वाले ह और जि ह अपनो पे शन के अतिरिक्त वेतन प्राप्त करने को स्वीकृती है तो उन्ह महगाई भत्ता प्राप्त करने का स्वीकृति तभी होगी जब उनका वेतन और पे शन दोनो मिलाकर निर्धारित आर्थिक सीमा से अधिक न हो ऐसे मामलो मे भत्ते की गणना निम्नानुसार की जाएगी —

(अ) उन अधिकारियो के मामला मे जिनका वतन और पेन्शन मिलाकर पद के स्वीकृत अधिकतम वेतन से ज्यादा हो ता भत्ता उस अधिकतम वतन पर फैलाया जाएगा।

(ब) अन्य मामलो मे भत्ता वेतन और पेशन की मिली हुई राशि पर फलाया जायेगा।

(स) जा अधिकारी अवकाश पर है उनके लिए भत्ता केवल अवकाश सवेतन पर ही लगाया जाएगा (पेन्शन को छोडकर)। पर इसमे शर्त यह है कि ऊपर के अनुच्छेद (अ) और (ब) की सीमा मे आने वाले मामलो मे महगाई भत्ता उस राशि तक सीमित होगा जो कि सगणित की हुई महगाई भत्ते की राशि मे स सरकार द्वारा अपन प शनस को समय समय पर स्वीकृति राहत की राशि को कम करने पर ठहरती हो।

**(viii) वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार से किसी अन्य प्रकार के परिलाभ प्राप्त करने वाले लोगो को महगाई भत्ता** —इस सरकार से वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार से वेतन अवकाश वेतन या पेन्शन जसे विभिन्न प्रकार के परिलाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कमचारियो का महगाई भत्ता प्राप्त करने की पात्रता के लिये समस्त परिलाभो की निर्धारित सीमा से अधिक न होने की अवस्था मे उन्ह इस सरकार से प्राप्त वतन के आधार पर ही महगाई भत्ता प्राप्त हा सकेगा।

सरकार यह आदश भी सहष प्रदान करती है कि इस सशोधन के जारी होन से आवश्यक हाने पर किसी सरकारी कमचारी को स्वीकाय महगाई भत्ते की दरा में काइ परिवतन पूव व्याप्ति सहित लागू न होकर केवल दिनाक १ जनवरी १९५३ से प्रभाव शील होगा।

## राजस्थान सरकार का निणय

[1] १ सरकारी अभिवक्ता और शासकीय अभियो... होता है कि सरकारी अधिवक्ता और शासका

---

१ वित्त विभाग क आदेश सख्या

प्रश्न पर कुछ संदेह है। इस सम्बन्ध मे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकारी कर्मचारियो को महगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध मे दिनाक १-४ १६५० से लागू आदेशो के नीचे टिप्पणी संख्या २ (स) के अनुसार (जो कि इस विषय पर पिछले सभी आदेशो के अधिक्रमण में जारी किये गये थे) अशकालिक (पार्ट टाइम) कर्मचारियो को महगाई भत्ता स्वीकार्य नही है। चू कि सरकारी अधिवक्ता, उप एव सहायक सरकारी अधिवक्ता, शासकीय अभियोक्ता, सहायक शासकीय अभियोक्ता आदि अशकालिक कर्मचारी है अत उन्हे कोई महगाई भत्ता नही दिया जायेगा।

[1]२ सरकारी मुद्रणालयो के औद्योगिक कर्मचारियो को महगाई भत्ता —असनिक विभागो के सरकारी कर्मचारियो को स्वीकृत महगाई भत्ते की एकीकृत दरें सरकारी मुद्रणालयो के पूर्णकालिक औद्योगिक कर्मचारियो (फुटकर मद से वेतन पाने वालो को छोडकर) पर भी लागू हैं और इनके लिये राजस्थान सिविल सेवा (वेतन मानो का एकीकरण) नियम के अधीन वेतन के एकीकृत वेतन मान घोषित किये गये हैं।

[2]३ सरकार क ध्यान मे यह लाया गया है कि महगाई भत्ते की दिनाक १-४-१६५० से पूर्व प्रभावशील दरो पर ही कुछ सरकारी कर्मचारियों को वित्त विभाग के आदेश स २ मे स्वीकार्य दरो की तुलना मे अधिक लाभकारी मानकर महगाई भत्ता दिया जा रहा है।

यह तुरन्त रोका जाना चाहिए और विभागाध्यक्ष एव कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारियो द्वारा महगाई भत्ता दिनाक ११-१-१६५१ के आदेश के अनुसरण के अतिरिक्त अन्य किसी और आदेश के अनुसरण मे तो प्राप्त नही किया जा रहा है। यह याद रखा जाना चाहिये कि सभी आहरित-अधिकारी इस प्रकार की ज्यादा वसूलियो के लिए व्यक्तिश उत्तरदायी हैं।

[3]४ दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारी संस्थापनाओ में महगाई भत्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियो को महगाई भत्ता दिये जाने सम्बन्धी प्रश्न सरकार के काफी समय से विचाराधीन था। मामले की जाच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि जिन पदो के लिए वेतनो के वेतनमान एकीकरण नियम की अनुसूचि मे समय वेतनमान निर्धारित किया गया हैं उनके तदनुरूपी पदो पर नियुक्तियो के मामलो मे इन वेतनमानो में उक्त नियुक्तियो समुचित स्टेज पर ही माना जाना चाहिए जब यह कर लिया जाय तो सरकार के आदेश संख्या २ के अधीन तदनुरूपी सिविल सेवाओ के लिए निर्धारित दरो के अनुसार ही महगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए।

---

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ (२)- आर /५२, दिनाक ३-३-५२ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या डी २५६५ एफ II/५३, दिनाक २-५-५३ द्वारा सन्निविष्ट।

३ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ११ (१६) एफ II/५३, दिनाक ६-२-५४ द्वारा सन्निविष्ट।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| २२११ | ३९ | १०० | १०० | १०० | १०० |
| २२१२ | ३८ | " | " | " | " |
| २२१३ | ३७ | " | " | " | " |
| २२१४ | ३६ | " | " | " | " |
| २२१५ | ३५ | " | " | " | " |
| २२१६ | ३४ | " | " | " | " |
| २२१७ | ३३ | " | " | " | " |
| २२१८ | ३२ | " | " | " | " |
| २२१९ | ३१ | " | " | " | " |
| २२२० | ३० | " | " | " | " |
| २२२१ | २९ | " | " | " | " |
| २२२२ | २८ | " | " | " | " |
| २२२३ | २७ | " | " | " | " |
| २२२४ | २६ | " | " | " | " |
| २२२५ | २५ | " | " | " | " |
| २२२६ | २४ | " | " | " | " |
| २२२७ | २३ | " | " | " | " |
| २२२८ | २२ | " | " | " | " |
| २२२९ | २१ | " | " | " | " |
| २२३० | २० | " | " | " | " |
| २२३१ | १९ | " | " | " | " |
| २२३२ | १८ | " | " | " | " |
| २२३३ | १७ | " | " | " | " |
| २२३४ | १६ | " | " | " | " |
| २२३५ | १५ | " | " | " | " |
| २२३६ | १४ | " | " | " | " |
| २२३७ | १३ | " | " | " | " |
| २२३८ | १२ | " | " | " | " |
| २२३९ | ११ | " | " | " | " |
| २२४० | १० | " | " | " | " |
| २२४१ | ९ | " | " | " | " |
| २२४२ | ८ | " | " | " | " |
| २२४३ | ७ | " | " | " | " |
| २२४४ | ६ | " | " | " | " |
| २२४५ | ५ | " | " | " | |
| २२४६ | ४ | " | " | | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| २२४७ | ३ | १०० | १०० | १०० | १०० |
| २२४८ | २ | ,, | | , | |
| २२४९ | १ | , | ,, | | , |
| २२५० | — | , | ,, | | |
| २२५१ | — | ९९ | ९९ | ९९ | ९९ |
| २२५२ | — | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
| २२५३ | — | ९७ | ९७ | ९७ | ९७ |
| २२५४ | — | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ |
| २२५५ | — | ९५ | ९५ | ९५ | ९५ |
| २२५६ | — | ९४ | ९४ | ९४ | ९४ |
| २२५७ | — | ९३ | ९३ | ९३ | ९३ |
| २२५८ | — | ९२ | ९२ | ९२ | ९२ |
| २२५९ | — | ९१ | ९१ | ९१ | ९१ |
| २२६० | — | ९० | ९० | ९० | ९० |
| २२६१ | — | ८९ | ८९ | ८९ | ८९ |
| २२६२ | — | ८८ | ८८ | ८८ | ८८ |
| २२६३ | — | ८७ | ८७ | ८७ | ८७ |
| २२६४ | — | ८६ | ८६ | ८६ | ८६ |
| २२६५ | — | ८५ | ८५ | ८५ | ८५ |
| २२६६ | — | ८४ | ८४ | ८४ | ८४ |
| २२६७ | — | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ |
| २२६८ | — | ८२ | ८२ | ८२ | ८२ |
| २२६९ | — | ८१ | ८१ | ८१ | ८१ |
| २२७० | — | ८० | ८० | ८० | ८० |
| २२७१ | — | ७९ | ७९ | ७९ | ७९ |
| २२७२ | — | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ |
| २१७३ | — | ७७ | ७७ | ७७ | ७७ |
| २२७४ | — | ७६ | ७६ | ७६ | ७६ |
| २२७५ | — | ७५ | ७५ | ७५ | ७५ |
| २२७६ | — | ७४ | ७४ | ७४ | ७४ |
| २२७७ | — | ७३ | ७३ | ७३ | ७३ |
| २२७८ | — | ७२ | ७२ | ७२ | ७२ |
| २२७९ | — | ७१ | ७१ | ७१ | ७१ |
| २२८० | — | ७० | ७० | ७० | ७० |
| २२८१ | — | ६९ | ६९ | ६९ | ६९ |
| २२८२ | — | ६८ | ६८ | ६८ | ६८ |
| २२८३ | — | ६७ | ६७ | ६७ | ६७ |
| २२८४ | — | ६६ | ६६ | ६६ | ६६ |
| २२८५ | — | ६५ | ६५ | ६५ | ६५ |
| २२८६ | — | ६४ | ६४ | ६४ | ६४ |
| २२८७ | — | ६३ | ६३ | ६३ | ६३ |

## महगाई भत्ते की सशोधित दरें

वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (६४) वित्त वि (व्यय-नियम) ६८ दि १ जनवरी १९६८ की ओर ध्यान आकर्षित कर कहा जाता है कि राजस्थान सिविल सवा (परिशोधित वेतन) नियम, १९६१ (समय समय पर यथा सशोधितानुसार के अधीन वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू महगाई भत्ते की दरें दि १ ९ ६८ से निम्न प्रकार सशोधित की जाएगी।

| वेतन प्रति माह | दि० १ ९ ६८ से महगाई भत्ते की सशोधित दरें |
|---|---|
| ११० रु स नीचे | ७१ रु० |
| ११० रु एव इससे अधिक पर १५० रु स कम | ९८ रु० |
| १५० रु एव इससे ऊपर लेकिन २१० रु से कम | १२२ रु० |
| २१० रु एव इससे अधिक पर ४०० रु से कम | १४६ रु० |
| ४०० रु एव इसस अधिक पर ४५० रु स कम | १६० रु० |
| ४५० रु एव इसस अधिक लकिन ४९९ रु तक | १६४ रु० |
| ४९९ रु से ऊपर लेकिन ५४३ से कम | वह राशि जो ६६३ रु के वेतन से कम हो। |

उच्च वेतन श्रृखला में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भुगतान योग्य दैनिक भत्ते की वतमान दरों म कोई परिवतन नही होगा।

१ यह भी आज्ञा और दी गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम, १९६१ म यथा परिभाषित 'वतम न वेतन म न' मे वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी जिनकी कि परिलब्धिया दि० १ ९-६८ को ६६३ रु से कम है उन्हे दि १ ९ ६८ से उक्त तारीख का उस पर लागू नियमों के अनुसार महगाई भत्ते म निम्न वृद्धि स्वीकृत की जाएगी —

| परिलब्धिया प्रति माह | दि० १ ९ ६८ से महगाई भत्ते मे वृद्धि |
|---|---|
| १७५ रु से नीचे | ६ रु० |
| १७५ रु एव इसस अधिक किन्तु २४१ रु से कम | ७ रु० |
| २४१ रु एव इससे अधिक किन्तु ३२४ से कम | ८ रु० |
| ३२४ रु एव इससे अधिक किन्तु ५३७ से कम | ९ रु० |
| ५३७ रु एव इससे अधिक किन्तु ६०० रु से कम | १० रु० |
| ६०० रु एव इसस अधिक कि तु ६५२ रु तक | ११ रु० |
| ६५२ रु से ऊपर लकिन ६६३ रु से कम | वह र शि जो ६६३ रु की परिलब्धि से कम पडे। |

२ उपर्युक्त पैरा के प्रयोजनार्थ परिलब्धि स तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमो क नियम ७(२४) में यथा परिभाषित वेतन एव महगाई भत्ते (महगाई वेतन सहित) से है।

[वित्त विभाग क आदेश स० एफ १ [५६] वित्त वि [नियम] ६८ दि० ६-१२-६८]

**विषय—** लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों के कार्य प्रभृत [वर्क चार्ज्ड] कर्मचारियों को दैनिक भत्ता।

वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ [६४] वित्त वि [व्यय-नियम]/ ६७ दि० २२-१-६८ के क्रम मे यह आदेश दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की सभी शाखाओं में एवं अन्य विभागो मे जब उनकी नियुक्ति की जाए, अतिरिक्त महंगाई भत्ता दि० १-६-६८ से उन आकस्मिक कर्मचारियों को जिनकी दि० १-६-६८ को छह माह से कम की सेवा है, अन्य कार्यप्रभृत कर्मचारियो को निम्न लिखित दर पर तथा निम्न शर्तों के अधीन दिया जाए —

[१] कर्मचारी जो नियमित स्वीकृत पद को धारण नही करता है एवं उसके कारण वह राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत नही आता है लेकिन अपना वेतन नियमित सरकारी कर्मचारियो पर लागू वेतन मान मे [महंगाई भत्ते के अलग हाल के साथ या समेकित (Consolidated) रूप मे] प्राप्त करता है तथा राजस्थान लोक निर्माण विभाग भवन एवं सडक व उद्यान, सिंचाई वाटर वर्क्स एवं आयुर्वेदिक विभाग के कार्य प्रभृत कर्मचारी सेवा नियम, १९६४ के नियम १२ द्वारा शासित व्यक्तियों के समान कर्तव्यो को कर रहा है तो उसे वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ [५६] वित्त [नियम] ६८ दि० ६-१२-६८ के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा।

[२] ६ माह से अधिक समय की निरंतर सेवा करने वाले दैनिक दरों पर नियुक्त कर्मचारीयों को दि० १-६-६८ से निम्नलिखित दरो पर अतिरिक्त महगाई भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा —

| समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित मजदूरियो [समेकित] मासिक राशि | दि० १-६-६८ से अतिरिक्त महंगाई भत्ता |
|---|---|
| १७५ रु० से नीचे | ६ रु० |
| १७५ रु० एवं इससे अधिक परन्तु २४१ रु० से नीचे | ७ रु० |
| २४१ रु० एवं इससे अधिक परन्तु ३२४ रु० से नीचे | ८ रु० |
| ३२४ रु० एवं इससे अधिक किन्तु ५३७ रु० से नीचे | ९ रु० |
| ५३७ रु० एवं इससे अधिक किन्तु ६०० रु० से कम | १० रु० |
| ६०० रु० एवं इससे अधिक किन्तु ६५२ रु० तक | ११ रु० |
| ६५२ रु० से अधिक किन्तु ६६३ रु० से कम | वह राशि जो ६६३ रु० की परिलब्धि से कम पडे। |

२ श्रेणी [१] एवं श्रेणी [२] मे व्यक्तियों को भुगतान कराने योग्य कुल परिलब्धि को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन के प्रयोजनार्थ समेकित मजदूरी के रूप मे समझा जायगा।

[वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ [५६] वित्त वि नियम] ६८ दि० १८-१२-६८]

**विषय—** निःशुल्क भोजन एवं आवास की रियायत के लिए अधिकृत सरकारी कर्मचारियो को महगाई भत्ते की स्वीकृति।

वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ [१५] वित्त वि [व्यय-नियम]/ ६७ दि० १३-३-६८ में स्वीकृत महगाई भत्ते की दरो के बजाए, यह आदेश दिया गया है कि सरकारी अस्पतालो के नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी जो कि निःशुल्क भोजन [या उसके बदले भोजन भत्ता] एवं निःशुल्क

आवास की सुविधा अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में पाने के लिए अधिकृत हैं, एवं जो अपना वेतन [समय समय पर यथा संशोधित] संशोधित वेतन मान में पा रहे हैं, उन्हें दि० १-९-६८ से निम्न दर पर महगाई भत्ता स्वीकृत किया जाएगा —

| वेतन प्रति माह | दि० १-९-६८ से प्रति माह महगाई भत्ते की दरें |
|---|---|
| ११० रु० से नीचे | ४६ रु० |
| ११० रु० एवं इससे अधिक पर १५० रु० से कम | ७१ रु० |
| १५० रु० एवं इससे अधिक पर २१० रु० से कम | ८७ रु० |
| २१० रु० एवं इससे अधिक पर ४०० रु० से कम | १११ रु० |
| ४०० रु० एवं इससे अधिक पर ४५० रु० से कम | १२५ रु० |
| ४५० रु० एवं इससे अधिक पर ४९९ रु० तक | १२९ रु० |
| ४९९ रु० से अधिक किन्तु | वह राशि जो ६२८ से कम पड़े। |

[वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ [१५] वित्त वि [नियम] ६७ दि० १८-१२-६८]

**विषय** — महगाई भत्ता- १०००रु से १०१९ रु आदि के बीच की वेतन श्रृंखला में वेतन पाने वालों के लिए फर्क का समायोजन।

वित्त विभाग के आदेश स० एफ १[४] वित्त वि [व्यय-नियम] ६७-I दिनांक ३-२-६७ के परा १ में आंशिक रूपान्तर करते हुए यह आदेश दिया गया है कि संशोधित वेतन मान में १००० रु० एवं इससे अधिक परन्तु १०१९ रु० से नीचे तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का फर्क का समायोजन स्वीकृत किया जा सकेगा ताकि वेतन एवं महगाई भत्ता दोनों मिलकर १११९ रु० से अधिक न हो।

२ उपरोक्त आदेश के परा २ में रूपान्तरण करते हुए यह आदेश दिया गया है कि [समय समय पर संशोधित अनुसार] राजस्थान सिविल सेवा [संशोधित वेतन] नियम १९६१ में यथा परिभाषित वर्तमान वेतन' में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिनकी कि परिलब्धियां १००० रु० एवं इससे अधिक या १११९ रु० से कम हैं, महगाई भत्ते में वृद्धि उस दर पर स्वीकृत की जाएगी जो का १११९ रु० से कम पड़ती हो।

३ ये आदेश १-१२-६७ से प्रभावी होंगे।

[वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (४) वित्त वि० [नियम / ६७ दि० ८-१-६९

**विषय** — महगाई भत्ते के अंश को वेतन के रूप में गिना जाना।

राज्यपाल ने निदेश दिया है कि वर्तमान नियमों एवं आदेशों में रूपान्तरण करते हुए नीचे परे २ में निर्दिष्ट महगाई भत्ते की राशी को उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो कि राजस्थान सिविल सेवा [संशोधित वेतन] नियम १९६१ के अधीन परिशोधित वेतन मान/संशोधित वेतनमान में या राजस्थान सिविल सेवा [नवीन वर्तमान] नियम, १९६९ के अधीन नवीन वेतन मान में वेतन प्राप्त करते हैं, एतद् पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए एवं सीमा तक 'वेतन' के रूप में मानी जाएगी।

२ चूंकि विभिन्न पदों से संलग्न वेतन मान में तथा उस आधार में जिस पर कि महगाई भत्ता सर्वाधित किया जाता है कोई परिवर्तन नहीं होगा अतः स्वीकार्य महगाई भत्ते में से निम्न लिखित राशी को नीचे विनिर्दिष्ट श्रेणियों में वेतन के लिए महगाई वेतन के रूप में गिना जाएगा।

| वेतन श्रेणी | महगाई वेतन की राशी |
|---|---|
| १० रु० से नीचे | ४७ रु० |
| ११० रु० एव इससे प्रधिक लेकिन १५० रु० से कम | ७० रु० |
| १५० रु० एव इससे प्रधिक पर २१० रु० से कम | ६० रु० |
| २१० रु० एव इससे प्रधिक पर ४०० रु० से कम | ११० रु० |
| ४०० रु० एव इससे प्रधिक पर ४६६ रु० तक | १२० रु० |
| ४६६ रु० एव इससे प्रधिक | वह राशि जो ६१६ रु० के वेतन स कम हो। |

पेंशन एव उपदान (ग्रेच्युटी)

३ महगाई वेतन पेंशन एव उपदान के लिए' परिलब्धि ' मे गिनी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ राजस्थान सेवा नियमो के नियम २५० एव २५० क के अधीन गिनी गई परिलब्धियो को उक्त परिलब्धियो के समकक्ष वेतन के अनुकूल महगाई वेतन को जोडकर बढाया जाएगा तथा उपरोक्त नियमो के नियम २५१ के अधीन अन्तिम औसत परिलब्धि उक्त आधार पर निश्चित की जाएगी।

जो व्यक्ति पैरा ३ के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हे पेंशन म किसी भी प्रकार की अस्थायी वृद्धि नही दी जाएगी।

**जोधपुर अ शदायी भविष्य निधी**—निधी म सरकारी कर्मचारियो द्वारा दिए गए अभिदान का राशि एव सरकारी बोनस की राशि से गणित करन के प्रयोजनार्थ जिस वेतन पर ये अ शदान आधारित है उनके अनुकूल मह ग ई वतन को उस वेतन के अ श के रूप म समजा जाएगा । इस प्रयोजनार्थ, ये आदेश १ माच, १६६६ से प्रभावी होगे। फिर भी शर्त यह है कि जहा सरकारी कर्मचारी १ दिसम्बर १६६८ से अभिदान को बकाया राशि का भुगतान करना च हता हो तो यह रियायत उस तारीख स प्रभावशाली होगी। निधि नियमो के अन्तगत स्वीकृ में विशिष्ट अ शदान की राशि सगणित करने के प्रयोजनार्थ जिस वेतन पर ये अ शदान आधारित हैं उसके अनुकूल महग ई वतन को उन व्यक्तियो के सम्बन्ध म जो १-१२-६८ को या उसके पश्चात सेवा निवृत्त हो रहे है उस वेतन के भाग के रूप में समझा जाएगा।

क्षतिपूरक भत्ता [मकान किराया भत्ता सहित] आदि

७ महगाई वतन को निम्न लिखित प्रयाजना के लिए वतन समझा जाएगा।

[क] वित विभाग के आदेश स० एफ १ [६] वित्त वि [व्यय नियम] ४ II दि० २३-६-६४ के अधीन स्वीकाय क्षतिपूरक [नगर] भत्ता।

**विषय**—जयपुर म पद स्थापित सरकारी कर्मचारियो को क्षतिपूरक (नगर) भत्ते की स्वीकृति।

वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (६) वित्त वि० (व्यय नियम) ६४ II दि २३ ६ ६४ के रूपान्तरण म राज्यपाल महोदय न आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी जो जयपुर म पदस्थापित किए गए हैं एव जो (समय समय पर संशोधित अनुसार) राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन) नियम १६६१ म या राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतन मान) नियम १६६६ में वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हे क्षतिपूरक (नगर) भत्ता निम्न दरों पर स्वीकृत किया जा सकेगा—

| | |
|---|---|
| ५०० रु स नीचे | वेतन का ५ प्रतिशत किन्तु न्यूनतम ५ रु एव अधिकतम १० रु |
| ५०० रु एव इसस अधिक | वह राशि जो ५०१ रु से वेतन से कम पड़े। |

ये आदेश १-१२ ६८ से प्रभावी होंगे।

(वित्त विभाग के आदेश स० एफ १(२७) वि वि (नियम) ६६ दि० ६ ६-६६)

(ख) राजस्थान सेवा नियम भाग २ के परिशिष्ट १७ में अन्तर्विष्ट मकान किराया भत्ता।
नियमों के अधीन स्वीकार्य मकान किराया भत्ता ।'

किराए की वसूली

(महगाई वेतन) को सरकारी आवास सुविधा के लिए अधिकृत करने, एवं उसके लिए किराए की वसूली के प्रयोजनार्थ राजस्थान सिविल सेवा (आवासीय सुविधा के किराए का निश्चयन, एवं वसूली) नियम, १९५८ के नियम ३५ में यथा पारिभाषित 'परिलब्धियां' के भाग के रूप में गिना जाएगा। इस प्रयोजनार्थ म आदेश ि १-३ ६९ से प्रभावशील होंगे ।

अवकाश वेतन

अवकाश वेतन वर्तमान की भांति ही (महगाई वेतन को हटाकर) गिना जाएगा एवं तब महगाई भत्ते की दर साधारण तरीके से निकाली जानी चाहिए एवं इस प्रकार जो राशि आए उसे एक भाग को उपयुक्त पैरा २ के अनुसार महगाई वेतन के रूप में गिना जाना चाहिए ।

परन्तु शर्त यह है कि (भारत में अथवा बाहर) सेवा निवृत्ति पूर्व प्रथम चार माह से अधिक के अवकाश काल म, यदि अवकाश पूर्ण- वेतन पर हो तो अवकाश वेतन के या अन्यथा प्रकार से हो तो उक्त राशि के आधे वेतन के अनुकूल महगाई वेतन के समकक्ष राशि का महगाई भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा ।

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति एवं भारत के बाहर प्रशिक्षण काल मे महगाई भत्ते की स्वीकार्यता—

९ किसी भी एक देश म प्रतिनियुक्ति पर अपने रहने के प्रथम छह माह में भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण पर गया सरकारी कर्मचारी को महगाई भत्ता उसी दर पर जिस पर कि यदि व प्रतिनियुक्ति पर रवाना न होने पर प्राप्त करते होते तथा उसके बाद प्रतिनियुक्ति काल में वेतन के अनुकूल महगाई वेतन के समकक्ष दरों पर स्वीकृत किया जाएगा ।

यात्रा भत्ता

१० महगाई वेतन को यात्रा भत्ता (मील भत्ते एवं दनिक भत्ते सहित) वेतन के रूप मे गिना जाएगा । फिर भी रेल की सुविधा प्राप्त करने हेतु इसे वेतन' के रूप में नही गिना जाएगा। यह १ मार्च, १९६९ से या उसके बाद प्रारम्भ की जाने वाली यात्राओं के लिए लागू होगा ।

बच्चों की नि शुल्क शिक्षा एवं ट्यूशन फीस की प्रति पूर्ति—

११ महगाई वेतन को बालकों की निःशुल्क शिक्षा एवं ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की स्वीकार्यता के लिए वेतन की सीमा निश्चित करने म वेतन के रूप म गिना जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, ये आदेश १ ३ ६९ से प्रभावशील होंगे ।

अग्रिम

१२ 'महगाई वेतन' को अग्रिमों जसे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम की स्वीकार्यता की मात्रा एवं सीमा को निश्चित करने के प्रयोजनार्थ 'वेतन' के रूप म गिना जाएगा । इस प्रयोजनार्थ ये आदेश १-३ ६९ से प्रभावशील होंगे ।

लागू होने की तारीख

जब विशिष्ट रूप से अन्यथा प्रकार से प्रावहित न किया गया हो, ये आदेश १ १२ ६८ से प्रभावशील होंगे ।

परिसीमाएं

१४ इन नियमों में निर्दिष्ट किए गए के अतिरिक्त महगाई वेतन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए 'वेतन नहीं समझा जाएगा । उदाहरण के लिए तो महगाई वेतन को वेतन निर्धारण के

लिए या वतन वृद्धि ग्राहरित करने या प्रतिनियुक्ति भत्ता स्थिर करने के लिए नही गिना जाएगा और न ही इसे महगाई भत्ते के ग्राहरित करने के लिए गिना जाएगा। इसे न तो वेतन बिलो में और न सेवा अभिलेख म अलग तत्व के रूप म दिखाया जाएगा।

ये आदेश निम्न पर लागू नही होंगे—

(१) आर ए एस एव आई पी एस सेवा के सदस्या के लिए

(२) ठेके पर नियुक्त व्यक्ति

(३) व्यक्ति जिन्हे वेतन की समेकित दर स्वीकृत की जाती है तथा जो महगाई भत्ता प्राप्त नही करते है।

(४) व्यक्ति जो अशकालिक कमचारी हैं एव जिन्हे आकस्मिक निधियो (Contingencies) से भुगतान किया जाता है।

(५) अन्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए व्यक्ति।

१६ वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (७३) वित्त वि/नियम/६२ दि० २८-३-६३ एव स० एफ ४(४) वित्त वि (व्यय-नियम) ६३ दिनाङ्क १-८-६३ वापिस लिए जाते हैं।

१७ निम्न के सम्बन्ध मे अलग आदेश जारी किए जाएगें —

(१) सरकारी कमचारी जो राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन नियम १९६१ (समय समय पर सशोधित अनुसार) मे यथा परिभाषित वतमान वेतनमान मे वेतन पा रहे हैं।

(२) भूतपूव अजमेर राज्य के कमचारी जिन्होने पुरान वतन मान के लिए विकल्प दिया है एव जो राजस्थान सवा (सेवा शर्तो का सरक्षण) नियम, १९५७ के नियम १४ के अर्थानुसार महगाई वेतन प्राप्त करते हैं।

(३) सरकारी कामचारी जो सेवा की शर्तो के रूप म नि शुल्क भवन एव भोजन की सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं।

वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (७) वित्त वि (नियम) १९६९ दिनाङ्क ७-४-६९)

## परिशिष्ठ १७

### मकान किराया भत्ता स्वीकृति के नियम

(देखिये नियम ४२)

[१] राजस्थान सेवा नियमा के नियम ४२ मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर जोधपुर, अजमेर, माउन्टआबू कोटा, बीकानेर गगानगरटाउन और उदयपुर मे पदस्थापित सरकारी कमचारियो को मकान किराया भत्ता स्वीकार करने के नियम —

[२] नियम १ लागू होने की सीमा और आरभ —

ये नियम उन सरकारी कमचारियो पर लागू होगे जो जयपुर जोधपुर, अजमेर, माउन्ट आबू, कोटा, बीकानेर [३] (गगा नगर टाउन) और उदयपुर मे पदस्थापित हो या सेवा कर रहे हो।

[४] राजस्थान सरकार का आदेश —[विलुप्त किया गया]

राजस्थान सरकार का णय सख्या [५] [विलुप्त]

[६] स्पष्टीकरण —नियम १ को सही सीमा के सम्बन्ध में स देह व्यक्त किये गये हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मकान किराया भत्ता केवल जयपुर जोधपुर, आदि नगरो की नगर पालिका सीमाओ के भीतर ही स्वीकार्य है पूरे जिलो में नही।

[१] २ कब स्वीकाय नहीं है —निम्न को मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नही होगा —

(i) सरकार द्वारा जिस सरकारी कमचारी को वास-स्थान प्रदत्त किया गया हो।

या

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ ३५ (२) आर/५१ दिनाक २३-१-५१ द्वारा सन्निविष्ट तथा आदेश सख्या एफ १ (४५) एफ डी (व्यय-नियम) /६५, दिनाक २५-८-६५ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(२४) एफ डी (व्यय नियम)/६४, दिनाक २३-६-६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(४५) एफ डी (व्यय नियम) ६५, दिनाक २८ ८ ६५ द्वारा सन्निविष्ट एव दिनाक १-८-६५ से प्रभावशील।

४ राजस्थान सरकार का निर्णय सख्या १ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(३) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनाक १८ २ ६५ द्वारा विलुप्त तथा दिनाक १-८-६४ से प्रभावशील।

५ राजस्थान सरकार का निर्णय सख्या २ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(३) एफ डी (व्यय-नियम) /६५ दिनाक १८ २ ६५ द्वारा विलुप्त तथा दिनाक १-८ ६५ से प्रभावशील।

६ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(४५) एफ डी (व्यय नियम) /६५ दिनाक ६-१-६६ द्वारा सन्निविष्ट।

[1] राजस्थान सेवा नियमो के नियम ४२ के उप नियम २ (i) की सीमा के विषय मे सन्देह व्यक्त किये गए है। मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसे मिलने वाले क्वाटर से भिन्न श्रेणी के क्वाटर मिले और वह उस लेने से मना करदे तो इन नियमो के प्रयोजनार्थ उसका मना करना।

(ii) किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार की विशेष स्वीकृति से सरकारी वास-स्थान दिया गया हो और उसने उसे लेने से मना कर दिया हो तो ऐसी स्थिति को छोडकर मनाही' नही माना जायेगा।

[2] (iii) अथवा जहा सरकार की विशेष स्वीकृति से किसी सरकारी कर्मचारी ने सरकार से मकान बनवाने के लिए अग्रिम लेकर या अल्प आय-वर्ग के लिए आवास-योजना या किसी अन्य योजना तथा किसी अन्य सरकारी सूत्र से रुपया प्राप्त करके मकान बनवाया हो और उसे बेच दिया हो अथवा किसी अन्य प्रकार से उसका निवर्तन कर दिया हो तो ऐसी स्थिति को छोडकर उसका मना करना मनाही नही माना जायेगा।

## टिप्पणी

मकान किराया भत्ता उस समय स्वीकार किया जाता है जब कि मूलत किसी मकान के लिए अग्रिम स्वीकार किया गया हो और वह मकान बाढ, आग अथवा अन्य किसी आकस्मिक कारण से नष्ट हो गया हो अथवा किसी पारिवारिक सम्पत्ति मे बटवारा होने से वह मकान सरकारी कर्मचारी की सम्पत्ति ही न रहा हो।

## राजस्थान सरकार का निर्णय

[3] २ नियम २ के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी वास स्थान मे रह रहा है या जिसे सरकारी वास दिया गया है/दिया गया था। किन्तु उसने उसे लेने से मना कर दिया है। कर दिया था तो ऐसी स्थिति मे उसे मकान किराया भत्ता नही दिया जायेगा। सरकारी वास स्थानो की कमी को ध्यान मे रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी वास मे रहने के बाद उसे छोड देता है या उसे सरकारी वास दिये जाने पर उसे स्वीकार करने से मना कर देता है तो उसे ३१-१२-७० तक मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है बशर्ते कि —

(i) वह अन्य सब प्रकार से नियमो के अधीन मकान किराया भत्ता पाने का पात्र है और

---

१ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या ३५८६ /एफ ३५ (२) आर/५१, दिनाक २०-७-५६ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ ७(ए) (८) एफ डी ए (रूल्स) /५९, दिनाक १५ ४ ५६ द्वारा सन्निविष्ट।

३ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ ११ (६) एफ II/५४, दिनाक ५-१-६५ द्वारा सन्निविष्ट एव वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(३) एफ डी (व्यय नियम) /६५ दिनांक १-६-६५ और १६-५-६७ द्वारा प्रति स्थापित।

(ii) दिनांक ३१-१२-७० तक उसी स्थान पर पद स्थापित होने पर लिखित मे सरकारी वास न मागने की अपनी सहमति अंकित कर देता हैं।

२ यह भी निर्णय किया गया है कि जिस सरकारी कर्मचारी ने पहले ही सरकारी वास छोड़ दिया है अथवा इन आदेशों के जारी होने से पूर्व ही सरकारी वास में रहने से मना कर दिया था और अब मकान किराया भत्ता प्राप्त नही कर रहा है तो ऐसे कर्मचारी को दिनांक १-६-६५ मे उक्त अनुच्छेद १ मे अंकित शर्तों के अधीन मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है।

यह आदेश दिनांक १-६-६५ से प्रभावशील होगा।

[1]स्पष्टीकरण —राज्य सरकार के समक्ष एक मामला प्रस्तुत हुआ जिससे यह जानकारी चाही गई कि क्या मकान भत्ता नियमों (परिशिष्ठ १७ राजस्थान सेवा नियम खण्ड २) के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता व कर्मचारी जो देवस्थान विभागीय ईमारतो म रहते हैं पाने के अधिकारी है।

इस प्रसग मे यह स्पष्ट किया जाता है कि एस कर्मचारी जो किसी भी सरकारी इमारत/मकान/भवन (चाहे देवस्थान/सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के हो ) में रहते हैं मकान किराया भत्ता उपरोक्त नियमो म पाने के अधिकारी नही हैं अत उन्हे मकान किराया भत्ता नही मिलेगा

३ मकान मालिक पात्र नहीं —इस योजना के अधीन वह सरकारी कर्मचारी जिसका जयपुर या जोधपुर मे मकान है, मकान किराया भत्ता पाने का पात्र नही होगा।

[1] इस नियम के प्रयोजनार्थ उक्त नगरो की नगरपालिका सीमाओ में स्थित मकान को मकान मालिक का मकान माना जायगा।

[2] २ विभागाध्यक्ष मकान का अनुमोदन तथा दिये गये किराये का औचित्य प्रमाणित करते समय उसमे यह भी अंकित करेगा कि मकान नगरपालिका सीमाओ मे ही स्थित है।

[3] ३ यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास कोई पैतिक मकान है या उसका हिस्सा किसी पैतक मकान में हैं तो इन नियमो के प्रयोजनार्थ उसे मकान का मालिक माना जायगा और उसे मकान किराया भत्ता प्राप्त नही हो सकेगा।

## सरकार का निर्णय

[4] १ यह निर्णय किया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के लिए अग्रिम सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो के अध्याय १७ के अधीन प्राप्त करता है या अल्प आय वर्ग के लिए आवास योजना/मध्य आयवर्ग के लिए आवास योजना या

---

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(१५) एफ डी (व्यय नियम) ६५, दिनांक ६ १०-६५ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग का आदेश संख्या एफ १(४५)एफ डी (ई आर) /६५ दिनांक १३-७-६६

३ वित्त विभाग का व्यय नियम आदेश संख्या एफ १(३६) एफ.डी (ई आर) / ६५ दिनांक १४-१२-६५

४ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(३४) एफ डी ए /रूल्स/ ६१, दिनांक २३ ८-६१ और ११-५-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

अपने भविष्य निधि ग्रीमे मे से प्लाट खरीदने या मकान बनाने ,के लिए कर्जा प्राप्त करता है ता उसे मकान किराया भत्ता मिलना निम्न प्रकार बन्द हो जायेगा —

[1] (1) यदि अग्रिम या कर्ज की राशि किसी श्रोत से एक साथ एक मुश्त मे प्राप्त हो तो प्राप्ति के १२ माह बाद। यदि कर्जे या अग्रिम की राशि किश्तो मे प्राप्त हो तो

*(अ) एक या अधिक श्रोता से कर्जे या अग्रिम की किश्त प्राप्त होने के १८ महीने बाद या*

(ब) किसी एक श्रोत से एक मुश्त और अन्य श्रोत से किश्तो मे प्राप्त होने के १८ महीने बाद या

(स) एक से अधिक श्रोतो से एक मुश्त प्राप्त होने के १८ महीने बाद।

यह आदेश दिनाक १६-३-६४ से लागू होगा।

मकान बनाने के लिए अग्रिम। कर्जे को प्राप्त करने वाला अधिकारी ही मकन के रहने के लिये तैयार होने का तिथि की सूचना स्वय के अराज पत्रित कमचारी होन की स्थिति मे विभागाध्यक्ष को और स्वय के राजपत्रित सरकारी कमचारी होने की स्थिति मे नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी को देने के लिये उत्तरदायी होगा। विभागाध्यक्ष। नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी मकान किराया भत्ता रोकने का सुनिश्चयन करेंगे एव राजपत्रित सरकारी कमचारी मकान के रहने के लिये तयार हाने की तिथि स मकान किराया भत्ता वसूल करना बन्द कर देंगे और महालेखाकार को अपनी वेतन पर्ची (पेस्लिप) सशोधित करने के लिय लिखेंगे।

यदि सरकारी कमचारी को मकान खरीदने के लिये अग्रिम ऐसे स्थान पर स्वीकृत हुआ है जहा पर कि उसको इन नियमा के अधीन मकान किराया भत्त भी स्वीकाय है तो ऐसी स्थिति में इन नियमो के अधीन मकान किराया भत्ता निम्न प्रकार स्वीकाय नही होगा —

(i) खरीदे हुए मकान म वास करने की तारीख से, या

(ii) अग्रिम की राशि के प्राप्त हाने की तिथि के बाद चार माह समाप्त होने की तिथि स, जो भी पहले हो।

तथापि अपवादात्मक परिस्थितियो म सरकार इस चार माह की अवधि म आवश्यकतानुसार छूट भा तब दे सकता है जबकि सरकार के सन्तोष मे यह साबित हो जाय कि सरकारी कमचारी अपने नियत्रण से परे कारणा से उस मकान म अग्रिम प्राप्ति के चार माह के भीतर ही रहन के लिये न पहुँच सका हो।

जो मामले इससे पूव तय किये जा चुके हा उन्हे फिर स उठाये जान की जरूरत नहीं।

[2] मकान किराया भत्ता प्राप्त करन के प्रयोजनाथ।

अपने स्वय के मकान म रहता हुआ माना जायेगा और तदनुसार ही ऐसे कमचारी को कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिल सकेगा।

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(७०) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनाक १५ १२ ६५ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग आदश सख्या एफ १(८) एफ डी (७। रूल्स/६१ दिनाक २८-३-६१ और

४ [1] कब स्वीकार्य है —किसी सरकारी कर्मचारी को यह भत्ता तभी स्वीकार्य होगा जबकि उसने किसी निर्धारित प्रक्रिया मे, यदि ऐसी कोई हो, आवास के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु जिसे ऐसा कोई वास स्थान प्रदान नही किया गया हो।

[2] सरकारी निर्णय

१ ठेके पर रहने वाले अधिकारीयो को स्वीकार्य —एक प्रश्न यह उठाया गया है कि मकान किराया भत्ता नियमो के अनुसार किसी ऐसे अधिकारी को भी मकान किराया भत्ता क्या मिल सकता है कि जिसकी सेवाएँ ठेके पर हो।

इस मामले पर विचार किया गया है और यह तय किया गया है कि वैसे तो ठेके के आधार पर नियोजित सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मजूर करने में कोई एतराज नही होना चाहिये किन्तु ठेके की शर्तों के अनुसार इस विषय मे विशेष प्रावधान होने चाहिये कि ऐसे मामलो मे मकान किराया भत्ता स्वीकार्य होगा या नही होगा।

जहा वर्तमान ठेका के सम्बध मे विशेष प्रावधान किये गये हो वहा ठेके की ऐसी सेवाओ के सम्बध मे स्थिति की अच्छी तरह से सबधित विभागो द्वारा वित्त विभाग के परामर्शानुसार जाच की जानी चाहिये और उचित निर्णय किया जाना चाहिये।

ऐसे मामलो मे सभावित सन्देह उत्पन्न ही न हो सके, इसके लिए ठेके की शर्तों मे ही ऐसी किसी स्थिति पर विशेष रूप से निर्णय कर लिया जाना चाहिये।

५ आवास स्थान का माप —उस आवास स्थान का माप जिसमे कि सरकारी कर्मचारी को रहना है यही है कि वह स्थान सरकारी कर्मचारी के स्तर के अनुकूल हो एव कर्मचारी के अराजपत्रित होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो किन्तु कर्मचारी के राजपत्रित होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो। यदि सरकारी कर्मचारी स्वय ही विभागाध्यक्ष हो तो इसका अनुमोदन सम्बन्ध प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाना चाहिये।

[3] अपवाद —इस नियम के प्रयोजन हेतु पुलिस इन्सपेक्टर्स के मामले मे रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

टिप्पणी

१ आवास का माप शब्दावली म केवल आवास म सम्मिलित करने को नही समझे जायेंगे। अपितु इनमे अन्य चार्जे जैसे कमरे का साइज, लोकेलिटी एव अन्य सुविधायें और किराया आदि भी मिलेगा।

२ [4]आवास का माप बनाने मे किराया एक माप है। अत आवास का माप स्वीकार करने म सक्षम प्राधिकारी को स्वीकार्य किराये की उपयुक्तता पर भी ध्यान देना चाहिये और जितना

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(२४)/६२, दिनाक ६-११-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ II (३१) दिनाक ६-४-६४ द्वारा सन्निविष्ट।

३ अपवाद वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ ७ए (४२) एफ डी (ए) आर/६० दिनाक २०-११-६० द्वारा सन्निविष्ट किया गया।

४ टिप्पणी स० २ वित्त विभाग के आदेश स० एफ ३५ (२) आर/५१ दि० १६-८-५१ द्वारा सन्निविष्ट।

किराया दिया जाना वह उचित समझे-उतने की सीमा तक को उसे अनुमोदन करना चाहिये। यह कम किया हुआ या सीमित किराया ही तब मकान किराया भत्ते की गणनावट के लिये आधार माना जावेगा।

[1]३ इस नियम के प्रावधान उस सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो ५३३ रु० प्रतिमास तक वेतन प्राप्त करता है। तथापि मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का दावा करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा नियम ६ के उपनियम (१) के अधीन इस विषय का एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वह किराए पर लिए हुए आवास स्थान में रह रहा है, और वर्तमान नियमों के अधीन आवास स्थान का माप अनुमोदन करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस प्रमाण पत्र को प्रति हस्ताक्षरित किया जायगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी को सरकारी आवास स्थान प्राप्त न होने का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं देना पडेगा। इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ वेतन शब्द का नियम ६ के नीचे दी हुई टिप्पणी में परिभाषित किया जावेगा। (दिनांक १-८-६४ से प्रभावशील)

[2]अनुदेश —नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता वसूल करने वाले राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उसके स्वयं द्वारा दिया हुआ यह प्रमाणपत्र कि वह किराये के मकान में रह रहा है आवास स्थान का माप अनुमोदन करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णतया प्रति हस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए ताकि किराये का भुगतान प्राधिकृत करके उसका आडिट किया जा सके।

इस अनुदेश के प्रयोजन हेतु उप आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर को उनके मण्डल में पद स्थापित अधिकारियों के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण पत्रों को प्रति हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी माना जावेगा।

### [3]सरकारी निर्णय

यह निर्णय किया गया है कि जब राजपत्रित अधिकारियों का आवास स्थान माप एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो जाय तो उन राजपत्रित अधिकारियों के मकान किराया भत्ते का हर छठें महीने किराए की रसीदों के आधार पर निम्न प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए बशर्ते कि सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारी उस निम्न प्राधिकारी के अधीनस्थ हो।

### [4]सरकारी निर्णय

यह भी निर्णय किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ता पाते हुए किराए के प्राईवेट मकान को बदल कर सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व स्वीकृति बिना उच्चतर

---

१　टिप्पणी संख्या ३ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (३) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १८-२-६५ द्वारा सन्निविष्ट।

२　वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (३) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १३-७-६६ और दिनांक १४ ४ ६७ द्वारा सन्निविष्ट।

३　वित्त विभाग के आदेश स डी ६०४४/एफ १ (सी) (४) एफ डी ए (नियम) ६० दिनांक ३०-१-६० द्वारा सन्निविष्ट।

४　वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (१५) एफ डी (व्यय नियम)/६६ दिनांक १-६-६६ द्वारा सन्निविष्ट।

किराए के मकान में चला जाता है तो उसे मकान किराया भत्ता पुराने मकान के दिए हुए किराए के आधार पर उस तिथि तक दिया जाना चाहिए जिससे कि सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार द्वारा उसके बदले हुए आवास का माप अनुमोदित किया जाए।

पहले निर्णय किए हुए विगत मामलों को फिर से छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु विचाराधीन मामलों को इन आदेशों के अधीन विनियमित किया जा सकता है।

१३ यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक ही भवन में दो मालिकों के दो संलग्न भवनों में रहता हो तो उसके द्वारा घेरे हुए किराए के समस्त स्थान का मकान किराया भत्ता स्वीकार करने के लिए विचाराथ से लिया जा सकेगा परन्तु शर्त यह है कि वह स्थान सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के स्तर के अनुकूल हो।

६ भत्ते की दरें —किराये के मकान में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को इतना भत्ता दिया जा सकेगा जो दिए हुए किराये और दिनांक १-३-५४ से ३०० रु० प्रति मास से कम वेतन पाने पर उसके वेतन के १०% के अन्तर के बराबर हो अथवा दिए हुए किराए और दिनांक १-८ ६४ से ४०० रु० से कम वेतन पाने पर इस वेतन पाने पर इस वेतन के ७½% के अन्तर के बराबर हो। दिए हुए किराये में फर्नीचर का किराया या उसका कोई अंश सम्मिलित नहीं है। यह किराया भत्ता निम्नलिखित सीमाओं के अधीन दिया जावेगा —

(अ) सरकारी कर्मचारी का वेतन रु० ३००/- रु ४००/- रु प्रतिमास से कम होने पर १०%

(ब) सरकारी कर्मचारी का वेतन ३०० रु/४००/- रु प्रतिमास होने या अधिक हो किन्तु १००० रु प्रतिमास से कम होने पर उपान्त-समजन के अधीन ७½%

(स) सरकारी कर्मचारी का वेतन १००० रु प्रतिमास या इससे अधिक होने पर सरकारी कर्मचारी के वेतन के १०% और १७५ रु में जो अन्तर हो उसके बराबर।

[२]६(अ) दिनांक १ ८ ६४ से प्रभावशील मकान किराये भत्ते की संशोधित दरें —

(१) जिस सरकारी कर्मचारी को ५३३ रु प्रतिमास तक वेतन प्राप्त होता है और जो किराये के आवास स्थान में रहता है तो उसे निम्नांकित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जा सकेगा जो उसको वेतन वर्ग के अनुसार इस प्रकार होगा —

---

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (१५) एफ डी (व्यय-नियम)/६६ दिनांक १-६ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

२ मकान किराये भत्ते की संशोधित दरें दिनांक १-८-६४ से वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (३) एफ डी /ई आर /६५ दिनांक १८ २ ६५ द्वारा प्रभावशील।

| वेतन वर्ग | | | | | स्वीकार्य मकान किराया भत्ते की दरें |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) ६० रु से कम | | | | | ६ रु प्रतिमाह |
| (ii) ६० रु और इससे अधिक किन्तु | | | | ७५ रु से कम | ७.५० रु प्रति माह |
| (iii) ७५ रु | ,, | ,, | ,, | १०० रु ,, | १० रु ,, ,, |
| (iv) १०० रु | ,, | ,, | ,, | १२५ रु ,, | १२.५० रु ,, ,, |
| (v) १२५ रु | ,, | ,, | ,, | १५० रु ,, | १५ रु ,, ,, |
| (vi) १५० रु | ,, | ,, | ,, | १७५ रु ,, | १७.५० रु ,, ,, |
| (vii) १७५ रु | ,, | ,, | ,, | २०० रु ,, | २० रु ,, ,, |
| (viii) २०० रु | ,, | ,, | ,, | २५० रु ,, | २५ रु ,, ,, |
| (xi) २५० रु | ,, | ,, | ,, | ३०० रु ,, | ३० रु ,, ,, |
| (x) ३०० रु | ,, | ,, | ,, | ३५० रु ,, | ३५ रु ,, ,, |
| (xi) ३५० रु से ५३३ रु तक | | | | | ४० रु ,, ,, |

(२) जिस सरकारी कमचारी को ५३३ रु प्रतिमाह से अधिक वेतन मिलता है और जो किराये के मकान मे रहता है तो उसे किराया-भत्ता उस राशि के बराबर होगा जो उसके दिये हुए किराये और वेतन के १०% के अन्तर को निकालकर बचेगी। दिये हुए किराये मे फर्नीचर का किराया या उसका अ श सम्मिलित नही है। उक्त अन्तर के बराबर को राशि का किराया भी निम्न सीमाओ के अधीन हो उसे दिया जायेगा —

| | |
|---|---|
| (अ) उस सरकारी कमचारी को ५३३ रु प्रतिमाह से अधिक किन्तु १००० रु प्र माह से कम वेतन प्राप्त होता है। | ७½% उपात्त समजन के अधीन |
| [1]उस सरकारी कमचारी को जिसे १००० रु *प्रति माह या इससे अधिक वेतन मिलता हो* | ७½% अथवा २२५ रु और *सरकारी कमचारी के वेतन* के १०% मे अन्तर, जो भी कम हो। |

[1]ये आदेश दिनाक १-७-१९६६ से प्रभावशील होंगे।

[2]राजकीय निर्णय

१ सशोधित नियम ६ तारीख १-३-१९५४ से प्रभावशील था, परन्तु वास्तव म कतिपय राजपत्रित अधिकारियो के मकान किराया भत्ते की मागों के सम्बन्ध म लेखापाल कार्यालय द्वारा

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनाक १८-२-६२ द्वारा सन्निविष्ट एव आदेश सख्या एफ १ (४४) एफ डी (व्यय नियम)/६६ दि १८ ८ ६६ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग ज्ञापन स एफ १ (४१) एफ/डी-ए/रूल्स/६२ दिनांक १६-११-६३ द्वारा अन्तर्गापित किया गया।

१ १० १९५३ से प्रभावित कर दिया गया। उसके फल स्वरूप कतिपय मामलों में १ १० १९५३ से २८ २ १९५४ की अवधि का भत्ता वापस वसूल कर लिया गया।

यह निर्णय हुआ है कि उपरोक्त उल्लिखित वित्त विभागीय आदेश के अधीन देय राशि से अधिक किराया भत्ता राशियां जो वसूल की गई, वह सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को लौटा दी जावें।

तदनुसार ऐसा राज पत्रित राजकीय कर्मचारी जो १ १० १९५३ से २८ २-१९५४ की अवधि के सम्बन्ध में मकान किराया भत्ते की वसूल शुदा राशि वापस पाने का हकदार है, वह ऐसी वापसी के लिये इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से ६ मास के भीतर महालेखापाल राजस्थान को सीधा आवेदन कर सकेगा। ऐसा करते समय जहां तक संभव हो, वह विवरण प्रस्तुत करे, जैसा कि वसूल की गई राशि खजाने का नाम वसूली की तारीख, वाउचर का क्रमांक जहां कि वसूली बिला में से हुई हो, तथा, यदि नकद जमा कराई हो, तो चालान का क्रमांक।

यदि कोई अधिकारी उपरोक्त मियाद के भीतर आवेदन नहीं करेगा, तो वापसी की कोई अनुमति नहीं दी जायगी।

१२ आज्ञा प्रदान की गई है कि ऐसा राजकीय कर्मचारी जो राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स के १९६१ अधीन १ — ९ — १९६१ से संशोधित वेतन श्रृंखला के लिये निर्वाचित करता है और उपरोक्त नियमों के अधीन रु १५०। प्रति मास से कम वेतन उठाता हो तो यदि भत्ता राशि १-९-१९६१ को संशोधित वेतन पर अनुज्ञ मकान किराया भत्ते से अधिक थी तो उसे जो मकान किराया भत्ता ३१-८-१९६१ को देय था वही १-९-१९६१ से उस समय तक अनुज्ञ होगा जब तक कि वह १-९-१९६१ के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि उपार्जित न करे, या वह ऐसे पद पर नियुक्त न हो जावे जिसकी वेतन श्रृंखला उससे अधिक हो जो उसे १-९-१९६१ को अनुज्ञ थी-इनमें से जो भी पहले घटित हो जाय।

ऊपर निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता नियम ऊपर बताई गई सीमा तक संशोधित समझे जावेंगे।

यह आदेश १ सितम्बर १९६१ से प्रभावशील होना समझा जायगा।

टिप्पणी

१ [वित्त विभाग आदेश स एफ ३५ (२०) एफ डी (ई-आर) ५७ दिनाङ्क ३१-३-५४ द्वारा संशोधित।]

२ [१] इस नियम के प्रयोजनार्थ वेतन में पेन्शन सम्मिलित है। जो राजकीय कर्मचारी निम्नलिखित है वह मकान किराया भत्ते के रूप में वही राशि उठाने का हकदार होगा जो वह निवर्तन से तुरन्त पूर्व उठा रहा था बशर्ते कि वह यह प्रमाणित करदे कि वह किराये के मकान में अब तक रहता है और जिस प्रयोजन के लिये वह स्वीकृत है उसी के लिये व्यय करता है।

यह आदेश ७-६-१९६५ से प्रभावशील है।

---

१ एफ १ (२०) एफ डी/ई-आर/६५, दिनाङ्क ११-८-६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (८२) एफ डी/ए/रूल्स/६२, दिनाङ्क १७-१२-६२ तथा इसी सख्या का दिनांक ३१-१२-६२ द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया।

३ इन नियमो के प्रयोजनार्थ शब्द 'किराया' से तात्पर्य किसी राजकीय कमचारी द्वारा भुगतान किये गए ऐसे व्यय से है जो उसके द्वारा काबिज असुसज्जित [Unfurnished] मकान के लिये समझा गया हो और इसम नगर पालिका का गृह-कर और मकान मालिक द्वारा देय नगर विकास न्यास का नागरीक कर [Urban assesment] सम्मिलित है लेकिन उसमे मलवाहन कर [Conservancy tax] जल-कर विद्युत शुल्क जसे सेवा कर सम्मिलित नहीं हैं जो वैध रूप से किरायादार द्वारा देय होते है।

[१] स्पष्टीकरण —मकान किराया भत्ता नियमा के नियम ६ के नीचे टिप्पणी सख्या २ (वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३०) एफ डी (व्यय-नियम) । ६६ दि० ११ ८ ६५ द्वारा सन्निविष्ट) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैं जिसमे कि मकान किराया भत्ता नियमो के प्रयोजन हेतु 'वेतन' शब्द को परिभाषा दी हुई है।

यह सदेह व्यक्त किए गए है कि नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति सरया एफ १ (६) नियुक्ति (ए० II)/६१ दि० १६-३ ६१ के अनुसार सरकारी कमचारी को स्वीकृत "योग्यता वेतन" को इन नियमा की खातिर वेतन माना जाए अथवा नही।

मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है सरकारी कम चारी को स्वीकृत योग्यता वेतन" को इन नियमा के प्रयोजनाथ वेतन ही माना जावेगा।

[२] ६(अ) [ विलोपित ]

[२] ७ किस प्रकार विनियमित होगा —(i) यदि एक या अधिक वयस्क लोग जो कि सरकारी कमचारी के परिवार से सम्बधित नही है, किसी मकान के हिस्से मे रहते हो अथवा उसी मकान का कोई हिस्सा किसी अशासकीय व्यक्ति को उप-किराए पर दे दिया जाए तो मकान किराए भत्ते की फलावट के लिए वस्तुत दिये गये किराये की राशी का $\frac{2}{5}$ भाग कम भरा जायेगा।

(ii) यदि किसी मकान का कोई हिस्सा उप-किराए पर दिया जाए या कोई दूसरा सरकारी कमचारी उसमे हिस्सेदार हो तो किराया भत्ते उसी सरकारी कमचारी को प्राप्त होगा जिसने कि पूरा मकान किराए पर लिया है और इन नियमो के अधीन दूसरा सरकारी कमचारी कोई मकाना किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा। ऐसे मामला मे मकान किराए भत्ते की राशि की फलावट के लिए दूसरे सर कारी कमचारी के वेतन के १०% मे से वास्तव मे दिए गए किराए को घटा दिया जायगा।

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या डी ६०४४/एफ I (सी) (४) एफ डी ए (नियम)/६० दिनाक ३० १ ६० द्वारा विलोपित।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (५६) एफ डी (व्यय नियम)/६२ दिनाक ७-२ ६३ द्वारा प्रतिस्थापित।

## टिप्पणियां

(i) यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा मे हों और दोनों ही ऐसे स्थान पर पद स्थापित हो जहां कि मकान किराया भत्ता स्वीकाय है तो ऐसी स्थिति मे दोनों म से जिस को उच्चतर वेतन मिलता है वही मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा और उसे उप-नियम (ii) के अनुसार मकान किराया भत्ता गणना करके दिया जावगा तथा दूसरे को इन नियमो के अधीन कोई मकान किराया भत्ता नही दिया जावेगा।

(ii) इस नियम के अधीन मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का दावा नियम ८ (अ) और ८ (ब) म प्रावहित प्रमाण-पत्र सख्या (२) द्वारा समर्थित होना चाहिए।

आगे यह भी आदेश दिया जाता है कि यह सशोधन आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगे जो मामल इन सशोधना मे लिए गए तरीका के अतिरिक्त ढग से पहले ही तय कर लिए हैं उन्हे फिर स छडने की जरूरत नहीं है।

[1] अपवाद —इस नियम के प्रावधान नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता दावा का करने वाले सरकारी कमचारी पर लागू नही होगे। तथापि यदि पति और पत्नी दोनो ही सरकारी सेवा में हो और दोनो ही ऐसे स्थान पर पद स्थापित हो कि जहा मकान किराया भत्ता स्वीकाय है तो उनमे से उच्चतर वेतन प्राप्त करने वाला ही मकान किराया भत्ता पाने का अधिकारी होगा और इन नियमो के अधीन दूसरा कोई मकान किराया भत्ता नही पा सकेगा।

## टिप्पणी

[2] जो व्यक्ति कुल पेंशन की राशि इतनी पाता है जो १०० रु० महीने से अधिक नहीं है (इसमें पेंशन की अस्थाई वृद्धि और मृत्यु सह सेवा निवृत्ति-ग्रेचुइटी के बराबर पेंशन भी सम्मिलित है) किंतु जो किसी सरकारी कमचारी पर किसी प्रकार निर्भर है और उसी के साथ रहता भी हैं तो उसे उस सरकारी कमचारी के परिवार का सदस्य ही माना जावेगा।

## ३ स्पष्टीकरण

वित्त विभाग के आदेश सम सख्या दिनाक १३-७-६६ के अनुच्छेद II के द्वारा मकान किराया भत्ता नियमो के नियम ७ के नीचे एक अपवाद सन्निविष्ट किया गया है। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कौन सी तिथि से यह उपयुक्त अपवाद प्रभावशील माना जाना चाहिये।

मामले पर विचार किया गया है, चूंकि नियम ६ (१) के अधीन वेतन वर्गों के आधार पर मकान किराया भत्ता दिनाक १-८-६४ से दिया जाता है अत मकान

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३) एफ डी (व्यय-नियम)/६५ दिनाक १३-७ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ ७०३ (१)/५६-एफ ७ ए (४३) एफ डी ए (रूल्स)/ ५६ दिनाक ७ १२ ५४ द्वारा सन्निविष्ट।

३ वित्त विभाग के ज्ञापन स० एफ १(३) एफ डी (व्यय नियम) ६५ दिनाक २१-१२-६६।

किराया भत्ता नियमो के नियम ७ के प्रावधान ऐसे मामलो पर प्रभावहीन हो गये हैं। तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयु क्त कथित अपवाद दिनाक १-८-१९६४ से प्रभावशील माना जाना चाहिये।

### [1]सरकार का निर्णय

एक प्रकरण सरकार की जानकारी मे आया है जिसमे कि उपयु क्त प्रसगित उपनियम (७) के अधीन दो सरकारी कर्मचारी (पति और पत्नी) मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे थे। पत्नी रियायती छुट्टी के अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश पर चली गई और इस अवकाश की अवधि मे वह किसी भी मकान किराये भत्ते की हक्दार नही थी। अत एक प्रश्न यह उठा कि पति का मकान किराया भत्ता दिये गये कुल किराये के आधार पर क्या फिर से फ्लावट करके तय किया जाय। मामले पर विचार करके यह तय किया गया है कि चू कि वतमान नियमो के अधीन स्वीकाय किराया भत्ता दो सरकारी कमचारियो (पति और पत्नी) मे जो कि एक ही मकान मे हिस्सेदार मे उनके वेतन के अनुपात म वट जायेगा अत यदि पत्नी छुट्टी पर चली जाय और इस छुट्टी के दौरान वह किसी किराया भत्ते की हक्दार नही हो तो किराये भत्ते की पुन फ्लावट करने का दिये हुए कुल किराये के आधार पर प्रश्न उठता ही नही है। दूसरे शब्दो म पति को स्वीकाय मकान किराया भत्ता पत्नी के अवकाश की अवधि म जिसमे कि वह किसी प्रकार का किराया भत्ता पाने की हकदार ही नही थी, बढ नही जायेगा।

जो मामले पहले किसी अन्य प्रकार से तय कर दिये गये हो उन्हे फिर से छडने की कदापी आवश्यक्ता नहीं है।

८ *प्रमाण-पत्र —मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये इन नियमो के* अधीन उन वेतन विलो के साथ निम्न प्रमाण-पत्र सलग्न किये जाने चाहिये जिन मे मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा हो ताकि भत्ते का दावा समर्थित हो सके —

(अ) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा *अराजपत्रित अधिकारियों के मामले मे हस्ताक्षर* किये जाने योग्य —

१ प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कमचारी जिसका कि इस बिल मे मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है न सरकारी मकान के लिये अर्जी दी थी किन्तु उसे ऐसी अभियाचित जगह रहने के लिये नही दी गई है।

[2]**अनुदेश** —नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले कमचारी के विषय में यह प्रमाण-पत्र देने की कोई जरुरत नही है।

२ सरकार द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र सरकारी कमचारी से जिसका कि इस बिल मे मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है, प्राप्त कर लिये गये है तथा मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि यह मकान किराये भत्ते का दावा नियमानुसार है।

---

१ वित्त विभाग के आदेस सख्या एफ ५ (२) आर/५१ दिनाक ६-७-५८ द्वारा सन्निविष्ट आदेश कि तिथि से प्रभावशील।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३) एफ डी (व्यय-नियम)/६५ दिनाक ३१ ७ ६५ द्वारा सन्निविष्ट।

[1]३ मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मैंने सरकारी मकान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु जिस अवधि का मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है उसमें ऐसी कोई जगह मेरे रहने के लिये सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

हस्ताक्षर
पद "

[2]अनुदेश —यह प्रमाण-पत्र उस सरकारी कर्मचारी के विषय में दिये जाने की जरूरत नहीं है जो नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है।

(ब) मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होने योग्य —

(१) मैं प्रमाणित करता हूँ कि —

(अ) मेरा " मे मकान नहीं है। मेरा स्वय का मकान है किंतु मुझे सरकार के आदेश संख्या " दिनांक " द्वारा किराये के मकान मे रहने की इजाजत दे दी गई है।

[3](ब) मैं " मे दिनांक " से दिनांक तक किराये के मकान मे रह रहा हूँ ( जिसके मालिक मेरे माता या और पिता आदि नहीं है )

(स) मेरे द्वारा दावा की गई मकान किराये भत्ते की " रु की राशि वस्तुत मेरे द्वारा मकान किराये के लिये दी गई मासिक राशि से फर्नीचर रहित मकान के लिये मेरे वेतन रु० मासिक की ७½% राशि से और फर्नीचर सहित मकान के लिये मेरे वेतन की १०% राशि से अधिक है।

[4]अनुदेश —नियम ६ ( १ ) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे यह प्रमाण-पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(२) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि जिस किराये के मकान के लिये मैंने मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का दावा किया है उसके किसी हिस्से को मैंने किसी को उप-किराये पर नहीं दिया है और न उसके किसी हिस्से में मेरे परिवार के और मुझ पर ही पूर्णतया निर्भर वयस्क व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य वयस्क व्यक्ति रहता है।

---

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२४) एफ डी (ए) नियम/६२ दिनांक ९-११ ६६ द्वारा संनिविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२४) एफ डी (व्यय-नियम)/६२ दिनांक १३ ७ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

३ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२२) एफ डी (ई आर)/६१ दिनांक २ ६-६४ द्वारा प्रति स्थापित।

४ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (१३) एफ डी (व्यय नियम) ६५ दिनांक १३ ७ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

[1]अनुदेश—नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले सरकारी कमचारी के सम्बन्ध मे उक्त प्रमाण-पत्र देने को आवश्यकता नही है।

[2](३) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास स्थान के लिये प्राथना-पत्र दिया था किन्तु मुझे ऐसी कोई जगह रहने के लिये उस अवधि के दौरान प्रदान नही की गई है जिसके लिये मैंने किराया भत्ता पाने का दावा किया है।

[1]अनुदेश—नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले सरकारी कमचारी के सम्बन्ध मे यह प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नही है।

हस्ताक्षर

पद

## राजस्थान सरकार का निर्णय

मकान किराया भत्ता नियमा के नियम ८ मे कुछ ऐसे प्रमाण पत्र है जो कि उस बिल के साथ लगाये जाते हैं जिससे सरकारी कमचारी का मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है। चूकि इस भत्ते का दिया जाना उस मकान किराये पर निभर है जो कि वस्तुत सरकारी कमचारी द्वारा दिया जाता है अत यह वाछनीय है कि किराया की रसीदा के सन्दर्भ से विभागाध्यक्ष या कार्यालय ध्यक्ष द्वारा यह जाच की जाती रहनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भत्ता सरकार द्वारा इस सम्बन्ध म जारी किये गये नियमा के अनुसार ही दिया जा रहा है। यह जांच अक्सर जितनी हो सके यथा सभव की जाती रहनी चाहिये। कुछ कार्यालयो मे ता यह रिवाज हो गया है कि किराया की रसीदें हर माह कार्यालय म प्रस्तुत की जाती हैं यह तरीका यथा समव अपनाया जाना ही चाहिये।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह कम से कम छ माह मे एक बार किया जाता है। सरकार सहष आदेश प्रदान करती है अराजपत्रित अधिकारियो के सम्बन्ध मे बिल उठाने वाले कार्यालयाध्यक्ष फरवरी और अगस्त के बिलो म एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र ऐसा दें कि उन्होन पिछले जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदा की जाच कर ली है तथा इन रसीदो से उन्होन यह भी चक कर लिया है किराया भत्ता जाच करने पर उन रसीदों के अनुसार सही पाया गया है। राजपत्रित अधिकारियो के सम्बन्ध म सक्षम प्राधिकारी प्रति वष २० फरवरी और २० अगस्त को ऐसा प्रमाण-पत्र अलग से भेजेंगे कि उन्होन पिछली जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदें चक कर ली हैं और यह पाया है कि दिया गया मकान किराया उस राशि से कम नही है जिसके आधार पर कि मकान किराया भत्ता स्वीकार हुआ था।

२ महालखाकार राजस्थान ने सरकार की जानकारी मे यह बात लाई है कि वित्त विभाग के आदेश सख्या डी ३१६०/एफ II १५३ दिनाक ८-८-५३ के उन अनुदेशा का विभागाध्यक्षों

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ (१२) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनाक १२ ७ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (२४) एफ डी (ए) नियम/६२ दिनाक ६ ११ ६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिनके अनुसार कि उन्हें राजपत्रित अधिकारीयो क सम्बध मे प्रतिवष २० फरवरी और २० अगस्त को सक्षम प्राधिकारी का इस विषय का एक प्रमाण-पत्र देना होगा है कि उन्होने पिछली जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदो की जाच कर ली है और लिया हुआ किराया सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों के अनुसार ही हैं।

उक्त प्रयाजनाथ बनायी गई प्रक्रिया का कडाई के साथ अनुपालन किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार राजस्थान को अविलम्ब भेजे जाते हैं इस काय के लिये सक्षम प्राधिकारी विभागों के अध्यक्ष है और यदि सरकारी कमचारी स्वय ही विभाग का अध्यक्ष हो तो सरकार का प्रशासन विभाग इस विषय मे सक्षम होगा।

३ एक प्रश्न यह उठाया गया था कि समय समय पर यथोचित एव वित्त विभाग के जारी किये हुए आदेश सख्या एफ ३५ (२) आर/५१ दिनाक २३-६-५१ के अधीन जारी जयपुर और जोधपुर में पद स्थापित या सेवा कर रहे सरकारी कमचारियो को मकान किराया भत्ता स्वीकार करने के लिये नियम ६ के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र देना क्या छुट्टिया स्वीकृत होने या अस्थायी स्थानान्तरण की स्थिति म भी आवश्यक होगा जब कि ऐसे कमचारी अस्थानान्तरणीय हैं।

इस मामले की जाच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि चू कि ऐसे कर्मचारियो का छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण नहीं हो सकता है अत उनके मामला में उक्त प्रकार के प्रमाण-पत्र दिये जाने की कोई आवश्यकता नही है।

ऐसे कमचारी, जिनका अन्य स्थान पर स्थानान्तरण नही हो सकता है और जिनके सम्बन्ध में उपयु क्त प्रमाण-पत्र दिये जाने की भी आवश्यकता नही है अनुलग्नक में अकित हैं

### अनुलग्नक

१ मुख्य अभियन्ता सिचाई विभाग।
२ मुख्य अभियन्ता सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ)।
३ निदेशक स्वास्थ्य एव चिकित्सा सेवायें और उनके डिप्टीज।
४ महानिरीक्षक पुलिस।
५ मुख्य वन सरक्षक।
६ राजस्थान सचिवालय सेवा के सहायक सचिव और उप-सचिव पद धारक।
७ सचिवालय के अनुभाग अधिकारीगण।
८ बीमा विभाग के राजपत्रित अधिकारीगण

### स्पष्टीकरण

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि सरकारी कमचारियो को मकान किराया भत्ता मजूर करने के लिये नियम १ के अधीन जो प्रमाण-पत्र अपेक्षित हैं तो क्या वे उस सरकारी कर्मचारी के मामले म भी आवश्यक हैं जो एक पृथक्कृत स्थायी-पद सस्थायी स्थिति म धारण किये हुए है और

१ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ १ (३७) आर/५६ दिनांक २ १ ६१ द्वारा सन्निविष्ट।
२ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ १ (८) एफ डी (व्यय नियम) ६४ दिनांक २० २ ६४ द्वारा सन्निविष्ट।

जिसको अवकाश स्वीकृत किया जाता है अथवा जिसका अस्थायी रुप से स्थानान्तरण कर दिया जाता है ।

मामले की जाच कर ली गई है और यह निर्णय किया गया है कि चू कि ऐसे अधिकारी का कही स्थाना तरण नही किया जा सकता है अत उसके सम्बन्ध म ऐसे उक्त प्रमाण पत्र अभि लेखित किये जाने की आवश्यकता भी नही है ।

[1]४ वित्त विभाग के आदेश दिनाक ७ १ ५६ ( जो कि नियम सख्या ८ के नीचे र जस्थान सरकार का निर्णय सख्या २ के रुप मे स मावि्ष्ट हैं) के अनुसार राजपत्रित अधिकारियो के सम्बन्ध मे प्रति वष २० फरवरी और २० अगस्त को सक्षम प्राधिकारी का ऐसा प्रमाण-पत्र अलग से भजा जाना वाछनीय है कि उसन पिछली जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदा को चक करके देख लिया है कि उसे किराया भत्ता नियमानुसार दिया जा रहा है ।

महालेखाकार राजस्थान ने यह बताया है कि उक्त प्रक्रिया से काम सन्तोष जनक ढग से नही हो रहा है क्योकि किराये की रसीदो की जाच के प्रम एा-पत्र उनके यहा अति विलम्ब स भजे जाते हैं । इस मामले पर फिर स विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि अब आगे स उक्त अनुच्छेद मे अकित प्रक्रिया (यानो प्रति वष २० फरवरी और २० जुलाई को अलग अलग प्रमाण-पत्र भेजना) समाप्त कर दी जाय और इसके स्थान पर सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध मे उनसे ऊ चा प्रशासनिक प्राधिकारी किराये की रसीदो के सत्यापन स्वरूप प्रति वष उनके दिसम्बर और जून के वेतन बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा । तथापि सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारी अपने वेतन बिलो पर इस प्रकार का एक प्रमाण-पत्र दज करेगा कि उसन वस्तुत
*माह का रु० मकान किराया चुका दिया है ।*

[2] यह निर्णय किया गया है कि नियम ६ के उप नियम (1) के अधीन मकान किराया भत्ता वसूल करने वाले सरकारी कमचारियो को समय समय पर सशोधित वित्त विभाग के आदेश सख्या डी० ३१६० एफ 11/५३ दिनाक ८ ८-५३ (जो नियम ८ के नीचे सरकारी निर्णय १ एव २ के रुप मे प्रकाशित हुआ है) के प्रयोजनाथ मकान किरायें की रसीदें प्राप्त करने की जरुरत नही है । तथापि सम्बद्ध सरकारी कमचारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र तो लिया ही जायेगा कि वह किराये के मकान मे ही रह रहा है ।

यह आदेश दिनाक १-८ १९५४ से प्रभावशील होगा ।

**१ अवकाश इत्यादि के दौरान स्वीकार्यता**—मकान किराया भत्ता अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान भी दिया जा सकता है जसे

[3]सरकारी कमचारी को अवकाश । अस्थायी स्थाना तरण के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता दिया जा सकेगा जिस पर कि व उसे अवकाश पर रवाना होने से पूव मिल रहा था कि तु उसे यह प्रमाणित करना पडेगा कि—

---

२ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ १ (१४) एफ डी (व्यय नियम)/६३ दिनाक १३-३-६३ द्वारा सन्निविष्ट ।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३१) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनाक १८-२ ६५ द्वारा सन्निविष्ट ।

४ वित्त विभाग के आ देश न० एफ १ (२६) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनाक २ ३ ६७ से प्रति स्थापित ।

(i) वह या उसका परिवार या दोनों उस अवधि में, जिसका कि मकान किराया भत्ता वसूल किया गया है, उसी स्थान पर ही रह रहे थे जिससे कि वह छुट्टी पर रवाना हुआ था अथवा जहा से कि उसका स्थानान्तरण हुआ था। अथवा

(ii) जिस अवधि का किराया भत्ता उठाया गया है उसमे प्राप्त भत्ते को किराये के व्यय के पूर्ण या अधिकाश अश के रूप मे देता रहा है।

## टिप्पणीयां

(i) जब उपर्युक्त उप अनुच्छेद (ii) के अधीन प्रमाण पत्र दिया जाय तो अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधीकारी या स्थानान्तरण करने वाला प्रधिकारी सेवा निदेश कर सकता है कि किराये भत्ते का अश ही आहरित किया जायेगा। जब उक्त उप अनुच्छेद (i) या (ii) के अधीन कोई प्रमाण पत्र दिया जाय तो ऐसा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को यह सन्तोष जनक उत्तर देने को कह सकता है कि वह यह बताये कि किराये के किये गये खर्चे को वह रोक नहीं सकता था उसके लिये यह खर्चा रोकने म या टालने में उसकी असमर्थता थी। यदि प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी के इस उत्तर स सन्तुष्ट न हो सके तो वह ऐसा भी निदेश कर सकता है कि किराये भत्ते का कोई अश आहरित नहीं किया जायगा।

[1](ii) अवकाश का अर्थ सब प्रकार के १२० दिन के अवकाश से है और यदि वास्तविक अवकाश की अवधि इससे अधिक हो तो प्रथम १२० दिन का अवकाश किन्तु इसम असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश सेवा निवृत से पूर्व का अवकाश, मना किया गया अवकाश। या सेवान्त-अवकाश जो चाहे नोटिस की अवधि के साथ चल रहा हो अथवा नहीं, आदि सम्मिलित नहीं है। जब विश्रामकाल या छुट्टियों को अवकाश के साथ मिला दिया जाय तो विश्रामकाल, छुट्टियों और अवकाश की समस्त अवधि को एक ही दौर म लिया हुआ अवकाश माना जायेगा।

यह आदेश दिनांक १-३ ६७ से प्रभावशील होगा

२ अवकाश का तात्पर्य सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को छोड कर लिया हुआ रियायती अवकाश स है। निम्न स्थितियों मे मकान किराये भत्ते का हक बदस्तूर बना रहेगा —

(अ) जब मूल अवकाश ४ माह की अवधि से आये बाद मे बढाया नही जाय, और यदि बढाया ही जाय तो सारी अवकाश की अवधि ४ माह से अधिक नही हो एव

(ब) जब मूल अवकाश या बढाया हुआ अवकाश जो कि अनुच्छेद (अ) मे सकलित है चार माह से अधिक न होने पर फिर बादमे और बढ या जाय और इस प्रकार कुल अवकाश ४ माह से अधिक हो जाय तो मूल अवकाश या चार माह के अवकाश से अधिक बढे हुए अवकाश की समाप्ति तिथि तक या बाद मे बढाये गये प्रथम अवकाश की स्वीकृति तिथि तक जिसस

---

१ वित्त विभाग के आदेश स० एफ १(३) एफ डी (व्यय-नियम)/६५ दिनांक १३-७ ६६ द्वारा प्रतिस्थापित।

कि सम्पूर्ण अवकाश की अवधि ४ माह से अधिक हो गई हो, दोनों में से जो भी पहले हो।

३ अस्थायी स्थानान्तरण का तात्पर्य दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी का बदल जाना है। जिसकी अवधि सामान्यतः ४ माह से अधिक न होने पर ही मानी जाती है। इस नियम के प्रयोजनार्थ इसमें प्रति नियुक्ति भी सम्मिलित है। चार माह की सीमा के अधीन यदि अस्थायी ड्यूटी बाद में चार माह से आगे बढ़ाई जाय तो सम्पूर्ण मकान किराया भत्ता ड्यूटी के बढ़ाये जाने के आदेश की तिथि तक बदस्तूर ज्यों का त्यों रहेगा।

४ जब तक कि किसी मामले में स्पष्टतया अन्यथा प्रकार से प्रावधान न किया जाय, उपर्युक्त संकेतित टिप्पणी संख्या २ एवं ३ की अवधि में कार्य ग्रहण अवधि भी शामिल की जा सकती है।

### आडिट सम्बन्धी अनुदेश

[1] ( विलोपित )

### राजस्थान सरकार का निर्णय

[2] ( विलोपित )

[3]५ उपर्युक्त नियम का निहित उद्देश्य सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को छोड़कर इन नियमों की टिप्पणी २ में निर्धारित अवकाश की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी के मकान किराये भत्ते के हक को प्रतिबन्धित करना है। अतः अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियों को शीघ्र ही सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अवकाश के आवेदनों की विशेष सावधानी के साथ जाँच करनी चाहिये और जहां कहीं किसी प्रकरण में नियमों की अवहेलना करके ४ माह या इससे कम का अवकाश लेने का स्पष्ट उद्देश्य नजर आये और ऐसा दिखे कि केवल कुछ दिन ही ड्यूटी पर कर्मचारी वापस आकर सेवा निवृत्त होगा तो उन्हें सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश देने से मना कर देना चाहिये।

### आडिट अनुदेश

[4]समस्त भ्रान्तियां का निराकरण करने हेतु अवकाश या स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को स्वीकृति आदेशों में इन नियमों के हक में एक प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारी के पद पर या स्थान पर वापस आने की सम्भावना के सम्बन्ध में जैसी भी स्थिति हो लगा देना चाहिये।

---

१ वित्त विभाग की पर्ची १२५ में आदेश सं० एफ १ (२६) एफ डी (व्यय नियम/६४ दिनांक १६ ७ ६४ द्वारा विलोपित।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(२६) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक २१-३ ६४ द्वारा विलुप्त

३ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ ५ (१) एफ डी (ई आर)/५६ दिनांक ११-१-५६ द्वारा सन्निविष्ट।

४ वित्त विभाग के आदेश सं० डी १६०६ एफ II/५३ दिनांक १७-६-५३ द्वारा सन्निविष्ट।

## महालेखा निरीक्षक का निर्णय

¹ ( विलोपित )

## राजस्थान सरकार का निर्णय

²१ जयपुर और जोधपुर में पद स्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता स्वीकृति का विनियमित करने वाले नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं जो दैनिक मजदूरी पर नियोजित किये गये हैं।

³२ मासिक आधार पर भुगतान प्राप्त करने वाले निर्माण प्रभारित कर्मचारियों पर भी मकान किराये भत्ते के नियम लागू नहीं होते हैं।

⁴३ एक प्रश्न यह उठा है कि निलम्बित किये गये सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता वसूल करने के लिए कौन कौन से प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे तथा जिस कर्मचारी को निलम्बन के पश्चात फिर से सेवा में लगा लिया जाता है और राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५४ के अनुसार जिसका निलम्बनावधि को अवकाश पर बिताई गई अवधि मानें जाने का आदेश दे दिया जाता है तो उस कर्मचारी को मकान किराये भत्ते के लिये क्या प्रमाण-पत्र देने होंगे।

⁵यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी से नियम ९ के अधीन प्रमाण-पत्र मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में आवश्यक समजन करने से पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिये यदि ऐसा प्रमाण-पत्र पहले ही प्राप्त न किया गया हो।

⁶४ अवकाश से पूर्व या पश्चात पड़ने वाली छुट्टियों में मकान किराया भत्ता प्राप्त करने को उसी प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए जिस प्रकार कि अवकाश के दौरान किया जाता है। किन्तु अवकाश से तुरन्त पूर्व या पश्चात न पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान मकान किराये भत्ते की स्वीकृति उसी प्रकार विनियमित की जायेगी जिस प्रकार की ड्यूटी के समय पर की जाती है।

⁶५ एक प्रश्न यह भी उठा है कि सरकारी कर्मचारी को कार्य ग्रहण अवधि (जोइनिंग टाइम) में भी क्या मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिये। इस विषय में यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम १२७ के अनुच्छेद (अ) या (ब) के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर सरकारी कर्मचारी को कार्य ग्रहण अवधि के दौरान भी मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि यदि दो पदों पर भत्ते की दरें भिन्न हों तो उसे कम दर पर ही यह भत्ता मिलेगा —

---

१ वित्त विभाग की पर्ची १२५ में आदेश संख्या एफ १ (२९) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक १६-७-६४ द्वारा विलोपित।

२ वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ ३५ (२८)-आर/५२ दिनांक २७-६-५२ द्वारा सन्निविष्ट

३ वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ ३५ (१) एफ II/५३ दिनांक २४-१-५३ द्वारा सन्निविष्ट।

४ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ ७ ए (३२) एफ डी (ए) नियम १४८ दि० २४-१० ५८ द्वारा शामिल किया गया।

५ वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ १ (२९) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक १७-६ ६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

६ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ (२८) एफ डी /ए/नियम)/६१ दिनांक २३-८ ६१ द्वारा सन्निविष्ट।

(i) पहली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को अपने पुराने पद पर भी मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ हो।

(ii) स्थानान्तरण ऐसे दूसरे पद पर हुआ हो कि जिस पर यह भत्ता दिया जा सकता हो।

(iii) किराये के लिये वस्तुत उसने काय ग्रहण अवधि मे खर्चा दिया हो जिससे कि यदि वह ड्यूटी पर होता तो भत्ता प्राप्त करने का हकदार होता।

यह भी निणय किया गया है कि यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी हो जायें तो यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी कमचारी को उस पद पर काय ग्रहण के दिन भी मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ हो जिस पर कि उसका स्थानान्तरण हुआ है ताकि वह कायग्रहण अवधि के लिये किराये भत्ते प्राप्त करने का हकदार हो सके।

## प्रशासनिक अनुदेश

[1] *एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कोई सरकारी कमचारी यदि अपनी पत्नी या बच्चो के* मकान मे रहता हो तो क्या उसे भी मकान किराया भत्ता पाने का हकदार माना जा सकेगा। ऐसे मामले मे यह निर्णय किया गया है कि इनमे मकान किराए भत्ते की स्वीकृति इसको विनियमित करने वाले नियमो के अनुच्छेद ३ के अनुसार नियन्त्रित की जानी चाहिए अर्थात् पत्नी या बच्चो का मकान किराया भत्ता स्वीकार करने के प्रयोजन हेतु सरकारी कमचारी का ही मकान माना जाना चाहिए।

## स्पष्टीकरण

[2]एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कोई सरकारी कमचारी यदि किसी स्थान विशेष पर पद स्थापन के आदेशो की प्रतिक्षा कर रहा हो तो क्या उसे ऐसी पद स्थापन आदेश की प्रतिक्षा अवधि मे मकान किराया भत्ता दिया जा सकेगा।

मामले पर विचार कर लिया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि चू कि पद स्थापन के आदेशो की प्रतीक्षा अवधि को ड्यूटी ही माना जाता है अत इस अवधि मे किराया भत्ता स्वीकाय होगा परन्तु शर्त यह है कि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी नियमो के अधीन अन्यथा प्रकार से भी किराया भत्ता पाने का हकदार हो।

## आदेश

[3]ये आदेश दि० १ अक्टूबर १९६४ से प्रभावशील होगें और दि० १ १० १९६४ को किराया भत्ता सम्बन्धी दावो के विचाराधीन मामले इन आदेशो के अधीन ही विनियमित किए जावेंगे। सुरक्षा संगठनो में सरकारी कमचारियो की भर्ती होने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधायें देने के आदेश दिए जाते है —

१ यदि कोई व्यक्ति सरकारी मकान म रह रहा हो तो उसके परिवार को भी वाजिब किराए पर उसी मकान में रहने की इजाजत दी जा सकेगी।

२ यदि किसी व्यक्ति को मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो ऐसा भत्ता उसे दिया जाता रहेगा।

---

१ वित्त विभाग के आदेश स० एफ ३५(३१) आर/५२ दिनाक २१ ७ ५२ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के ज्ञापन स० एफ (३८) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनाक १६ १० ६४ द्वारा सन्निविष्ट।

३ *सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश स० एफ ४ (७६) जी ए/ए/६२ जी आर I* दिनाक १२ ४ ६२ द्वारा सन्निविष्ट।

## परिशिष्ट १८

'प्रपत्र "अ"

### अध्ययन-अवकाश पर रवाना होने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिये बंध-पत्र (बांड)

इन लेखों द्वारा सभी को विदित हो कि मैं ...... निवासी ... जिला वर्तमान में के कार्यालय में के रूप में नियोजित राजस्थान सरकार को (जो एतद पश्चात आगे 'सरकार' कहलायेगी) मांगे जाने पर ... ... रु० की राशि (अंकों ... ...... रु०) सरकारी ऋण पर तत्समय लागू एवं मांगे जाने की तिथि से सरकारी दरों पर देय ब्याज सहित अदा करने के लिये और यदि यह अदायगी भारत के अलावा किसी और देश में होती है तो भारत और उस देश के बीच तय की गई मुद्रा परिवर्तन की सरकारी दरों पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त राशि के बराबर राशि लौटाने तथा सरकार द्वारा किये गये/किये जाने सभी खर्चे एवं वकील और मुवक्किल के बीच तय किये गये महेनताने आदि सहित लौटाने के लिये एतद द्वारा स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को तथा निष्पादकों और प्रशासनों को आबद्ध करता हूँ।

यह आज दिनांक ...... ... माह सन् एक हजार नौसौ को लिखा गया।

और चूंकि उक्त आबद्धकर्ता श्री ... को सरकार द्वारा अध्ययन-अवकाश स्वीकृत किया गया है,

और चूंकि सरकार की उचित सुरक्षा हेतु आबद्धकर्ता इसमें आगे लिखी हुई शर्तों पर इस बंध पत्र को निष्पादित करने के लिये सहमत होगया है

और उपर्युक्त लिखित दायित्व की शर्त यह है कि उक्त आबद्ध कर्ता को के अध्ययन अवकाश की समाप्ति या उसकी अवधी के खत्म होने के बाद ड्यूटी पर वापस उपस्थित हुए बिना सेवा से त्याग पत्र देने या सेवा निवृत होने या ड्यूटी पर उपस्थित होने के वर्ष बाद किसी भी समय ऐसा करने की स्थिति में वह सरकार को या सरकार द्वारा निर्देश पाकर मांगे जाने पर यथा निर्देश कथित राशि रु० (अंकों में रु०) मांगे जाने की तारीख से इस पर तत्समय सरकारी ऋण पर लागू सरकारी दर पर देय ब्याज सहित शीघ्र लौटायेगा।

और उपर्युक्त आबद्धकर्ता श्री के इस प्रकार रुपया अदा करने पर यह लिखित दायित्व शून्य और निष्प्रभ हो जायेगा अन्यथा यह प्रभावकारी होगा और पूरीतरह इस मामले में लागू माना जायेगा।

---

१ वित्त विभाग के ज्ञापन सं० एफ १० (१०) एफ II/५३ दि० २८-४-६१ द्वारा प्रतिस्थापित

राजस्थान सरकार इस बंध-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क वहन करने को सहमत हो गई है।

निम्न की उपस्थिति मे यह

उपर्युक्त आबद्धकर्ता श्री　　　द्वारा सोपा गया और हस्ताक्षर किया गया

१ श्री

२ श्री"

राजस्थान के राज्यपाल के लिए/और की ओर से द्वारा प्राप्त किया गया।

प्रपत्र "व"

अध्ययन-अवकाश पर रवाना होने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिये बंध-पत्र (बांड)

इन लेखो द्वारा सभी को विदित हो कि हम श्री　　　निवासी　　　जिला"　　　वतमान मे　　　के रूप मे　　　के कार्यालय मे नियोजित (जो इसमे एतद् पश्चात् आगे 'आभारी" कहलायेगा) की ओर से जामिन श्री　　　"पुत्र श्री　　　निवासी　　　एव श्री　　　पुत्र श्री·　　　" निवासी　　　— एतद् द्वारा सामूहिक रूप से और प्रथक् रूप स स्वय को, अपने पारस्परिक उत्तराधिकारियो, निष्पादको और प्रशासको को राजस्थान के राज्यपाल को जो (एतद् पश्चात् इसमे आगे 'सरकार' कहलायेगा) मागे जाने पर　　　रु० की राशि (अकेन　　　रु०) उस पर मागे जाने की तिथि से सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दर पर देय व्याज सहित अदा करने और यदि यह अदायगी भारत के अलावा किसी अन्य देश मे हो तो उस देश और भारत के बीच तय की मुद्रा-परिवतन की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा मे उक्त कथित राशि के बराबर राशि लौटाने तथा सरकार द्वारा किये गये/किये जाने वाल सभी खर्चे एव वकील और मुवक्किल के बीच तय किये गये मेहनताने सहित लौटाने के लिये आबद्ध करते हैं।

यह आज दिनाक　　　माह"　　　सन एक हजार नौसौ　　　को लिखा गया।

और चूंकि उक्त आबद्धकर्ता श्री　　　को सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है

और चूंकि सरकार की उचित सुरक्षा हेतु आबद्ध कर्त्ता इसमे आगे लिखी हुई शर्तों पर इस बंध-पत्र को निष्पादित करने के लिये सहमत हो गया है,

और चूंकि कथित श्री　　　और श्री —　　　जामिन के रूप में उक्त आवद्धकर्ता श्री　　　और श्री　　　जामिन के रूप में उक्त आबद्धकर्ता श्री　　　की ओर से यह बंध-पत्र निष्पादित करने के लिये सहमत हो गये हैं,

और उपर्युक्त लिखित दायित्व की शर्त यह है कि उक्त आबद्धकर्ता आभारी श्री　　　" के अध्ययन अवकाश की समाप्ति या उसकी अवधि खत्म होने

बाद ड्यूटी पर वापस उपस्थित हुए बिना सेवा से त्यागपत्र देने या ड्यूटी पर वापस उपस्थित होने क वर्ष बाद किसी भी समय ऐसा करने की स्थिति मे ग्राभारी ग्रौर जामिन सरकार को या सरकार द्वारा निर्देश पाकर मागे जाने पर यथानिर्देश कथित राशि रु० (ग्ररेन रु०) इस पर तत्समय सरकारी ऋण पर लागू सरकारी दर पर देय ब्याज सहित शीघ्र लौटायेंगे।

ग्रौर उपयु क्त कथित ग्राबद्धकर्त्ता ग्राभारी श्री तथा जामिन श्री एव श्री के इस प्रकार रुपया ग्रदा करने पर उक्त लिखित दायित्व शू य ग्रौर निष्प्रभ हो जायेगा, ग्रन्यथा यह प्रभावकारी होगा ग्रौर पूरी तरह से इस मामले में लागू माना जायेगा।

बशर्ते कि इसके ग्रधीन जामिनो की जिम्मेदारी सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समय की ग्रवधि बढा देने या किसी विरति जैसे कार्य करने या न करने से (चाहे यह जामिनो की राय या ज नकारी से हो या बिना इसके हो) कभी भी न तो पालन ही हो ज येगी ग्रोर न इससे उनके इस काय मे कोई बाधा ही पडेगी ग्रौर न सरकार को उक्त ग्राबद्धकर्त्ता जामिनो श्री पर इसक ग्रधीन देय राशि क लिये मुकदमा चलाने से पूव कथित ग्राभारी श्री के विरुद्ध मुकदमा चलाना ही जरूरी होगा।

राजस्थान सरकार इस ब ध पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क वहन करने के लिये सह मत हो गई है।

निम्न की उपस्थिति मे उपयु क्त नामांकित जामिन श्री द्वारा सौंपा गया ग्रौर हस्ताक्षर किया गया —

१
२

निम्न की उपस्थिति में उपयु क्त नामांकित जामिन श्री द्वारा सौंपा गया ग्रौर हस्ताक्षर किया गया।

१
२

निम्न की उपस्थिति से उपयु क्त नामांकित जामिन श्री द्वारा सौंपा गया ग्रौर हस्ताक्षर किया गया।

१
२

राजस्थान के राज्यपाल के लिये ग्रौर/की ग्रोर से द्वारा प्राप्त किया गया।

---

१ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ १० (१०) एफ-II/५३ दिनांक २८-४-६१ द्वारा प्रतिस्थापित।

## [1]प्रपत्र 'म'

### राजस्थान सेवा नियमो के नियम ९६ (ब) मे शिथिलता देकर असाधारण अवकाश स्वीकृत किये गये अस्थायी सरकारी कमचारी के लिये बन्ध-पत्र (बाण्ड)

इन लेखो द्वारा सभी को विदित हो कि हम श्री निवासी जिला वतमान मे के रूप मे के कार्यालय/विभाग मे नियोजित (जो इसमे एतद्पश्चात आगे 'आभारी' कहलायेगा) और श्री पुत्र श्री निवासी एव श्री पुत्र श्री निवासी (जो इसमें एतद्पश्चात् आगे 'जामिन' कहलायेंगे) एतद्द्वारा सामूहिक रूप से और पथक रूप से स्वय को अपने पारस्परिक उत्तराधिकारियो निष्पादको और प्रशासको को राजस्थान के राज्यपाल को (जो इसमे एतद्पश्चात आगे "सरकार" कहलायेगा) उसके पद के उत्तराधिकारियो और प्रतिनिधियो को मागे जाने पर रु० की राशि (अकेन रुपये) उस पर मागे जाने की तिथि से सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दर पर देय ब्याज सहित अदा करने और यदि यह अदायगी भारत के अलावा किसी अन्य देश मे हो तो उस देश और भारत के बीच तय की गई मुद्रा परिवतन की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा मे उक्त कथित राशि के बराबर राशि लौटाने तथा तथा सरकार द्वारा किये गये/किये जाने वाले सभी खर्चे एव वकील तथा मुवक्किल के बीच तय किये गये मेहनताने सहित लौटाने के लिये आबद्ध करते हैं।

चू कि सरकार ने के रूप मे नियोजित उक्त आभारी श्री/श्रीमती/कुमारी को नियमित अवकाश के पश्चात माह दिन की अवधि का अवैतनिक एव भत्ते रहित असाधारण अवकाश दिनांक से आभारी के निवेदन पर स्वीकार किया है ताकि वह मे अध्ययन कर सके

और चू कि सरकार को/ने श्री/श्रीमती/कुमारी के असाधारण अवकाश की अवधि मे के पद की ड्यूटी पूरी करने के लिये एक स्थानापन्न नियुक्त करना पडेगा/कर दिया है,

और चू कि सरकार के उचित सरक्षण के लिये उक्त आभारी दो जामिनो सहित इसमें आगे लिखी हुई शर्तों सहित यह बन्ध पत्र निष्पादित करने के लिये सहमत हो गया है,

और चू कि कथित जामिन आभारी की ओर से जामिनो के रूप में यह बन्ध पत्र निष्पादित करने के लिये सहमत हो गये हैं,

अत अब इस उक्त लिखित दायित्व की शर्ते यह हैं कि उक्त आभारी श्री/श्रीमति/कुमारी के असाधारण अवकाश की अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३८) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक २२ ६ ६४ द्वारा प्रति-स्थापित ।

मूलत धारित पद पर पुन उपस्थित होने और पुन उपस्थित होकर सरकार की ऐसी अवधि तक जा वर्ष से अधिक नहीं होगी सरकार की इच्छानुसार सेवा करने में असफल होने की स्थिति मे या सरकार द्वारा चाहे जाने पर किसी अन्य हैसियत से ऐसे वेतन पर जिसे पाने का कि वह नियमानुसार हकदार हो सरकार की सेवा करने से मना करने पर कथित आभारी श्री/श्रीमती/कुमारी या उनके उत्तराधिकारी निष्पादक और प्रशासक मागे जाने पर सरकार को रुपये की कथित राशि उस पर सरकारी ऋण पर समय समय पर लागू सरकारी दर पर देय ब्याज सहित तुरन्त अदा करेंगे।

तथा उक्त कथित आभारी श्री या जमिन श्री एव श्री के इस प्रकार अदायगी करने पर उक्त लिखित दायित्व शून्य और निष्प्रभव हो जायेगा अन्यथा यह सब प्रकार प्रभावकारी होगा और पूरीतरह से इस मामले मे लागू माना जायेगा।

बशर्ते कि इसके अधीन जामिनो की जिम्मेदारी सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समय की अवधि बढा देने या किसी विरति जैसे कार्य करने या न करने से चाहे यह जामिनो की राय या जानकारी से हो या इसके बिना हो, कभी भी न पालन ही हा जायेगी और न इससे उनके इस काय मे वाधा ही पडेगी और न सरकार का उक्त जामिना श्री और श्री के विरुद्ध मुकदमा चलान से पूव आभारी के विरुद्ध मुकदमा चलाना ही जरूरी होगा।

यह बध पत्र सभी मामलो मे तत्समय प्रभावशील राजस्थान के कानूनो से ही नियन्त्रित होगा और इसके अधीन तमाम अधिकार और जिम्मेदारिया, जहा आवश्यकता पडेगी, राजस्थान की उपयुक्त अदालतो द्वारा तदनुसार ही अवधारित की जायेंगी।

इस दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा ही वहन किया जाकर अदा किया जायेगा।

यह आज दिनाक माह सन् एक हजार नौ सौ को हस्ताक्षरित किया गया।

श्री की उपस्थिति मे उपयुक्त नामाकित आभारी
श्री द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और सौंपा गया।
श्री की उपस्थिति में उपयुक्त नामाकित जामिन
श्री द्वारा हस्ताक्षरित एव अर्पित किया गया।
श्री की उपस्थिति में उपयुक्त नामाकित जामिन
श्री द्वारा हस्ताक्षरित एव अर्पित किया गया।

राजस्थान सरकार के लिये और उसकी ओर से श्री द्वारा प्राप्त किया गया।

## परिशिष्ट १६

### राजस्थान सेवा नियमो के अधीन अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र

१ प्रार्थी का नाम

२ धारित पद

३ विभाग, कार्यालय तथा अनुभाग

४ वेतन

५ मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या वतमान पद पर प्राप्त अन्य कोई क्षतिपूर्ति भत्ता—

६ अवकाश की किस्म और अवधि तथा वह तिथि जिससे अवकाश चाहिये

७ रविवार और अन्य छुट्टिया जो अवकाश के पूव या पश्चात् अवकाश मे सम्मिलित की जानी हो—

८ कारण, जिनसे अवकाश लिया जा रहा हैं

९ पिछलीवार अवकाश से लौटने की तिथि तथा उस अवकाश की किस्म और अवधि—

१० (अ) म अपने रियायती अवकाश/रूपान्तरित अवकाश की अवधि के दौरान प्राप्त अवकाशसवेतन और अर्द्ध वेतन अवकाश मे स्वीकार्य राशि के अन्तर को वापस करने का भी वचन देता हूँ यह अर्द्ध वेतन-अवकाश मे स्वीकाय राशि वह है जो राजस्थान सेवा नियमो के नियम ९३ के उप नियम (स) के अनुच्छेद (iii) के नीचे दिये हुए परन्तुक के प्रावधानों के मेरे अवकाश की अवधि के दौरान या समाप्ति पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में लागू न किये जाने पर मुझे स्वीकाय न होती।

(ब) मैं अनर्जित अवकाश की अवधि मे प्राप्त अवकाशसवेतन को भी वापस करने का वचन देता हूँ जो मेरे इस अवकाश के दौरान या इसकी समाप्ति पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की स्थिति मे राजस्थान सेवा नियमो के नियम ९३ (द) के लागू न किये जाने पर मुझे स्वीकाय नही होता।

११ अवकाश मे पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर दिनाक सहित

१२ नियन्त्रण-अधिकारी की अभ्युक्तियाँ और/या सिफारिश

हस्ताक्षर (तारीख सहित)

पद

## अवकाश की स्वीकार्यता के लिये प्रमाण-पत्र

(यह राजपत्रित अधिकारियो के मामलों मे महालेखाकार द्वारा दिया जाना है)

१३ प्रमाणित किया जाता है कि के नियम के अधीन दिनाक से दिनाक तक
दिन का अवकाश स्वीकाय है।
(अवकाश की किस्म)

हस्ताक्षर (दिनाक सहित)
पद

*१४ स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारी के आदेश।

हस्ताक्षर (दिनाक सहित)
पद

* यदि प्रार्थी को कोई क्षतिपूर्ति भत्ता मिल रहा हो तो स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारी को यह भी उल्लेख करना चाहिये कि आया अवकाश की समाप्ति पर प्रार्थी उसी पद पर वापस लौटेगा या किसी अन्य ऐसे पद पर जिस पर कि ऐसा भत्ता दिया जा सकता है।

---

## परिशिष्ट २०

### राजस्थान सरकार का निर्णय

महामहिम राजप्रमुख सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ के सभी प्रशिक्षणार्थियो (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनो) को प्रति वर्ष जून के महिने मे एक माह का विश्राम काल दिया जा सकेगा, यदि यह जून का महीना प्रशिक्षण के बीच पडता हो बशर्ते कि यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक मई के बाद प्रारम्भ न होता हो या ३१ जुलाई के बाद समाप्त न होता हो। तथापि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को विश्रामकालीन विभाग नहीं माना जायेगा और वहाँ का सारा कर्मचारी वर्ग इस विश्रामकाल मे ड्यूटी पर उपस्थित रहेगा।

इस विश्रामकाल की स्वीकृति से प्रशिक्षणार्थीयो के राजस्थान सेवा नियमो के अधीन सामान्यतया स्वीकार्य अवकाशो के अधिकार पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

अनुच्छेद २ मे दी गई यह रियायत प्रशिक्षणार्थीयो को उनके प्रशिक्षण के दौरान अति श्रमसाध्य और कठिन ड्यूटी को ध्यान मे रखकर एक विशेष प्रकरण समझकर दी गई है।

## परिशिष्ट २१

**राजस्थान सरकार**

नियुक्ति (ग) विभाग

प्रेषक—शासन उप-सचिव
राजस्थान सरकार

प्रेषिती—महालेखाकार
राजस्थान जयपुर

दिनांक, २४ जून १९५४
जयपुर

विषय—ख तथा ग श्रेणी के राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें।

प्रसंग—इस विभाग का ज्ञापन संख्या एफ २ (२१) नियुक्तियां। (ग)/५०, दिनांक २१-१२-१९५०

क्रमांक एफ ६ (१) नियुक्तियां (ग)/५४—भारत सरकार ने 'क' श्रेणी के राज्यों या केन्द्र से 'ख और ग' श्रेणी के राज्यों में प्रति-नियुक्ति पर भेजे हुए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पहली शर्तों में संशोधन कर दिया है। भारत सरकार के इस विषय में जारी किये हुए परिपत्र संख्या एफ ४ (३६)-एस/५२ दिनांक १३ मई १९५४ जिसमें उक्त कथित शर्तें निहित हैं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इसके साथ संलग्न है।

मोहन मुखर्जी
शासन उप सचिव
राजस्थान सरकार

**भारत सरकार**

राज्य-मन्त्रालय, नई दिल्ली (२)
दिनांक १३ मई १९५४

प्रेषक—अवर शासन सचिव, भारत सरकार राज्य मन्त्रालय नई-दिल्ली (२)

प्रेषिती—मुख्य सचिव, सौराष्ट्र सरकार/मध्य प्रदेश/राजस्थान/पेप्सू/ट्रावनकोर-कोचीन/हैदराबाद/मैसूर/जम्मू और काश्मीर/हिमाचल-प्रदेश/विन्ध्य प्रदेश/भोपाल।

मुख्य आयुक्त बिलासपुर, शिमला
मुख्य सचिव, कच्छ भुज

विषय—ख तथा ग श्रेणी के राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें।

क्रमाक एफ ४ (३६) एस/५२—मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि क और/या ग श्रेणी के राज्यो से 'ख' श्रेणी के राज्यो मे प्रतिनियुक्ति पर भेजे हुए अधिकारियो की नियुक्ति की शर्तों पर इन राज्यो की राजनतिक-सरचना तथा सेवाओ क पुनगठन और ख श्रेणी क राज्यो द्वारा सेवाओ के एकीकरण आदि के मामलो मे की गई प्रगति को ध्यान मे रखते हुए पुर्नविचार किया गया है। अत इस मत्रालय के पत्र सख्या एफ २४ (१७) एस /५० दिनाक ५ दिसम्बर १९५० मे निहित आदेश के अधिक्रमण मे राष्ट्रपति सहर्ष निणय करते हैं कि अब ये उक्त शर्तें निम्न प्रकार होगी -

(i) एक समय पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया एक वर्ष की स्वीकृत होगी।

(ii) 'ख' श्रेणी के राज्यो मे प्रतिनियुक्त जिन अधिकारियो को ऐसी प्रति नियुक्ति स पूव न तो वरिष्ठ-समय-वेतन मान मे पद स्थापित किया गया था और न जिन्हे अब ऐसे वरिष्ठ समय वेतन मान के पद पर स्थापित ही किया गया है उन्हे अपने ग्रेड वेतन के अतिरिक्त वतमान सेवा मे अपने ग्रेड वेतन क २०% के बराबर प्रतिनियुक्ति-विशेप-वेतन दिया जायेगा (इसमे प्राप्त किया जा रहा विशेष वेतन, यदि कोई हो सम्मिलित नही होगा) किन्तु यह विशेष वेतन अधिकतम ३०० रु० ही होगा।

(iii) यदि प्रतिनियुक्ति के समय किसी अधिकारी को कोई विशेष वेतन मिल रहा था तो प्रतिनियुक्ति की अवधि में भी उसे यह वेतन केवल तभी दिया जाता रहेगा जबकि उस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के समय उसकी मूल सरकार यह प्रमाणित कर कि यदि इस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नही भेजा जाता तो उसे यह विशेष वेतन युक्ति सगत अवधि तक दिया जाता रहता। तथापि यह विशेष वेतन उसका व्यक्तिगत वेतन माना जायेगा किन्तु भविष्य मे दी जानेवाली वेतन-वृद्धि मे इसे समाविष्ट नही किया जायेगा।

(iv) इन अधिकारियो को जिस राज्य से प्रतिनियुक्त किया जा रहा है उसी के प्रभावशील नियमो से इन्हे दिये जाने वाले महगाई भत्ते को भी विनियमित किया जायेगा।

(v) इन अधिकारियो को कोई नि शुल्क आवास गृह नही मिलेगा और न नि शुल्क कार ही दी जा सकेगी और न सरकारी खर्चे पर इन्हे कोई सवारी ही तब तक दी जा सकेगी जब तक कि ऐसी सुविधायें सेवा की शर्तों के अनुसार उस पद से सम्बन्द्ध नही होगी। जिस पर कि उन्हे प्रतिनियुक्त किया गया है। जिस राज्य मे अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया है उसके नियमो के अनुसार इन अधिकारियो से किराया वसूल किया जायेगा।

२ ये आदेश उन अधिकारियो पर लागू नही होगे जो या तो अपने स्थानान्तरण से पूव वरिष्ट समय-वेतन मान के पद धारण किये हुए थे या जिन्हे अब ऐसे वरिष्ठ

समय वेतन मान के पदा पर स्थानान्तरित किया गया है। ऐसे प्रत्येक मामलो मे उसके महत्व के अनुसार ही प्रतिनियुक्ति की शर्तें तय की जानी चाहिये।

३ इस पत्र मे स्वीकृत सशोधित शर्तें नये प्रतिनियुक्ति के या प्रतिनियुक्ति के नवीकरण के मामलो मे लागू होगी। पहली शर्तो पर प्रतिनियुक्ति पर अभी भी लगे-हुए अधिकारियो के मामलो मे उनकी प्रतिनियुक्ति की चालू अवधि के समाप्त होने तक वतमान शर्तें ही लागू होती रहेगी।

४ मुझे यह और कहना है कि ऐसे अधिकारियो की 'ख' श्रेणी के राज्यो में स्थानान्तरण पर की गई यात्राओ और इन राज्यो से प्रतिनियुक्ति की पदावनति पर की गई यात्राओ के लिये यात्रा भत्ता उनके मूल राज्य के यात्रा भत्ता नियमो से नियंत्रित होना चाहिये या जिस राज्य में उन्हें भेजा गया है उसके यात्रा-भत्ता नियमो से विनियमित होना चाहिये, यह प्रश्न विचाराधीन है और इस पर निर्णय किया जाने वाला है, अत ऐसे प्रत्येक मामले में प्रतिनियुक्ति को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व इस प्रश्न को विचाराधीन रहने तक मूल सरकार के परामर्श से तय किया जाना चाहिये।

५ ये आदेश केन्द्र और/या क श्रेणी के राज्यो से 'ख' श्रेणी के राज्यो में प्रतिनियुक्ति ऐसे अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो अपनी प्रतिनियुक्ति से पूर्व न तो वरिष्ट समय-वेतन मान वाले पद धारण किये हुए थे और न उन्हे ऐसे पदो पर अब प्रतिनियुक्त ही किया गया है।

६ त्रिपुरा और मनीपुर राज्यो मे प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियो की प्रतिनियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध मे अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

आपका सद्भावी
हस्ताक्षरित—जे सी घोषाल
अवर शासन सचिव
भारत-सरकार

सहित एक ऐसा बन्ध-पत्र निष्पादित करे जिससे कि कथित मृतक श्री की कुल वाजिब देय राशि के होने वाले तमाम दावो की क्षतिपूर्ति दावेदार करे और उसके बाद सरकार से इस राशि को पाने का कोई और हकदार बनकर आये तो सरकार की क्षतिपूर्ति हो सके एव ऐसा बन्ध पत्र निष्पादन करने के बाद ही दावेदार को उक्त कथित राशि दी जाय,

अत अब इस बन्ध-पत्र की शर्तें यह है कि यदि उक्त कथित राशि दावेदार को अदा कर देने के बाद सरकार के विरुद्ध इस राशि का दावा करने के लिये कोई व्यक्ति खडा हो तो दावेदार या उसके जामिन रु० की कथित राशि सरकार को वापस लौटायेंगे या किसी अन्य प्रकार इस कथित राशि के लिये सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे ताकि सरकार पर इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व न रहे और ऐसी स्थिति आने पर सरकार को कोई हानी न हो सके और यदि उक्त कथित राशि क सम्बन्ध में सरकार के विरुद्ध कोई दावा किया जाय तो उस दावे के लिये सरकार को मुकदमे का खर्चा न देना पड़े और यह खर्चा ऐसी स्थिति आने पर दावेदार या उसक जामिन स्वय वहन करेंगे। अत यदि इस प्रकार किसी दावे के विरुद्ध सरकार को मुकदमे में अपना बचाव करने की स्थिति आये तो यह बन्ध-पत्र या इसमे अंकित आभार पूरी तरह दावेदार या उसके जामिनो पर लागू होगा अन्यथा ऐसी स्थिति न आने पर यह निष्प्रभावी माना जायेगा।

अत उपर्युक्त लिखित बन्ध पत्र और शर्तों के साक्ष्य स्वरूप हम और और आज दिनाक माह सन् को इस पर अपने स्वय के हस्ताक्षर अंकित करते हैं।

## परिशिष्ट २४

### अस्थायी अन्तिम वेतन-प्रमाण-पत्र

I प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद विभाग में दिनांक के पूर्वाह्न/मध्याह्न मे सेवा निवृत्त हुए और उन्हें उनके वेतन इस प्रकार भुगतान कर दिये गये हैं —

| | | | |
|---|---|---|---|
| स्थायी वेतन | रु० मासिक की दर से दि० | से दि० | तक |
| अवकाश वेतन | रु० मासिक की दर से दि० | से दि० | तक |
| विशेष वेतन | रु० मासिक की दर से दि० | से दि० | तक |
| महगाई भत्ता | रु० मासिक की दर से दि० | से दि० | तक |
| नोटिस वेतन | रु० मासिक की दर से दि० | से दि० | तक |

उन्हें दिनाक से दिनाक तक दिन का एक नोटिस दिया गया और उन्होंने इस अवधि में वास्तव में विभाग में कार्य किया। कार्य नहीं किया।

जहा तक ज्ञात है उन पर बकाया राशि (नीचे के अनुच्छेद III) में दर्ज की गई है और यह राशि उनसे वसूल की जानी है।

II यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्हें दिनाक से दिनाक तक वेतन " रु० और महगाई भत्ता" रु० की दर से दिया जाना है।

इस प्रकार उन्हें देय राशि को उनको अदा कर दिया जायेगा या उन पर बकाया और अनुच्छेद III में नीचे दर्ज की हुई राशि के प्रति समायोजित कर लिया जायगा या उस राशि के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा जो बाद में कभी भी उन पर बकाया पाई जायेगी।

उनका स्थायी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र यथा समय जारी कर दिया जायेगा। इस अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र या स्थायी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के संदर्भ में या आगे कोई और बकाया पाई जाने वाली राशि को उनकी पेन्शन ग्रेचुइटी या किसी अन्य देय राशि में से वसूल करने के लिये उनकी लिखित सहमति इसके साथ संलग्न की जा रही है।

III अब तक ज्ञात बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है —

.... .. .. .... .... .. ..

.... .. ...

.... .. .. .. ..

कार्यालयाध्यक्ष
(राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार)

# परिशिष्ट २५

## अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान सवारी-भत्ता वसूली को नियन्त्रित करने हेतु नियम

[1]राजस्थान सेवा नियमो के नियम ४२ के अधीन निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए सरकार सहर्ष निम्नलिखित नियम अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान सवारी भत्ता वसूल करने के लिये बनाती है —

[2]**मोटर या साईकल** —मोटर-कार या मोटर साईकल रखे जाने की शर्त पर स्वीकृत किया हुआ सवारी-भत्ता निम्न स्थितियो में स्वीकार्य नही होगा —

(अ) कार्य ग्रहण अवधि, अवकाश अवधि और अस्थायी स्थानान्तरण की अवधि के दौरान तथा अवकाश और कार्य ग्रहण अवधि के पूर्व या पश्चात पडने वाली छुट्टियो के दौरान।

(ब) सरकारी कर्मचारी द्वारा रखी गई मोटर कार या मोटर-साईकल एक समय मे १५ दिन तक प्रयोग मे न आये या इतने दिनो तक खराब पडी रहे या इनका उपयोग इतने दिनो तक सरकारी यात्राओ के लिये न किया जाय या किसी अन्य कारण से इतने दिनो तक इनका उपयोग न हो तो इस अवधि के दौरान,

### [3]राजस्थान सरकार का निर्णय

अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण की अवधि मे सरकारी कर्मचारियो को साईकल भत्ता दिया जाय अथवा नहीं इस विषय का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। इस मामले की जाच की गई है और यह तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को अपनी स्वय की साईकल रखने या सरकार द्वारा दी गई साईकल रखने के लिये स्वीकृत साईकल भत्ता १५ दिन से अधिक अवकाश की अवधि या अस्थायी स्थानान्तरण या कार्यग्रहण अवधि में जैसी भी स्थिति हो स्वीकार्य नही होगा।

किन्तु वे पुराने मामले जिनका निपटारा इस प्रकार न करके किसी अन्य प्रकार किया गया हो दुबारा नहीं छेडे जायेंगे।

[4]२ **घोडा या अन्य जानवर** —घोडा या अन्य जानवर रखे जाने की शर्त पर स्वीकृत भत्ता अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण पर की अवधि के दौरान भी दिया

---

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ४(३८६)एफ II/५२ दिनांक ३-८-५३ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ८ ए(२) एफ डी नियम/५९-II दिनांक ३१-७-६२ द्वारा सन्निविष्ट। यह दिनांक ३१ ७-६२ से प्रभावशील होगा।

३ वित्त विभाग के ज्ञापन स० एफ १ (२०) एफ डी (व्यय नियम /६३ दिनांक १-१० ६३ द्वारा सन्निविष्ट।

४ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ (२२) एफ-डी (व्यय-नियम)/६४ दिनांक १८ ५ ६५ द्वारा सन्निविष्ट।

जा सकता है बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी यह प्रमाणित करे कि उसने जिस अवधि का यह भत्ता प्राप्त किया है उसमें भी उक्त जानवर रखा है और प्राप्त भत्ते की राशि को इस जानवर के समारक्षण पर ही व्यय किया है।

यह आदेश दिनांक १६ ४ ६४ से प्रभावशील होगा।

**(१) सवारी रखा जाना अपरिहार्य होने पर भत्ता किस प्रकार विनियमित होगा** —जब मोटर गाडी या घोडा या अन्य जानवर रखे जाने के दायित्व से सवारी-भत्ता सम्बद्ध नही हो तो यह अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण की अवधि मे स्वीकार्य नही होगा।

## टिप्पणी

१ अवकाश का तात्पर्य यहाँ सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश के अतिरिक्त चार महिने तक की अवधि के लिये हुए अवकाश से है। क्षतिपूर्ति भत्ते का हक निम्न स्थितियों मे ज्यों का त्यों रहेगा —

(i) जब प्रारम्भिक चार माह तक का अवकाश बाद मे बढ़ाया नहीं जाय या यदि बढ़ाया जाय तो इसकी कुल अवधि ४ माह से अधिक न हो।

(ii) जब उक्त उप अनुच्छेद (i) में निर्दिष्ट चार महिने तक का प्रारम्भिक अवकाश बाद मे बढाया जाय और इस प्रकार कुल अवकाश की अवधि बढ़े हुए या प्रारम्भिक चार महिने तक के अवकाश की समाप्ति तिथि तक चार महीने से ज्यादा हो या पहले बाद मे बढ़ाये हुये उस अवकाश की स्वीकृति तिथि तक जिसके कारण कि कुल अवकाश की अवधि चार माह से अधिक हो जाती है, दोनों मे से जो भी पहले हो।

(जब विश्रामकाल को अवकाश के साथ मिलाया जाय तो विश्रामकाल और अवकाश की कुल अवधि को अवकाश का एक ही दौर समझा जाना चाहिये)।

(२) इस टिप्पणी मे परिभाषित अवकाश में असाधारण अवकाश भी सम्मिलित है।

२ अस्थायी स्थानान्तरण का तात्पर्य किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी के लिये ऐसी अवधि के स्थानान्तरण से है जो चार महीने से अधिक न हो। इन नियमो के प्रयोजनार्थ इसमे प्रतिनियुक्ति भी शामिल है। चार महीने की सीमा के अधीन वाले नियम में अगर अस्थायी ड्यूटी को बाद मे चार महीने से अधिक बढाया जाय तो इस अवधि को बढाने के आदेशों की तिथि तक क्षतिपूर्ति भत्ते का हक ज्यों का त्यों बना रहेगा।

(इस टिप्पणी मे दी हुई चार माह की अवधि में कार्य ग्रहण अवधि को भी सम्मिलित किया जा सकता है)

[1] आडिट अनुदेश
और
महालेखा परीक्षक का निर्णय (विलोपित)

---

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(२१) (व्यय-नियम)/६४, दिनांक १८ ५-६५ द्वारा विलुप्त। दिनांक १६-४ ६४ से प्रभावशील।

## परिशिष्ट २६

### वित्त-विभाग

### राज-पत्रित अधिकारियो के वेतन, अवकाश सवेतन आदि के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन हेतु अनुदेश

### टिप्पणी

ये अनुदेश वर्तमान नियमो और आदेशो पर आधारित हैं और राजपत्रित अधिकारियो की सुविधा हेतु जारी किये जाते हैं। तत्सम्बन्धी सम्बद्ध नियमो और इन अनुदेशो मे यदि कही विरोध जान पडे या दोना मे कही विरोधाभास की स्थिति बन जाय तो वहा तत्सम्बन्धी सम्बद्ध नियम ही लागू होंगे।

### I राज-पत्रित पद पर नयी नियुक्ति होने पर –

(अ) *यदि अधिकारी नया प्रवेशी हो तो* —निम्नलिखित बातो की पूर्ति होने पर ही उसकी वेतन पर्ची (पेस्लिप) जारी की जायेगी —

(1) जिस पद पर नियुक्ति की गई है वह एक स्वीकृत पद हो और वह रिक्त भी होना चाहिये।

(ii) नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज पत्रित पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का नियुक्ति-आदेश जारी किया जाना चाहिये और वह आदेश भी वेतन पर्ची के लिये अनिवार्य है।

(iii) सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा राजपत्रित पद का कार्यभार सभालने की रिपोर्ट महालेखाकार राजस्थान को भेजी जानी चाहिये (इसका प्रपत्र अनुलग्नक क" पर सलग्न है)। इस रिपोर्ट मे कार्यभार सभालने की तिथि और पूर्वाह्न या मध्याह्न, जो भी हो समय अंकित किया जाना चाहिय। इसमें अधिकारी का नाम भी मोटे अक्षरो मे अंकित किया जाना चाहिये।

### टिप्पणी

कोषागार मे अपना प्रथम वेतन बिल भजते समय अधिकारी को उसम अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी सलग्न करना चाहिये।

(ब) यदि अधिकारी को अराजपत्रित-पद से राज पत्रित(पद पर पदोन्नत किया गया हो तो –

(1) उसका वेतन या भत्ता प्राप्त करने के लिये वेतन पर्ची तभी मिल सकेगी जब कि उपर (अ) (i), (ii) (iii) मे अंकित सभी बातो की पूर्ति कर दी जायेगी।

(ii) अब तक जिस अधिकारी द्वारा उठाया गया था उससे अपना अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके यथाशीघ्र महालेखाकार, राजस्थान को भेजा जाना चाहिये।

(iii) अपने पिछले कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अवकाश का अद्यावधिक हिसाब पूरा भरवाकर लिखित रूप मे महालेखाकार राजस्थान को यथाशीघ्र भिजवाया जाना चाहिये।

(ख) किसी अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन राज पत्रित पद धारण किये हुए हों यदि राजस्थान मे प्रतिनियुक्ति पर आना पडा हो तो —राजस्थान के महालेखाकार से अपनी वेतन-पर्ची प्राप्त करने के लिये नियमानुसार करना चाहिये —

(i) आपको यह बात अच्छी तरह निश्चित पता कर लेनी चाहिये कि जिस पद पर आपको पदास्थापित किया गया है वह एक स्वीकृत और रिक्त पद है।

(ii) इस बात का सुनिश्चयन हो जाना चाहिये कि दोनो सरकारो के बीच आपका प्रतिनियुक्ति की शर्तें अच्छी तरह तय करली गई हैं और महालेखाकार राजस्थान को इनसे पूरी तरह अवगत करा दिया गया है।

(iii) ऊपर अ (i) में जसा अंकित है उसके अनुसार ही आपको अपनी कार्य भार सभाल लेने की सूचना और इसकी रिपोट (चाज रिपोट) महालेखाकार राजस्थान को तुरन्त भेज देना चाहिये।

(iv) अपने पिछले आडिट अधिकारी अर्थात् जिस राज्य से आप प्रतिनियुक्ति पर आये हैं उसके महालेखाकार को लिखें कि वे आपकी निम्नलिखित चीजें महालेखाकार राजस्थान को यथाशीघ्र भेजे —

१ वहा के महालेखाकार द्वारा पूरी तरह प्रति हस्ताक्षरित आपका अन्तिम वतन प्रमाण-पत्र।

२ आपका सेवा विवरण।

३ आपका अवकाश का लेखा (हिसाब)।

यदि यहाँ आने से पूर्व आप अपने उस राज्य में अराज पत्रित पद पर थे और वहाँ से राजस्थान में प्रति नियुक्ति पर आप राज पत्रित पद पर आये हैं तो अपने पिछले कार्यालयाध्यक्ष को लिखिये कि व आपका अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र तैयार करके प्रति हस्ताक्षर हेतु वहाँ के महालेखाकार को भेजदें ताकि महालेखाकार उसे प्रतिहस्ताक्षर करके यहा अग्रेषित कर सकें। अपने पिछले कार्यालयाध्यक्ष को यह भी निवेदन करें कि वे आपका अवकाश का लेखा अद्यावधिक तयार करके सीधा इसी कार्यालय मे भेज दें।

II. एक राज-पत्रित पद से दूसरे राज-पत्रित पद पर स्थानान्तरण होने पर —

(अ) यदि दोनों ही पद एक ही जिले में हों और इससे उस कोषागार मे कोई परिवतन नहीं होता हो जहां से कि आपका वेतन उठाया जाना है तो —

(i) अपना काय-भार पिछले पद से सौंपने और नये पद पर काय भार सभालने (दोनो की) रिपोर्ट यथा शीघ्र भिजवाईये।

(ii) यदि आपका स्थानान्तरण उक्त स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य हैसियत मे हुआ हो तो आप अपने नये पद पर पुरानी दरो से प्राप्त वेतन न उठाईये और महालेखाकार राजस्थान से अपनी वेतन पर्ची प्राप्त करने की प्रतीक्षा कीजिये और जब वेतन पर्ची प्राप्त हो जाये तभी अपना वेतन उसके आधार पर उठाईये।

(iii) यदि आपका स्थानान्तरण उसी स्थिति (हैसियत) मे हुआ है जिस स्थिति मे आप पहले थे तो अपनी पुरानी दरो पर ही अपना वेतन उठाईये।

(ब) यदि इस स्थानान्तरण से आपके वेतन भुगताने वाले कोषागार मे भी परिवर्तन होता हो तो —

(i) उक्त (अ) (i) मे लिखे *अनुसार अपनी कायभार सोंपने और नये पद का* कार्य भार सभालने की रिपोर्ट तुरत भेजिये।

(ii) पिछले कोषागार से अपना अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिये और,

१ यदि स्थानान्तरण उसी स्थिति मे हुआ हो तो अपना वेतन इस अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर नये कोषागार से अपना वेतन उठ ईय।

२ यदि स्थानान्तरण किसी भिन्न स्थिति मे हुआ हो तो नये पद पर अपना वेतन तब तक न उठाइये जब तक कि आपकी वेतन पर्ची महालेखाकार राजस्थान से प्राप्त न हो जाय।

(स) यदि स्थानान्तरण किसी अन्य राज्य मे हुआ हो तो —

(i) कृपया अपना काय भार सौपने की रिपोट महालेखाकार राजस्थान को भेजिये।

(ii) कृपया अपने अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि कोषागार से प्राप्त कीजिये और उस कोषाधिकारी को निवेदन कीजिये कि वे इस प्रमाण पत्र की दो प्रतिलिपिया महालेखाकार राजस्थान को भेजें जो कि उन पर प्रति हस्ताक्षर करके एक प्रतिलिपि उस राज्य के महालेखाकार को भेजेंगे जहा पर आपको स्थानान्तरित किया गया है और आप अपने नये पद के वतन और भत्ते प्राप्त करने के लिये इन्हे सम्पर्क कीजिये ताकि वे आपकी वेतन पर्ची भेजें।

III (अ) जब अवकाश के हक के लिये आवेदन करना हो —

तो ऐसा प्रायना पत्र (अनुलग्नक ख' पर सलग्न) निर्धारित प्रपत्र पर भर कर महालेखाकार राजस्थान का अपने नियन्त्रण अधिकारी की सिफारिश के साथ भेजा जाना चाहिये। यह अच्छीतरह देख लोजिये कि इसका कालम ९ पूरी तरह भरा गया है। इस कालम मे नियमित अवकाश (आकस्मिक अवकाश नही) से पिछली बार लौटने की तिथि अकित की जानी चाहिये।

(ब) जब अवकाश पर रवाना होना हो —

(i) तो महालेखाकार राजस्थान तथा कोषाधिकारी दोनों को अपना कार्य-भार सौंप देने की रिपोर्ट तुरन्त भेज दीजिये।

(ii) महालेखाकार राजस्थान को इस बात की सूचना दीजिये कि क्या आप अब तक जिस कोषागार से वेतन उठा रहे थे उसके अतिरिक्त किसी अन्य कोषागार से अपना अवकाश-सवेतन उठाना चाहते हैं। यदि ऐसा ही हो तो अपने कोषाधिकारी से अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिये।

(iii) महालेखाकार राजस्थान से अवकाश सवेतन-प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना अवकाश सवेतन मत उठाइये। जब यह प्रमाण-पत्र आपको मिल जाय तो इसी के आधार पर अपना अवकाश सवेतन उठाइये और यदि आप यह किसी नये कोषागार से उठा रहे हो तो अपने प्रथम अवकाश सवेतन बिल के साथ अपना अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न कीजिये।

(iv) यदि आप एक स्थायी राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं तो अपना अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अपने उस कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कीजिये जिसके यहां आप अराजपत्रित-सेवा में स्थायी हैं। आपका अवकाश सवेतन उसी के द्वारा प्रस्थापना बिल[1] के साथ ही उठाया जायेगा।

(स) जब अवकाश से वापस उपस्थित होना हो —

(i) तो अपना कार्य भार ग्रहण करने की रिपोर्ट उस पद के सम्बन्ध में भेजिये जिस पर आपको अब पद स्थापित किया गया है।

(ii) यदि इस पद स्थापना से आपके उस कोषागार में परिवर्तन होता है जहां से आपने अपना अवकाश सवेतन उठाया था तो इस कोषाधिकारी से अपना अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिये। अब अपना वेतन जब तक कि आपको महालेखाकार राजस्थान से वेतन-पर्ची प्राप्त न हो न उठाइये जाय और जब यह आपको मिलजाय तो इसी के आधार पर अपना वेतन उठाइये। यदि कोषागार नया हो तो अपने प्रथम बिल के साथ अंतिम वेतन प्रमाण पत्र संलग्न कीजिये।

## (IV) जब आप त्याग-पत्र दें या सेवानिवृत्त हों

(i) तो महालेखाकार राजस्थान को अपना कार्य भार सौंप देने की रिपोर्ट भेजिये साथ ही साथ इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि कोषाधिकारी को भी भेजी जानी चाहिये।

(ii) अपने पिछले दावों का यथाशीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिये राजपत्रित अधिकारी अपने [1]नियन्त्रण अधिकारी महालेखाकार राजस्थान, सार्वज

---

१ वित्त विभाग के मान्य प० एफ डी ८३०/एफ/१२(७) एफ II/५४ दिनांक १० मार्च १९५८ द्वारा वर्तमान नियम के लिए प्रति स्थापित किया गया।

(ड) 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी की पत्नी (महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में [1]उसका पति) पुत्र, माता पिता अवयस्क भाई, बहिनें या पुत्रियाँ विधवा बहिनें या पुत्र वधुएं सम्मिलित मानी जायेंगी अगर वे सब पूर्णतया सरकारी कर्मचारी पर ही आश्रित हों।

[2]टिप्पणी—(१) इन नियमों के नियम ७ के अनुसार सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य राजस्थान में सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर बीमार पड़ने पर सरकारी खर्चे पर चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार प्राप्त करने के हकदार हैं। औषधियों और ईलाज के व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक नहीं है कि बीमारी के समय सरकारी कर्मचारी का परिवार उसके साथ ही रहता हो।

[3](२) ऐसे मामले में जहाँ पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हों वहाँ वे तथा उनके आश्रित पात्र उनकी पदवी (स्टेटस) के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की अनुमति हैं। इस प्रयोजन के लिये उन्हें अपने प्रशासनिक प्राधिकारियों को एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये कि पति/पत्नी तथा बच्चों की स्वास्थ्योपचार और चिकित्सा पर व्यय किये हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति के दावे दोनों में से कौन दायर करेगा। उक्त घोषणा पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और दोनों के कार्यालयों में दोनों के व्यक्तिगत रिकार्ड में इसकी एक एक प्रति लगा दी जायेगी। राजपत्रित अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस संयुक्त घोषणा पत्र की एक प्रति महालेखाकार, राजस्थान को भी भेजी जानी चाहिये। यह घोषणा पत्र तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कि दोनों की स्पष्ट प्रार्थना पर दोनों में से किसी के भी पदोन्नति स्थानान्तरण त्याग पत्र आदि की स्थिति में इसे संशोधित न किया जाय। ऐसे संयुक्त घोषणा पत्र के अभाव में पति की पदवी (स्टेटस) के अनुसार ही पत्नी तथा बच्चों को चिकित्सा सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी।

## संयुक्त घोषणा पत्र

हम पति और पत्नी श्री एवं श्रीमती दोनों क्रमशः के और के कार्यालय में नियोजित एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम अपने स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति दिनांक से के कार्यालय से प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसी प्रतिपूर्ति का दावा के कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया है।

कर्मचारियों के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

---

१ सा प्र वि के आदेश संख्या (ए) एफ ४ (२२) जी ए/ए/ जी आर/II/६० दिनांक २३ ६-६२ द्वारा सन्निविष्ट।

२ सा प्र वि के आदेश संख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/ जी आर II/५७ दिनांक ६-६ ६१ द्वारा शामिल किया गया।

३ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (५१) एफ डी (व्यय-नियम)/६६ दिनांक ३० ११ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

[1]"परामर्श शुल्क" से तात्पर्य सरकारी कर्मचारी से रोगी के निवास स्थान पर परिचर्या के लिये राजस्थान सेवा नियमों की परिशिष्ट १० की अनुसूची क में [2][वर्णित] दर पर प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्राप्त फीस से है।

(च) सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे "स्वास्थ्य-उपचार" से तात्पर्य प्राधिकृत चिकित्सक के निदानगृह या चिकित्सालय में अथवा बीमारी को ऐसा होने पर रोगी को उसके घर पर रुकने के लिये बाध्य करे सरकारी कर्मचारी के निवास स्थान पर, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा की गई परिचर्या से है। इसमे निम्नलिखित भी सम्मिलित है

(i) राज्य मे सरकारी चिकित्सालय या प्रयोगशाला मे उपलब्ध और प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझकर किये गये रोग निदान के प्रयोजनार्थ व्याधीकिय (पथालोजीकल) जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी (बैक्टीरियोलोजीकल), क्षरश्मिकीय (रेडियालोजीकल) जैसे परीक्षण या ऐसे ही अन्य तरीको से किये गये परीक्षण।

(ii) प्राधिकृत चिकित्सक के परामर्श से राज्य सेवा के किसी अन्य चिकित्सक या विशेषज्ञ से इस सीमा तक और ऐसे तरीके से किये गये परामर्श जो वे निर्धारित करें और जिन्हे कि प्राधिकृत चिकित्सक आवश्यक प्रमाणित करें।

(छ) 'रोगी' से तात्पर्य उस सरकारी कर्मचारी से है जिस पर ये नियम लागू होते हो एव जो बीमार पड गया हो।

(ज) इलाज' से तात्पर्य सरकारी चिकित्सालय मे उपलब्ध उन समस्त चिकित्सा और शल्य क्रिया सम्बन्धी सुविधाओ से है जिसमे रोगी का उपचार किया जाय तथा इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है —

(i) प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझे गये व्याधिकीय (पथोलोजीकल) जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी ( बैक्टीरियोलोजीकल ) एव क्ष रश्मिकीय (रेडियोलोजीकल) तथा अन्य साधनो का प्रयोग।

(ii) जहा शारीरिक निदान (फिजिओलोजीकल) अथवा अन्य अपुष्टता (डिसेबिलिटी) जिससे कि रोगी पीडित है यह प्रकट करे कि दात ही शारिरिक पीडा के मूल कारण हैं वहाँ दतउपचार बशर्ते कि यह उपचार किसी बडे किस्म का हो जैसे कि जबडे की हड्डी का रोग दातो का पूरी तरह निकाला जाना आदि।

व्याख्या —ऐसे सर्जीकल आपरेशन्स भी जिन्हें कि फूले हुए मसूडा (आडोन्टोम्स) या कमजर फसी हुई अक्कल दाढ (विजडमटूथ) आदि के लिये आवश्यक समझा जाय,

१ वि० प्र वि की अधिसूचना सख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनाक ९ ५ १९६० द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग की विज्ञप्ति सख्या एफ १ (७८) वि० वि० (नियम) ६५ दि० १६ ११-६८ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

वडी किस्म के दात-उपचार की श्रेणी मे ग्राते हैं। मसूडो के छोटे फोडो (गमबोइल्स) का उपचार मुख सम्बन्धी शल्य क्रिया (सर्जरी) मे आता है अत वह इन नियमो क अधीन स्वीकाय है। दातो के पायरिया अथवा मसूडे की सूजन का उपचार तथापि, इनके अधीन नही आता।

(iii) ऐसी औषधियो, सेरा, वैक्सीन अथवा रोग हरन वाले अन्य पदार्थों का वितरण जो साधारणत सरकारी चिकित्सालयो मे इस राज्य में उपलब्ध हो।

(iv) ऐसी औषधियों, वैक्सीन, सेरा अथवा रोग हरने वाले अन्य पदार्थों का वितरण जो इस प्रकार साधारणत उपलब्ध न होते हो जसा कि प्राधिकृत चिकित्सक लिखित मे पुन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये अथवा रोगी को दशा मे गभीर गिरावट को रोकने के लिये आवश्यक प्रमाणित करें।

## टिप्पणी

यह सुविधा पत्नी या पति, जसी भी स्थिति मे हो तथा माता पिता, बच्चे एव सौतेले बच्चे सरकारी कमचारी पर पूणत आश्रित हो को प्राप्त हो सकेगी।

## व्याख्या

(i) 'माता पिता' पद के अन्तगत सौतेले माता पिता सम्मिलित नही हैं तथा 'माता पिता के मामल मे "पूणतया-आश्रित' शब्दो स तात्पय है कि माता पिता का कोई भी अन्य बालिग पुत्र नही हो तथा आय का कोई भी अन्य साधन भी नही हो। यदि माता पिता को ५० रु० मासिक से कम पेन्शन मिलती हो तो वे पूणतया-आश्रित माने जायेंगे।

(ii) 'बच्चे शब्द मे कानूनन गोद लिये हुए बच्चे भी सम्मिलित हैं।

(iii) 'पत्नी' शब्द मे एक से अधिक पत्नी सम्मिलित होगी।

## चिकित्सा परिचय

वित्त विभाग आदश सख्या एफ १ (२६) वि० वि० (व्यय नियम) ६७ दिनांक २६ जून १९६७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जिसके अनुसार माता पिता की चिकित्सा पर किया गया व्यय उक्त आदश म उल्लेखित शर्तों के पूरा होने पर पुनभरण किया जाता है। उक्त आदेशो मे उल्लेखित शर्तों की पूर्ति जाच हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं —

१ प्रत्येक राज्य कमचारी जो अपने माता पिता की चिकित्सा पर किये गये व्यय का पुनभरण मांगे उसको प्रति वर्ष कलेन्डर वर्ष के प्रारम्भ म निम्न फार्मों म घोषणा पत्र भरकर अपने विभागाध्यक्ष/नियत्रक अधिकारी को देना होगा।

---

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (२६) एफ डी (व्यय नियम) १९७ दिनांक २६ ६-१९६७ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग (नियम) परिपत्र क्रमांक फ (२६) वि० वि० (व्यय नियम) ६७ दिनांक १९ मई १९६८।

## [1]स्पष्टीकरण

महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में 'इलाज' शब्द में प्रसव तथा प्रसवपूर्व व प्रसवोत्तर *उपचार भी सम्मिलित है। ऐसे मामले में यदि रोगी को एक चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में* चिकित्सा परीक्षणों के उद्देश्य से ले जाया जाय और अगर रोगी वाहन (एम्बुलेंस) सरकारी या उस चिकित्सालय की न हो जिसमें कि रोगी को भर्ती किया गया है या जब इसका उपयोग उस समय किया जाय जब कि रोगी को चिकित्सालय से उसके निवास-स्थान पर पहुँचाया जाय तो ऐसी स्थिति में किया गया खर्चा वापिसी के योग्य है।

[2]राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम, १९५८ के नियम २ (ज) (IV) के नीचे दी हुई टिप्पणी ४ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि (वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (६२) एफ डी (व्यय नियम) ६५ दिनांक २४ ११ ६५ द्वारा सन्निविष्ट की गई है) एवं जिसमें यह प्रावहित है कि सुनने के उपकरणों या शरीर के कृत्रिम अंगों का मूल्य पूर्णत या अंशत एक मुश्त राशि के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। इस विषय में सन्देह व्यक्त किये गये हैं कि क्या उक्त *कथित नियम २ (ज) (IV) के नीचे टिप्पणी ४ के अधीन कृत्रिम अंगों को बदलने की कीमत भी* प्रतिपूर्ति के योग्य है।

मामले की जाँच की गई है और यह तय किया जाता है कि राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य-उपचार) नियम, १९५८ के नियम २ (ज) (IV) के नीचे की टिप्पणी ४ के अधीन कृत्रिम अंगों को बदलने की कीमत भी प्रतिपूर्ति के योग्य है।

## [3]स्पष्टीकरण

*एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा रुधिर-आधान (ब्लड* ट्रान्सफ्यूजन) के लिये किया गया व्यय प्रतिपूर्ति योग्य है या नहीं? मामले की जाँच की गई और उचित विचार करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा रुधिर आधान पर किया गया खर्चा प्रति पूर्ति के योग्य है।

(V) रहने के का प्रावधान स्थान जैसा कि नीचे वर्गीकृत किया हुआ है, बशर्ते कि स्थान उपलब्ध हो—

| | |
|---|---|
| (अ) ७५० रु मासिक तथा इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी | डीलक्स या कॉटेज वार्ड |
| (ब) ७५० रु मासिक से कम वेतन प्राप्त करने वाले राज पत्रित अधिकारी तथा २५० रु से अधिक वेतन पाने वाले अराजपत्रित अधिकारीगण | कॉटेज वार्ड |

---

१ वि० विभाग के आदेश संख्या एफ १ (६२)एफ-डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक २४ ११ ६५ द्वारा सन्निविष्ट किया गया।

२ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (६२) एफ डी (ई आर)/६५ दिनांक २८ १० ६५ द्वारा सन्निविष्ट किया गया।

३ सा प्र वि के आदेश संख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २४ ७ ५९ द्वारा सन्निविष्ट।

(स) २४९ रु मासिक तथा इससे कम परन्तु ९९ रु मासिक से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अराजपत्रित अधिकारी — निम्नतम श्रेणी के किराये के वार्ड

## टिप्पणी

१ सम्बद्ध सरकारी कमचारी के स्तर के अनुकूल रहने का स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति मे उसे उससे उच्च श्रेणी का स्थान भी दिया जा सकता है बशर्ते कि चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सके कि —

(i) रोगी के प्रवेश के समय उसकी उचित श्रेणी का स्थान उपलब्ध नही था तथा

(ii) उसके स्वास्थ्य को खतरे के बिना चिकित्सालय मे रोगी का प्रवेश तब तक के लिये नही रोका जा सकता था जब तक कि उसे उचित श्रेणी का स्थान उपलब्ध न हो जाय।

[1]२ सरकारी कमचारियो को चिकित्सालय इत्यादि म रहने का सरकारी स्थान (वाडस) नियमानुसार नि शुल्क देने के प्रयोजनाथ "महगाई-वेतन" को वेतन का ही अश समझा जाना चाहिये।

## [2]स्पष्टीकरण

एक प्रश्न उठाया गया कि— सरकार द्वारा दि० १-१२-१९६८ या इसके बाद मे महगाई भत्ते के कुछ भाग को महगाई वेतन के रूप मे मानने के कई आदेश जारी हुये हैं उसे उपरोक्त प्रयोजन [Note 2 below Rule 2 (h) (v)] हेतु 'वेतन' माना जावेगा या नही ?

अत यह स्पष्ट किया जाता है कि—वित्तविभाग के आदेश स० एफ १ (७) वि० वि० (नियम) ६९ दि० ७-४-१९६९ के अर्थ में महगाई भत्त का जो भाग महगाई-वेतन माना गया है उसे उपरोक्त पैरा (१) के प्रयोजनाथ "वेतन माना जावेगा।

## स्पष्टीकरण

[3]१ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि निलम्बन अवधि के दौरान सरकारी कमचारी को निशुल्क रहने का स्थान देने के लिये वेतन की किस राशि की गणना की जानी चाहिये। मामले की जाच की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम २ (ज) (v) के अधीन जिस श्रेणी के रहने के स्थान का सरकारी कमचारी अधीकारी है उसके निश्चय करने के लिये उस कमचारी को निलम्बन से तुरत पूव दिया गया वेतन इसके लिये गणना मे शुमार किया जाना चाहिये।

[4]२ सरकारी चिकित्सालया मे किराये के स्थानों म निशुल्क प्रवेश की सुविधा के प्रयोजन हेतु सरकारी कमचारी के परिवार के सदस्यों मे वह कमचारी, उसकी पत्नी (महिला सरकारी

१ सा प्र वि के आदेश सख्या ४ (२२) जी ए/ए/२७ दिनाक ५ ५-६१ द्वारा सन्निविष्ट।
२ वित्त विभाग के मीमो स० एफ १ (७) (नियम) ६९ दि० १७-५ ६९ द्वारा सन्निविष्ट।
३ निदेशक चि० एव स्वा० विभाग के नापन सख्या एफ १ (३०) (३) एम-पी एच /५९/ए डी एच दिनाक १२/१७ १ ५९ द्वारा सन्निविष्ट।
४ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनाक १० ९ १९६० द्वारा सन्निविष्ट एव दिनाक १०-९ १९६० से प्रभावशील।

कर्मचारी के मामले में उसका पति), पुत्र, माता पिता, अवयस्क भाई अविवाहित पुत्रियां या बहिन अथवा विधवा बहिन या पुत्रवधुएँ सम्मिलित हैं किन्तु शर्त यह है कि वे सब सरकारी कर्मचारी पर ही पूर्णत आश्रित हों। इसके अलावा निम्न सुविधायें भी प्राप्त हो सकती हैं —

(ii) साधारण नर्सिंग सुविधायें जैसी की किसी सरकारी चिकित्सालय में उपलब्ध होती है।

(iii) उस सरकारी कर्मचारी के मामले में खुराक जिसका कि वेतन १५० रु० मासिक से अधिक नहीं है बशर्ते कि चिकित्सालय में रोगियों की भोजन व्यवस्था हो।

### [1]टिप्पणी

महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में इलाज में प्रसव भी सम्मिलित है जैसा कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के मामले में होता है।

३ (क) इन नियमों में परिभाषित स्वास्थ्य उपचार और इलाज के लिये सरकारी कर्मचारी नि शुल्क हकदार होगा।

[2]बशर्ते कि प्राधिकृत चिकित्सक की निर्धारित की हुई ऐसी औषधियां जो कि भोज्य प्रसाधन टॉनिक अधिक खाद्य सारता रखनेवाली नि सक्रामक तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री जैसी समझी जाय उनके लिये सरकार द्वारा कोई प्रति पूर्ति नहीं की जायेगी।

### टिप्पणी

[3]इन नियमों के अधीन प्राप्य सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को निलम्बन के दौरान भी स्वीकार्य होंगी।

[4]**सरकारी अनुदेश** —यह देखा गया है कि प्राय सरकारी कर्मचारी अपने उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे इलाज पूरे होने के बाद काफी बिलम्ब से, साथ ही साथ अंशों में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रश्न की जाच की गई है और यह निश्चय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे इलाज पूरा होने की तारीख से (एक वर्ष) के अन्दर ही करना है। एक बार में प्रस्तुत कर देने चाहिये किन्तु अंशों में नहीं। किन्तु एक बार के १५० रु० या अधिक राशी के बिल चिकित्सा पूर्ण होने से पहले भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

### स्पष्टीकरण

१ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य-उपचार) नियम १९५८ सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुन सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्तियों पर भी लागू होंगे क्या कि राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १९५८ इस सम्बन्ध में मौन हैं। इस मामले की जाच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १९५८ स्थायी

---

१ सा प्र वि के आदेश संख्या दिनांक १८-१० ६५ द्वारा सन्निविष्ट।

२ सा प्र वि के आदेश संख्या एफ ८ (२२) जी ए/ए/६७ दिनांक २३ ७ ५९ से शामिल।

३ सा प्र वि० के आदेश संख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २४ १० ५९ द्वारा सन्निविष्ट

४ सा प्र वि के आदेश संख्या एफ ४ (२२)/जी ए/ए१७ दिनांक २३ ७-१९५९ द्वारा सन्निविष्ट।

या अस्थायी सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते है। पुन नियोजित व्यक्ति चूकि अस्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं अत ये नियम उन पर भी लागू होते है।

सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है असाधारण अवकाश प्राप्त करने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी भी इन स्वास्थ्य उपचार नियमो से ही नियन्त्रित होते हैं। आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश पर हो और इस अवकाश मे उसे सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार या अन्य नियोजक के अधीन सेवा स्वीकार करने की अनुमति ददी जाय तो ऐसा कर्मचारी चाहे स्थायी हो या अस्थायी उसे स्वास्थ्य-उपचार प्राप्त नही हो सकेगा।

(ख) नियम ३ (क) के अधीन जहा किसी सरकारी कर्मचारी को स्वस्थ्य उपचार और इलाज नि शुल्क प्राप्त करने का हक है वहा उसके द्वारा स्वास्थ्य उपचार और और इलाज पर खर्च की गई किसी भी राशि की सरकारी कर्मचारी का लिखित मे प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। यह प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रपत्र पर होना चाहिये —

### [1]परमावश्यक प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी " पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री जो विभाग मे नियुक्त है चिकित्सालय/इन्डोर आउटडोर मे मेरे परामर्श कक्ष मे मेरे उपचार मे रहे हैं/रही हैं। इस सम्बन्ध मे मेरे द्वारा निर्धारित निम्नलिखित औषधियो रोगी की दशा में हो रही गम्भीर गिरावट को रोकने/रोगी के पुन स्वस्थ्य होने के लिये परमावश्यक हैं/थी। ये औषधियाँ बाहर के रोगियो को देने के लिये मे सग्रहीत नही की जाती और इनमे ऐसी प्रोप्राइटरी औषधियाँ प्रिप्रेशनम् सम्मिलित नही है जिनके लिये समान गुण वाले थेराप्यूटिक मूल्य के सस्ते पदार्थ प्राप्य हैं अथवा जो मूलत भोज्य प्रसाधन या नि सक्रामक श्रेणी मे आते हैं।

| बीजक सख्या व तारीख | औषधियो का नाम | मूल्य | |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | पैसे |

योग
रुपये

चिकित्सालय मे रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर एव पद

२ प्रमाणित किया जाता है कि रोगी से पीडित है/था और तारीख से तक मेरे उपचार मे है/था। यह भी

[1] वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (४६) एफ डो (व्यय नियम)/६६ दिनाक १८ ८ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रोग, रतिरोग, वनेरियल, सन्निपात, डिलीरियम उपचार प्रसव पूव/ज मोत्तर सम्ब धी बीमारियो मे नही आता।

३ रोगी के चिकित्शालय मे रहने की आवश्यकता थी/नही थी/यह मामला निश्चित रूप से लम्बे उपचार का है/नही है/था/नही था।

४ प्रमाणीत किया जाता है कि उपचार कार्य पूरा हो चुका है।

चिकित्सालय मे रोगी के प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी के हस्ताक्षर — प्राधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर

## परिशिष्ठ 'क'

### सरकारी कमचारी और उसके परिवार के उपचार तथा/अथवा चिकित्सक (मेडीकल-अटन्डेन्ट) के सम्बन्ध मे किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र

सूचना —प्रत्येक रोगी के लिये अलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाना चाहिय।

१ राज्य कमचारी का नाम व पद (बडे अक्षरो में)

२ कार्यालय जिसमे नियुक्त हैं—

३ राज्य कमचारी का राजस्थान सेवा नियमो में परिभाषित वेतन तथा अ य उपलब्धिया (ऐमोल्यूमे टस्) (इ हे अलग से दिखाया जाना चाहिये)

४ काय स्थान

५ वास्तविक निवास स्थान का पता —

६ रोगी का नाम तथा उसका राज्य कमचारी से सम्ब ध —

सूचना —रोगी यदि बालक हो तो उसकी आयु भी लिखनी चाहिये।

७ रोगी के रोग ग्रस्त होने का स्थान —

८ मागी गई राशि का विवरण —

(1) चिकित्सा परिचर्या

(11) परामश शुल्क —नीचे लिखा विवरण भो दीजीये —

(क) जिस चिकित्सा अधिकारी से परामश किया गया है उसका नाम अस्पताल व डिस्पे सरी का नाम जिससे वह सबंध है।

(ख) परामश की सख्या व तारीखें तथा प्रत्येक इ जेक्शन के लिये दिया गया शुल्क।

(ग) इ जेक्शन की सख्या तारीखें तथा प्रत्येक इ जेक्शन के लिये दिया गया शुल्क।

(घ) परामश और/या इन्जेक्शन किस स्थान पर दिये गये—अस्पताल में, चिकित्सा अधिकारी के परामश कक्ष में या रोगी के निवास स्थान पर—

(iii) पथोलोजिकल, बक्टेरियोलोजीकल, रेडियोलोजीकल या अन्य प्रकार के परीक्षण/जो निदान के लिये किय गये/पर किया गया व्यय—

(क) अस्पताल या प्रयोगशाला का नाम जहा परीक्षण किये गये थे।

(ख) क्या परीक्षण प्राधिकृत-चिकित्सक के परामश से कराये गये थे। यदि हाँ तो इस विषय मे एक प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिय।

४ बाजार से खरीदी गई औषधियो का मूल्य, औषधियो की सूची। कश मोमो और परमावश्यकता प्रमाण पत्र सलग्न किये जाने चाहिये।

अस्पताल का उपचार।

अस्पताल का नाम।

अस्पताल मे उपचार का व्यय। निम्नलिखित के लिये किये गये व्यय का अलग अलग विवरण दीजिये।

(i) रहने का स्थान।

क्या रहने का स्थान राज्य कर्मचारी के स्तर या वेतन के अनुसार था और यदि स्थान राज्य कर्मचारी के स्तर से ऊचा था तो एक प्रमाण-पत्र इस विषय का सलग्न किया जाय कि राज्य कमचारी के स्तर का स्थान उपलब्ध नही था।

(ii) भोजन।

(iii) शल्य चिकित्सा (सर्जीकल आपरेशन) या चिकित्सा उपचार या प्रसूति (कनफाइनमेन्ट)

(iv) पैथोलोजीकल बैक्टोरियो लोजीकल रेडियो लोजीकल या अन्य इसी प्रकार क परीक्षण का विवरण।

(क) अस्पताल या प्रयोग शाला का नाम जहाँ परीक्षण किया गया/किये गये।

(ख) क्या परीक्षण अस्पताल में रोग के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामन से कराये गये थे। यदि हा तो इस विषय का एक प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिये।

५ औषधियाँ—

६ विशष औषधियाँ।

(औषधियो की सूची, कैशमीमो और परमावश्यकता प्रमाण-पत्र सलग्न किये जाने चाहिये)

७ सामान्य परिचर्या—

८ मिटाया गया—

९ रोगी वाहन (एम्बूलें स का व्यय)

'कहाँ से कहाँ यात्रा की' इसका विवरण दीजिये।

१० कोई अन्य व्यय जैसे बिजली का प्रकाश, पखा हीटर वातानुकूलित सुविधायें आदि। यह उल्लेख किया जाय कि क्या सामान्यतया ये सुविधायें सभी रोगियो को दी जाती हैं और रोगी के लिये उसकी इच्छा से कोई विशेष व्यवस्था नही की गई थी।

नोट—१ यदि उपचार नियम ३ (घ) के अधीन राज्य कर्मचारी के निवास स्थान पर किया गया हो तो ऐसे उपचार का विवरण दीजिये और नियमानुसार प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का प्रमाण पत्र सलग्न कीजिये।

२ यदि उपचार राजकीय अस्पताल के अतिरिक्त अन्य अस्पताल मे किया गया हो तो प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का इस विषय का प्रमाण पत्र कि आवश्यक उपचार पास के किसी राजकीय अस्पताल मे उपलब्ध नही था। सलग्न किया जाना चाहिये।

३ विशेषज्ञपरामर्श—प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को दिये गये शुल्क का विवरण

(क) जिस विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी से परामर्श किया गया उसका नाम पद अस्पताल का नाम जिससे वह सम्बद्ध है।

(ख) परामर्श की सख्या व तारीखें तथा प्रत्येक परामर्श का शुल्क।

(ग) क्या परामर्श अस्पताल विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कक्ष या रोगी के निवास-स्थान पर हुआ था।

(घ) क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी से परामर्श प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह से हुआ था और क्या जिला चिकित्सा अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई थी, यदि हाँ तो इस विषय का एक प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिये।

९ मागी गई राशि का योग

१० सलग्न पत्रो की सुची

*घोषणा जिस पर राज्य कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे*—मैं घोषित करता हूँ कि कि इस प्रार्थना पत्र के विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी व विश्वास है, सही हैं और रोगी जिस पर चिकित्सा व्यय किया गया है पूर्णतया मुझ पर ही आश्रित है।

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर, पद
दिनाक　　　　　　१९६　　　　　　एव कार्यालय जिससे सम्बद्ध है

[१]१ आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों, जो वैद्य/हकीम द्वारा निर्धारित की जायें, कि प्रतिपूर्ति केवल अनुमोदित औषधियों के लिये ही की जायेगी। राज्य सरकार ने अनुमोदन से निदेशक आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान द्वारा ऐसी औषधियों की एक अधिसूचित सूची अनुबन्ध 'क' पर दी गई है।

[२]परिपत्र

एक मत है यह व्यक्त किया गया है कि क्या वैद्य द्वारा यूनानी औषधियाँ और हकीम द्वारा आयुर्वेदिक औषधियाँ निर्धारित की जा सकती हैं अथवा नहीं। इस विषय म सरकार की जानकारी

१　सा प्र वि के आदेश सख्या ४ (२२ जी ए/ए/जी आर/II/२७ दिनाक २४ १-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

२　वित्त विभाग के सख्या एफ १ (१८) एफ ए/व्यय नियम/६५ दिनाक १५ ४-६५ द्वारा

म लाया गया है कि विभिन्न स्थानों पर सुविधा के कारण रोगी दोनों ही प्रकार की दवाइयां एमी सप्रहीत और योग्यता प्राप्त एवं अनुभवी वैद्यों व हकीमों द्वारा निर्धारित औषधियाँ ले लेते हैं और जिन वैद्यो या हकीमो को इस प्रकार की दोनों ही औषधियों का ज्ञान है व यह निर्धारित कर देते हैं। तथापि, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति की औषधियों में कोई भारी अन्तर भी नहीं है। अत इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक द्वारा प्राधिकृत ऐसे वैद्य जिन्हें यूनानी दवाओं की जानकारी हो और ऐसे हकीम जिन्हें आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी हो वे सब ऐसी दोनों ही प्रकार की औषधियाँ निर्धारित कर सकते हैं।

[1] जिन ऐलोपैथिक दवाईयों और औषधियों की प्रतिपूर्ति नियम ३ के उपनियम (क) के परन्तुक के अधीन नहीं हो सकती उनकी सूची निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान द्वारा सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित की जायेगी और वह इसमें अनुलग्नक "ख" के रूप में सलग्न हैं।

## परिपत्र

[2](ग) परिशिष्ट ख मे उल्लिखित इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर ही दावा की वापिसी के लिये प्रार्थना पत्र दिया जायेगा।

## टिप्पणी

[3](१) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये बिल के साथ हमेशा निर्धारित प्रार्थना पत्र सलग्न किया जाना चाहिये।

२ चिकित्सा बिलो के साथ सलग्न किये हुए दवाईयों के खरीदने के कैशमीमोज पर हमेशा दवाईयाँ निर्धारित करने वाले चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षर किये जाने चाहिये तथा परमावश्यकता प्रमाण पत्रो में सभी निर्धारित औषधियों के नाम मोटे अक्षरो में लिखे जाने चाहिये एवं उनमे औषधियों की खरीद में किया हुआ व्यय भी अलग से अंकित किया जाना चाहिये।

### [4]राजस्थान सरकार का निर्णय

१ यह देखा गया है कि कभी कभी सरकारी कर्मचारी अपने चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों को काफी विलम्ब से प्रस्तुत करते हैं तथा साथ उन्हें चिकित्सा पूरी होने के बाद कई किश्तों में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रश्न की जाँच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि सरकारी

---

१ परिपत्र संख्या एफ २ (४६) जी ए/ए ६३/जी आर/II दिनांक ३०-४ ६४ द्वारा समिविष्ट।

२ सा प्र वि के आदेश संख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २५-७-१९५९ द्वारा सन्निविष्ट।

३ सा प्र वि के आदेश संख्या एफ ४ (२२) जी ए/जी आर/II/५७ दिनांक २७ १० ६१ द्वारा शामिल।

४ सा प्र वि के आदेश संख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २३ ७-५९ द्वारा समिविष्ट।

४ (१) जिस स्थान पर कोई रोगी बीमार पडता हो और वह स्थान प्राधिकृत-चिकित्सक का मुख्यालय न हो तो—

(अ) मुख्यालय तक पहुँचने और वहाँ से वापिस आने तक की यात्राओं के लिये रोगी यात्रा-भत्ते का हकदार होगा, या

(ब) यदि रोगी इतना बीमार है कि वह यात्रा नही कर सकता तो जहाँ पर रोगी बीमार है वहाँ पर जाने और वहाँ से वापिस लौटने की यात्राओ के लिये प्राधिकृत चिकित्सक यात्रा-भत्ते का हकदार होगा ।

बशर्ते कि दन्त चिकित्सक या नेत्र रोग विशेषज्ञ से उपचार कराने हेतु की गई यात्राओं के लिये रोगी यात्रा भत्ता पाने का हकदार नही होगा ।

(२) उप नियम (१) के अधीन यात्रा भत्ते के लिये आवेदन-पत्र प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखित मे यह व्यक्त करते हुए कि स्वास्थ्य उपचार आवश्यक था तथा यदि आवेदन पत्र उप नियम के खण्ड (ख) के अधीन है, तो यह व्यक्त करते हुए कि रोगी इतना अधिक बीमार था कि यात्रा नही कर सकता था, प्रमाणपत्र सहित भेजा जायेगा ।

५ यदि प्राधिकृत चिकित्सक की राय मे रोगी की हालत ऐसी गभीर हो या ऐसी विशेष किस्म की हो कि उसके स्वय के अतिरिक्त किसी अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिचर्या की अपेक्षा हो तो वह रोगी को समीपस्थ विशेषज्ञ अथवा अन्य सम्बद्ध चिकित्सक के पास भेज सकता है । इन नियमो के अधीन किसी दूससरे स्थान पर भेजा गया रोगी प्राधिकृत चिकित्सक के लिखित प्रमाण पत्र देने पर दूसरे चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के स्थान तक जाने और वापिस लौटने की यात्राओं के लिये दौरे पर की गई यात्राओ की भाति बिना विश्राम भत्ता पाये यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा ।

[1] चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ वायुयान द्वारा अथवा वातानुकूलित श्रेणी मे की गई यात्रायें, बिना इस बात का विचार किये हुए कि सम्बद्ध अधिकारी सरकारी ड्यूटी पालन करने के लिय अपने स्वविवेक से वायुयान द्वारा अथवा वातानुकूलित श्रेणी मे यात्रा करने का अन्य प्रकार से हकदार है अथवा नही स्वीकार्य नहीं होगी ।"

## टिप्पणी

जिला चिकित्सा अधिकारी से नीचा श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी को जहाँ रोगी की अवस्था ऐसी जान पडे वहाँ उस अन्य चिकित्सालय या चिकित्सक के पास भेजने से पूर्व अपने से वरिष्ठ श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी (जो जिला चिकित्सा अधिकारी या इससे उच्च श्रेणी का हो) की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

---

१ सा प्र वि (ए) के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २५-५ ६६ द्वारा सन्निविष्ट ।

६ (अ) स्वास्थ्य-उपचार अथवा चिकित्सा सुविधायें नि शुल्क पाने के हकदार रोगियो को इन नियमो के अधीन प्राप्त होने वाली सेवाओ मे सम्बंधित अन्य खर्चे जो 'स्वास्थ्य-उपचार' अथवा इलाज' मे सम्मिलित न हो, वे सब प्राधिकृत-चिकित्सक द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और उनका भुगतान रोगी द्वारा ही किया जायेगा।

(ब) व्याख्या —कोई सेवा चिकित्सा सुविधा अथवा स्वास्थ्य–उपचार मे सम्मिलित है या नही यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे तो उसे वित्त-विभाग में सरकार के यहा भेजा जाना चाहिये और उस पर वहा किया गया निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

७ सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिये स्वास्थ्य उपचार और इलाज —
१ (अ) चूकि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य सरकारी खर्च पर सरकारी चिकित्सालय मे कर्मचारी का नियमो के अधीन स्वीकार्य दरो और शर्तों पर स्वास्थ्य-उपचार और इलाज पाने के अधिकारी हैं किन्तु इस रियायत मे निम्नलिखित स्थानो के अतिरिक्त अन्य स्थानो पर चिकित्सा एव परिचर्या सम्मिलित नही होगी —

१ किसी सरकारी चिकित्सालय मे अथवा
२ प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा अपनी व्यवस्था से चलाये जा रहे परामर्श-कक्ष मे

बशर्ते कि गभीर मामलो मे जहा प्राधिकृत चिकित्सक परिवार के सदस्य को चिकित्सालय मे ले जाना उसके जीवन के लिये खतरनाक अथवा घातक समझे वहाँ रोगी के निवास स्थान पर भी स्वास्थ्य उपचार और इलाज किया जा सकेगा।

## टिप्पणी

इस उप नियम के परन्तुक के प्रयोजनार्थ परिवार शब्द म केवल पत्नी (महिला सरकारी कर्मचारी के मामले म उसका पति) बच्चे साथ रह रहे सौतेले बच्चे जो उसी पर पूर्णतया निर्भर हो सम्मिलित होगे और नियम २ (ड) म परिभाषित परिवार के अन्य सदस्य नही।

[1](ब) सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य जब उपनियम १ (अ) के परन्तुक क अधीन अपने निवास स्थान पर स्वास्थ्य उपचार और इलाज प्राप्त कर रहा हो तो सरकारी कर्मचारी उपचार और चिकित्सा पर किये गये खर्चे की उसी प्रतिपूर्ति के लिये ही हकदार होगा जो वह नियमो के अधीन नि शुल्क ही प्राप्त करता किन्तु शर्त यह है कि इसके लिये उसे परिशिष्ट "ग" मे निर्धारित प्रमाण पत्र निम्नांकित मे से किसी प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा निम्नाकित चिकित्सकों के अतिरिक्त मामला मे उनके वरिष्ठ चिकित्सक के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवा कर सलग्न करना होगा —

(1) मेडीकल—

| | |
|---|---|
| जयपुर जोधपुर उदयपुर अजमेर और बीकानेर आदि नगरो मे | १ प्रधानाचार्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालयो का नियन्त्रक एव |

---

१ वित्त विभाग के आदेश स० १ (८२) एफ डी (व्यय नियम)/६६ दिनांक २२–११–६६ द्वारा सन्निविष्ट।

| | |
|---|---|
| | उप प्रधानाचार्य और अधीक्षक सवाई-मानसिंह चिकित्सालय । |
| | २ आचार्य, अवर आचार्य और आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के रीडर । |
| अन्य स्थानो पर | ३ जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी । प्रधानचिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी । |
| (ii) आयुर्वेदिक — | १ आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य । |
| | २ आयुर्वेदिक विभाग के नोरीक्षक । |

## परिशिष्ट—'ग'

### प्रमाण—पत्र

*प्रमाणित किया जाता है कि श्री* पुत्र/पत्नी/पुत्री/पति श्री/ श्रीमती आयु जो विभाग का/की है बीमारी से दिनाक से पीडित था/थी तथा मेरे उपचार मे था/थी । मैंने उसके घर पर दिनाक ‥ को बजे वीक्षण किया/किये क्योकि उसकी अवस्था गभीर थी तथा उसको चिकित्सालय मे ले जाना उसके जीवन के लिये हानीकारक तथा घातक होता । मैंने अपने वीक्षण के लिये रु० प्राप्त किये ।

| | |
|---|---|
| प्रति हस्ताक्षरित<br>वरिष्ठ चिकित्सा-अधिकारी के<br>हस्ताक्षर और पद | प्राधिकृत चिकित्सक के<br>हस्ताक्षर और पद । |

२ परिवार के सदस्यों का नियम ४ एव ५ मे निर्दिष्ट मामलो मे प्राधिकृत चिकित्सक से परामर्श करने हेतु की गई किसी यात्रा के लिये कोई भी यात्रा भत्ता नही दिया जायेगा ।

[1]अपवाद —यदि प्राधीकृत चिकित्सक की सम्मति से दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे को उपचार के लिये किसी स्थान पर ले जाया जायेगा तो बच्चे के साथ जाने वाले परिचारक या मार्गरक्षक को नियम ५ के नीचे दी हुई टिप्पणी (२) मे निर्धारित दर पर यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा ।

३ उप नियम (१) मे सन्दर्भित स्वास्थ्य उपचार एव इलाज के अधीन चिकित्सालय मे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का प्रसव, प्रसव पूर्व और जन्मोत्तर उपचार भी सम्मिलित समझा जायेगा ।

---

१ वित्त विभाग के आदेश स० एफ१ (८१) एफ डी (व्यय नियम) ६६ दिनांक २२-११ ६६ द्वारा प्रविष्ठ ।

## राजस्थान सरकार का निर्णय

यह निश्चित किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को रेलवे मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या टी सी II/२१८३/५९ दिनांक ६-११-१९५९ (जो यहां नीचे दिया हुआ है) के द्वारा स्वीकृत रियायतों का लाभ अपनी उपयुक्त श्रेणी की सीटों या उससे नीचे की श्रेणी की सीटों पर यात्रा करके उठाना चाहिये। इन सरकारी कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता उपयुक्त आदेश में स्वीकार्य सीमा तक नियम ७ के अधीन स्वीकार्य रियायता के बदले में दिया जाना चाहिये।

रेलवे मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) के कार्यालय ज्ञापन संख्या टी सी II/२१८३/५९ दिनांक ६-११-१९५९ की महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें नई दिल्ली को प्रेषित प्रतिलिपि —

विषय टी बी और कैंसर के रोगियों को रेल की रियायतें —

निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को स्वास्थ्य सेवाओं के महा निर्देशालय के पत्र संख्या २-१२-५६ सी एच एम II (IV) दिनांक २७-१०-५६ का उल्लेख करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त टी बी और कैंसर के रोगियों को किसी अस्पताल/सनेटोरियम/संस्थान/क्लिनिक में प्रवेश हेतु जाने, वहां से छुट्टी पाकर वापस अपने निवास तक आने ऐसे अस्पताल/सनेटोरियम/संस्थान/क्लिनिक में पुनःपरीक्षण या सामयिक जांच के लिये जाने और वापस लौटने के लिये निम्नलिखित रियायतें स्वीकार की जाती हैं —

| किनको प्राप्य हैं | रियायतों की किस्म |
| --- | --- |
| (i) किसी परिचारक के साथ यात्रा करने वाला रोगी। | जिस श्रेणी में यात्रा की जा रही हो उसका रोगी के लिये एकल (सिंगल) यात्रा भाड़ा देने पर रोगी और उसके परिचारक की यात्रा के लिये एक संयुक्त सादा कागजी टिकट |
| (ii) अकेले यात्रा करने वाला रोगी | सामान्यतः देय किराये का ¾ किराया देकर एकल (सिंगल) यात्रा टिकट। |

इन रियायतों और इन्हें प्राप्त करने के तरीकों की विस्तृत जानकारी कोचिंग टैरिफ नं० १७, आई आर सी ए के नियम ११८ के अनुलग्नक के क्रमांक १० अ और १० ब पर दी हुई है। इसकी एक प्रति सभी रेलवे स्टेशनों पर सुलभ है एवं महासचिव इण्डियन रेलवे कान्फ्रेंस ऐसोसियेशन चेम्स फोर्ड रोड नई दिल्ली से कीमत देकर भी प्राप्त की जा सकती है।

२ टी बी और कैंसर के पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को रेल की रियायतें दिये जाने के लिये कोई विशेष अनुदेश रेलवे मंत्रालय ने जारी नहीं किये हैं। तथापि वे निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके उक्त रियायता की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

८ (1) सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अनुमोदित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षा के लिये नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी द्वारा भेजा जाना चाहिये तथा यह स्वास्थ्य परीक्षा निःशुल्क होगी।

## स्पष्टीकरण

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि राज्य से बाहर स्थित किसी सरकारी पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती किये गये अभ्यार्थी को किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी के पास स्वास्थ्य परीक्षा के लिये भेजा जाये जो कि राज्य सरकार की सेवा मे न हो तो ऐसी परीक्षा का शुल्क किसी सीमा तक प्रतिपूर्त किया जाना चाहिये। चूंकि ऐसे अभ्यार्थी की स्वास्थ्य परीक्षा नि शुल्क ही की जानी अपेक्षित है अत यह स्पष्ट किया जाता है यदि बाद में अभ्यार्थी को सेवा मे नियुक्त कर दिया जाय तो चिकित्सा अधिकारी। बोर्ड द्वारा लिया गया शुल्क प्रतिपूत किया जा सकता है। प्रतिपूत की जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार (अथवा वस्तुत दी हुई फीस की दर पर, जो भी कम हो) की जावेगी —

ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नांकित सरकारी कर्मचारियो की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये जो प्रधानचिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे का न हो —

| | | |
|---|---|---|
| १ | अखिल भारतीय सेवा अधिकारियो के अतिरिक्त अन्य राज पत्रित अधिकारी | १० रु० |
| २ | अधीनस्थ अराजपत्रित अधिकारी | ५ रु० |
| ३ | सिविल असिस्टेण्ट सर्जन प्रथम श्रेणी द्वारा उपर्युक्त श्रेणियो के अधिकारियो की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये | ४ रु० |
| ४ | सिविल असिस्टेण्ट सर्जन द्वितीय श्रेणी द्वारा उक्त श्रेणियों के अधिकारियों की स्वास्थ्य परीक्षा हेतु | २ रु० |
| ५ | चिकित्सा मडल द्वारा समस्त श्रेणी के अधिकारियो या कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये | १६ रु० |

(२) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहे जाने पर अवकाश की पुष्टि के लिये चिकित्सा-प्रमाणपत्र प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा नि शुल्क दिया जायेगा। सक्षम-प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर चिकित्सा मण्डलो द्वारा की गई परीक्षाओ को भी सभी सरकारी कर्मचारियो के लिये नि शुल्क ही किया जा सकेगा।

## [1]आदेश

राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि स्वास्थ्य परीक्षा प्रयोगशाला व्यय एक्सरे परीक्षा आदि के लिये सभी सरकारी चिकित्सालयो मे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियो सहित उन सरकारी कर्मचारियो से जो इस मण्डल मे प्रति नियुक्ति पर हो शुल्क लिया जाना चाहिये और इसकी उचित रसीद दी जानी चाहिये।

ये कर्मचारी इन रसीदों को प्रस्तुत करके राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से ऐसी परीक्षाओ पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करा सकते है।

उपर्युक्त निर्णय पचायत समितियो। जिला परिषदो के कर्मचारियो सहित इन पचायत समितियो। जिला परिषदो में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कर्मचारियों पर भी लागू होगे।

---

१ सख्या एफ १६ (३) एम पी एच /६०/जी आर I दिनांक २५ १ ६२ द्वारा सन्निविष्ट।

## स्पष्टीकरण

[1]एक प्रश्न यह उठाया गया है कि जसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर चिकित्सा मण्डल द्वारा चिकित्सा परीक्षा के मामलों में होता है, वैसे ही विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोई भी मांग न करने पर यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं मांग करे तो क्या उस सरकारी कर्मचारी से बीमारी (सिकनस) या सेवा योग्यता (फिटनस) के प्रमाण पत्र के लिए शुल्क लिया जाना चाहिये अथवा नहीं।

चूंकि ऐसे अनुदेश हैं कि जब भी एक दिन से अधिक के आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना-पत्र दिया जाय एवं यदि अवकाश का निवेदन चिकित्सा कारणों से किया गया हो तो प्रार्थना पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ भेजा जाना चाहिये। इसी प्रकार रियायती अवकाश के निर्धारित प्रपत्र में इस प्रकार के अवकाश के निवेदन की पुष्टि में चिकित्सा-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अतः विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को यह सदैव आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग करे तथा इस प्रकार साधारणतया यह माना जा सकता है कि जब कभी कर्मचारी एक प्राधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहता हो तो यह इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के समर्थन में चाहा गया है। तदनुसार ऐसे दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिये सरकारी कर्मचारी से प्राधिकृत चिकित्सक को कोई शुल्क नहीं लेना चाहिये।

(३) प्रमाण-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर करते समय कोई शुल्क नहीं लेना चाहिये।

[2]८ (अ) तपेदिक (टी बी) और कैंसर से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को इन नियमों के साथ संलग्न 'अनुलग्नक' में दी हुई विशेष सुविधायें स्वीकार्य होंगी।"

### अनुलग्नक

(१) तपेदिक अथवा कैंसर के संदिग्ध पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निकटतम सरकारी चिकित्सालय में परीक्षण तथा परामर्श के लिये भेजे जा सकेंगे। चिकित्सालय में परामर्श का कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जायेगा।

(२) सावधानीपूर्वक परीक्षा के बाद यदि मामला द्रुतगामी एवं सक्रिय पाया जाये तो सरकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार देय एवं स्वीकार्य अवकाश मंजूर किया जा सकेगा।

(३) सरकारी सैनेटोरियम में प्रवेश हेतु सरकारी कर्मचारी को उपयुक्त सुविधायें और युक्ति-युक्त रियायतें दी जा सकेंगी परन्तु शर्त यह होगी कि रोगी सरकारी सैनेटोरियम में सस्थानीय उपचार के योग्य समझा जाय।

---

१ रा प्र वि के आदेश संख्या एफ २ (८) जी ए/ए/औमार/II/६४ दिनांक २१-७ ६४ द्वारा सम्मिविष्ट,

२ रा प्र वि के आदेश संख्या एफ ४(८) जी ए/ए/औमार II/५८ दिनांक २२ ६-६२ द्वारा सम्मिविष्ट

(४) रोगी के सस्थानीय उपचार की अवधि में सरकारी आरोग्यशाला मे सरकारी कमचारी को निम्नाकित सुविधायें भी स्वीकाय होगी —

(क) सरकारी कमचारी को इन नियमो के नियम ३ के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य औषधियों पर व्यय की गई राशि के अतिरिक्त अधिक खाद्य सारता वाली ऐसी औषधियो पर व्यय की गई राशि भी, जिसकी कि प्रति पूर्ति नही हो सकती है, निम्नाकित शर्तों पर प्रतिपूर्ति की जा सकेगी —

(i) औषधिया ऐसी हो जो सरकारी सनेटोरियम के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई हो।

(ii) इस अनुच्छेद के अन्तगत प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि २५ रु० प्रतिमाह से अधिक नही होगी।

(iii) निम्नलिखित प्रपत्र मे उस चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र सहित जो कि रोगी की परिचर्या कर रहा है औषधियो के समस्त वाउचर उसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके सलग्न किये जाने पर राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी —

## विशेष औषधियो का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती                जो राजस्थान सरकार के                विभाग मे नियुक्त हैं तथा श्रीमती/श्रीकुमारी                जो श्री/श्रीमती                की/का पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री हैं, तपदिक/कैन्सर के लिये चिकित्सालय/सैनेटोरियम/क्लीनिक                मे दिनाक                से दिनाक                तक उपचार मे थी/था तथा उपयु क्त अवधि के दौरान अधिक खाद्य सारता वाली निम्नलिखित औषधिया मेरे द्वारा उसके उपचार के लिये निधारित की गई थी। ये औषधिया रोगिया को देने के लिये चिकित्सालय/सनेटोरियम/क्लीनिक मे सग्रह त नही की जाती हैं —

| वाउचर स ख्या एव तारीख | औषधियो के नाम मोटे अक्षरो मे | राशि |
|---|---|---|

रोगी की परिचर्या करने वाले चिकित्सा
अधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

(ख) सैनेटोरियम के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष खुराक, यदि कोई हो, के लिये उस सरकारी कमचारी को (जिसका वेतन महगाई भत्ते सहित ३२०) रु० प्रतिमास से अधिक न हो) ३० रु० प्रतिमाह का अधिकतम भत्ता दिया जा सकेगा किन्तु शत यह होगी कि इसके लिये सरकारी कमचारी को स्वय के निम्नलिखित प्रमाण-पत्र को परिचर्या करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना पडेगा —

## विशेष खुराक का प्रमाण पत्र

म एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं श्री/श्रीमती　　　　राजस्थान सरकार क　　　　विभाग मे नियुक्त हूँ तथा कि श्रीमती/श्री/कुमारी　　　　जो मेरी/मेरा पत्नि/पति/पुत्री है　　　　चिकित्सालय/सनेटोरियम/क्लीनिक के डाक्टर　　　　के इलाज मे तपैदिक/कैंसर के लिये रहा था/रही थी तथा उसकी सलाह से मैंने अपने पति/पत्नि/पुत्री/पुत्र के लिये दिनाक　　　　से दिनाक　　　　तक की अवधि मे विशेष खुराक पर　　　　रुपये (अकेन　　　　रुपये) का व्यय किया है।

सरकारी कमचारी के हस्ताक्षर एव पद

प्रतिहस्ताक्षरित

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

(५) नियम ४ (ख) मे अ कित रियायतें अवकाश पर रहने वाले उस सरकारी कमचारी को भी स्वीकार्य होंगी जो सरकारी सैनेटोरियम के प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी के परामश से बहिरग रोगी की तरह माना जा रहा हो।

(६) (क) सरकारी सैनेटोरियम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से रहने के स्थान का अनुपलब्धि प्रमाण पत्र पा लेने क पश्चात जब सरकारी कमचारी राजस्थान मे किसी प्राईवेट सैनेटोरियम मे भर्ती किया जाय तो सरकार निम्न खर्चों के भुगतान मे उस सरकारी कमचारी को ऐसे मामलों में सहायता करेगी जिसका महगाई भत्ते सहित वेतन २० रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है —

(i) उसके द्वारा यदि प्राईवेट सैनेटोरियम मे रहने के स्थान के लिये कुछ खर्चा दिया गया हो तो उसमे साधारण स्थान के खर्चों के लिये २५ रु० प्रतिमाह तक की राशि दी जायेगी।

(ii) सनेटोरियम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा निधारित विशेष खुराक के मूल्य के लिये ३० रु० प्रतिमाह तक अधिकतम राशि उपयुक्त अनुच्छेद ४ मे दी हुई शर्तों के अधीन ऐसे कमचारियो के लिये दी जा सकेगी।

(iii) उपयुक्त अनुच्छेद ४ मे ऐसे खर्चों के लिये दी गई शर्तों के अधीन अप्रतिपूर्ति योग्य औषधियो के लिये २५ रु० प्रतिमाह तक अधिकतम खर्चा दिया जा सकेगा।

(ख) प्राईवेट सैनेटारियम मे सस्थानीय उपचार के दौरान नियमो के अधीन प्रतिपूर्ति योग्य साधारण औषधिया भी सैनेटोरियम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर प्रतिपूर्ति योग्य मानी जा सकेगी।

## टिप्पणी

ऐसा भी सम्भव है कि सरकारी कर्मचारी विशेष औषधियां खरीदने अथवा सैनेटोरियम में खर्चा करने या विशेष खुराक के लिए एक महीने में अधिक खर्चा करे तथा बाद के महीनों में कम खर्चा करे या इसके विपरीत ढंग से खर्चा करे। अतः ऐसे मामलों में सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा हर मास के बीच किये गये वास्तविक खर्चे के बराबर रियायत उल्लिखित प्रत्येक समय एवं महीने की अवधि की सीमा की शर्त पर देनी चाहिये तथा उसके बाद यदि उसके द्वारा वास्तव में किये गये खर्चे के आधार पर यह जान पड़े कि उपचार की अवधि के औसत के आधार पर वह उससे अधिक प्राप्त करने का हकदार है जितना कि उसको भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उसको इसके अन्तर की राशि का ही भुगतान कर दिया जायगा।

(७) उपर्युक्त अनुच्छेदों में दी गई रियायतें सरकारी कर्मचारियों के परिवार को भी उन शर्तों के अधीन स्वीकार्य होंगी जिनके अधीन वे स्वयं सरकारी कर्मचारियों को भी स्वीकार्य हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ परिवार में सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी भी स्थिति हो पुत्र अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियाँ शामिल मानी जायेंगी।

[१]—परित्राण —इन नियमों में अन्तर्निहित कोई भी बात —

(i) किसी सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा उपलब्ध चिकित्सा-सेवाओं के लिये किये गये किसी खर्चे की प्रतिपूर्ति अथवा उसके द्वारा की गई किसी यात्रा, किसी ऐसी यात्रा को छोड़कर जो इन नियमों में अन्यथा स्पष्टतः प्रसारीत है के यात्रा-भत्ते का अधिकारी बनाने या

(ii) सरकारी कर्मचारी को स्वास्थ्य उपचार या परिचर्या अथवा उसके द्वारा की गई किसी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता से सम्बन्धित कोई रियायत इन नियमों में जिसे अधिकृत नहीं माना गया हो, स्वीकृत करने से सरकार को रोकने वाली नहीं मानी जायेगी।

उपर्युक्त नियम इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ५ (३८) जी ए.ए. ५१, दिनांक ७ १२ ५१में अन्तर्निहित सभी पूर्व नियमों और उत्तरवर्ती संशोधनों का अधिक्रमण करते हैं।

### स्पष्टीकरण

[१]सरकार के ध्यान में लाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सा उपचार से सम्बद्ध वर्तमान नियम केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं उनके परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १९५८ भी परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होते।

मामले की जांच की गई थी और यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी-कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के टी बी (तपेदिक) या कैंसर से बीमार होने पर सरकारी कर्मचारियों को उन

---

१ वि प्र वि के परिपत्र संख्या एफ ८ (१) जी ए /ए/५८/ दिनांक २८ ७-६० द्वारा सम्मिलित।

सुविधाओं और लाभो से वंचित नही किया जाना चाहिये जो उन्हें राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १६५८ के अधीन प्राप्त हैं।

२ यदि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मामला सक्रिय पाया जाय तो सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमो के नियम ६३ के अधीन अवकाश स्वीकार किया जाना चाहिये।

३ अवकाश पर रहते समय सरकारी कर्मचारी से किसी सरकारी चिकित्सकीय संस्थान में उपचार की अपेक्षा की जानी चाहिए अथवा यदि वह ठीक समझे और मुख्य चिकित्सा-अधिकारी सहमत हो तो उसे किसी सक्षम प्राईवेट डाक्टरी चिकित्सा व्यवसायी के अधीन या किसी अनुमोदित अशासकीय तपेदिक सेनेटोरियम में चिकित्सा करनी चाहिये।

राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य-उपचार) नियम, १६५८ के सम्बन्ध मे सरकार और निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किये गये

## महत्वपूर्ण परिपत्र और आदेश

इस विभाग के परिपत्र समसंख्यक दिनांक ३१ ७ ६६ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिससे यह निश्चय किया गया है कि परमावश्यक प्रमाण-पत्र और दवाइयो पर किये गये व्यय का प्रतिपूर्ति प्रार्थना-पत्र हिन्दी में ही मान्य होगा।

चूंकि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर के पास लगभग ५० ००० फार्म अंग्रेजी के उपलब्ध हैं अत समस्त विभागाध्यक्षो तथा कोषाधिकारियो को निर्देश दिया जाता है कि परमावश्यक प्रमाण पत्र एवं दवाइयो पर व्यय के प्रतिपूर्ति प्रार्थना पत्र के लिये राजकीय मुद्रणालय द्वारा अंग्रेजी में मुद्रित फार्मों को भी स्वीकार किया जावें।

क्रमांक एफ १ ४७ वि वि व्यय नियम/६७ दिनांक २६ ५ ६७।

**विषय** —प्रशिक्षणाधीन एन सी सी कैडेट और अधिकारियों को चिकित्सा सुविधायें

इस सम्बन्ध में प्रशिक्षणाधीन एन सी सी कैडेटस और अधिकारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक सी कोई पद्धति नहीं है। इस विषय पर सभी राज्य सरकारों को भेजे गये रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या ००१०/४८/एन सी सी दिनांक ४ १ ४६ के सन्दर्भ में उक्त प्रश्न पर विचार किया गया है और राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि इस अवधि के दौरान यदि किसी एन सी सी कैडेट या अधिकारी को नियमित सेना की प्रशिक्षण निमित्त इकाई में सम्बद्ध किया जाय तो उन्हें सेना के श्रोतो से अन्य सनिक कर्मचारियों की भांति ही चिकित्सा उपचार की सुविधायें पाने का हक है। जब ये अधिकारी और कैडेटस असैनिक स्थानो में अपनी ही इकाईयो में प्रशिक्षण पा रहे हो तो असैनिक श्रोतो से किसी विशेष स्थान पर तात्कालिक चिकित्सा उपचार नि शुल्क ही प्राप्त हो सकेगा।

(क्रमांक एफ ४ (२९) जा ए/ए/५७ (II) दिनांक १५ १२ ५८)

**विषय** —एन सी सी यूनिट राजस्थान से सम्बद्ध नियमित सेना के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें —

चूंकि नियमित सेना के कर्मचारी (तथा जे सी ओ एन सी ओ व डब्लू ओ) तथा उनके समकक्ष और स्थायी कर्मचारियों की भांति एन सी सी के मुख्यालयों और इकाईयो पर

| | |
|---|---|
| | गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, इन्चार्ज गवर्नमेंट आयुर्वेद फार्मेसीज। |
| २ ५०० रु० से कम वेतन पाने वाले राजपत्रित एव अराजपत्रित अधिकारियों के लिये। | १ ५०० रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियो के लिए अधिकृत अधिकारी। <br> २ समस्त 'बी' तथा 'सी' श्रेणी के राजकीय औषधालयो के चिकित्सक। |

जहाँ पर राजपत्रित अधिकारी एव "ए' श्रेणी के चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर ५०० रु० से उपर वेतन पाने वाले राजपत्रित अधिकारियो के आयुर्वेदिक एव यूनानी औषधियो की प्रतिपूर्ति के लिए 'बी' और सी श्रेणी के चिकित्सालयो के इन्चार्ज वैद्य एव हकीम अधिकृत माने जायेंगे।

(एफ १(३०) (२) एम पी एच /५६-I दिनाक ७ ११ १९६०)

विषय —खोये हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलो का आडिट।

महालेखाकार, राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार के ध्यान म लाया गया है कि एक तहसील म काय करने वाले लिपिक का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल कोषाधिकारी द्वारा कुछ आपत्तियो के साथ लौटा दिया गया। मूल बिल को लौटाने की अपेक्षा तहसीलदार ने कोषागार मे देयक बिल (डूप्लीकेट बिल) पेश किया और उसपर यह अकित कर दिया कि बिल इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है अथवा यह कही खो गया है।' तहसीलदार से कशमीमो की देयक प्रतियाँ (डूप्लीकेट) मागी गई तो उसने उन्हे प्रस्तुत करने से मना कर दिया।

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम १३० के अधीन जहा किसी भुगतान के समथन मे वाउचर या प्राप्तिकर्ता की रसीद प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो वहा भुगतान का प्रमाण पत्र वितरण अधिकारी के हस्तलेख मे या यदि जरूरी हो तो उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके उन परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए अभिलिखित किया जाना चाहिये जिनके कारण ऐसी व्यवस्था करनी अपेक्षित जान पडी है। ऐसा अभिलिखित प्रमाण पत्र और कारण प्रकट करते हुए ज्ञापन जहा जरूरी हो वहाँ महालेखाकार को भजा जाना चाहिये।

समस्त सम्बद्ध अधिकारियो से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐस मामलो म दावो के पूर्ण विवरण नियमित बिल पर अनिवायत व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ प्रमाण पत्र सहित अकित किये जाने चाहिए तथा आहरणकर्त्ता या प्रति हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो द्वारा यह भी उसम प्रमाणित किया जाना चाहिये कि मूल कशमीमो और वाउचस इत्यादि प्राप्त किये गये, सत्यापित किये गये और मूल बिल के साथ सलग्न किये गये थ।

(एफ डी (रैवन्यू और ई ए) आदेश सख्या डी ८८८/एफ डी/ई/जनरल/६१ दिनाक ८ अप्रल १९६१)

राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है कि उन असैनिक सरकारी कर्मचारियो के परिवारो को, जो वतमान आपत्तिक स्थिति मे सैनिक सवायें स्वीकार कर लते है, ठीक उन्ही कर्मचारियो के समान चिकित्सा सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए जो समकक्ष असैनिक पदो पर काय करने वाले [illegible] को प्राप्त होती हैं।

(सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश संख्या एफ २ (१) जी ए /ए /जो आर./II/६२ दिनांक ७-१-६३)

विषय —चिकित्सा बिलो का दो बार उठाया जाना।

महालेखाकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा दो बार उठाये गये चिकित्सा-दावों में कुछ मामले सरकार को सूचित किये हैं। मामलों की जाच की गई तथा यह विचार किया गया है कि यदि नियन्त्रण अधिकारी बिलो पर प्रति हस्ताक्षर करते समय उनकी उचित जच करें तो ऐसे दुहरे भुगतान सीमित किये जा सकते हैं। यह निश्चित करने के लिए कि मेडीकल स्टोर्स द्वारा जारी की गई कैशमीमो काम म नहीं ली जा सकें, नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना अपेक्षित होगा —

१ यह देखा जाना चाहिए कि कैशमीमो पर दी गई तिथियां दावे से सम्बंधित अवधि के अन्दर ही हैं।

२ कैशमीमो के आरपार लाल स्याही से यह नोट लगा दिया जाना चाहिये कि उसके भुगतान का दावा बिल संख्या " " तारीख राशि मे किया गया है।

(सरकारी आदेश संख्या एफ २४ (२०) एण्ड डी (एदडी)/६२ दिनांक ३ २-६५)

## आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एफ २ (२७) जी ए /ए /जी आर-II/६४ दिनांक ५ १० १९६४ के अनुसार सभी प्राधिकृत चिकित्सको को इस आदेश मे अकित प्रपत्र मे एक पजिका संधारित करना अपेक्षित हैं और उसमे परमावश्यक्ता-प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करना आवश्यक है। किन्तु इसके सम्बन्ध में यह अभिवेदित किया गया है कि प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा यह आदेश काफी विलम्ब से प्राप्त हुआ था अत इसी कारण इस आदेश के अनुसरण का दिनाक ५ १० ६४ से अनुपालन सम्भव नहीं हो सका।

२ इस मामले की जाच को गई है और राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि दिनाक ५-१० ६३ से दिनाक ३१ १२ ६४ तक की अवधि के बीच के दावो को बिना उक्त अनुदेश के अनुपालन किये ही स्वीकार किया जा सकता है चाहे इस अवधि के परमावश्यक्ता प्रमाण पत्रो पर दावों के सम्बन्ध म आदेश में चाहे गये अनुसार पजिका के क्रमांक भले ही दर्ज नहीं किये गये हों।

३ अत उक्त आदेश को इस अनुच्छेद २ मे दी गई सीमा तक के लिये संशोधित माना जा सकता है।

(क्रमांक एफ १ (४१) व्यय-नियम/६५ दिनांक २६-७-६५)

विषय —राजपत्रित अधिकारियो के लिये वेतन-पर्चों के अभाव मे चिकित्सा-व्यय की पर्चियां।

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १६ (६) एफ /एए /६० दिनांक १८-११-६० की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार वेतन पर्ची की अनुपस्थिति में राजपत्रित अधिकारियो के मात्रा भत्ते के दावो का पास किया जाना अनियमित माना गया था। किन्तु

Antismat
Adrenapax
Algipan Ointment
Algocratine Cachets
Allantoin
Allochrysine Suppositories
Anaardone Solution
Angioxyl
Antaiby Tablets
Antoxylin
Anti Haemophyila Principil
Acriflex
Alka Cip Tablets
Alka Seltzer
Alkia Saltrates
Allcook s Porous Plaster
Almakal
Aloes Compound
Alefrina
Anne French Cream
Abzol Powder
Agream
Anklozid
Acid Carbolic
Adhesive Plaster
Abdominal Binder
Acecolex
Adrenaline Tablets
Aspergum
Aruna Uterin Tonic
Antiseptic Cream
Argentum 'Oscol'
Absorbent Cotton (Not Drug)
Anadin Tablets
Analax Pastilles
Andrew S Liver Salts
Anestan Asthma Tablets
Angier s Emulsion
Anti Kamnia Tablets
Ashton & Porson S Infants Powders
Askit
Atkinson & Barker's Infants Preservative
Antiflue Tablets
Ayazol
Aeri Flame
Air Rings
Amorphos

B'

Biglycerc Pepsin
Brush
Buckfast Tonic Wine Shustab
Biochlor Tablet
Bandage (Not Drug)
Bathn Complex
Bog Vaccine
Biphlogistine
Broon Liquid C Nebuliser
Bishop s Citrate Of Lithia
Bendial Solution/Benedicts Solution
Bidel Compound
Bonchiol
Box Of Nutronone
Bidello
Benzocin Lozenges
Burnol
Beliadonna Pigment
Brewer s Yeast Syrup
Bio-Sal
Bi Shicrobutolinhalant
Borofa
Boldine Houde Tablets
Bburgoyne s Iodised Sarsa Parilia
Biomin Syrup
Blood Percolator
Betalysin
Bacte Dysenteri Phage
Bacte Inseti Phage
B Tex Ointment
B-Neurophos Elixir
Bynadol Liquid
Bertzyme
Bilogen
Becantex
Bronchinson Cough Syrup
Becophos
Betonin Liquid
Borax Honey
Bums

Bmag Faste
Boroline
Bioplex Forte
Bencard Allergy Remes
Banalona
Beconex
Benaifet
Baby Oil
Bio Malt
B D Vine
B G Minelixir
Boric Rectified Spirit
Bisodol Pulves
Broven Inhaler
Brookle Tablets
Bacte Coli Phage
Bis U Mint Ovals
Bisurate Magnesia
Bacte Pyo Phage
Bacte Staphy Phage
Benecardin
Benzoyl Perexide Wolley
Bioglan
Balsamic Emulsion
Barker s Liquid Of Life
Bates & Cos Compound
Breastsal E
Baxen Powders
Baxen Tablets
Beecham's Cough Pills
Beecham's Lung Syrup
Beesham s Pill
Beecham's Powders
Beltona Antiuritic Tablets
Beltona Lotion
Beltona Ointment
Berorbon Medical Snuff
Betalax Drops
Bilas Pills
Bile Beans
Bilson s Laxative Cleanser
Birley's Antacid Powder
Bishop s Natural Fruit
Saline
Bishop's Varailattes
Bishop's Varailettes
Vichy Salts
Brandy
Bilitone
Bor Henzolan
Bisum Cone Suppository
Banaid
Brillian Grease
Baling Powder
Belt
Borated Tin
Benzidine
B Adhesive
Barracha Biheron
Bioferbin
Bordox
Bisurated Magnesia Tabs
Bisuroids Laxative Tabs
Blair's Gout & Rheumatic
Pills
Blanchard's Female Pills
Blinblow's Asthma Cure
Blinblow's Eucalyptus &
Stramonium Cigarette
Bluelion Fox Nuts
(Shadforth's)
Bonomint Laxative Chewing
Gum
Bowden's Indian Balm
Bow's (Dr ) Liniment
Box's Herbal Ointment
Box's Indigestion Pills
Bragg's Prepared Vegetable
Charcol
Breezes Stimulating
Ointment
British Spa Crystal Salts
Brocast Inhalant
Bromo Saltzer
Bunters Nervine
Burgress Lion Ointment
Burgress Lion Pills
Buxton Rubbing Bottle
Bristacyclin Pedatric
Drops
Barley
Barley Pearl
Bottle Feeder
Breast Pump

Cotton Boric
Cawtex
Cotton Wash
Cold Creams
Carica Tablets
Cloth
Carboxyl
Casydral
Cusi Denmozo
Calogen
Children Tonic
Capsules Gelatine
Crooks Emulsion
Compietone
Casinone
Crepe Bandage
Charim Tablets
Caliper (including raising in the Shoe etc complete elevator)
Cusi Resolvent
Caisiloids Tablets
Calavix Cream
Calvox Ointment
Cocline

## D

Durol/Liquid
D D D Lotion
Dustin Powder/Antiseftic
Dendruff Lotion Crooks
Decholine
Daya Mineral
Digestin
Digest
Digestive Syrup
Digesol
Dagra Honey Syrup
Dusent
Diabetox
Deimor
D K Salt
Diaphreg in Jelly
Duphasol Vit-D 3/Vit-A
Diporosin
Dinosignatol Chesedon
Dupharsol
.lcal
Dollorina
Dextranil-D
Diorein Cream
Danish Ointment
Decomalt
Dentol Toothache Powder
Delvit Liquid
Deschien's Syrup Of Haemoglobin With Vit B 12
Ducogen
Dressing Surgical
Degalan Ointment & Suppositories
Dehydronmise & Rosterone Tablets
Delbiase Tablets
Deschiens Syrup Hemoglobine
Deschiens Syrup Hepathemo
Detensyl Tablets-Vegeto-polynor-Monib Hypotensor
Di Iodotyrosine Tablets (Pabyrn)
Dismensol Tablets
Duodenin (Palatinoids)
Duodenin Tablets
Daisy Powders
Daisy Tablets
Damaroids Tablets
Davis's (Dr ) Famous Female Pills
D C L Vitamin B Yeast Tablets
D D D Balm
D D D Prescription
Deakin's Lung Healer
Deakin's Inflamation Remedy
Dettol Ointment
Dettolin Gargle
De Witts Antacid Powder
De Witt's Catarrhal Cream
De Witt s Kidney & Bladder Pills
De Witt's Little Luxative Pills
Digey's Dr Bateman's Drops
Digestif Rennies Tablets

Dinneford's Magnesia Tablets
Dinneford's Pure Fluid Magnesia
Diotex Tablets
Doan's Backache & Kidney Pills
Doan's Ointment
Dodd's Kidney Pills
Do-Do Pastilles
Do Do Tablets
Dolchin Tablets
Dol's Voltalise Rub
Drexamin Cream
Drury s infant's Preservative
Duoformua Tablets
Dutch Drops
Dextrosol
Distilled Water
Depil
Dtopper Eye
Devibiso
D D. T Powder
Ditralka
Diana
Dollorin Cordit
Dietary Suppliment
Depilatory Wax

E'

Eledrin Dried Milk
Elixir B C Mineral
Extra Sterilised Pads
Elixir Vital
Ethi Vite Syrup
Elixir Muritunint
Elixir Fevromyn
Eupeptic Tablets
Ex Tross
Enzyindrin Syrup
Elasmin Pearls/Drops
Evaholia Tube
Elixir Thiaden
Eard Alibour
Ecimalt (Everest)
Enhodryl Capsules
Enden Drops
Elixir Combitone
Elixir Vibeta
Elixir Morhuvine
Emulsion Hypophosphate
Effico Tonic
Elixir Phosferine
E C Lotion
Elixir Vita Com Forte
Eskay B 1
Elixir Keliples
Elliman's Universal Embrocation
Elixir Neo Cordial
Eisocal
Eutheria Cream
Elixir Peptenzyme
Essence of Chirata
Emp Belladona Liquid
Ext Ergot Liquid
Eye Wash
Ezotine
Enterocurmol
Entero Sulphazyme
Ethobral
Ephomag Elixir/Tablets
Energon
Epcol Cough Syrup
Elixir Utaferron
Elixir Heposim With Extra Folic Acid & B-12
Ephemix
Elixir B C 50
Elixir Panthor
Elixir Poly B Complex
Elixir Vimelto
Embelix
Elixir Panovin
Elixir Aminoxyl
Elixir A D M
Eve's Cordial
Elixir Lacteena
Elixir Calcilysine
Elixir Gynol
Elixir Combitone
Elixir Vali Vrom Evans
Elixir Val Bromide Smith
Elasro Crepe Bandage

E L A Emusion Lactoba Cillos Acidophilus
Emge Tablets
Eade's Antibilious Pills
Eade s Rhematic & Cout Pills
Eade's Universal Anodyne
Ecsolent Compound
Egyptian Salve
Eko
Elasto Nature Salve
Elasto Tablets
Elliman's Athletic Rub
Elmbaimskin Ointment
Eno's Fruit Salt
E N T Nerve Powders
Ephedrol Inhalant
Esobactolin Capsules
Ex-Lax Chocolate Laxative
Elixir Vitabin
Eskay B Complex
Elastic Plaster
Essence Of Chicken
Ephadibe Oil Drops
Elastic Bandages
Elixir Embrocation
Essence Of Pepermint
Eledon
Electric Vapourizer
Eiosol 10% Drops
Effervescent Sandostin Tablets

'F'

Fever Powder
Felosol
Ferro Drakshomalt
Fero Blimin
Fevromyin Elixir
Floss Silk
F Liquid
Fosdexyl Pills
Fungex Cream
Fungus With Prednisolone
Fruit Lax
Florozone
Fehi in Solution
Fri Pyrine
Farex
Feroglobin
Feroion
Foliplex
Fematone
Fruitlan
Felatone Syrup
F 99 Capsules & Ointment
Fer Bravais
Ferrum Oscol'
Fertilol Cream
Fosfexyl Pills & Syrup
Fructole Blackcurrent & Iodine Pastillis
Falconer's Golden Compound
Famel Syrup
Feedlar Bottle (Not Drug)
Feenamints
Fennings Adult Cooling Powders
Fennings s Children's Cooling Powders
Fenning s Little Healers
Fenning's Ointment
Fennings Stomach Stret Theners
Fenning's Rheumatic & Erysilales Drops
Fennings Whooping Cough Powders
Fenning s Worm Powders
Ferute Elixir
Fibron Adrenaline Cream
Firth s Cream Salve
Fission Analointment
Fissan Anal Suppositories
Fissan Paste
Fitilin Revitalising Rub
Formitoral Formalin Psatilles
Freeman's Chlorodyne
Freesono Corn Pemover
Fructolax
Fructole Carpina Co (May Fair A Brand)
Fruligar

Fuller Brand Celery Perles
Fynnonsalt
Fruitsalt
Fellow s Syrup
Farilan
Fenlexmatt
Ferrylyn
Feeder Grip Tight
Female Cordial
Ferromalt
Finlex

G

Gumpaste (U D Co )
Gumpaint
Glass Urinal
Glycero Pepsin, BI
Gripe Ease
Gripe Liquid
Glycomalt
Grimix
Gharbinol
Gulioix
Gastridine
Gingivitis Powder (Special)
Gynedol Liquid
Gajjartore
Gripe Water (Warden India)
Gripe Water Carminative (Woodwards)
Gripe Mixture
Glaxod
Guncetta
Gynedal
Grimault Haemoglobin Forte
Glucose Solution Crooks
Glucose Tablets
Clucotone
Guy s linctus
Gets-It
Gynosedan
Gluesein
Glycodin Lozenges Gasex Tablets
Goulard's Lotion
Glysovit
Guitao Ephidrine
Glycomal
Gastrozyme
Gynaecolin
Glycerin Extract Of Red Bone Marrow Glanoid
Gemeno Essence (Gomenol Laboratories)
Guipsine Pills
G S Tablets
Galloways Family Lung Syrup
Gar Antiseptic Ointment
Garlisol
Gees Lobelline
Gee s Lobelline Lozenges
Genasprin Tablets
Genosal Nasol Cream
George s Sgravel Pills
George's Pills & Gravel Pills
George s Pills For The Piles
Germolene Blood Purifier & Tonic
Germolene Ointment
Grassbopper Ointment
Germoline Tablets
Geronyl Tablets
Germoloid s Suppositories
Gilley s (Dr ) Herbal Laxative
Guys Fruit Pills
Guy's Tonic
Gripe Liq
Gluco
Germicide
Gelonic
Galacogeno
Germex
Gincola
Glass Rod
Grape Sugar
Gharbinol
Genatone
Geneline
Gluco Vita
Glycolactophos

Greenfield's (Dr ) Whooping Cough Mixture
Gauze (Not Drug)

## H

Hodge's Pessary
Hepoferrum
Hinco Tonic
Himco Tonic
Herbs
Herbal Bitter
Herbolax
Herbolax Strong (for constipation)
Hair Lotion Tincture
Himrods' Cure
Hipro Mil
Huxloy's Nervigor
H 202 (*Hydrogen Peroxide*)
Heart Drops
Hexabe
Halibut Oil Capsule Liver
Halibut Orange Liquid
Hemo Ashoka
Hemostyl Syrup
Haumasbro
Halingol
Hemopatp (Grimoult) Elixir
Haliborange
Hydremin
Henopital
Haemopetolb Complex
Hydrine
Honey
Hepatone
Hepoblum
Hepa Nima Fort
Halibutol Orange
Halivitol Orange
Haliborange Large
Hepatex Malt Liquid
Hewlets Mixture
Hewlettsmistura Pepsin C-Bismuth Co C Opium
Haemoglobin Forte
Haemoglobin Elixir
Haemoglobin Syrup C B 12
Hayward's Tonic Wine
Halyctrol
Ha Vimin Co Folic Acid
Health Salt
Huxleys Wintigen
*Hydro Protein*
Heme Malt
Hinutrone
Hepsonin Elixir Cextra Folicacid & Vit B 12
Hemocalvit Elixir
Hicoin Elixir (Cough Syrup)
Haemorrhoidal Ointment
Hemogynol
Heposim Cvit B 12
Halabak
Haimo Gerobion
Hepacod
Hev Itron Liquid
Halmegon Tablets
Histamine B D H Ointment
Hypotensyl Tablets
Hair (DR) Asthma Cure
Hair s (DR) Asthma Cure Pastilles
Hair s (DR) Bronchial Cou Hhremedy
Hair's (DR) Liver Pills
Hair's (DR) Catrarrh Cure Pills
Haratox Tablets
Harley s Three Salts
*Healex Shol Antiseptic*
Health & Heather s Caterrh Pastilles
Harbalene (Lusty s)
Herbile Pills
Hewletts Teething Jelly
Hinksman's Asthma Cigarettes
Hinksman s Asthma Reliver
Hinksman s Asthma Smoking Mixture
Hockin s Remedy
Holdroyd s Gravel Pills
Holloway's Ointment

Halloway's Pills
Homocea Ointment
Hooper s (Dr John) Female Pills
Hoyle s Pure Vegetable Viscous Oil
Hytex Pille Balm
Hesanol Ointment
Hot Water Bottle
Haleline Snow
Hydraminos
Hygine Powder
Haemogastine
Haemogastine Tonic
Haemobin
Hepagest
Hepels Coy
Holins Pray
Hind's Cream
Hermo Be Dozo
Hachemina
Hablouane
Halingol

I

Itinsucrets
Insanity Cure
Iso Calcium
Irrigator
Irrigatorpire
Inted Tablets
Ina Carabin
Influenza Tablets
Inhalur Huxley's
Indu Compound
Iodine Ointment
Iodised Sarsap Arilla
Iversal Longes
Isabgol
Isogel
Iodoform Powder
Iso Glutamalt
Ivi Malt
Iodemex
Ipac Malt
Inositol Capsules
Intrait De Marrond
Inde Dausse Solutionp
Iodine & Blackcurrent Pastiles
Iodo-Peptone
Indorubid Calcium Ophthai
Mic Ointment Cusi
Ivax
Ideal Warming Liniment
Iglodine
Igolodine Antiseptic Ointment
Indian Oerate
Infants's Friend
Iodine Model Aseptic Ointment
Ina Carabin
Ionised Iodine (Molson) Brand
Irivine
Iron Putty Fitting C Pully
Irvona Tablets
Isocol
Iodise Throat Tablets
Iodalbin
Ice
Ice Cap
Irosol Syrup
Ice Collar
Infantone

J

Jackman's Convulsion Cure
Jayakar s Convulsion Cure
Jamins Liver Cure
Jamins Liver Cure Complex
Jyrothericine Chewing Gum
Jackson s Febrifuge
Jenner s (Dr) Absorbent
Nozenge Brand Digestive Tablets
Jests Tablets
Jif Neuralgic Powders
Jocigares
Johnson's (MRS ) American Soothing Syrup
Jordan's Gin Pills
Juno-Junipah Salts (Powders & Tablets)

Milkan/E H
Milkan Paste
Massage Oil
Maternity Belt
Meads Protein
Manestrin Capsules
Metametrol
Minaferrol
Methofar
Minvitone
Minavitol Syrup
Mycodeoyl Powder
Mycodeyl Pomade
Moryl
Massy's Nipple Ointment
Masse Nipple Cream
Masse Ointment
Mist Seillac
Mixture Tone
Methugun Tablets
Mount Malt
Meta Metron Tablets
Multi Tone
Multi Ionic
Magsil Tablets
Malt Vitex
Malt Vitex C Iron
Malt Iron
Mivets Tablet
Mivets G Tablets
Minaferrol Vit E
Metacin
Mercolized Wax
Mag Mag
Mixtures (Only patent mixtures as Ague Mixture, etc )
Mettaral
Mag Mag Plaster
Magnatone
Marmite
Metules Sandoz Capsules
M & H Elixir
Molivex Compound
Mebradal
Miassived Drops
Milko Mag Tablets
Manner's Gripe Mixture
Malto Vito
Maltovit
Malt-Vitol
Malt Vitonin
Malt Viron
Mand H Emulsion
Myn Berry's Compound
Metheyl Testo Viron Tablets
Meta Drops
Maltograf
Magsulph Cream
Medica Belt
Maclean indigestion Powder
Mandles Throat Paint/Pills Solution
Miaules
Multivitamin Fipa
Mist Fepnent Ammin Cit
Mitsons Liver
Multivitaplex Elixir
Mulvilysin
Minervin
Mebran Elixir
Multivit Candy
Mvrone Tablets
Mistona
Maclean Brand Stomach Tabs
Magtriz Powder/Tablet
Magsilate Tablets
Manzan Pile Remedy
Marienbad Anti Obesite Tabs
Marmola Antifat Tablets
Mathews Fullers Earch Cream
Mecca Pasilles (Gibson)
Medilax Laxative Pellets
Meggesone Bismuth Dyspepsia Tablets
Meggesones
Melba Iodised Throat Tabs
Mendaco Tablets
Mensal Pills
Magnogone Tablets
Mammary Capsules & Tablets
Mammary Gland 'Palatinoids'
Manganese Oscol

Muscle Extract—Oxoid
Myelin Capsules & Tablets
Mac Brand Antiseptic Throat Sweets
Mcclure s Balsam
Mcclure's Crescendo Vitamin Tonic Syrup
Mcclure's Ephedrine Nasal Catarrh Specific
Mcclure's Oxogen Tablets
Mcclure's Glucomel
Mcclure's Glucose Tonic
Mcclure's Vaposan Outfit
Maclean Brand Stomach Powder
Musterold Mustaraed Oinment
Multione
Milton Tablets
Milkan c cod Liver
Manola
Measure Glass
M & E Pastilles
Melgodin
Morhussion
Mavilot Malt
Malt Vitex
Malt Kepler
Malt Osto
Malt Compouad Navitol
Malt Nesto
Malt Easton (if given to adults)
Mackin Tosh Sheeting
M O Towels
Material (Dressing)
Massive Vitamic
Mandy Paint
Mandol Malt
Milk of Magnesia
Malt Extract (cod Liver Oil (A & H Co)
Malt Ccod Liver Oil (Allin & Haily)
Malt Extract (Magn Malt)
Micoren pearls/drops/Capsules/Tablets
Metatone
Mentex
Mentholatum Antiseptic Nasal Liquid
Mentholatum Balm
Mil Par Brand Laxative
Milton Antiseptic Onitment
Mistol Drops Ephedrine
Moffat's (DR) Remedy
Monsol Throat Pastilles
Moorland Indigestion Tablets
Morse's (DR) Indian Root pills
Mortons Elder & pepermint Life Drops
Mothersill's Digestive Syrup
M Rex Pile Ointment
Muller Nutrient (The)

'N'

Nutrima
Nutritone Capsules
Nutrone
Nutrotone
Nutroton Box
No Pain
N E Sulphar
Neo Dentol
Neuro Phosphates
Neuro
Nefer Tablets
Nefer Tablets
Nufer Tablets
Nephril Tablets
Nycil Ointment
Nycil Powder
Neuro Lecithin
Navitol Cvios Terol
Nionate
Nejdrugen Tablets
Netrada
Navitol
Niva Cream
Nivea Cream
Necoferin
Norway Cod Liver Oil
Nervorite Mine
Nisko Soap

Nervigor
Nutrinatal Tablets
Neo Sedalcer Tablets
Nurophp
Nico Flavin
Nobedon
Nutro Lysate
Neurona B Complex
Neurophos
Noval Gin Quinine
Neo Kimsyrup
*Nephritin Tablets*
Nicamide Solution
Nizin Ophthalmic Ointment Susi
Noviform Ophthalmic Ointment Cusi
Nasimint Snuff
Nature s Herbal Ointment
Naturpeat
Nemakol Brand Nasal Compound
Nemolin Pile Ointment
Nervoids
N E T C Q 444 Pills
New Skin
New Sphagol 10% Ointment
Niblett's (DR ) Vital Renewer
Nigroids
Nipits
Nonu Tablets
Normo Gastring Tablets
Nortons Chamomile pills
Nostroline Nasal Remedy
Noxacorn
Nujol
Nurse Harveys Mixture
Neko Soap
Neson Inhaler
New Dentol
Natrum Phos
Nestomalt
Noviazole
Neutroxides
Nixoderm Ointment
Nestrima
Needle Hypodermic
Nestargel
Norasirob
Nivea Skin Oil
Nursing Powder
*Nursing Case Book*
Neogynges
Nipple Shield or Nipple
Navitol Malt Compound
Needle
Neadallit
*Nozel Set*
Natrisol

'O'

Oriental Balm
Oxygen Cylinder
Oralt
Ointment *Milkan c Cod* Liver
Optibits Abott
Oleum Arachis
Ovoto Line
Olive Oil (External or Internal)
Olive Oil & Cod Liver Oil
Oralex Liquid
Ortho Applicator
Oonim (Male)
Optrex Eye Lotion
Ossivite
Ommicidine
Opicycline Capsule
Oxycide
Optisol Eye Ointment
Opimalt
Opimalt Syrup
Optinal Eye Drops
Oberlin Granules of Chicken Embryo
Opo Iodamelis Tablets, Female & Male Formula
Orchic Substance Emplets (No 5)
Orchitate (Pabyrn) Liqhar Pessaries & Tablets
Orchitin Palatinoids
Ovacoids Tablets

Ovarian Residue 'Palatinoids'
Ovarian Substance 'Palatinoids'
Ovarian Substance Emplets
Ovarian & Pituitary 'Palatinoids'
Ovary Residu Tablets
Ovarian & Mammary 'Platinoids'
Ovary Whole Gland Tab Lets & loz
Desiccated Powder
Ovesedicyl Drages
Odds On Liniment
Okasa Tablets
Omega Oil
One Day Cold Cure
Opas Maclean Poweder
Opas Maclean Tablets
Optrex Eye Lotion
Oralx Tablets
Osborne's Mixture
Owbridge's Lung Tonic
Owbridge's Lung Tonic Pastilles
Oxien Nerve Tablets
Oxien Pills
Oystrax Tonic
Orlivit
Orange Squash
Oiled Rayon
Orheptol/Oratol
Olivifor d/Oates
Oleum Araches

P

Perandren Linquets/Ointment
Peranden
Pablum (Cereals)
Pepsindon Tablets
Pessay
Pepsin Bi Glycero
Paste
Palmolive Shaving Cream
Phospotone
Phosphomalt
Powder Antiseptic Dusting
Powder Dusting
Pyrodent
Primoderm Mild Cream
Pulverizator for Oily Liquids
Pilex
Petrocil
Pyson Mouth Watch
Pyson Gum paste
Phinl Halycitrol Crookes
Panovin/Compound
Plimasine
Paloll
P V T Solution
Pasiso Viteve
Paragon (Reell)
Pacto Calcium
Pacto Malt
Panthesine Balm
Poly Malt
Pilex Ointment/Tablets
Penetrol Sulpha
Protine
Protein Hydrosylal
Protovine
Peptovintone
Pepsinal
Pepsinol
Promoian
Phosphogodine
Prolypo
Pharma Compound
Plaster Zinc Adhesive
Pearl Barley
Pho Sferine Syrup
Pigment Belladona
Petterson's Oky Pills
Progneter Cream
Pepsi Digestive
Pepsi Digestine
Pineal Compound
Pyrgasol Hozenges/Tablets
Petromulsion
Petromulsion C Gualacol
Polybactrin
Potchlora Powder
Potassium Chloride
Potassium Chlorate

२१ अतिरिक्त सुविधायें —निवास के मकानो में अतिरिक्त सुविधाओं जैसे फर्निचर, उद्यान, की व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी नामाथ —

(क) यह कि ऐसी सुविधाए मकान मे रहने वाले के सरकारी पद, उसके अन्तगत समाविष्ट सामाजिक कत्तव्य तथा अन्य सारभूत परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए उपयुक्त सुविधाओं से अधिक अथवा अधिक व्ययशील नही होगी,

(ख) यह कि सिवाय विशेष परिस्थितियो के ऐसी सुविधाए उन राजकीय कर्मचारियो को नही दी जायेंगी जिनको मुफ्त मकान मिलने का हक हो, और

(ग) इस प्रकार की सुविधाए जसे टेनिस कोट वेडमिंटन कोट गायो के लिये घर पर मुर्गी खाने आदि सिवाय सामान्य प्रशासन विभागीय सरकार की विशेष स्वीकृति के, नही दी जायेगी।

२२ उद्यान का किराया —(क) इन बगीचों का किराया जो सरकार द्वारा लगाये गये तथा सरकारी देखरेख मे रखे जा रहे हों अस्थाई आधार पर निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जायेग। और उसमें समस्त व्यय जसे कि मालियो कुलियो, खाद, बीज तथा बैल जो पानी खीचते हों अथवा पानी का अन्य शुल्क सम्मिलित होगा। यह मकान मे रहने वाले के वेतन से मासिक वसूल किया जायगा और वह मकान किराये के अतिरिक्त देय होगा —

| वार्षिक आवतक अस्थाई शुल्क अजमेर जोधपुर, बिकानेर डिवीजनो मे | प्रस्तावित अस्थाई दरें | अन्य डिविजनों में वार्षिक आवर्तक व्यय | प्रस्तावित अस्थाई दरें |
|---|---|---|---|
| ४०४ | २५ | ४०८ | २२ |
| ४०८ | २० | ३०० | १८ |
| ३०० | १३ | २२८ | १२ |
| २५२ | १२ | २०४ | १० |

ये दरें इन नियमों के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिये वसूल योग्य रहेगी और एक वष पश्चात इन पर पुन विचार किया जायेगा।

(ख) (1) दूब इत्यादि केवल ए बी' 'सी' तथा 'डी' स्तर के सरकारी बगलो में लगायी और रखी जावेगी जया की स्थान की श्रेणी सम्बधी नियम में बतायी गयी है।

(11) विभिन्न स्तरो के निवास स्थान के लिये बगीचे की सीमा निम्नलिखित मात्राओं से जो विभिन्न श्रेणी के निवास स्थानो के लिये है अधिक नहीं होगी —

| श्रेणी | दूब | भाडियें | फूल की क्यारियां | बाडे |
|---|---|---|---|---|
| ए | ३०० वर्ग फीट | १०० वग फीट | १२ क्यारिया | १००० वग फीट |
| बी | २५० वग फीट | ८० ,, | ८ क्यारियां | ८०० वग फीट |
| सी | २०० वग फीट | ७० ,, | ६ क्यारिया | ७०० वग फीट |
| डी | १५० वग फीट | ६० ,, | ४ क्यारिया | ४०० वग फीट |

(iii) अनावर्ती तथा वार्षिक आवर्तक व्यय जो प्रत्येक श्रेणी के मकानों के लिये बगीचे लगाने तथा इनको कायम रखने के लिये किया जावे, वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा —

| श्रेणी | अनावर्ती अजमेर, जोधपुर बीकानेर, राजस्व डिविजनों मे | अन्य डिविजनो में | आवर्तक अजमेर जोधपुर बीकानेर के राजस्व डिविजनो में | अन्य डिविजनों मे |
|---|---|---|---|---|
| ए | ३८० | ४२० | ५०४ | ४०८ |
| बी | ३०० | ३८० | ४०८ | ३०० |
| सी | २५० | ३०० | ३०० | २२८ |
| डी, | २१० | २५० | २५२ | २०४ |

[1](ग) बगीचे की रुप रेखा सरकारी उद्यान अधिकारी द्वारा पुराने या नये बगलो के लिये निर्धारित मात्रा मे बनायी जायेगी। मकान मे रहने वाले को यह विकल्प नही होगा कि वह ऐसे बगीचे की रुप रेखा के लिये निजी व्यवस्था करे। बगीचे की देख रेख का काम भी मकान में रहने वाले के विकल्प पर बन्द नही किया जायेगा।

२३ उद्यान के अतिरिक्त अन्य सुविधाए —टेनिस कोट गाय के छप्पर तथा अन्य दी गई और कायम रखी जाने वाली सुविधाओ के लिये किराया निम्नलिखित होगा —

(क) सरकार के व्यय पर किये गये पू जी मूल्य की राशियो पर ४ प्रतिशत की दर से ब्याज, तथा

(ख) उसकी वार्षिक देख रेख के लिये राशि जो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता भवन तथा पथ अनुमानित करे।

(ग) इस नियम के अधीन किराया इन नियमो में निर्धारित अन्य किरायो के अतिरिक्त होगा।

२४ बिजली का पम्पिग सेट —(१) बिजली के पम्पिग जो कि सरकारी व्यय पर किसी आवास गृह में लगाया गया है किराया मासिक वसूल किया जायेगा जो ४½ प्रतिशत की दर से वर्ष भर के लिये आवश्यक राशि का $\frac{1}{12}$ वां भाग होगा, तथा वार्षिक मरम्मत के लिये सेट के पू जी मूल्य पर १½ प्रतिशत होगा।

(२) एक दफा जब कि किसी आवास गृह में पम्पिग सेट लगा दिया गया हो तो उसके किराये का उसमे रहने वाला देन दार हो जायगा चाहे उसको उक्त पम्पिग सेट की आवश्यकता हो अथवा नही अथवा वह उसका उपयोग करता हो या नही। उसको चलाने के लिये बिजली का खर्चा भी उसी को वहन करना पडेगा।

२५ मुक्ति —विशेष परिस्थितियो मे तथा जिनके कारण अभिलेखित होगें सरकार आदेश द्वारा इस प्रकार की सेवाओ के लिये जसे जल प्रदाय सेनिटरी या बिजली की सामग्रियें तथा फिटिंग जैसे फर्नीचर टेनिसकोट, बगीचे गाय के छप्पर

१ वी ए की अधिसूचना स एफ ६ (६४) वी ए /ए/५८ दिनांक ... १९५८।

मुर्गी खाने आदि जो गवनमेन्ट के खर्चे पर रखे गये हो उनका अतिरिक्त किराया माफ कर सकेगी या कम कर सकेगी।

२६ फर्नीचर का किराया —सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार दिये गये फर्नीचर का किराया पूंजी मूल्य के १½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल किया जायगा और निर्धारित मात्रा से अधिक फर्नीचर देने पर लगे हुए पूंजी मूल्य का १८ प्रतिशत वसूल किया जायगा।

२७ मीटर के किराये —(१) बिजली पानी तथा अन्य मीटरों के लिये प्रत्येक वर्ग के मीटर के लिये निर्धारित मासिक दर से किराया वास्तविक उपयोग की अवधि के लिये मकान मे रहने वाले द्वारा देय होगा जो एक मास से कम के लिये नहीं होगा तथा विच्छेदित अवधियें एक पूरा मास होना माना जायगा।

(२) खर्च किये गये पानी तथा बिजली की कीमत किरायेदार देगा।

२८ उपभोक्ता का किराये के लिये उत्तरदायित्व —जिस सरकारी कर्मचारी को जिसे कोई निवास गृह आवंटित किया गया हो वह इन नियमो के अधीन आवंटन की अवधि के लिये किराये का भुगतान करने के लिये जिम्मेवार होगा, जब तक कि वह बिना किराया मकान पाने का हकदार न हो अथवा नियम ३२ के प्रावधान के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे मुक्त नही कर दिया गया हो।

२६ (१) आवंटन की अवधि के लिये किराया मासिक अग्रिम रूप से वसूल किया जायगा।

(२) यदि वह राज्य कर्मचारी है तो कोई भी राशि जो किराये की हो अथवा इन नियमों के अधीन अन्यथा देय हो उसकी वसूली उसके मासिक वेतन मे से अथवा मकान में रहने वाले को देय किसी अन्य राशि से कटौती करके वसूल करली जायगी।

३० किराया मुक्त स्थान —विशेष परिस्थितियां तथा कारणो से जो अभिलेखित होंगे, सरकार —

(क) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को या सरकारी कर्मचारियो के वर्ग को बिना किराये पर निवास-स्थान दे सकेगी। अथवा

(ख) किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी [illegible] के वर्ग से वसूल की जाने वाली किराये की राशि में विशेष आदेश द्वारा माफी या कमी कर सकेगी। अथवा,

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियो के वर्ग से वसूल की जाने वाली नगर पालिका तथा अन्य करो की राशियो मे जो गृह कर या सम्पत्ति कर की तरह के न हो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा माफी या कमी कर सकेगी।

### टिप्पणी

उन सरकारी कर्मचारियो की सूची जो बिना किराये पर मकान पाने के पात्र हैं, परिशिष्ट ग मे दी हुई है।

३१ (१) जब कि नियम २८ के उप-खंड (क) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को बिना किराये पर मकान दिया गया हो, तो किसी विपरीत प्रभाव वाले राज्य आदेश के अभाव मे, किराये से मुक्ति पूरी मुक्ति होना मानी जायगी, अर्थात

सेनिटरी, जल तथा विद्युत जैसी सेवाओं के लिये, जिनकी कीमत भवन के पूंजी मूल्य में सम्मिलित है कोई अतिरिक्त किराया या शुल्क नहीं लिया जायगा।

(२) किराया-मुक्त मकान होने की रियायत में मुफ्त जल प्रदाय तथा विद्युत शक्ति तथा नियम १६ में उल्लेखित अन्य सुविधाएं सम्मिलित नहीं होंगी, जिनका किराया तथा व्यय राजकीय कर्मचारी स्वयं को देना होगा। जल तथा विद्युत मोटरों का किराया भी जिनकी कीमत भवन के पूंजी-मूल्य में सम्मिलित की हुई नहीं है, राजकीय कर्मचारी द्वारा ही देय होगा।

३२ विस्तृत मरम्मत चालू होने से या किसी अन्य कारण से जब कोई भवन निवास योग्य न रहे, तो उसके उपयोग के लिये देय किराया मुख्य अभियन्ता माफ करने की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा, परन्तु शर्त यह है कि यदि इसमें निवास करने वाला यह पाए कि मकान निवास-योग्य नहीं रहा है तो वह उक्त भवन का प्रभार रखने वाले अधिशासी अभियन्ता को इसकी रिपोर्ट तुरन्त करेगा जो उसका शीघ्र निरीक्षण करेगा और इस विषय पर अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित करेगा अधिशासी अभियन्ता मामले में ऐसे कदम उठाएगा जो वह आवश्यक समझे और अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता को करेगा जो तत्पश्चात यह तय करेगा क्या किराये में आंशिक या पूरी छूट की अनुमति दी जावे।

मामूली या साधारण वार्षिक मरम्मत से होने वाली असुविधा किराये में माफी देने के लिये अपर्याप्त है जो केवल तभी प्रदान की जानी चाहिये जब कि ऐसी विस्तृत ईमारती मरम्मत हो रही हो, जिससे सक्षम प्राधिकारी की राय में भवन रिक्त करना औचित्यपूर्ण हो गया हो।

३३ सम्मिलित निवास तथा कार्यालय —जब कि किसी भवन का कुछ हिस्सा निवास स्थान के रूप में तथा कुछ भाग का उपयोग कार्यालय के लिये किया जाता हो तो, जो भाग निवास के लिये काम में लिया जा रहा है उसके पूंजी मूल्य का अनुमान नियम ६ तथा १३ के प्रयोजनार्थ पृथक आंका जाना चाहिये। निवास स्थान के भाग की देखरेख का व्यय पृथक आंका जाना चाहिये और उसका अलग से हिसाब रखना चाहिये। यह उस क्षेत्र के आधार पर किया जाना चाहिये जिस पर उक्त ईमारत बनी हुई है।

जब मकान में रहने वाले को कार्यालय के लिये अलग स्थान दे दिया गया हो और जब कि उसके निवास गृह का कुछ अंश कार्यालय या व्यवसाय के प्रयोजनार्थ वैकल्पिक हो, तो इस कारण से किराये में कटौती करना अनुज्ञ नहीं है।

३४ ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सरकार द्वारा विशेषतया पुलिस गार्ड के हकदार समझे जावें, के निवास स्थान पर पुलिस रक्षकों के लिये सरकार स्थान देने की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार से दिया गया स्थान उक्त निवास गृह के लिये, नियमों के अधीन, प्रामाणिक किराया निश्चित करने हेतु हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जायगा। इन सुविधाओं के लिये जो अधिकारीगण हकदार हैं उनका उल्लेख परिशिष्ट "प" में किया गया है।

३५ परिभाषाएं —(१) उपरोक्त नियमों के प्रयोजनार्थ, "उपलब्धियां" (Emoluments) से तात्पर्य है और उस में सम्मिलित है—

## अनुसूचि 'ख'

### राजकीय आवास स्थान के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवामें,

राजकीय आवास स्थान के लिये मैं एतद् द्वारा आवेदन करता हूँ

१ नाम

२. पद

३ वेतन

४. भत्ता, यदि कोई हो (सिवाय मँहगाई भत्ते के)

५ तैनाती के स्थान पर पद ग्रहण करने की तारीख।

६ परिवार में वयस्को तथा बालको की संख्या (आवेदनकर्त्ता के साथ सम्बन्ध बताते हुए)।

७ आया तैनाती के स्थान पर उसके कोई भवन सम्पदा है।

८ आया उसने गृह निर्माण हेतु कोई ऋण/अग्रिम राशि उठाई है यदि ऐसा है पिछली उठाई गई किश्त की तारीख।

हस्ताक्षर

स्थान पद

दिनाक विभाग

प्रेषित है

हस्ताक्षर

पद (कार्यालयाध्यक्ष)

## अनुसूचि 'ग'

अधिकारियो की प्रतीक्षा सूचि जो " श्रेणी के आवासगृह के लिये हकदार है, अर्थात् जो वेतन समूह रु०" " मे हैं/१९५८

| क्रमाक | नाम | पद तथा वेतन श्रृंखला | वेतन तथा विशेष वेतन | आगामी वेतन वृद्धि की तारीख | वर्तमान आवटन यदि कोई हो | वर्तमान आवटन की तारीख | तैनाती के स्थान पर पद ग्रहण करने की तारीख | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |

## अनुसूचि 'घ'

## राजस्थान सरकार

(विभाग/आवटन प्राधिकारी का कार्यालय)
(आवटन प्राधिकारी)

ओर से

वास्त

(कार्यालयाध्यक्ष/विभाग
जिसके माध्यम से आवेदन
पत्र प्राप्त हुआ)

सख्या दिनाक १९

विषय —राजकीय आवासगृह उपलब्ध नहीं होने के विषय में मकान किराया भत्ता नियमों के नियम ४ के अधीन प्रमाण-पत्र।

सदभ —आपकी स० दिनाक

श्री को देने के लिये अभी कोई उपयुक्त मकान उपलब्ध नहीं है।

यह पत्र राजकीय आवास गृह हेतु दिये गये श्री के आवेदन-पत्र दिनाक के सदभ में है।

उनका नाम श्रेणी के आवासगृह पाने के हकदार व्यक्तियों में अधिकारियो की प्राथमिकता सूचि के क्रमाक पर स्थित है।

(आवटन प्राधिकारी)

स० दिनाक

प्रतिलिपि श्री का उनके आवेदन-पत्र दिनाक के संदभ में सूचनार्थ प्रेषित।

(आवटन प्राधिकारी)

## परिशिष्ट 'ख'

राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान की है कि नीचे लिखे क्षेत्रफल तथा निर्माण व्यय उच्चतम सीमा समझे जावें तथा भविष्य में समस्त राजस्थान में सकल विभागों के राजकीय कर्मचारियों के लिये आवासगृह का निर्माण करने हेतु इनका प्रयोग में किया जावे। ये माप दण्ड सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत तथा यांत्रिकी विभाग तथा अन्य समस्त विभागों तथा आयोजना कार्यों के लिये भी लागू होंगे और सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार की स्वीकृति के बिना इनमें कोई वृद्धि नहीं की जायगी —

| आवास गृह की श्रेणी | वेतन समूह | बने हुए मकान का क्षेत्रफल | निर्माण का व्यय | सर्वेंट (अदली) का क्वाटर आदि |
|---|---|---|---|---|
| एच-श्रेणी | रु० ६० से कम | ३०० वर्ग फीट | ३००० | कुछ नहीं |
| जी-श्रेणी | रु ६० से रु १४६ | ६०० ,, ,, | ७२०० | ,, |
| एफ-श्रेणी | रु १५० से २४६ | ७७५ ,, ,, | ६,३०० | ,, |
| ई-श्रेणी | रु २५० से ४६६ | ११०० ,, ,, | १४४०० | ,, |
| डी-श्रेणी | रु ५०० से ७४६ | १७७० ,, ,, | २२२०० | एक सर्वेंट क्वाटर |
| सी-श्रेणी | रु ७५० से रु ६६६ | २१८४ ,, ,, | २७,४८० | एक सर्वेंट क्वाटर तथा एक गेरेज |
| बी-श्रेणी | रु १००० से रु १,४६६ | २६०० ,, ,, | ३१,२०० | एक सर्वेंट क्वाटर तथा एक गेरेज |
| ऐ-श्रेणी | रु १,५०० | ३३२० ,, ,, | ३६८४० | दो सर्वेंट क्वाटर तथा एक गेरेज |

उपरोक्त उल्लिखित माप दण्डों तथा निर्माण के व्यय में सर्वेंट क्वाटर्स गेरेज, पहरेदारों के कमरे, अहाते की दीवारें अन्दर की सड़कें सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिये पृथक तकमीने बनाने चाहियें तथा सरकार के अनुमोदन हेतु भेजे जाने पर अलग बताने चाहिये।

सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञा सं एफ ६(६३) जीए/ए/५७/जी ए/ए/५७/जीए ४६७८/एफ ५८ (ए) दिनांक १५-४ १६५८ द्वारा जारी किया गया।

आधारित हैं उन पर लागू उपयुक्त महगाई वेतन को वेतन का अ श समझा जायगा। इस नियम के अधीन रियायतें १-४-१९५८ से प्रभावित होगी बशर्ते कि सम्बन्धित राजकीय कर्मचारी उक्त तारीख से चदे की शेष राशि का भुगतान कर दे। निधि नियमो (Fund Rules) क अधीन ग्राह्य विशेष अ शदान की राशि गणना करने के लिये, जिस वेतन पर यह अ शदान आधारित है उन पर लागू उपयुक्त महगाई वेतन को दिनांक १-४ १९५८ को या उसके पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियो के सम्बन्ध में ऐसे वेतन का एक अ श समझा जायगा।"

## मकान किराया तथा यात्रा भत्ते

६ महगाई वेतन को यात्रा भत्ते ( जिसमे माइलेज तथा दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं) के प्रयोजन के लिये वेतन रूप होना समझा जायेगा।

७ महगाई वेत को राजस्थान सिविल सर्विसेज (डिटरमिनेशन ऑफ रेन्ट ऑफ रजिडेंशियल एकोमाडेशन रूल्स १९५८) के नियम ३५ में परिभाषित उपलब्धियो ( aemoluments ) का एक अ श होना समझा जायगा

८ महगाई वेतन को भी हाऊस रेन्ट एलाउ स रूल्स जो वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ ३५ (२) आर/५१ दिनाक २२-६-५१ को जारी हुए और जिस रुप मे वे समय समय पर सशोधित हुए के प्रयोजनार्थ वेतन रुप मे माने जायेंगे।

[1]यह आज्ञा प्रदान की गई है कि उन राजकीय कर्मचारी के मामले मे जिनको कि किराया मुक्त गृह तथा मुफ्त भोजन की अनुमति है तथा जिनको तदनुसार डियरनैस एलाउन्स टु गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स आफ राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम ४२-IV के नियम ३ (V-A) के अनुसार ५० प्रतिशत महगाई भत्ता ग्राह्य है, उनके महगाई भत्ते को उपरोक्त आज्ञा के तात्पर्य मे महगाई वेतन समझा जायगा।

## बीमे की किश्तें

९ अनिवार्य बीमे की किश्तें गणना करने के प्रयोजन के लिये भी महगाई वेतन को वेतन में शुमार किया जायगा।

## कतिपय प्रावधानों के लागू होने की तारीख

१० अनुच्छेद ६ से ९ में निर्दिष्ट प्रावधान इस आज्ञा के जारी होने की तारीख से लागू होगे।

## परिसीमायें

११ इस आज्ञा के कथनो के अतिरिक्त महगाई वेतन को वेतन के रुप में, किन्ही अन्य प्रयोजना के लिये नही माना जायगा। उदाहरणत वेतन निश्चित करने या वेतन वृद्धि उठाने क लिये महगाई वेतन की गणना नहीं की जायगी न महगाई भत्ता उठाने हतु ही इसको गणना में लिया जायगा। वेतन के बिलो मे या सेवा क अभिलेखो मे भी पृथक तत्व के रुप मे नही दर्शाया जायगा।

---

१ वित्त विभाग आज्ञा स एफ ६ ए (१४) एफ डी ए (रूल्स)/५८ दिनांक ५ ९ ५९ द्वारा

परिशिष्ट ३१

राजस्थान सेवा नियमो के नियम ४२ के अनुसरण मे सरकार आदेश देती है कि राजस्थान सेवा (परियोजना में रियायत) नियम, १९६२ के प्रावधान निम्नलिखित विभागो के कमचारीयो पर भी दिनाङ्क १-९ १९६८ से लागू होंगे —

(१) कृषि विभाग के कर्मचारी जो कि राजस्थान नहर क्षेत्र मे यू०एन० स्पेशल फण्ड सोइल सर्वे एव वाटर मनेजमट रिसर्च करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(२) उप निवेशन विभाग के कमचारी जो राजस्थान नहर क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

वित्त विभाग के आदेश स० एफ २ (ख) (१२) वित्त वि (व्यय-नियम) दि० १२-३-६९



परिशिष्ट ३१

नियम ३(३)

राजस्थान सेवा (परियोजनाओ में रियायत) नियम, १९६२ के प्रावधान विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम परियोजना विभाग, राजस्थान नहर के स्टाफ पर भी दिनाङ्क १-९-६८ से राजस्थान सेवा (परियोजनाओं रियायत) नियम, १९६२ के प्रावधानो के अनुसार लागू होंगे।

१ वित्त विभाग के आदेश स० एफ २ (ख) १२ वित्त वि (नियम) ६९ दि० ७-७-६९)

---

परिशिष्ट ३१



वतमान नियम ३(३) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए —

'(३)' परियोजना भत्ता के अतिरिक्त, 'रेगिस्तान भत्ता' मूल वेतन के १०% के आधार पर, विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम राजस्थान नहर विभाग) के अधिकारियो एव कमचारियो पर तथा राजस्थान नहर परियोजना (रेगिस्तानी क्षेत्र) म किसी पद पर पदस्थापित कमचारी पर भी लागू होंगे जिनका कि मुख्यालय हनुमानगढ सूरतगढ श्री विजयनगर, या अनूपगढ नही है तथा मुख्य नहर से ३८ मील से दूर है।

यह रेगिस्तान भत्ता इन नियमों के प्रयोजनाथ 'परियोजना भत्ता' समझा जाएगा।

वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (क) (१३) वित्त वि (व्यय-नियम) ६६/दि० १४-३-६७ द्वारा १-२-६७ से प्रभावी किया गया तथा बाद म वित्त विभाग के आदेश स० एफ २ (ख)(१२) वित्त वि (नियम) ६९ दि० ७-७-६९ द्वारा सशोधित)